28 नवम्बर, 1995

अग्रहायण, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पन्द्रहवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. ...55
Date 27.1.97

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

लोक सभा के दिनांक 28 नवम्बर, 1995 के

वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची(ii)	20 के नीचे	श्री नवल किशोर राय ~~[illegible]~~ ५८५	
40	नीचे से 12	लघ	लघु
57, [illegible]	14, ~~नीचे से 3~~	पर्यावरण वन मंत्रालय	पर्यावरण और वन मंत्रालय
108	12	(क)	(क) से (ख)
137	26 के नीचे	(ङ) नहीं पढ़िए ।	
139	अंतिम	पर्यावरण और वन राज्य मंत्रालय के मंत्री	पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री
141	नीचे से 5	(क) का लोप किया जाए ।	
214	12	कृषि मंत्रालय राज्य मंत्री	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री
237	19	(क) से (घ)	(क) से (ङ)
299	12	पुरातत्व सर्वेक्षण के पश्चात् विभाग पढ़िए ।	
299	नीचे से 17	रांची से बिहार	रांची, बिहार से
339	नीचे से 1	11 बजे म०पू०	11 बजे म०पू० पर

दशम माला, खंड 45 पंद्रहवां सत्र, 1995/1917 (शाक)
अंक 2, मंगलवार, 28 नवम्बर, 1995/7 अग्रहायण, 1917 (शाक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	21 से 25	1-27
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	26 से 40	27-58
अतारांकित प्रश्न संख्या	183 से 384	58-245
मंत्रियों का परिचय		245
स्थगन प्रस्ताव के बारे में		245-275
सभा पटल पर रखे गये पत्र		275-281
विधेयकों पर अनुमति		286
संसदीय समितियां		287
कार्य का सारांश		
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी		287
दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से सूचना		
सदस्य द्वारा स्थान रिक्त किया जाना		287
कार्य मंत्रणा समिति		287
पचपनवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत		
गृह कार्य संबंधी समिति		288
तेइसवां और चौबीसवां प्रतिवेदन – सभा पटल पर रखे गये		
मंत्री द्वारा वक्तव्य		288-292
जम्मू –कश्मीर के बारे में		
	श्री एस. वी. चव्हाण	
अनुदानों की अनुपूरक मांगें - सामान्य		293
वर्ष 1995-96 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला विवरण – सभा पटल पर रखा गया		
विधेयक पुरःस्थापित		293
निक्षेपागार विधेयक		
निक्षेपागार अध्यादेश		293
निक्षेपागार अध्यादेश द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला व्याख्यातमक विवरण – सभा पटल पर रखा गया		

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा की प्रतियाँ और उपराज्यपाल की रिपोर्ट के बारे में अध्यक्ष द्वारा घोषणा 293-299

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कन्नानोर, केरल में एक उच्च शक्ति का टी. वी. ट्रांसमीटर शीघ्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता 294

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन

(दो) महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित हुए लोगों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किये जाने की आवश्यकता 294-295

श्री शांताराम पोतदुखे

(तीन) केरल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्णत् सुसज्जित सर्किल कार्यालय की स्थापना किये जाने की आवश्यकता 295

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन

(चार) रांची, बिहार से क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय को स्थानान्तरित किये जाने के प्रस्ताव को वापस किये जाने की आवश्यकता 295

श्री राम टहल चौधरी

(पांच) चीनी मिलों की पेराई क्षमता को बढ़ाये जाने की आवश्यकता 296

श्री अमर पाल सिंह

(छह) पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों विशेषकर कलकत्ता में जन सेवाओं में सुधार किये जाने की आवश्यकता 296

श्री अनिल बसु

(सात) बिहार के लिए केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्य

लोक सभा

मंगलवार 28 नवम्बर, 1995/7 अग्रहायण, 1917 (शक)

लोक सभा 11.00 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

साक्षरता अभियान

+

*21. डा० परशुराम गंगवार :

श्री विजय कुमार यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में निरक्षर व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इनमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी–कितनी है;

(ग) ऐसे राज्यों के नाम क्या है जहां पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) शिक्षा प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि व्यय की गई?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) देश में साक्षरता संबंधी आंकड़े दशवार्षिकी जनगणना के माध्यम से एकत्रित किए जाते हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, निरक्षर व्यक्तियों की संख्या जिसमें 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के निरक्षर पुरूष और महिलाओं के राज्यवार विवरण को दर्शाया गया, का विवरण अनुबंध–1 में संलग्न है।

(ग) "सम्पूर्ण साक्षरता" अभिव्यक्ति का आशय, सम्पूर्ण राज्य/जिला की जनसंख्या के सभी आयु वर्गों को शामिल करके शत–प्रतिशत साक्षरता नहीं है। सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत 15-35 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को शामिल करने का लक्ष्य है।

आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों और चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दिल्ली और पांडिचेरी संघशासित प्रदेशों के सभी जिलों को सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

कुल लक्षित आयु वर्ग के 80 प्रतिशत और उससे अधिक साक्षरता प्राप्त करने वाले राज्यों/जिलों को सम्पूर्ण साक्षर कहा जाता है। केरल, गोवा एवं मिजोरम राज्यों और चंडीगढ़, लक्षद्वीप एवं पांडिचेरी संघशासित प्रदेशों ने सम्पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है। यह जानकारी उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर है, लेकिन सही स्थिति वर्ष 2001 की दशवार्षिक जनगणना के पश्चात ही स्पष्ट होगी।

(घ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरूआत से सम्पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा व्यय की गई राशि का राज्यवार विवरण अनुबंध–II में दिया गया है। शिक्षा प्रौद्योगिकी योजना साक्षरता से संबंधित नहीं है, लेकिन इससे रेडियो और दूरदर्शन प्रचार माध्यम के उपयोग से शिक्षा क्षेत्र में सुधार हो सकता है।

अनुबंध-I

7 वर्ष तथा इससे अधिक आयु वर्ग के निरक्षर पुरूषों तथा महिलाओं का राज्यवार विवरण

(हजारों में)

क्र०सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	जोड़	पुरूष	महिला
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	31057	12641	18416
2.	अरूणाचल प्रदेश	398	181	217
3.	असम	8477	3592	4885
4.	बिहार	42206	17167	25039
5.	गोवा	253	86	167
6.	गुजरात	13348	4787	8561
7.	हरियाणा	5889	2214	3675
8.	हिमाचल प्रदेश	1566	539	1027
9.	कर्नाटक	16487	6264	10223
10.	केरल	2574	786	1788
11.	मध्य प्रदेश	29625	11460	18165
12.	महाराष्ट्र	22985	7943	15042
13.	मणिपुर	614	222	392
14.	मेघालय	703	332	371
15.	मिजोरम	100	42	58
16.	नागालैंड	385	174	211
17.	उड़ीसा	13397	4926	8471

1	2	3	4	5
18.	पंजाब	7043	3095	3948
19.	राजस्थान	21597	8290	13307
20.	सिक्किम	141	60	81
21.	तमिलनाडु	18075	6426	11649
22.	त्रिपुरा	893	342	551
23.	उत्तर प्रदेश	64769	26298	38471
24.	पश्चिम बंगाल	23907	9540	14367
25.	अ० और नि० द्वीप समूह	63	28	35
26.	चंडीगढ़	121	56	65
27.	दादरा और नगर हवेली	65	26	39
28.	दमन और दीयु	25	8	17
29.	दिल्ली	1931	777	1154
30.	लक्षद्वीप	9	3	6
31.	पांडिचेरी	176	57	119

अनुबंध-II

सम्पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा व्यय की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

	राज्य	व्यय की गई राशि (रूपयों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	64,97,72,200
2.	असम	13,30,11,940
3.	बिहार	25,51,87,409
4.	चंडीगढ़	33,00,000
5.	दमन और दीयु	1,40,000
6.	दिल्ली	1,67,08,300
7.	गोवा	25,00,000
8.	गुजरात	24,39,85,000
9.	हरियाणा	8,07,85,440
10.	हिमाचल प्रदेश	4,01,09,000
11.	जम्मू और कश्मीर	25,00,000
12.	कर्नाटक	42,54,58,000
13.	केरल	7,53,15,000
14.	मध्य प्रदेश	51,21,92,450
15.	महाराष्ट्र	24,97,58,000
16.	मणिपुर	48,53,205
17.	मेघालय	65,00,000
18.	उड़ीसा	25,08,44,808
19.	पांडिचेरी	82,11,000
20.	पंजाब	4,52,18,443
21.	राजस्थान	36,41,01,629
22.	तमिलनाडु	45,58,97,689
23.	त्रिपुरा	2,22,45,000
24.	उत्तर प्रदेश	61,31,85,850
25.	पश्चिमी बंगाल	60,12,43,530
	जोड़ :	506,30,23,893

[हिन्दी]

डा. परशु राम गंगवार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदया जानती हैं कि शहरों के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षर लोग ज्यादा हैं क्योंकि गांवों में ज्यादातर किसान, खेतिहर मजदूर रहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती है और उनके बच्चे भी मजदूरी के काम में लगे रहते हैं। प्राथमिक विद्यालय हर गांव में नहीं हैं और प्राइवेट विद्यालय भी नहीं हैं। साथ ही साथ रोजी–रोटी के कारण-गांव के बच्चों में या गांव वालों में पढ़ाई की रूचि भी नहीं है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचलों में सभी को साक्षर बनाने के लिये तथा अच्छी शिक्षा देने के लिये सरकार की क्या योजना है और आजादी के साढ़े अड़तालीस वर्षों के बाद भी मंत्री जी के उत्तर अनुसार अब तक लगभग एक लाख 28 हजार पुरूष और दो लाख 10 हजार महिलायें शिक्षा से वंचित हैं। मंत्री जी की घोषणा है कि इस सदी के अंत तक भारत के सभी गांवों को साक्षर बना देगें तो मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि सम्पूर्ण भारत को साक्षर बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं और इस संबंध में क्या योजना है?

कुमारी शैलजा : जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण साक्षरता की बात कही गयी है तो मैं यह कहूंगी कि जो आंकड़े आये हैं, उसमें शहरों के बजाय देहातों में यह ज्यादा चल रहा है। हमारी इच्छा है कि चूंकि शहरों के बजाय देहातों में यह ज्यादा चल रहा है। हमारी इच्छा है कि चूंकि गांवों की ज्यादा जनसंख्या अशिक्षित है, इसलिए इन लोगों के लिए पूर्ण साक्षरता अभियान तेजी से चलें।

दूसरी बात जो कही गयी है तो हमारी यही इच्छा है कि इस सदी के अंत तक "एजूकेशन फार आल" का टारगेट जितनी जल्दी हो सके, हम एचीव करें। देहातों के लिए यह तीन तरह की बात आती है– पूर्ण साक्षरता अभियान जिसके तहत हम देहात के लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं और 100 मिलियन का टारगेट वर्ष 1997 के लिए रखा गया

है। इसके साथ ही "नॉन–फार्मल एजुकेशन" तथा "यूनिवर्सल इलिमेन्टरी एजुकेशन" भी है जिसे हम देहातों के लिए एचीव करना चाहते हैं।

श्री परशु राम गंगवार : माननीय अध्यक्ष जी, देश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अब तक कितने जिलों में चल रहा है और शेष जिलों को कब तक शामिल किया जायेगा? क्या उत्तर प्रदेश में कुछ जिले राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में शामिल किये गये हैं, यदि हां तो कितने? क्या सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में पोषाहार की राष्ट्रव्यापी योजना शुरू की है, यदि हां, तो अब तक किन प्रान्तों में कितने जिलों में कितने नन्हें मुन्ने छात्रों को शामिल किया गया है और शेष कब तक इस योजना में शामिल करने का विचार है। एक सवाल और पछूंगा लेकिन जिससे हंसी आयेगी। देश में महिलाओं और पुरूषों के अलावा, जो न पुरूष हैं और न महिलाएं हैं, बल्कि हिजड़े कहलाते हैं, वे ज्यादातर निरक्षर हैं। उनका पेशा गाना, बजाना और नाचना है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें भी शिक्षित करने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं। यदि हां, तो अब तक कितने हिजड़ों को शिक्षित कर दिया गया है और कितने निरक्षर हैं?

कुमारी शैलजा : हमारे देश में आज के दिन 256 जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान चल रहा है। जहां तक यू. पी. का संबंध है, आज के दिन वहां के 50 जिलो में पूर्ण साक्षरता अभियान चल रहा है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूंगी कि हमारा पूर्ण साक्षरता अभियान तभी अच्छी तरह सफल हो सकता है जब आप सभी का सहयोग हमें मिले। आप सबके सहयोग के बिना, हम यहां दिल्ली में बैठकर, नेशनल लिटरेसी मिशन से कुछ कार्यक्रम दे दें और वह सफल हो जाये, ऐसा संभव नहीं है। मैं चाहूंगी कि आप हमें इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग दें। जब तक पोलिटिकल कमिटमेंट नहीं होगा, कोई इस तरह का कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। अभी आपने मिड–डे मील की चर्चा की, अभी उस विषय पर सदन में पांचवे नम्बर पर सवाल आने वाला है, अगर आप चाहें तो उस समय प्रश्न पूछ सकते हैं और हमारे साथी उसका जवाब देंगे। जहां तक सबको साक्षर बनाने का सवाल है, मैं कहूंगी कि आंकड़ो के लिए भले ही हम मैन और वीमैन के बारे में कुछ कह दें लेकिन हमारी इच्छा यह है कि हम देश के सभी नागरिकों को पूर्ण रूप से साक्षर बनायें।

श्री विजय कुमार यादव : अभी मंत्री जी ने इस प्रश्न के जवाब में जो कुछ कहा, मैं उसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री जी ने स्टेटवाइज निरक्षर लोगों की संख्या बताई है, उनमें सबसे बुरी अवस्था यू.पी. और बिहार की है। लेकिन जहां तक खर्चे का सवाल है, उसमें बिहार सातवें या आठवें नम्बर पर आता है। अगर मंत्री जी का इरादा या केन्द्रीय सरकार की इच्छाशक्ति यह है कि पूरे देश में समान रूप से निरक्षरता को दूर किया जाये लेकिन फण्ड्स की एलाटमेंट के मामले में बिहार की एक तरह से जो उपेक्षा की गयी है, उसके क्या कारण हैं। इस विषय पर अभी हाल में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था, मैं जानना चाहूंगा कि उस सम्मेलन में इस बारे में क्या फैसले किये गये?

कुमारी शैलजा : जैसा मैनें पहले अर्ज किया, यह कार्यक्रम ऐसा नहीं है, जिसे हम यहां से शुरू करते हैं, बल्कि इस कार्यक्रम की शुरूआत जिले से होती है। बिहार के संबंध में स्थिति यह है कि यहां 55 जिलों में से 18 जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान चल रहा है और 37 जिलों में अभी शुरू नहीं हुआ है। इसकी शुरूआत तभी होती है जब वहां से प्रोपोजल हमारे पास आते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एन्वायरनमेंट बिल्डिंग का काम होता है, जिला साक्षरता समिति बनाई जाती है और वहां से जब तक हमारे पास प्रोपोजल नहीं आता हैं, हम पैसा सैंक्शन नहीं कर सकते, जब तक कि ग्रासरूट पर यह कार्यक्रम शुरू न हो जाये। मैं खासकर आपसे अपील करना चाहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके, आपके जिले में यह कार्यक्रम शुरू हो। अभी हाल में 16 नवम्बर को मुख्यमंत्रियों की जो मीटिंग हुई थी, उसमें इसी पर फोकस था और वहां हमें इश्योरेंस भी मिला कि स्टेट्स से हमारे पास प्रोपोजल आयेंगे। हमने भी कहा कि जैसे ही वहां से हमारे पास प्रोपोजल आयेंगे, हमारी तरफ से उन प्रोपोजल्स को सैंक्शन करने में किसी तरह की देरी नहीं होगी। आपने मुख्यमंत्रियों की 16 नवम्बर की मीटिंग का जिक्र किया, उसमें यही देखा गया, क्योंकि खासकर वह ऐसी मीटिंग थी, कान्फरैंस थी, जहां पर यह कार्यक्रम थोड़ा स्लो चल रहा है, थोड़ी गति धीमी है और उतना शायद समय को देखते हुए सफल नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। इसीलिए यह मीटिंग बुलायी और सबसे यही बात की गई और सबसे यही बात की गई और सबकी आम राय इसी बात पर ली गई कि इस गति को कैसे और ज्यादा किया जाए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और आगे हम बात कर सकते हैं ताकि वहां पर इसकी पेस और ज्यादा बढ़े। हमने सभी की राय ली है और हम चाहते हैं कि वहां पर हम और ज्यादा पावर्स स्टेट्स व जिलों को डेलीगेट करें ताकि यह कार्यक्रम और ज्यादा सफल हो सके। जो भी उनकी राय होगी उसको हम मानने को तैयार हैं।

[अनुवाद]

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वे मानदंड क्या हैं जिनके आधार पर सरकार राज्यों को साक्षरता कार्यक्रम हेतु धनराशि आवंटित करती है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रयोजन हेतु धनराशि के आवंटन में राज्य सरकारों की कोई भूमिका है। इसके अतिरिक्त, मंत्री महोदय द्वारा अनुबंध–II में दिए गए उत्तर के अनुसार, मैं आपके ध्यान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि यद्यपि कुछ राज्यों ने और अधिक धनराशि खर्च कर दी है फिर भी उन्होंने साक्षरता कार्यक्रम का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। इसके क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

कुमारी शैलजा : पहली बात मैं यह कहना चाहूंगी कि यह जो फण्ड्स का है इसको हम स्टेट्स के साथ शेयर करते हैं और फण्डिंग रेशियों हैं 2:1, अर्थात् एक भाग स्टेट देगा और उसके दो हिस्से हम देंगे। ट्राइबल एरिया में यह रेशियो 4:1 हैं। हम सेन्ट्रल गवर्नमेंट से और ज्यादा पैसा इसमें देना चाहते हैं। फण्डिग रेशियो इसी बात पर होता है कि वहां पर प्रोग्राम किस तरह से चल रहे हैं और अगर जितना आगे चलेगा तो पैसा और आगे मिल जाएगा। बीच में मोनिटरिंग भी चलती है। हमारी ओर से पैसे की कोई पाबंदी नहीं है और यह बात भी नहीं है कि किसी को हम ज्यादा देते हैं। जिस तरह का काम चलेगा उसी हिसाब से पैसा यहां से दिया जाता है।

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, विभिन्न राज्यों में अलग–अलग प्रकार की समितियां इस कार्य हेतु बनी हुई हैं और सामान्यतः

उनका अध्यक्ष जिलाधीश होता है। लेकिन जिलाधीश के पास इतना समय नहीं है कि वह इन समितियों की अध्यक्षता करे और समय-समय पर बैठक बुलाकर आगे कार्यक्रम दे सकें। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके सामने इस प्रकार का कोई विचार आया है या इस प्रकार की कोई बात आई है कि इन समितियों के पुनर्गठन को लेकर कोई कार्रवाई कर सके ताकि यह साक्षरता मिशन प्रभावी ढंग से काम कर सके। इस समय उसका प्रभाव धीरे-धीरे कम होता जा रहा है और ये समितियां भी निष्प्रभावी बनती जा रही हैं। इसके पुनर्गठन के संबंध में आपका क्या विचार है?

कुमारी शैलजा : ये सभी बातें सोची गई थीं और सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जो डिस्ट्रिक्ट कलक्टर है उसी को जिला साक्षरता समिति का इंचार्ज बनाया जाए, क्योंकि काफी चीतें बीच में आ जाती हैं। विभिन्न एजेंसियां जो जिला लेवल पर हैं उनका कोर्डिनेशन करना पड़ता हैं, जो वोलंटरी एजेंसीज है उनका कोर्डिनेशन भी करना पड़ता हैं। इसमें यही देखा गया कि इसका इंचार्ज सबसे ज्यादा ठीक जिलाधीश ही होगा। इसलिए इसको ऐसा हमने किया। वैसे जिलाधीश को जिला साक्षरता समिति का इंचार्ज बनाने के रीजेल्ट ठीक ही आए हैं। इसका कोई एडवर्स रीजल्ट नहीं आया है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि पूर्ण साक्षरता के लिए 15 से 35 वर्ष के लोगों को लिया गया। उत्तर प्रदेश में "ज्ञान गंगा" के नाम से एक बहुत बडी योजना बनाकर चलायी गई। हमारे संसदीय क्षेत्र सैदपुर में 1 करोड़ 55 लाख रुपया "ज्ञान गंगा" योजना के लिए खर्च किया गया। वहां से रिपोर्ट आई है और अखबारों में भी यह बात प्रकाशित हुई है कि वहां पर एक आदमी भी शिक्षित नहीं हो सका और सारा 1 करोड़ 55 लाख रुपया पिछली सरकार ने खा लिया। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इसकी जांच कराएंगी और उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर प्रौढ़ शिक्षा के लिए "ज्ञान गंगा" स्कीम चलायी गई और उसमें क्या-क्या हुआ, कितने लोग शिक्षित हुए?

कुमारी शैलजा : सर, इसकी जांच हम वहां से अपने नैशनल लिट्रेसी मिशन से जरूर करा लेंगे। बल्कि मैं चाहूंगी कि अगर इस तरह की बात सामने आती है, तो हमें जरूर बताया जाए ताकि पैसा व्यर्थ न जाए और हम उस कार्यक्रम को वहीं पर ठीक कर लें। हम इसकी जांच जरूर कराएंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह बात तो हमने बताई है। क्या आप इसकी जांच करवांएगी?

कुमारी शैलजा : मैंने बोल दिया है कि हम इसकी जांच करवाएंगे।

खाद्यान्नों का कोटा

+

*22. **श्री देवी बक्स सिंह :**

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस समय चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को सप्लाई की गई चीनी आयातित है अथवा स्वदेशी;

(घ) क्या जनवरी, 1995 से अब तक उचित मूल्य की दुकानों की समय-समय पर चीनी तथा गेंहू के पूरे कोटे की आपूर्ति की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उचित मूल्य की दुकानों को, विशेष रूप से त्यौहारों के अवसर पर इन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने उचित दर के दुकानदारों द्वारा की जाने वाली कालाबाजारी को रोकने के लिए कोई नीति बनाई; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

[अनुवाद]

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (छ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ख) जी हां, पिछले मौसम के इसी समय के 21.93 लाख टन की तुलना में वर्तमान चीनी मौसम (अक्तूबर-सितंबर) 1995-96 के आरंभ में चीनी का स्टाक 55.57 लाख टन का था। खुले सामान्य लाइसेंस के तहत निजी पार्टियों द्वारा आयातित चीनी इसमें शामिल नहीं है।

(ग) जी हां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित एवं देशी दोनों को जारी किया गया है।

(घ) और (ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी करने के लिए प्राप्त मांगों/निर्धारित मानदंडों के आधार पर केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को थोक आबंटन करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेंहू के आबंटन के मामले में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह प्रतिमाह के आधार पर किया जाता है, जो विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त मांगों, उनकी सापेक्ष आवश्यकताओं, उठाव का रूख केन्द्रीय भण्डार में स्टाफ सामयिक उपलब्धता आदि पर आधारित होती हैं। उचित दर दुकानों में वितरण राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। त्यौहार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कोटा भी जारी किया जाता है।

(च) और (छ) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को जमाखोरी, कालाबाजारी आदि गलत कार्यों में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। केन्द्र सरकार उचित दर दुकानदारों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा नहीं रखती।

[हिन्दी]

श्री देवी बक्स सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने उत्तर में यह नहीं बताया है कि आयातित तथा देशी चीनी का अनुपात कितना-कितना हैं? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि उचित दर की दुकानों को चीनी का पर्याप्त कोटा न दिए जाने के बारे में क्या सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं,

यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है। मेरा अगला प्रश्न यह है कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में भण्डारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण, देश का 40 प्रतिशत से अधिक अनाज खराब हो जाता है जिससे लाखों रुपए की हानि हो जाती है तथा देश को बड़ी मात्रा में विदेशों से अनाज आयात करना पड़ता है जिस पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च हो जाती है?

श्री अजित सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न अपने मूल प्रश्न में किए थे वही यहां भी पूछ लिए हैं। पिछले साल विदेशों से लगभग दो लाख टन चीनी आयात की गई थी और सरकार ने पांच लाख टन चीनी निर्यात करने की इजाजत दी है जिसमें से चार लाख टन चीनी के कांट्रेक्ट हो चुके हैं और "इसजैक" आर्गेनाइजेशन जो चीनी का निर्यात करता है, यदि वह और भी चीनी निर्यात करने की इजाजत मांगेगा, तो सरकार उसको प्रोत्साहन देगी।

बाकी जहां तक भंडारण का सवाल पूछा गया है, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में सरकार के पास भंडारण की कोई कमी नहीं है। 27 लाख टन के भंडारण की व्यवस्था है, लेकिन जहां पर जगह-जगह अनाज पैदा होता है, कई बार एक साथ जब अनाज ज्यादा पैदा हो जाता है, तो उसके मूवमेंट में अनेक बार प्राब्लम आती है, उस समय सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन से भंडारों को सरकार रेंट पर ले लेती है और कई बार प्राइवेट लोगों से भी सरकार भंडार को रेंट पर ले लेती है। इसलिए हमारे देश में भंडारण की ऐसी कोई समस्या नहीं है।

श्री देवी बक्स सिंह : मेरा दूसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, यह है कि वर्ष 1994-95 में सरकार द्वारा कितनी चीनी आयात की गई तथा इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई। अगला प्रश्न मेरा यह है कि मान्यवर देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण किसानों का गन्ना बेकार हो जाता है। अतः क्या सरकार उत्तर प्रदेश में और अधिक चीनी मिलों को लाइसेंस देने पर विचार कर रही है?

श्री अजित सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी बताया 1994-95 में चीनी का आयात दो लाख टन किया गया। उत्तर प्रदेश में यह बात सही है कि जितना गन्ना पैदा होता है उसका 25 प्रतिशत भाग ही चीनी मिलों को जाता है और भी कई प्रदेशों में ऐसा है। कर्नाटक में 50 प्रतिशत जाता है। इसलिए सरकार विचार कर रही है कि वहां पर और चीनी मिलों की स्थापना की जाए।

श्री सत्यदेव सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में अनेक बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चर्चा हो चुकी है। इस वर्तमान सरकार ने भी इस बात पर बहुत जोर देकर कहा था कि हम इस वितरण प्रणाली को पुष्ट और सुदृढ़ बनाएंगे। यही एक माध्यम है अध्यक्ष जी जिसके द्वारा उपभोक्ताओं और गरीब उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सामग्री उपलब्ध करवाई जा सकती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आयतित चीनी के बारे में जो शिकायतें हैं, जो सदन में आयात करने के बारे में घपले प्रकाश में आए उनके अतिरिक्त इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और आमतौर पर आम उपभोक्ता इसको पसंद नहीं करता है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस कम मिठास वाली चीनी और ज्यादा दाम वाली चीनी, जो आयतित है, इसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बांटने पर रोक लगाने का फैसला करेंगे ताकि कम से कम इसे न बांटा जा सके? और दूसरा मेरा प्रश्न है, जो आपने अभी अंतिम पाइंट का उत्तर दिया है और सारी बातों के लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी बताकर अलग हो गए हैं, वह है भ्रष्टाचार। इसको ठीक करने के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसके दो आयाम हैं उनमें से नंबर एक तो यह है कि क्या आप सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश देंगे कि माह के अंत में जो चीनी और सामान उठाने की प्रक्रिया बनी है, उसे रोका जाए। क्योंकि कि जब अंतिम समय होता है, तो लोग उसको उठाकर ब्लैक कर लेते हैं और जो दूसरा प्रश्न है, वह सीधा आपसे संबंधित है, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के गोदामों से जो चीनी वितरित की जाती है, कृपया कभी छापा मारकर दिखला लें, हर क्विंटल में 5 से 15 किलो तक चीनी कम दी जाती है जिसके कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चीनी के मूल्य बढ़ाकर बेचे जाते हैं।

श्री अजित सिंह : अध्यक्ष जी, इनका ज्यादातर सवाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है। आखिरी सवाल जो इन्होंने सीधा मेरे से पूछा है, आप कोई एक जगह तो बताएं, हम वहां रेड करवाएंगे। (व्यवधान)....

श्री सत्यदेव सिंह : फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया में पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में घपला हो रहा है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते।

श्री अजित सिंह : हरेक जगह ही रहा है तो आप एक जगह तो बता सकते हैं।

श्री सत्यदेव सिंह : मैं अपने जिले की बात कर रहा हूं, मैं गौंडा जिले की बात कर रहा हूं, मैं आपके जिले की बात भी कह रहा हूं, आप अपने जिले से शुरू कर लीजिए। (व्यवधान)......

श्री अजित सिंह : एफ. सी. आई. में विजिलैंस डिपार्टमेंट भी है। (व्यवधान).....

श्री सत्यदेव सिंह : विजिलैंस डिपार्टमेंट क्या करता है, वह आप जानें। भ्रष्टाचार को कारपेट के नीचे क्यों डालना चाहते हैं। (व्यवधान)....

श्री अजित सिंह : हम भ्रष्टाचार के बारे में पूरी तरह से चिन्तित हैं। जो कर सकते हैं वह कर रहे हैं।

श्री राजेन्द अग्निहोत्री : क्या आप इसे दिखलाएंगे, इसकी जांच करेंगे?

श्री अजित सिंह : वह तो मैंने शुरू में ही कह दिया। आप छोटा सा केस बताएंगे तो उसकी भी जांच करेंगे, आप तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा केस है।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि केन्द्रीय सरकार निर्धारित मानदंडों के आधार पर राज्यों को थोक में आबंटन करती है। क्या यह सच है कि 1986 की जनसंख्या के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रतिमाह 425 ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति दी जाती है? लेकिन राज्यों को इसकी भी आपूर्ति

नहीं की जाती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के लिए इस आधार पर आपको 35,987 मीट्रिक टन चीनी की आपूर्ति की जानी चाहिए थी, लेकिन आपने केवल 29,938 मीट्रिक टन चीनी की आपूर्ति की है, इसका क्या कारण है? जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध है आप राज्यों को अपने द्वारा निर्धारित मानदंडो के अनुसार भी चीनी की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : पहले तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 1986 की पौपुलेशन के आधार पर हम जो दे रहे थे, सरकार ने पी.डी.एस. में 1991 की पौपुलेशन के आधार पर चीनी सप्लाई करने का निर्णय लिया है और हम उस आधार पर जनवरी से सप्लाई करने लगेंगे।... **(व्यवधान)** इस बार शुगर का प्रोडक्शन बढ़ा है, लेवी शुगर ज्यादा हुई है इसलिए हम उसको शुरू कर रहे हैं।.... **(व्यवधान)** यदि चुनाव में ज्यादा शुगर मिल रही है और आपको उसमें ऐतराज है तो आपके यहां नहीं भेजेंगे।... **(व्यवधान)** जहां तक महाराष्ट्र का सवाल उठाया गया है, हो सकता है कई बार स्टेट लिफ्ट नहीं करते, कई बार कोई समस्या हो गई हो, मैं उसकी जांच करवाऊंगा। लेकिन इस बारे में जनरल कम्पलेंट नहीं है कि हम पी.डी.एस. में लेवी शुगर देते हैं और वह स्टेटस को नहीं पहुंचती।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : आपने आबंटन नहीं किया है। उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। आपने महाराष्ट्र को आवंटन नहीं किया है। मेरे पास आंकड़ें हैं।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : मैंने कहा, हो सकता है कि पिछले महीने ज्यादा दी हो, ऐडजस्टमेंट हो। .... **(व्यवधान)** पूरी बात सुन लीजिए। यदि और कोई कमी है तो मैं उसकी जांच करवाऊंगा लेकिन जनरली ऐसी कोई समस्या नहीं है।

श्री राम नगीना मिश्र : यह खुशी की बात है कि किसान मिलों को गन्ना सप्लाई करता है तो मिलों द्वारा किसान को प्रति माह दो किलों चीनी दी जायेगी। क्या आप इसे कार्यरूप में परिणीत करने जा रहे हैं? चीनी विकास नीति के अंतर्गत अरबों रुपये आपके कोष में जमा है जबकि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें जर्जर हैं और इसीलिए उसकी स्थापना हुई कि जो मिलें कमजोर होंगी, उनकी केपेसिटी बढ़ाने के लिए इससे सहायता दी जायेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चीनी विकास निधि के अंतर्गत जो धनराशि जमा है, उस रुपये का उत्तर प्रदेश में आपने कभी सदुपयोग किया? खर्च किया तो कितना किया?

श्री अजित सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक गन्ना किसानों को चीनी कम दाम पर उपलब्ध कराने की बात है, उसकी योजना सरकार बना रही है।.... **(व्यवधान)**

श्री राम नगीना मिश्र : नहीं—नहीं, दो किलों चीनी चीनी मिल प्रति गन्ना किसान को सप्लाई करेगी, उसको देने के लिए आपने बयान दिया था...

श्री अजित सिंह : वही तो मैं कह रहा हूं। उसकी योजना सरकार बना रही है कि गन्ना किसानों को चीनी बाजार भाव से कम दाम पर मिल सके। किस तरह से सरकार उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, उसकी योजना बना रही है।

श्री फूलचन्द वर्मा : चुनाव के समय फिर आप चालू करेंगे?

श्री अजित सिंह : यह मैंने दो महीने पहले बयान दिया था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें इस तरह परेशान मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : आपको चुनाव का डर अभी से लगा हुआ है तो सरकार काम बंद नहीं करने वाली है।

श्री राम नगीना मिश्र : यह मांग हम लोगों की पहले से थी, जिसको आपने माना है।

श्री अजित सिंह : चलिये, आपको खुशी होनी चाहिए कि आपकी बात मान ली गई।

श्री राम नगीना मिश्र : हां—हां, बिल्कुल, मैं खुश हूं।

श्री अजित सिंह : जहां तक एस. डी. एफ. का सवाल है, उसके लिए जितने प्रोपोजल्स आते हैं, एक कमेटी है, वह उनको देखती है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत पैसा दिया गया है, लेकिन उसकी डिटेल्स इस समय मेरे पास नहीं है कि कितना पैसा उत्तर प्रदेश की मिलों को एस. डी. एफ. की तरफ से दिया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपने स्पष्ट कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : क्या आप इसको हमारे पास भेज देंगे?

श्री अजित सिंह : मैं जरूर इसको आपके पास भेजूंगा।

श्री प्रकाश वी. पाटील : मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1991 की सेंसस के आधार पर शुगर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वह अच्छा कदम सरकार ने उठाया है, लेकिन हर दो साल के बाद शुगर साइकिल में शुगर की शार्टेज हो जाती है तो शुगर का बफर स्टॉक करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठायें हैं? शुगर प्रिक्योरमेंट में सरकार घाटा उठा लेती हैं, वैसे ही शुगर फैक्टरी को प्रिक्योरमेंट में बहुत कम दाम देने से जो घाटा होता है, उसमें सरकार क्या करना चाहती है?

श्री अजित सिंह : देखिये, बफर स्टॉक तो चीनी मिलों के पास है ही, चीनी तो वहां है ही, इसलिए बफर स्टॉक को आप उस मायने में देखें ते बफर स्टॉक तो चीनी मिलों के पास है। सवाल यह है कि उसको फाइनेंस चीनी मिल करें या उसको फाइनेंस एस. डी. एफ. के द्वारा किया जाये, उस पर सरकार विचार कर रही है और हम चाहते हैं कि किसानों का गन्ने का एरियर न बचे और चीनी मिलों की माली हालत भी ठीक रहे। उसके बारे में भी हमको चिन्ता है।.....**(व्यवधान)**

प्राकृतिक आपदायें

+

*23. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त से अक्तूबर, 1995 के दौरान वर्षा, तूफानों और बाढ़ से अनेक राज्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों, मानव जीवन, पशुओं और मकानों को भारी क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो इन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या किसी केन्द्रीय दल/दलों द्वारा प्रभावित राज्यों का दौरा किया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे दौरों के क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उन राज्यों की सरकारों को अपने-अपने प्रभावित क्षेत्रों में राहत प्रदान करने के लिये प्राकृतिक आपदा कोष से पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिये राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई;

(छ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने कन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (झ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, अगस्त-अक्तूबर, 1995 के दौरान आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल राज्यों के कुछ भागों पर चक्रवातों/बाढ़ का प्रभाव पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप अलग-अलग हद तक जानी नुकसान हुआ तथा फसलों और मकानों को क्षति पहुंची।

2. वर्तमान योजना के अंतर्गत राज्य सरकारें आपदा राहत कोष में से किए जाने वाले वार्षिक आवंटनों का प्रयोग करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास उपाय करती है। विरल गम्भीरता वाली आपदा आने पर राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा सकती है। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता के लिये अनुरोधों के प्रत्युत्तर में केन्द्रीय दलों ने राहत और पुर्नवास की आवश्यकता का जायजा लेने के लिये आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों का दौरा किया है। आपदा राहत कोष में से दी गई धनराशि मांगी गई अतिरिक्त सहायता तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में से दी गई धनराशि दर्शाने वाला एक विवरण इस प्रकार है :-

क्र.सं०	राज्य	आपदा राहत कोष से दी गई धनराशि	मांगी गई अतिरिक्त सहायता	राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में से दी गई धनराशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	117.21	582.00	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	6.64	50.50	-
3.	असम	47.20	-	-
4.	बिहार	49.04	975.80	-
5.	हरियाणा	23.65	588.00	39.41
6.	हिमाचल प्रदेश	19.04	482.00	
7.	जम्मू व कश्मीर	18.60	211.00	18.17
8.	कर्नाटक	39.49	-	-
9.	महाराष्ट्र	48.28	-	-
10.	पंजाब	51.11	658.00	16.16
11.	राजस्थान	126.74	236.00	-
12.	उत्तर प्रदेश	88.57	-	-
13.	पश्चिम बंगाल	48.44	632.00	-

3. राष्ट्रीय आपदा राहत समिति ने हिमाचल प्रदेश के लिये राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में से 12.49 करोड़ रुपये की सहायता अनुमोदित की है। आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से प्राप्त अनुरोधों पर केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रीय आपदा राहत समिति द्वारा विचार किया जाना है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं, क्योंकि हिन्दुस्तान में हमेशा यह प्राबलम्स आती रहती हैं, लेकिन राष्ट्रीय कोष से जितनी जरूरी है, उतनी मात्रा में सहायता किसी भी राज्य को नहीं मिलती है। जब-जब बाढ़ आती है तो मिनिस्टर हैलीकॉप्टर में घूमकर आते हैं और परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। लोगों के पैसे की फिजूलखर्ची बन्द होकर जिनको जरूरत है, उतना पैसा उनको मिलेगा तो उनको राहत मिलेगी।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार जो राज्यों में ऐसी बाढ़ और प्रभावित क्षेत्र हैं, उसके लिए प्राकृतिक आपदा कोष से पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदाम करेगी? मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया हैं, लेकिन उसमें जो आपदा राहत कोष से दी गई धनराशि है, वह बिल्कुल

कम है, जो मांगा गया है, वह ज्यादा है और उसमें जो प्राकृतिक आपदा कोष से दी गई धनराशि है, वह बहुत ही कम है तो उसके बारे में सरकार क्या कहना चाहती है?

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष महोदय, नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फण्ड फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर तय होता है और इसमें सभी राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार मिलकर यह तय करते हैं कि क्या होना चाहिए। दसवें फाइनेंस कमीशन में भी इसकी चर्चा हुई है और दसवें फाइनेंस कमीशन ने यह राज्य सरकारों से सलाह करके, चर्चा करके तय किया है। जो नौवें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें थीं, उसमें इतना फर्क हुआ है कि इसमें जो राशि है, वह दसवें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर बढ़ाई गई है। यह बात सही है कि जितना राज्य सरकारों ने मांगा है, उतना हम भारत सरकार की तरफ से उनको नहीं देते पर चूंकि हमारी एक सीमा हैं, जो फाइनेंस कमीशन ने तय किया है, उसके आधार पर हम देते हैं।

श्रीमती भावना चिखलिया : अध्यक्ष महोदय, हमेशा यही जवाब मिलता है। प्रश्न के उत्तर में बताया है कि 13 राज्यों के क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं और बहुत नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि से हुए नुकसान को रोकने के लिए सरकार क्या करना चाहती है, क्या करती है और क्या किया है? इसके साथ ही यह भी बतायें कि राष्ट्रीय आपदा कोष से सहायता करने का क्या क्राइटेरिया है और कैसे हर राज्य को मदद देते हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने कहा है, वह थोड़ा सा समझने की बात है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कितना कष्ट है। जितना नुकसान होता है, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती। इस बात को हम भी जानते हैं। रही बात किस आधार पर देने की, तो इसके लिए नियम बनाना पडता है। नौवें वित्त आयोग ने भी किया था, फिर दसवें वित्त आयोग ने भी लिखकर और सलाह–मशविरा करके किया और बढ़ोत्तरी की। इसके साथ ही कार्पस फंड भी बनाया, जिसमें पांच साल के लिए 700 करोड़ रुपये रखे गए। चालू साल में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है, 40 करोड़ रुपये और देकर 140 करोड़ रुपये हो जायेंगे। मैं जानता हूं कि इतनी राशि भी काफी नहीं होगी। स्थिति यह है कि राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है....

श्रीमती भावना चिखलिया : हर राज्य के पास इतने साधन नहीं होते हैं।

श्री बलराम जाखड़ : मैं जानता हूं, आप जरा सुनिये तो सही। जितना कपड़ा होगा, उतना ही कोट बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बन सकता। हम जो कानून और नियम के आधार पर दे सकते हैं वह देते हैं, उसमें कमी नहीं छोड़ते हैं। जहां तक हवाई–जहाज में बैठकर जाने की बात है तो उससे कोई फर्क नहीं पडता है, लेकिन मजबूरी है इसलिए जाना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि नाजायज पैसा खर्च किया जाये। लेकिन जाना पड़ता है, आकलन करना पड़ता है इसलिए टीम भेजते हैं।

श्री सूर्य नारायण यादव : जितनी लम्बाई होती है उतना बड़ा कोट नहीं बनता है।

श्री बलराम जाखड़ : पजाबी मे एक कहावत है –

घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने।

जब कुछ होगा ही नहीं तो कहां से बनायेंगे। हमारे पास जो है वही हम दे सकते हैं। मुख्य सचिव चेयरमैन होता है, राज्य का बंदोबस्त वही करता है। यही एक केलेमिटी फंड स्कीम नहीं है। हर राज्य की जिम्मेदारी है कि वह काम करे, पैसा भी बचाये। इस साल नहीं दिया तो अगले साल के लिए सुनिश्चित करते हैं। हमारे पास ऐसी कई योजनायें हैं जिनके आधार पर राज्य फायदा उठा सकते हैं, जवाहर रोजगार योजना है जिसमें 3862 करोड़ रुपए निर्धारित किये हैं। ऐसे ही इम्प्लायमेंट एशोरेंस स्कीम है जिसके तहत 1570 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं। हर राज्य को इसमें से पैसा मिलता है। इसके अलावा हमारे पास कोई इलाज नहीं हैं। मैं आपको गलत बात बताकर सदन को गुमराह नहीं करना चाहता, यही सत्य है। देश में 25 राज्य हैं। एक समिति है जिसमें पांच मुख्य मंत्री हैं और चार मंत्री यहां के हैं। वे बैठते हैं और केलेमिटी रिलीफ फंड को तय करते हैं। रही बात क्राइटेरिया की तो राज्य के मुख्य सचिव बैठते हैं वे निर्धारित करते हैं कि कितना पैसा किस मद में खर्च किया जाये।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश में प्राकृतिक आपदा के कारण जान तथा माल की हानि कोई नई बात नहीं है। महोदय, मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या किसी भी समय, देश के किसी भी हिस्से में उत्पन्न होने वाली इस समस्या से निपटने के लिए कोई आन्तरिक प्रबंध या प्रणाली है। महोदय, मुद्दा यह है कि केन्द्रीय दल घटना होने के बहुत समय बाद दौरा करता है। इसलिए कभी–कभी वास्तविक स्थिति का जायज़ा लेना कठिन हो जाता है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसा आन्तरिक प्रबंध किया गया है जिसके द्वारा केन्द्रीय दल स्वतः ही ऐसे क्षेत्रों का दौरा कर लें जहां प्राकृतिक आपदा घटित हुई है।

क्या मैं जान सकता हूं कि एहतियात के तौर पर क्या कोई ऐसी चेतावनी देने वाली प्रणाली है जिसके द्वारा लोगों को ऐसी चेतावनी पहले से ही दे दी जाए ताकि वे किसी भी तरह अपनी जान व माल की रक्षा कर सकें? यह मेरा प्रश्न है।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, एक नियत कार्यक्रम है। राज्य सरकारों से आवेदन पत्र आते हैं; जब वे मांग करते हैं तब यहां से केन्द्रीय दल जाता है। दूसरा सूचना तथा चेतावनी प्रणाली के संबंध में वे सब जानते हैं। अन्यथा, हम उन लोगों की जानों को न बचा पाते जो कि आंध्र प्रदेश में पिछले चक्रवात के दौरान बचाई गई थीं। अब, हमारे पास सब कुछ है .... (व्यवधान) जी हां। सब जगह ऐसा कर दिया गया है.... (व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : उस के लिए क्या प्रणाली है ? ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, जाखड़ साहब ने यह जो लिखित जवाब दिया है, मैंने उसको देखा। अध्यक्ष जी, ताज्जुब है कि इस सूची में जो हाल में उड़ीसा में भी साइक्लोन आया था, उसके बारे में जिक्र ही नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनका ध्यान उड़ीसा के मुख्यमंत्री के उस बयान की ओर गया है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री साहब केन्द्र को टीम भेजने के लिए लिख चुके होंगे। मैं जाखड़ साहब से जानना चाहता हूं कि उड़ीसा कैसे छूट गया है और हमको लगता है कि लेटेस्ट

जिन–जिन राज्यों में साइक्लोन हुआ है, उसको भी उन्होंने विचार में लिया होगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उड़ीसा सरकार से उनको बाकायदा सूचना मिली है कि सैन्ट्रल टीम को जाना चाहिए।

श्री बलराम जाखड़ : मैं तो स्वयं जाकर आया हूं। मैं स्वयं घूमकर आया हूं और पैसा दिया है।

एक माननीय सदस्य : साइक्लोन के पास आप नहीं गये।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो आपदा आती है और बाढ़ से या बरसात से यह घटना घटती है और राज्य सरकार उसका सर्वेक्षण कराकर रिपोर्ट भेजती है और यह राहत कोष की मांग होती है। एक करोड़ का आधा आप देने का काम करते हैं और वह तब दिया जाता है जब घटना को घटे हुए पांच–छः महीने बीत चुके होते हैं और उस पैसे का वहां खुल्लमखुल्ला दुरूपयोग होता है। जो राहत लेने वाले लोग हैं, उनके स्तर तक राहत का पैसा ढंग से नहीं पहुंच पाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि राहत कोष की पूरी व्यवस्था आप करें और उसको समय पर दें। अगर समय पर आप नहीं देते हैं तो छः महीने के बाद देने से उस पैसे का दुरूपयोग होता है। इसकी कोई छानबीन की प्रक्रिया आप अपनाइये और इस पर आप गंभीरता से विचार करने जा रहे हैं या नहीं?

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष महोदय, यह जो मदद करने की प्रक्रिया है, पूरे साल उसको चार इंस्टालमेंट में बांटा गया है और यदि किसी राज्य में इस प्रकार की आपदा होती है तो हम उस इंस्टालमेंट को एडवांस में भी देते हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि पैसा समय पर नहीं मिलता और हम तो एक साल का पैसा भी एडवांस में देने को तैयार हैं, अगर उस राज्य से इस प्रकार की रिक्वेस्ट आती है। रही बात भ्रष्टाचार या दुरूपयोग होने की अध्यक्ष महोदय, यह तो राज्य सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष महोदय, अभी इस साल अगस्त के महीने में बिहार के तीन–चार जिलों में बडे पैमाने पर सैलाब आया। हम लोगों ने यहां पार्लियामेंट के अंदर सवाल किया था कि वहां पर सैन्टर की एक टीम भेजी जाये। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अब की बार हमारे जिले के अन्दर कोई टीम नहीं गई। अब चार महीने के बाद तकरीबन तीन से चार महीने के बाद सैन्टर की टीम भेजी गई तो वह दूसरे गांव में भेजी गई। फिर जिन राज्यों में आपकी सरकार है, वहां पर तो रिलीफ का काम बहुत जल्दी से हो जाता है। क्या आपके पास दो तरह की पालिसी है कि जहां पर आपकी सरकार है, वहां पर तो रिलीफ का काम हो जायेगा और जहां पर दूसरी सरकारें हैं, वहां पर रिलीफ का काम नहीं हो पाता है। अध्यक्ष जी, यह एक खुली हकीकत है। आज तक हमारे जिले के अन्दर आपकी कोई टीम नहीं गई और अभी क्या वजह है कि यह दोहरी नीति अपनाई जाती है?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई बहुत गलत आदमी सोच सकता है, देश का एक कोना दूसरा कोना है। ऐसा नहीं होता है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : ऐसा हुआ है।

श्री बलराम जाखड़ : गलत बात है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : हमारे यहां अब तक कोई टीम नहीं गई है।

श्री बलराम जाखड़ : दूसरी बात यह है, बिहार ने हमें लिखा, टीम सबसे बाद में पहुंची, तब हमने टीम भेजी। टीम को वहां ले जाया जाएगा, जहां सरकार दिखाएगी। यह हम नहीं दिखाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हमें दिखाती है कि कहां–कहां ले जाना है और क्या दिखाना है। विचार करके टीम हमको रिपोर्ट भेजती है। रिलीफ का कोटा हम बगैर पूछे, पहले ही रिलीज कर देते हैं। एक नहीं, नैक्स्ट ईयर का भी। अभी आंध्र प्रदेश के श्री नायडु ने कहा कि नैक्स्ट ईयर का भी हमें एडवांस दे दें, तो वह भी मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को कह दिया है, अगले साल का भी रिलीज कर दो, अगर आवश्यकता है। हमारे दिमाग में यह नहीं आता है, यह तो कोई गलत आदमी ही सोच सकता है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात का पता चला है कि पश्चिम बंगाल बार–बार की बाढ़ तथा चक्रवात के कारण उजड़ गया है और यहां हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल ने 632 करोड़ रु० की मांग की लेकिन राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अब तक कुछ भी राशि जारी नहीं की गई है। क्या हम जान सकते हैं कि यह धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी और वह जारी की जाने वाली राशि कितनी होगी?

श्री बलराम जाखड़ : इस बात पर ध्यान दिया जाएगा। रिपोर्ट अब प्राप्त हुई है क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे देर से भेजा है। इससे पहले यह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। जो कुछ भी किया जा सकता है, किया जाएगा और इसके लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष है। पश्चिम बंगाल के लिए राशि जारी किए जाने की कोई समस्या नहीं है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश

***24. श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय ने सुदूरवर्ती राज्यों और आर्थिक रुप से पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को प्रवेश में अधिमानता देने के लिए बनाई गई अपनी प्रवेश पद्धति में परिवर्तन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या–क्या मुख्य परिवर्तन किए गए हैं; और

(ग) 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान विश्वविद्यालय में विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में राज्य वार कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश एक लिखित परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर किए जाते हैं और विदेशी भाषाओं तथा एम. फिल./पी. एच. डी. पाठ्यक्रमों के लिए मौखिक परीक्षा भी ली जाती है अनुसूचित जाति (15%) अनुसूचित जनजाति (7.5%) और शारीरिक

रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए (3%) स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, चयनित पिछड़े जिलों से अर्हक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों तथा अन्य पिछडे वर्गों के सदस्यों की बेहतर चयन संभावनाओं के लिए दाखिला नीति में अतिरिक्त अर्हक अंकों की व्यवस्था के द्वारा वर्ष 1995-96 से कुछ विशेष प्रावधानों की शुरुआत की गई है।

वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिल किए गए विद्यार्थियों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में संलग्न है।

विवरण

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिल छात्रों का राज्य वार ब्यौरा

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	14	14	18
असम	10	5	9
अरूणाचल प्रदेश	-	3	1
बिहार	129	113	135
चंडीगढ़	-	3	-
दिल्ली	66	80	70
गुजरात	2	-	-
हरियाणा	15	11	18
हिमाचल प्रदेश	3	5	4
जम्मू और कश्मीर	2	1	7
केरल	17	12	15
कर्नाटक	14	6	8
मध्य प्रदेश	6	8	3
महाराष्ट्र	13	9	12
मणिपुर	13	11	24
मेघालय	2	3	3
मिजोरम	-	1	1
नागालैंड	-	5	5
उड़ीसा	30	34	40
पांडिचेरी	1	-	3
पंजाब	2	3	3
राजस्थान	10	7	17
सिक्किम	2	1	-
तमिलनाडु	14	13	15
1 2	3	4	
उत्तर प्रदेश	68	71	83
पश्चिम बंगाल	63	8	106
कुल :	496	507	603

श्री सैयद शहाबुद्दीन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न एक ऐसे विश्वविद्यालय से संबंधित है जो कि शायद इस देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सबसे अधिक प्रतिष्ठित संस्थान है और निश्चय ही इसके लिए काफी धनराशि प्रदान की गई है इसलिए इस विश्वविद्यालय से विशेष रूप से स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान स्तर पर सीटों की राष्ट्रव्यापी मांग है। महोदय जवाब से यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है और अन्य पिछड़ी हुई जातियों तथा चयन किए हुए पिछडे हुए जिलों के उम्मीदवारों को अधिक महत्व दिए जाने का प्रावधान है। तो मेरा प्रश्न यह है, मैं जानना चाहूंगा कि इस आरक्षण की योजना में अन्य पिछडे हुए वर्गों तथा चयन किए गए पिछडे हुए जिलों से उम्मीदवारों को क्या अतिरिक्त महत्व दिया जा रहा है। दूसरा, वे पिछड़े हुए जिले कौन से हैं जिनका चयन किया गया है और दाखिले की क्षमता क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास इसके राज्यवार आंकड़े उपलब्ध हैं और मैं देखता हूं कि स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय में कुल दाखिले का दो तिहाई हिस्सा चार राज्यों द्वारा ही ले लिया जाता है अर्थात् यह विश्वविद्यालय जो कि अखिल भारतीय संस्थान के रूप में विकसित हुआ है, वह एक अखिल भारतीय संस्थान के रूप में कार्य नहीं कर रहा है और इसलिए इस विश्वविद्यालय में दाखिले की नीति कुछ गलत है जिसको शायद पिछड़े जिलों का चयन करने की संकल्पना के द्वारा सही करने की मांग की गई है। इसलिए, संक्षेप में जो कुछ मैं जानना चाहता हूं वह यह है कि पिछडे हुए वर्गों को क्या अतिरिक्त महत्व दिया गया है और वे पिछडे हुए जिले कौन से हैं जिनका चयन किया गया है।

कुमारी शैलजा : महोदय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की यह एक नई संकल्पना है जो कि केवल इसी वर्ष सामने आई है। उन्होंने एक प्रणाली बनाने की कोशिश की है जिससे वे पिछड़े वर्ग तथा पिछड़े जिलों के विद्यार्थियों को कुछ अतिरिक्त लाभ दे सकें। जो महत्व दिया गया है वह यह है कि वे अन्य पिछड़े हुए वर्गों की महिला विद्यार्थियों को 10 नवम्बर अथवा कुछ अतिरिक्त अंक देंगे और अन्य पिछड़े हुए वर्गों के पुरूषों को पांच अतिरिक्त अंक देंगे। जहां तक कि जिलों का संबंध है उन्होंने एक प्रणाली बनाई है जिसके द्वारा उन्होंने देश के जिलों को चार श्रेणियों में बांट दिया है क्यू-1, क्यू-2, क्यू-3 और क्यू-4 मैं आपको उस मानदंड के बारे में बता सकती हूं जिसके आधार पर उन्होंने यह प्रणाली बनाई है और वह है कुल जनसंख्या में शिक्षितों का प्रतिशत, कुल मजदूरों में गैर खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत तथा प्रति हैक्टेयर कृषि उत्पादकता। यह मानदंड है जिसके आधार पर उन्होंने देश के पिछड़े जिलों का चयन किया है।

वे जिले हैं – क्यू-1 में 117 जिले शामिल किए गए हैं और उन जिलों के विद्यार्थियों को पांच अतिरिक्त अंक दिए जायेंगे; क्यू-2 में देश के 116 जिलों को शामिल किया गया है उन जिलों से आने वाले विद्यार्थियों को तीन अतिरिक्त अंक दिए जायेंगे; क्यू-3 और क्यू–4 में 117 और 116 जिले

शामिल है, उन जिलों से आने वाले विद्यार्थियों को कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिए जायेंगे क्योंकि उन जिलों को अन्य जिलों की तुलना में अधिक विकसित समझा जाता है। यह वह प्रणाली है जिसे शैक्षिक परिषद् ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा अन्य लोगों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया है और वह इस प्रणाली को बिल्कुल सही समझते हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जिलों की उन दो श्रेणियों की सूची की सूचना दें अथवा उसे सभा पटल पर रखें।

कुमारी शैलजा : महोदय, मेरे पास सूची है और उसे मैं सभा पटल पर रख सकती हूं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : कृपया इसे सभा पटल पर रख दीजिए।

महोदय, जबकि इस प्रणाली का आरंभ वर्ष 1995-96 से किया गया था, फिर भी मैं यह देखता हूं कि वर्ष 1993-94 अथवा वर्ष 1994-95 की तुलना में इस वर्ष के दाखिले के तरीके में प्रत्यक्ष तौर पर कोई परिवर्तन नहीं है। क्या वही चार राज्य कुल का दो तिहाई दाखिला प्राप्त करते हैं? इसलिए मैं, नहीं जानता कि चयन किए हुए जिलों की इस पहचान ने दाखिले के तरीके पर क्या प्रभाव छोड़ा है? इस पहलू की जांच करने की आवश्यकता है।

महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न उत्तर के पहले वाक्य से संबंधित*है, जो कि यह है :

> "जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय में दाखिला मैरिट पर आधारित है जिसे एम. फिल., पी.एच.डी. तथा विदेशी भाषाओं से संबंधित लिखित परीक्षा तथा मौखिक परीक्षा द्वारा निर्धारित किया जाता है।"

यह एक स्पष्ट बात है कि मौखिक परीक्षा का संबंध है, काफी गलत तरीके अपनाए जाते हैं। ऐसा केवल यहां नहीं है बल्कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में चाहे वह इंजीनियरिंग के लिए हो अथवा मैडीकल कोर्स के लिए हो जहां कहीं भी ऐसा है जहां कहीं भी मौखिक परीक्षा आरंभ की गई है, उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है ताकि कुछ आत्मनिष्ठ लोगों का चयन किया जा सके और उन्हें इस प्रणाली में शामिल किया जा सके।

इसलिए, मै माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि इस बात का क्या औचित्य है कि साधारण स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए वे लिखित परीक्षा के बाद मौखिक परीक्षा भी लेते हैं?

कुमारी शैलजा : जहां तक कि साधारण स्नातकोत्तर और कला स्नातक पाठ्यक्रमों का संबंध है। यह केवल लिखित परीक्षा के आधार पर लिए जाते हैं। 100 अंकों की लिखित परीक्षा होती है। जहां तक पी.एच. डी., एम. फिल. कार्यक्रमों तथा विदेशी भाषाओं में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों का संबंध है वह 70 अंकों की लिखित परीक्षा पर तथा 30 अंकों की मौखिक परीक्षा पर आधारित होते हैं।

मैं माननीय सदस्य को यह भी सूचित करना चाहूंगा कि इस वर्ष 43 प्रतिशत विद्यार्थी जिनको दाखिला मिला है वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे हुए वर्गों तथा पिछड़े हुए जिलों के हैं। शेष 57 प्रतिशत सामान्य श्रेणी के हैं।

मध्याह्न भोजन योजना

+

*25. **कुमारी सुशीला तिरिया :**

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत बच्चों के लिए पका हुआ भोजन प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) मध्याह्न भोजन योजना कितने विद्यालयों में लागू की गयी है और इस योजना के अंतर्गत कितने छात्र लाभान्वित हुए है;

(ङ) अक्तूबर, 1995 तक प्रत्येक राज्य को कितनी मात्रा में खाद्यानों की आपूर्ति की गई और इस संबंध में राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(च) क्या सरकार इस योजना का सुचारु रुप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इसकी निगरानी करती रहती है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिंधु भोई) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जम्मू और कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल राज्यों तथा पांडिचेरी संघ राज्य ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान करने का निर्णय लिया है। दिल्ली में पका पकाया भोजन दिया जा रहा है तथा शेष राज्यों/संघ राज्यों में खाद्यान्न वितरित किए जा रहे हैं। अंतरिम उपाय के तौर पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के लिए दिशा निर्देश में पका–पकाया भोजन प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

(घ) इस वर्ष के दौरान लगभग 2.25 लाख स्कूलों में लगभग 3.37 करोड़ बच्चों को शामिल किया जाएगा।

(ङ) छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के नामांकन आंकड़ों के आधार पर 15 अगस्त, 1995 से 31 अक्तूबर, 1995 तक की अवधि के लिए राज्यों को 91,038.35 मीट्रिक टन गेंहू तथा 1,46,951.04 मीट्रिक टन चावल आवंटित किए गए थे। इन खाद्यान्नों की आर्थिक लागत 162.38 करोड़ रु० है। खाद्यान्नों का राज्यवार आवंटन अनुबंध में संलग्न है।

(च) और (छ) विभिन्न स्तरों पर निगरानी करने वाले तंत्र का निर्धारण, मार्गदर्शी सिद्धांतों (गाइडलाइन) में किया गया है।

अनुबंध

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ब्लाकों की संख्या	कक्षा (i-v) में नामांकन	आवंटित खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में) (15.8.95 से 31.10.95 तक की अवधि के लिए)	
				गेंहू	चावल
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	155	3017302	-	226297.65
2.	अरूणाचल प्रदेश	56	94519	-	7089.02
3.	असम	142	1960708	-	147053.10
4.	बिहार	266	2377648	82446.94	95877.19
5.	गोवा	4	1810	-	135.75
6.	गुजरात	131	2330792	65728.33	43818.85
7.	हरियाणा	44	580898	15103.35	15103.35
8.	हिमाचल प्रदेश	18	145617	-	10921.28
9.	जम्मू–कश्मीर	44	218675	-	16400.63
10.	कर्नाटक	119	2989893	224241.98	-
11.	केरल	21	314576	-	15414.22
12.	मध्य प्रदेश	297	4061937	146711.32	157933.95
13.	महाराष्ट्र	171	3554603	-	281595.65
14.	मणिपुर	22	104969	-	7872.68
15.	मेघालय	32	2185.81	-	16393.58
16.	मिजोरम	20	77293	-	5797.03
17.	नागालैंड	28	97335	-	7300.21
18.	उड़ीसा	175	1502489	-	82636.82
19.	पंजाब	37	495599	37169.94	-
20.	राजस्थान	172	2811807	210885.53	-
21.	सिक्किम	8	62122	-	4659.15
22.	तमिलनाडु	89	1150745	-	57537.25
23.	त्रिपुरा	17	359375	-	26953.13
24.	उत्तर प्रदेश	248	2541295	79048.66	111548.99
25.	पश्चिम बंगाल	128	1693435	3561.68	123445.92
26.	अंडमान और निको० द्वीप समूह	2	5305	-	397.88
27.	चंडीगढ़	1	64770	485.77	-
28.	दादरा–नगर हवेली	1	15694	-	1177.05
29.	दमन और दीयु	2	7232	-	542.40
30.	दिल्ली	-	600000	45000.00	-
31.	लक्षद्वीप	4	4744	-	355.80
32.	पांडिचेरी	4	105037	-	5251.85
	जोड़ :	2458	33766805	910383.52	1469510.38

कुमारी सुशीला तिरिया : महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि अनेक राज्यों के विभिन्न स्कूलों में स्कूली बच्चों को, विशेष तौर पर ग्रामीण और पिछड़े जिलों में स्थिति जनजातिय स्कूलों में दिए जाने वाले घटिया स्तर के मध्याह्न भोजन के संबंध में सीधे शिकायतें मंत्री महोदया जी को भेजी हैं।

मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहूंगी कि स्कूल के बच्चों को विशेष तौर पर जनजातीय क्षेत्रों में घटिया स्तर के मध्याह्न भोजन की पूर्ति की शिकायत के संबंध में मंत्रालय द्वारा कौन से उपाय किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

डा. कृपासिंधु भोई : महोदय, हमारे मंत्रालय को अभी तक किसी माननीय सांसद से अथवा आदिवासी क्षेत्रों में किसी क्षेत्र विशेष से अथवा किसी अन्य क्षेत्र से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है।

इसके अतिरिक्त इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त, 1995 को माननीय प्रधान मंत्री ने की थी।

कुमारी सुशीला तिरिया : महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि अनेक राज्यों ने पके हुए भोजन और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों ने संसाधित भोजन का भी विकल्प पेश किया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने के लिए क्या मंत्रालय के पास एक समान दिशा–निर्देश हैं तथा क्या पोषण संबंधी शिक्षा प्रदान करने तथा स्कूलों को दिये जा रहे खाद्यान्नों के अतिरिक्त पोषक मूल्य का विश्लेषण करने के लिए कोई विशेष दिशा–निर्देश बनाये गये हैं।

डा० कृपासिंधु भोई : दिशा निर्देश पहले ही जारी किये जा चुके हैं। 100 ग्राम दलिया को छोड़कर योजना के लिए जिस चीज की भी जरुरत हो चाहे वह चावल हो या गेहूं की आपूर्ति राज्यों द्वारा की जा रही है। चावल और गेहूं सभी राज्यों को नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 2360 खंडों तथा 40 निम्न महिला साक्षरता खंडों में भेजे जाते हैं। पंजाब में वे 37 खंडों, में, जहां महिला साक्षरता की दर कम है, भेजे जाते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रथम कक्षा से पांचवीं कक्षा तक पढ़ने वाले सभी प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को पोषण प्रदान करना है। ये दिशानिर्देश जारी किए गए थे और लोक सभा के पिछले सत्र में सभा पटल पर रखे गए थे। अगर वह और अधिक ब्यौरा चाहती हैं तो माननीय सदस्य उन दिशा निर्देशों को देख सकती हैं।

कुमारी सुशीला तिरिया : महोदय, मेरा प्रश्न पोषण संबंधी शिक्षा प्रदान

करने और उसे प्रदान करने के उपायों का विश्लेषण करने के बारे में था।

डा० कृपासिंधु भोई : पोषण संबंधी शिक्षा कार्यक्रम का एक भाग है। मध्याहन भोजन कार्यक्रम में इस बात का उल्लेख है कि चावल और गेंहू को छोड़कर अन्य चीजें जैसे दालों, तेल इत्यादि के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। पका हुआ भोजन योजना सात राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। दालें तथा अन्य प्रोटीन युक्त पदार्थ राज्यों से आ रहे हैं और राज्य इस कार्यक्रम पर निगरानी रख रहे हैं। केन्द्रीय निगरानी प्रकोष्ठ केवल सूचना प्राप्त करता है। पोषण संबंधी शिक्षा देश के प्रत्येक भाग में प्रदान की जाती है क्योंकि सभी के लिए स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप--केन्द्र इस कार्यक्रम पर निगरानी रखने के लिए विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण करते हैं।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त से स्कूलों में मध्याहन भोजन देने की योजना प्रधान मंत्री जी ने शुरू की है और महाराष्ट्र के 171 ब्लाकों को इस साल इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के बाकी ब्लाकों को इस योजना के तहत कब तक लिया जाएगा?

डा. कृपासिंधु भोई : अध्यक्ष महोदय, 1995-96 में महाराष्ट्र के 171 ब्लाकों में इस योजना को लागू किया गया है। अगले वर्ष 1996-97 के लिए महाराष्ट्र का फिगर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में वर्ष 1995-96 में 2368 ब्लाकों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है, उसी तरह से वर्ष 1996-97 में 2008 ब्लाकों को इस योजना में शामिल किया जाएगा तथा वर्ष 1997-98 में देश के बाकी सारे ब्लाकों में इस योजना को लागू कर दिया जाएगा।

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, बच्चों को दिन का भोजन देने का जो कार्यक्रम शुरू किया गया है उसका खर्च जो आएगा उसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का कितना अंश होगा तथा उसका क्या मापदंड है? कहते हैं कि यह कार्यक्रम सभी राज्यों में शुरू किया गया है लेकिन बिहार के झारखंड इलाके के 18 जिलों में यह कहीं भी शुरू नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी, दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि हर बात के लिए कलक्टर की अध्यक्षता में क्यों एक कमेटी बना दी जाती है? मिड--डे भोजन के लिए भी कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गयी है और एम.पी. लोगों को उसमें मेम्बर बनाया गया है। क्या कलक्टर के पास इतना समय है कि उसके बारे में वह देखें। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि कलक्टर के बदले एम. पीज और एम. एल. एज. को इस कमेटी में रखें ताकि मिड--डे भोजन के कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया जा सके।

डा० कृपासिंधु भोई : भारत सरकार की ओर से अन्न और ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक दिया जाता है। रसोई के बर्तन और खाना पकाने वाली सहायिका जे. आर. वाई से और किचन बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के रूरल डिपार्टमेंट की इस मामले में गाइडलाइन्स हैं। पल्सिज, आयल, न्यूट्रैट वगैरहा स्टेट गवर्नमेंट देती है। इसमें सिस्टम है कि कलक्टर की अध्यक्षता से जिला--स्तर पर, स्टेट लेवल में चीफ सैकेट्री या एडीशनल चीफ सैकेट्री या डेवलपमेंट कमीश्नर के स्तर पर नगरपालिका में चेयरमैन स्तर पर और पंचायत स्तर पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए हरेक स्कूल में गांवों के जो महत्वपूर्ण लोग होते है, वे भी और सरपंच द्वारा सदारत करने के लिए गाइडलाइन्स में प्रावधान है। यह शुरू हुआ है और दो साल कम से कम इसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट करने में समय लगेगा। जिस राज्य में पहले से लागू था वहां अच्छा चल रहा है जहां नया शुरू हुआ है वहां थोड़ा टाइम लगेगा।

[अनुवाद]

डा० आर. मल्लू : आंध्र प्रदेश राज्य में पके हुए भोजन के स्थान पर, वे बच्चों के माता पिताओं को चावल की आपूर्ति कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वे स्कूल में एक रसोइये और बर्तनों की व्यवस्था करके बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान करने की व्यवस्था कब से शुरू करेंगे।

डा. कृपासिंधु भोई : यह देखना राज्य सरकार का काम है कि वे पका हुआ भोजन प्रदान करना चाहते हैं या नहीं यह उनके अधिकार में है। वे पका हुआ भोजन प्रदान करने की योजना को लागू कर सकते हैं। जब तक इसकी व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक हम केवल दिशा निर्देश देंगे और हमारे दिशानिर्देशों को मानना या न मानना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन हम उन्हें उन दिशा निर्देशों का अनुपालन करने की सलाह देंगे।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है जिस तरीके से मध्याहन भोजन की योजना शुरू की गई है और नजदीक आते चुनावों के मद्देनजर जो आधे अधूरे मन से उपाय किए गए हैं, उससे तो यह महज एक धोखा प्रतीत होता है। आप केन्द्र सरकार की ओर से केवल 100 ग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति कर रहे हैं और शेष लागत राज्य सरकार वहन करती है। खाद्यान्नों का भंडारण भारतीय खाद्य निगम की जिला शाखाओं में किया जाता है। इसमें परिवहन लागत भी शामिल नहीं है। अतः, राज्य सरकार किस प्रकार से इस योजना को लागू करने जा रही है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगी कि अगर वे इस योजना के बारे में गंभीर हैं तो उन्हें इसे प्रोटीन--युक्त पदार्थों के साथ--साथ खाद्यान्नों और परिवहन लागत की व्यवस्था करते हुए इसको सही ढंग से शुरू करना चाहिए।

डा० कृपासिंधु भोई : महोदया, इसका उद्देश्य अति प्रसंशनीय है। लेकिन जहां तक कार्यान्वयन का संबंध है भारत सरकार इसे पूरी निष्ठा के साथ लागू करने का प्रयास करेगी।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं कार्यान्वयन नहीं बल्कि दिशानिर्देशों के बारे में कह रहा हूं।

डा० कृपा सिंधु भोई : मुझे खेद है। अध्यक्ष महोदय, पहले से ही, जहां पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार गारंटी योजना तथा जवाहर रोजगार योजना लागू करने जा रही है, वहां सारा पैसा केन्द्र सरकार की ओर से जाता है। पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार गारंटी योजना इत्यादि के लिए 2 करोड़ से अधिक धनराशि दी जा रही है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मेरा प्रश्न यह नहीं है। भारतीय खाद्य

निगम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा धनराशि दी जा रही है। इससे संबंधित दिशा निर्देश भी हैं। भारतीय खाद्य निगम के अपने गोदाम हैं। अतः, बेहतर गुणवत्ता के चावल और गेंहू दिये जाते हैं।

मैं प्रोटीन के बारे में बोलना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले मैं यह बताना चाहूंगी कि भारत सरकार देश के प्रत्येक लड़के और लड़की को 350 कैलोरी से अधिक कैलोरी वाला खाद्यान्न प्रदान कर रही है अतः, प्रति महिला 3 किलो चावल और गेंहू दिया जाता है। अतः, यह स्वाभाविक है कि राज्य सरकार को भी उसके लिए आवश्यक धनराशि खर्च करनी चाहिए जो उन्हें ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से आबंटित की जाती है। इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों को दिशा निर्देश भी जारी किये गये हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

***26. श्री अमर राय प्रधान**

श्री राम कापसे :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान गेंहू, चावल, चीनी, खाद्य तेलों, तिलहनों, दालों, खाद्यान्नों, सब्जियों तथा प्याज की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा क्या परिणाम निकले हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) गत तीन महीनों (जुलाई–अक्तूबर, 1995) के दौरान चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत उतार चढ़ाव संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी का मुख्य करण इन वस्तुओं की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर होना, सीमित आयात होना और इनके निवेशों की लागत में वृद्धि होना है।

(ग) सरकार आमतौर पर सभी वस्तुओं और विशेष तौर पर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के कार्य को सर्वाधिक प्राथमिकता देती है। सरकार द्वारा मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हेतु किए गए कुछ दीर्घकालिक उपायों के अलावा, जो अन्य उपाय किए गए हैं उनमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा बाजार कीमतों से कम कीमत पर चावल और गेंहू की खुले बाजार में बिक्री करना और संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों की राजसहायता प्राप्त कीमतों पर अनाज की आपूर्ति करना शामिल है। नारियल तेल, ताड़ गिरी तेल, आर. बी. डी. ताड़ तेल आर. बी. डी. ताड़ स्टीयरीन को छोडकर अन्य खाद्य तेलों का आयात 30% के घटे हुए सीमा शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, राज्य व्यापार निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को 20% के रियायती सीमा शुल्क पर पामोलिन का आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। दालों के मामले में, दालों पर आयात शुल्क को 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। दालें, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) आदेश 1977 में, आयातित दालों की उक्त आदेश के तहत निर्धारित भंडारण सीमाओं के दायरे से बाहर रखने हेतु, संशोधन किया गया है।

राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के तहत जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। वर्ष 1994 के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा 1,13,034 छापे मारे गए थे जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः 4846 और 4078 व्यक्ति गिरफ्तार और अभियोजित किए गए। वर्ष 1995 में (जनवरी–अक्तूबर) 55,085 छापे मारे गए और 9,104 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 2,493 व्यक्तियों पर दल अधिनियमों के तहत अभियोजन चलाया गया।

विवरण

अक्तूबर, 1995 को समाप्त गत तीन महीनों के दौरान चुनी आवश्यक वस्तुओं के मासिक थोक मूल्य सूचकांकों में प्रतिशत उतार-चढ़ाव।

वस्तुएं उप समूह	3 महीनों के दौरान अक्तूबर 95-जुलाई 95
गेंहू	+ 4.1
चावल	+ 1.8
चीनी	+ 1.2
खाद्य तेल	+ 1.1
वनस्पति	-3.5
सरसों का तेल	+ 7.4
मूंगफली का तेल	स्थिर
तिलहन	+ 4.1
दालें	- 4.8
चना	- 9.0
अरहर	- 4.2
मूंग	+ 1.4
मसूर	+ 10.4
उड़द	- 8.9
सब्जियां	+ 10.3
प्याज	+ 33.2

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग मंत्रालय।

नदी जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जैव-नियंत्रण

*27. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का विचार नदी जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जैव नियंत्रण करने के लिए "मैपिंग" प्रणाली प्रारंभ करने का है जैसाकि कुछ अन्य देशों में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय नदियों में यह तरीका कहां तक कारगर सिद्ध होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यमुना नदी की जैव मानीटरी पर एक प्रायोगिक परियोजना चलाई थी। इस परियोजना के तहत जल की गुणवत्ता के संबंध में जैवीय समुदाय संरचना का विश्लेषण करने के लिए गहन जैव मानीटरी की गई थी। परियोजना के निष्कर्षों के आधार पर नदीय प्रणाली का अध्ययन करने और प्राथमिक सह संबंध स्थापित करने के लिए एक पद्धति का निरूपण किया गया है। दो अन्य नदियों अर्थात् तुंगभद्रा तथा चेलियार के अध्ययन भी किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सभी भारतीय नदियों का अध्ययन कार्य करने से पहले देश में नदी प्रणालियों में जैव मानीटरी के अनुप्रयोग निर्धारित करने के लिए ऐसे प्रायोगिक अध्ययन आवश्यक हैं।

[हिन्दी]

उत्खनन कार्य

*28. **श्री राम पूजन पटेल :**

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इलाहाबाद श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के अन्य भागों और अन्य राज्यों में उत्खनन कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपलब्धियां रहीं;

(ग) इस उत्खनन कार्य के पूरा होने के बाद इन स्थानों के बारे में रिपोर्टें कब तक प्रकाशित हो जाएंगी; और

(घ) उक्त खनन कार्य पर आज तक खर्च हुई धनराशि और प्रत्येक राज्य में इस कार्य को पूरा करने में खर्च होने वाली अनुमानित अतिरिक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां। तथापि इस स्थल का सही नाम श्रृंगवेरपुर है न कि भृंगवेरपुर।

(ख) उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के श्रृंगवेरपुर से विभिन्न संस्कृतियों को पता चला है जिसमें गेरू रंग के मृद–भांड शामिल हैं जो ग्यारहवीं शताब्दी बी.सी. (ईसा पूर्व) काल से लेकर लौह युग, 10 वीं शताब्दी बी. सी. प्रागैतिहासिक काल, सुंग, कुषाण, गुप्ता, राजपूत, उत्तर मध्य काल से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी काल के हैं। अत्यधिक हाइड्रौलिक इंजीनियरी कौशल से ईट का बना एक टैंक एक अति महत्वपूर्ण खोज थी। उत्तर प्रदेश में तथा अन्य राज्यों में खोदे गए अन्य स्थलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) श्रृंगवेरपुर पर एक खंड प्रकाशित किया गया है और 1989-90 तक किए गए अन्य उत्खननों के परिणामों की सार रिपोर्टें "इण्डियन आर्कियोलाजी : ए रिव्यू" में प्रकाशित की जा चुकी हैं और बाद की अवधि के उत्खननों के परिणामों की रिपोर्टें संकलित कर प्रकाशित की जाएगीं।

(घ) श्रृंगवेरपुर उत्खनन पर 8.25 लाख रुपये खर्च किए गए हैं, विगत तीन वर्षों के दौरान अन्य उत्खननों पर हुए खर्चा का ब्यौरा और इस कार्य को पूरा करने पर होने वाला संभावित अतिरिक्त खर्च संलग्न विवरण में दिया गया है। प्रत्येक स्थल के संबंध में आगे का कार्य और इसका स्केल प्रत्येक कार्य की समीक्षा पर निर्भर करेगा और तदनुसार प्रत्येक मामले में धनराशि आबंटित की जाएगी।

विवरण

क्रम सं०	स्थल का नाम	जिला	व्यय	अतिरिक्त बजट (1995-96)	उपलब्धि	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
बिहार						
1.	कोल्हुआ	मुजफ्फरपुर	7,23,396.00	-	उत्खनन से ईटों के बने एक तालाब कूटागढ़शाला, मठ तथा चढ़ावा स्तूप प्रकाश में आए हैं। इसके अलावा उत्खनन से ईसा पूर्व और उत्तर काल के बहुत से पुरावशेषों का पता चला है।	पूरा किया गया।
2.	डाकबंगला	पटना	10,752.00	-	इस क्षेत्र का पुरावशेष तथा उसकी ऐतिहासिकता सुनिश्चित करने के लिए 1991 में एक परीक्षण	पूरा किया गया।

1	2	3	4	5	6	7
					खुदाई की गई। इससे एन. बी. पी. के सेरेमिक उद्योग तथा घुमावदार कुओं के साथ पश्चिम की ओर पाटलिपुत्र शहर के और विस्तार का पता चला है। मृदभांड प्रकार के बर्तन पाए गए हैं जिनमें कुंडी, कटोरा, भंडारण के बड़े बर्तन फूलदाम, टिप्ड कटोरे तथा लघु बर्तन आदि शामिल हैं यह स्थल मौर्य काल का है।	
3.	इचागढ	सिंहभूम	29,481.00	-	पुस्तर से बने शिव मंदिर का अवशेष भी प्रकाश में आया।	पूरा किया गया।
4.	डुल्मी	सिंहभूम	25,000.00	-		पूरा किया गया।
दिल्ली						
1.	लालकोट	दिल्ली	40,35,000.00	-	खुदाई से राजपूत काल के कूमों तथा सल्तनत काल के पेशों के स्तरों का पता चला और महल परिसर एक टैंक, जो अनंगपाल तोमर के काल का माना गया अनेक पुरावशेष सल्तनत काल के सिक्के आदि पाए गए।	पूरा किया गया।
गोवा						
1.	संत अगस्ताइन	उत्तरी गोवा	1,06,000.00	50,000.00	प्राचीन चर्च परिसर खोल दी गई है।	कार्य चल रहा है।
गुजरात राज्य						
1.	धौलावीरा	कच्छ	71,92,000.00	24,00,000.00	खुदाई से उत्कृष्ट योजना वाले एक हड़प्पा शहर (सिंध घाटी सभ्यता) वास्तुशिल्प जल सरंचनाओं, शहर के उत्थान और पत्तन के प्रमाणों तथा अंत्येष्टि संबंधी द्वितीय संरचनाओं का पता चला है। इसके अलावा बडे आकार वाले 10 सिंधु चिंहों के एक शिलालेख का भी पता चला है।	कार्य चल रहा है।
हरियाणा						
1.	हर्ष का टीला	कुरुक्षेत्र	10,24,945.00	-	कृषाण काल से आगे के एक लमागतार क्रम का पता चला है; इसमें मुगल काल के महल परिसर गढ़ घेरदार कुएं आदि, पुरावशेष प्रतिमाएं प्रमुख उपलब्धियों में शामिल थीं पी.जी.डब्ल्यू. एन.बी.पी. डब्ल्यू. पूर्व लौहयुग तथा प्रागैतिहासिक वस्तुएं जैसे आरंभिक पदार्थ भी पाए गए हैं।	पूरा किया गया।
हिमाचल प्रदेश						
1.	दत्त नगर	शिमला	73,334.15	-	सामग्री अवशेषों में मृदभांड घर्रा, लौह कांटा, कुषाण काल की खंडित प्रतिमाएं, एक सिक्का शामिल है।	पूरा किया गया।
असम						
1.	श्री श्री सुर्जापहाड़		1,30,000.00	1,50,000.00	पक्की मिट्टी की लघु मूर्तियों आदि सहित उत्तर गुप्त तथा उत्तर काल की बाद को ईटें संरचनात्मक अवशेष पाए गए हैं।	कार्य चल रहा है।

1	2	3	4	5	6	7
कनार्टक						
1.	हम्पी	बेल्लरी	7,00,000.00	8,00,000.00	विजयनगर साम्राज्य का राजधानी नगर महल परिसर जल संरचनाओं, मंदिर अवशेष आवासीय मकान घेरदार कुएं अनेक भृदभांड तथा अन्य वस्तुएं पाई गई हैं।	कार्य चल रहा है।
2.	सनाथी	गुलबर्गा			सनाथी की खुदाई से पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों का पता चला है जिनमें स्तूप शिलालेख आदि शामिल हैं। खंडित शिलालेख अशोक काल की अति महत्वपूर्ण खोज है।	
3.	कांगनहल्ली	गुलबर्गा			यहां की खुदाई से पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों, बुद्ध की खंडित प्रतिमा आदि का पता चला।	
4.	हसारनगुड़ी	गुबलर्गा	1,00,000.00	1,00,000.00	यहां से अधाका प्लेटफार्म के साथ अत्यधिक अस्त—व्यस्त गोलाकारं ईटों के बने स्तूप की पूर्ण योजना का पता चला है।	कार्य चल रहा है।
5.	गुदनापुर	उत्तरा कन्नड़	3,00,000.00	-	पूर्व मध्यकालीन भवन परिसर प्रस्तुत किया गया।	कार्य चल रहा है।
6.	बडागा काजीयारू तथा कोटाट्टू	दक्षिणी कनारा	50,711.00	-	एक ताम्रपाषण कालीन दफन पात्र बड़ागा कातीकारू में प्रतिपादित किया गया। कोटाट्टू में सांस्कृतिक क्रम का पता लगाने के लिए परीक्षण खुदाई की गई थी क्योंकि स्थल से एक कुल्हाड़ी की सूचना मिली थी।	पूरा किया गया।
7.	बनवासी	उत्तरा कन्नड़	7,00,000.00	5,00,000.00	सातवाहन काल के प्रागैतिहासिक अवशेष पाए गए हैं कुटुम्बों, कादम्बों उत्तर कादम्बों के अवशेष भी पाए गए हैं	कार्य चल रहा है।
8.	प्रणवेश्वर मंदिर ताल गुंडा	शिमोगा	1,00,000.00	-		
9.	मलावल्ली	शिमोगा	1,00,000.00	-		
मध्य प्रदेश						
1.	तेंगा/कर्काभाट	दुर्ग	4,10,000.00	-	कर्काभाट में महापाषाण कालीन शवाधानों की खुदाई की गई।	पूरा किया गया।
2.	कवरगढ गुफाएं	भंडारा	15,460.00	-	जांच से ऐतिहासिक काल से आगे के व्यवसाय	पूरा किया गया। का पता चला।
3.	हीनयान गुफाएं	सतारा	40,000.00	50,000.00		चल रहा है।
4.	आदम	नागपुर	50,000.00	-	इस स्थल से ताम्र प्रस्तर, लौह युग एनबीपी सातवाहन संरचनाएं, मृद भांड और अन्य सामग्री प्राप्त हुई। इससे विदर्भ क्षेत्र के पुरातत्वीय अस्तित्व का पता लगाने में सहायता मिली ।	पूरा किया गया।

1	2	3	4	5	6	7
मणिपुर						
1.	बादागेकुशिरी	पश्चिमी गारो पर्वत	1,82,290.00	-	एक घेरदार कुएं और एक बड़ी संरचना की खुदाई की गई जिससे देवी–देवताओं की बहुत सी मूर्तियां मिलीं।	पूरा किया गया।
2.	फितोरियंगतेल	जैन्तिया पर्वत	10,000.00	-	नव पाषाण काल के बहुत से मार्जित और अमार्जित मानवीय उपकरण भांड खंड और कार्बन पाए गए।	पूरा किया गया।
3.	सालंग्येल	विष्णुपुर	50,000.00	-		पूरा किया गया।
4.	सेक्ता	इम्फाल	1,50,000.00	-		पूरा किया गया।
उड़ीसा						
1.	गोलबैसासन	पुरी	1,10,370.00	-	पहली बार इस स्थल से उड़ीसा में ताम्रपाषण और पूर्व लौह युग के व्यवसाय का पता चला है।	पूरा किया गया।
2.	बाराबाती किला	पुरी	8,17,097.00	95,000.00	महल के अवशेषों सहित मध्यकाल का चहारदीवारी स्थल	कार्य चल रहा है।
3.	खाल्कापाइन	पुरी	50,000.00	-	इस स्थल का मध्यकालीन नगर द्वार शहर के रूप में पता चला।	पूरा किया गया।
4.	उदयगिरी	कटक	4,13,086.00	-	स्तूप मठ के रूप में बौद्ध अवशेषों और मूर्तियों का पता चला।	पूरा किया गया।
तमिलनाडु						
1.	जिंगा	विल्लुपुरम आर पदयाचियार	4,25,372.00	-	एक स्थान संरचना का पता चला। जो 16वीं–18वीं शताब्दी ए.डी. काल की है। बीजापुर, मराठा के नायक, सल्तनत के अधीन एक मध्यकालीन शहर आदि।	
उत्तर प्रदेश						
1.	बनारसीहन कला	महाराजगंज	1,20,000.00	-	इस उत्खनन से ईंट से बने एक स्तूप का पता चला है जो दो भागों में विकसित मानचित्र पर समकोणीय है। इस स्थल से पूर्व शताब्दियों के अवशेष अधिकांश पक्की मिट्टी की मूतियों हैं।	पूरा किया गया।
2.	श्रावस्ती	बहराइच	10,45,480.00	8,00,000.00	इस उत्खनन से ईंट से बनी इमारतों अर्थात् टैंक, स्तूप और मठ के बहुत से अवशेषों तथा मृदभांडों और कुषाण गुप्त काल का पता चला है।	कार्य चल रहा है। जो चार–पांच वर्ष तक चलेगा।
3.	लादीयूरा	अल्मोड़ा	25,000.00	-	महापाषाण कालीन स्थल का पता चला।	पूरा किया गया।
4.	इनायतपुर	आगरा	63,778.00	-	परीक्षण खुदाई से विभिन्न स्तरों पर ओसीपी पी.जी. डब्ल्यू.एन.बी.पी कुषाण काल के मृद भांड तथा मध्य काल के स्तरों का पता चला।	पूरा किया गया।
5.	मेहताब बाग	आगरा	1,53,990.00	50,000.00	फुव्वारों और मंडपों सहित बहुत बड़ा अष्ठकोणीय टैंक के अवशेषों का पता चला।	कार्य चल रहा है।
6.	सरहा–वारहा	फतेहाबाद	50,000.00	-	प्रोटो एवं प्रागैतिहासिक अवशेष	पूरा किया गया।

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान						
1.	डूंगर खेड़ा	धौलपुर	2,00,000.00	-	इस ऐतिहासिक स्थल से मृदभांड और इस प्रकार की अन्य वस्तुओं का पता चला।	पूरा किया गया।
आंध्र प्रदेश						
1.	जुज्जुरू ग्राम	कृष्णा	15,000.00	1,00,000.00	इस उत्खनन से सातवाहन इक्षवाकू और इक्षवाकू के बाद के काल की ईट से बनी इमारतों का पता चला। अंलकृत स्तंभ, जिनमें बौद्ध पद चित्रित थे, और चूने के पत्थर की फैक्ट्री भी पाई गई।	पूरा किया गया।

[अनुवाद]

खाद्यान्न उत्पादन

***29. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**

श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 1994-95 के दौरान खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में यह उत्पादन कितना अधिक हुआ;

(ग) विभिन्न खाद्यान्नों का खाद्यान्नवार, कुल कितना उत्पादन हुआ;

(घ) क्या गत वर्ष की तुलना में मोटे अनाजों का कुल उत्पादन कम हुआ है;

(ड.) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(च) क्या मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी के परिणाम स्वरूप मूल्यों में वृद्धि हुई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 191.10 मिलियन मीटरी टन रहा, जबकि इसकी तुलना में 1993-94 में यह 184.26 मिलियन मी० टन रहा था।

(ग) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान विभिन्न खाद्यान्नों का कुल उत्पादन इस प्रकार रहा :–

(मिलियन मीटरी टन में)

	1994-95	1993-94
चावल	81.16	80.30
गेहूं	65.47	59.84
मोटे अनाज	30.35	30.81
दलहन	14.12	13.31
कुल खाद्यान्न	191.10	184.26

(घ) और (ड.) मोटे अनाजों के उत्पादन में वर्ष 1994-95 के दौरान 1993-94 की तुलना में केवल मामूली कमी हुई है, जिसका कारण प्रतिकूल मौसमी स्थितियां हैं।

(च) और (छ) वर्ष 1992 से 1994 तक की अवधि में मोटे अनाजों के मूल्यों में वृद्धि अन्य खाद्यान्नों के मूल्यों में हुई वृद्धि सामान्य वृद्धि के अनुरूप है। लेकिन, वर्तमान वर्ष में ज्वार और बाजरे के मूल्यों में अधिक वृद्धि हुई है, जिसका कारण आंशिक रूप से सामान्य वृद्धि तथा आंशिक रूप में इन जिलों के उत्पादन में कुछ कमी होना है।

अनुसंधान कार्यों में किसानों को शामिल किया जाना

***30. श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

श्री अमर पाल सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने हेतु अनुसंधान कार्यों में किसानों को शामिल किये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) भा. कृ. अ. प. ने किसानों की भागीदारी के द्वारा प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और परिशोधन के लिए "संस्थान–ग्राम संबंध कार्यक्रम" की शुरूआत की है। इसके अलावा, "अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन" नामक एक कार्यक्रम भी चल रहा है जिसमें खाद्यान्नों से संबंधित सफल हो चुकी प्रौद्योगिकियों का परीक्षण किसानों के खेतों में किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिला

*31. डा० सुधीर राय :

श्री मुही राम सैकिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने 1995-96 सत्र हेतु आज तक केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष छूट व्यवस्था (स्पेशल डिसपैन्सेशन) के अंतर्गत कुल कितने छात्रों के दाखिले के आदेश दिए हैं;

(ख) ऐसे कितने दाखिले सांसदों की सिफारिश पर किए गए;

(ग) क्या विशेष छूट व्यवस्था के अंतर्गत किए गए दाखिलों की संख्या 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा पार कर गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार किए गए दाखिलों का क्या औचित्य है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष छूट के अंतर्गत आदेश दिए गए दाखिलों की कुल संख्या 9859 है जिसमें माननीय संसद–सदस्यों द्वारा अनुशंसित किए गए बहुत से मामले शामिल हैं। इनकी सही–सही संख्या का पता लगाया जा रहा है और वह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) इस प्रकार के दाखिलों की प्रतिशतता 13.85 है। बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष ने 10 प्रतिशत से अधिक दाखिला करने के लिए मंजूरी देने का निर्णय लिया।

गिर क्षेत्र के सिंह

*32. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गिर क्षेत्र के सिंह अपने प्राकृतिक वास को छोडकर तटवर्ती क्षेत्रों में जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गिर क्षेत्र से सिंहों के उक्त पलायन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, हां। शेर जैसे भूभागीय प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हो जाने और परिधीय क्षेत्रों में आवास की परिस्थितियों में सुधार हो जाने के कारण उनका अपने वास स्थल छोड़कर इधर–उधर चला जाना एक स्वाभाविक बात है।

(ग) गिर के वाहरी क्षेत्रों में रहने वाले शेरों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाती है और उनके आवागमन पर वन और वन्य जीव कर्मचारियों द्वारा निरन्तर निगरानी रखी जा रही है। इन भ्रमणशील शेरों के बारे में स्थानीय लोगों में जागरूकता भी पैदा की जा रही है।

राज्य फार्म निगम

*33. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा चलाये जा रहे फार्मो के नाम क्या है और वे कहां–कहां स्थित हैं;

(ख) उन फार्मो के नाम क्या हैं जो पूरी तरह से केन्द्र सरकार के स्वामित्व में है, और जो राज्य सरकारों के स्वामित्व में हैं;

(ग) क्या इन फार्मों में गत अनेक वर्षों से घाटा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो फार्म–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) घाटे में चलने वाले इन फार्मो के पुनरूद्वार हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ताकि इन्हें लाभकारी बनाया जा सके;

(च) क्या सरकार के पास इन फार्मों में से किसी फार्म के बेच देने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा चलाए जा रहे फार्मो के नाम और स्थान तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले फार्मों और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले फार्मो का ब्यौरा संलग्न विवरण-I दिया गया है।

(ग) और (घ) इन फार्मों का वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक (अनन्तिम) लाभ और हानि संलग्न विवरण-II में दर्शाए गए हैं। हानि के कारण संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ङ) भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा इन फार्मो की व्यवहार्यता सुधारने के लिए उठाए गए विशेष कदम इस प्रकार हैं ;

(i) यह निगम फार्म पर सिंचाई के पानी की सप्लाई, जो अब तक मुख्य बाधा रही है, को सुदृढ और सुनिश्चित करने का प्रयास जारी रखे हुए है।

(ii) केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ में लघु नहर पूरी होने वाली है, जो सूरतगढ़ स्थित फार्म के लिए 3500 है. क्षेत्र हेतु और सरदारगढ़ फार्म के लिए 600 है. क्षेत्र हेतु पानी सुलभ कराएगी। इस नहर को सरदारगढ़ वाले फार्म तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराइच में 20 गहरे नलकूप लगाए गए हैं तथा 5 कुओं पर कार्य चल रहा है जिससे 750 है. क्षेत्र में सिंचाई की सप्लाई की जायेगी। विभिन्न फार्मो पर 215 है. को ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत लाने तथा 365 है. जो छिड़काव सिंचाई प्रणाली के तहत लाने का प्रावधान है।

(iii) इस निगम की राष्ट्रीय बीज परियोजना–III के अंतर्गत और अधिक गहरे नलकूप लगाने, नालियों का टीप करने, भूमिगत

पाइपलाइन आदि स्थापित करने की भी योजनाएं हैं।

(iv) संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करने के लिए गतिविधियों को विविध बनाकर पौधों का अधिक संख्या में प्रवर्तन, मछली पालन, बतख पालन, सुअर पालन, भेड़ और बकरी पालन आदि का काम आरंभ किया गया है। केन्द्रीय राज्य फार्म, असम पर आयुर्वेदिक औषधीय पौधों और मसालों की खेती भी आरंभ की गई। संकर किस्मों, पुष्पकृषि, खुम्बी की खेती आदि के क्षेत्र में भी विविधीकरण लाने का प्रस्ताव है।

(v) निगम का पूंजीगत खर्च राष्ट्रीय बीज परियोजना–III के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा फार्म विकास के लिए सहायता के साथ जोड़ा गया है। राष्ट्रीय बीज परियोजना–III के अंतर्गत सहमत कार्य योजना का कार्यान्वयन चल रहा है।

(vi) भारतीय राज्य फार्म निगम संकर टमाटर के उत्पादन के लिए सार्वजनिक लि. कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम लगा रहा है और लाढोवाल तथा सूरतगढ फार्मो पर कार्य पहले ही शुरू हो गया है। आरंभिक तौर पर प्रत्येक फार्म पर 500 एकड़ भूमि इस प्रयोजन के लिये नियत की गई है।

(vii) निगम के विभिन्न राज्यों में प्राइवेट क्षेत्र में वितरक नियुक्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं ताकि खरीफ 1995-96 से विपणन माध्यम मजबूत हो सके। बीजों का वितरण सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के अलावा प्राइवेट क्षेत्र के जरिए भी किया जाएगा।

(viii) भारतीय राज्य फार्म निगम ने ओमान सल्तनत का "मलिका" और "आम्रपाली" किस्मों की आम की 1000 कलमें (500-500 प्रत्येक) निर्यात करने की व्यवस्था की है। भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा अपनी अच्छी क्वालिटी की आम की कलमें सप्लाई करने के लिए यह निर्यात आदेश प्राप्त किया गया है। अन्य बागवानी फसलों में भी निर्यात की क्षमता बहुत अच्छी है, जिसके लिये निर्यात आदेश प्राप्त करने की संभावना का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

भारतीय राज्य फार्म निगम

फार्मों के नाम

भारत सरकार के स्वामित्व वाले

1. केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राजस्थान)
2. केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राजस्थान)
3. केन्द्रीय राज्य फार्म, जेतसर (राजस्थान)
4. केन्द्रीय राज्य फार्म, अरलाय (केरल)
5. केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर (कर्नाटक)

राज्य सरकार से पट्टे पर लिए गए फार्म

केन्द्रीय राज्य फार्म

6. केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार (राजस्थान)
7. केन्द्रीय राज्य फार्म, लाड़ोवाल (पंजाब)
8. केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराइच (उ.प्र.)
9. केन्द्रीय राज्य फार्म, रायबरेली (उ.प्र.)
10. केन्द्रीय राज्य फार्म, चेंगम (तमिलनाडु)
11. केन्द्रीय राज्य फार्म, कोकिलाबाड़ी (असम)
12. केन्द्रीय राज्य फार्म, बारपेटा (असम)

विवरण-II

भारतीय राज्य फार्म निगम में वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 में लाभ एवं हानि

क्र सं०	फार्म का नाम	लाभ/हानि लाख रुपये में		
		1992-93	1993-94	1994-95 अनन्तिम
1.	सूरतगढ़	(-) 57.65	(+) 69.97	(+) 123.81
2.	सरदारगढ़	(-) 82.23	(+) 16.09	(+) 39.77
3.	जेतसर	(-) 95.50	(-) 111.43	(+) 46.00
4.	हिसार	(+) 03.70	(+) 04.47	(+) 157.60
5.	लाडोवाल	(-) 45.86	(+) 0.45	(+) 3.35
6.	बहराइच	(-) 10.64	(+) 31.14	(+) 136.03
7.	रायबरेली	(-) 15.50	(-) 22.05	(-) 30.09
8.	रायचूर	(-) 142.51	(-) 68.13	(-) 80.05
9.	चेंगम	(-) 120.99	(-) 94.95	(-) 101.50
10.	अरलाम	(-) 33.12	(-) 86.22	(-) 39.81
11.	कोकिलाबाड़ी	(+) 4.21	(-) 10.94	(+) 7.41
12.	बारपेटा	(+) 0.31	(+) 0.66	(+) 0.42
	संपूर्ण	(-) 603.87	(-) 176.44	(+) 281.67**

** लेखा–परीक्षा रिपोर्ट (1994-95) के अनुसार

विवरण-III

• वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान भारतीय राज्य फार्म निगम को हानि हुई, लेकिन वर्ष 1994-95 के दौरान, लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, इसे 281.67 लाख रु० का लाभ मिलने की जानकारी मिली है।

उक्त दो वर्षो के दौरान हुई हानि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

(क) राजस्थान में केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ तथा सरदारगढ़ घग्गर नदी के निष्क्रिय क्षेत्रों में स्थित हैं तथा खरीफ के मौसम में बाढ़

का पानी धान के रोपण के उद्देश्य से सिंचाई सुविधाओं की पूर्ति के लिये उपयोग में लाया जाता है। ऐसा इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि इस प्रणाली के आखिरी सिरे पर फार्म स्थित होने की वजह से सिंचाई प्रणाली में जल की मात्रा अपर्याप्त है। 1992-93 के दौरान बाढ़ का पानी जुलाई के पहले सप्ताह के बजाय जब यह सामान्यतया प्राप्त होता है, फार्म में 5 अगस्त, 1992 को प्राप्त हुआ और उसी वजह से धान का रोपण बहुत कम क्षेत्र में पूरा किया जा सका। इससे उत्पादन में बहुत कमी आई और इसके फलस्वरूप हानि हुई।

(ख) 21 अगस्त, 1992 की रात में बाढ़ सुरक्षा बांध में दरार पड़ जाने के कारण केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ में 129 हैक्टे. तथा केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ में 107 हैक्टे. बुवाई वाला क्षेत्र पूरी तरह से बरबाद हो गया।

(ग) राजस्थान में केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, सरदारगढ़ तथा जेटसर में फरवरी 1993 में अत्यधिक तुषारापात हुआ, जिससे चने की फसल को गंभीर क्षति पहुंची, जो फली बनने की अवस्था में थी। इसके कारण लगभग 30 से 245% की सीमा तक उत्पादन में हानि हुई।

(घ) केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़, सरदारगढ़ तथा जेटसर में सरसों की फसल का 650 हैक्टे. क्षेत्र 1992 में पेन्टेड बग महामारी की वजह से पूरी तरह से बरबाद हो गया।

(ङ) केन्द्रीय राज्य फार्म, जेटसर को दिसम्बर, 1992 में 24 दिनों के लिए तथा जनवरी, 1993 में 14 दिनों के लिए नहरों को बंद कर दिये जाने की अभूतपूर्व स्थिति का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से गेंहू की फसल की बुवाई तथा सिंचाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिससे उत्पादन में हानि हुई।

(घ) केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ तथा सरदारगढ़ में जलग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण जुलाई 1993 के तीसरे सप्ताह में 6000 से 7000 क्यूसेक का सामान्य मात्रा की तुलना में अत्यधिक मात्रा में लगभग 17,880 क्यूसेक बाढ़ का पानी आ गया। इसकी वजह से केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ में 174 हैक्टे. क्षेत्र में धान, कपास, उड़द तथा बाजरे की फसल बरबाद हो गई और यथोपेक्षित मात्रा में खरीफ फसलों की बुवाई नहीं की जा सकी। इसी वजह से केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ में 181 हैक्टे. क्षेत्र में धान, कपास, मूंग, उड़द तथा बाजरे की फसल भी बरबाद हो गई।

(छ) केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़, सरदारगढ़ तथा जेटसर को रबी 1993-94 के ठीक मौसम के दौरान अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर के महीनों में लगभग 19-20 दिनों के लिये नहरों को बंद कर दिये जाने की स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसके कारण रबी फसलों के तहत, विशेष रूप से गेंहू तथा सरसों के मामले में बुवाई का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। इससे उत्पादन में कमी आई। नहरों के प्रवाह में बारम्बार परिवर्तन किये जाने से भी फसलों की बुवाई में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हुई।

(ज) चने की बीज की मांग के अभाव में केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ तथा सरदारगढ़ में 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान इस फसल के तहत आने वाला 50-75% क्षेत्र बीज उत्पादन के लिये उपयोग में लाये जाने के स्थान पर वाणिज्यिक फसल के तहत बना रहा। इसी प्रकार इसी अवधि के दौरान सरसों के बीज की कम मांग होने की वजह से उस फसल के तहत आने वाला 50 से 60% क्षेत्र बीज उत्पादन के स्थान पर वाणिज्यिक उत्पादन के तहत बना रहा। चूंकि इन फसलों का वाणिज्यिक उत्पादन करने के बजाय बीज उत्पादन करना अधिक लाभकारी है इसलिए क्षेत्र को बीज उत्पादन के स्थान पर वाणिज्यिक फसल उत्पादन के लिये उपयोग में लाये जाने की वजह से निगम को राजस्व की हानि हुई।

(झ) 20.7.1992 से 26.7.92 के दौरान 222 मीमी. तक अत्यधिक वर्षा होने से जल अभाव होने की वजह से केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार में 233 हैक्टे. क्षेत्र की कपास, उड़द, अरहर, सोयाबीन तथा बाजरे की फसल बरबाद हो गई।

(ञ) केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार में जुलाई 1993 के तीसरे सप्ताह में लगातार वर्षा हुई। वर्षा की तीव्रता इतनी अधिक थी कि फार्म पर लगभग 3 दिनों में लगभग 280 मीमी. वर्षा हुई, जबकि पूरे महीने में सामान्यतः 122 मीमी. वर्षा हुई। इसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में बाढ़ आई जहां 245 हैक्टेयर क्षेत्र में कपास, मूंग, अरहर और बाजरा की फसल उगाई जाती थी। इसके कारण उक्त क्षेत्र में इन फसलों के न होने से फार्म के उत्पादन में कमी आई है।

(ट) कर्नाटक के केन्द्रीय राज्य फार्म, रायपुर तथा तमिलनाडु के चैंगम में नवम्बर, 1992 के तीसरे सप्ताह में भारी चक्रवाती वर्षा हुई जिससे पटसन और सूरजमुखी की बड़ी फसल को काफी नुकसान हुआ।

(ठ) 6 नवम्बर, 1992 की अयोध्या घटना के कारण पी.ओ.एल. आदि की अनुपलब्धता के कारण उ.प्र. के बहराइच जिले के केन्द्रीय राज्य फार्म, गिरजापुरी का कृषि कार्य लगभग आठ दिनों तक ठप्प रहा।

(ड) असम के बारपेटा जिले का केन्द्रीय राज्य फार्म, कोकिलावाड़ी बोड़ो क्षेत्र में स्थित है और यह असम में उपद्रव के कारण विशेषकर बोड़ो आन्दोलन के कारण प्रभावित हुआ। इस कारण फार्म के कार्यों को काफी कम करना पड़ा तथा फार्म परिकल्पित क्षेत्र में विभिन्न फसलों को शुरू नहीं कर सका।

(ढ) केरल के केन्द्रीय राज्य फार्म, अरलाम को कार्मिकों को लम्बी हड़ताल का सामना करना पड़ा। यह हड़ताल चार महीने रहा तथा इससे फार्म का कार्य निष्पादन प्रभावित हुआ। इस अवधि के दौरान पौध रोपण सामग्री मुरझा गई तथा फसलों की कटाई समय पर पूरी नहीं हो पाई।

(ण) निगम के फ़ार्म में अधिकतर कृषि मशीनरी पुरानी हो चुकी है तथा राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण-III के अधीन सहभागी बैंकों से ऋण की स्वीकृति में विलम्ब होने के कारण नियमित निधि की अनुपलब्धता के कारण सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि नहीं की जा सकी तथा मशीनरी का प्रतिस्थापन पूरा नहीं किया जा सका।

(त) नियंत्रण रहित करने तथा राजसहायता में कमी करने के कारण उर्वरकों, खासकर डी.ए.प. और एम.ओ.पी. की लागत में काफी वृद्धि हुई है जिसके कारण फार्म के उत्पादन के बिक्री मूल्य में तदनुरूप वृद्धि न करने से निगम की आदान लागत पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है।

(थ) उपर्युक्त के अलावा निगम को निम्नलिखित कारणों से भी

क्षति हुई है :

(i) बाजार में आधिक्य के कारण 35 हजार क्विंटल गेंहू और 16 हजार क्विंटल धान के बीज को अनाज के रूप में बेचना पड़ा।

(ii) जिन कर्मचारियों ने औद्योगिक वेतनमान का विकल्प दिया था, उनकी मजदूरी का बकाया भुगतान करने के कारण वेतन और मजदूरी में कानूनी वृद्धि के कारण 1.5 करोड़ की अतिरिक्त देयता।

(iii) नकद ऋण प्रतिबंध के कारण 23 लाख रु० की अतिरिक्त ब्याज देयता।

(iv) मूल्य वृद्धि के कारण उर्वरकों कृमिनाशकों पी.ओ.एल. अतिरिक्त पुर्जो जैसे आदानों पर व्यय के कारण 30 लाख रुपये की वृद्धि हुई।

[हिन्दी]

कीटनाशकों का प्रयोग

*34. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों ने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग के कारण मिट्टी के महत्वपूर्ण पोषक तत्वों, जैसे जस्ता, लोहा, तांबा, मेगनीज, मैगनीशियम, बैरोन, मोलीवीडीयन की कमी हो जाने की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या कीटनाशकों के बढ़ते हुए प्रयोग के कारण खाद्य पदार्थों में इन कीटनाशकों के तत्व पाए जा रहे हैं जो मानव के लिए बहुत हानिकारक है; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में इस स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार की क्या योजना है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां। गहन खेती वाले क्षेत्रों में उच्च विश्लेषण वाले उर्वरकों के एकमात्र प्रयोग के कारण सूक्ष्म पोषक तत्वों में कमी आई है तथा उनकी कमियां प्रकट हुई हैं। कीटनाशियों के उपयोग का सामान्य तौर पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (भा. कृ. अ. प.) ने विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों में कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाया है। फसल की उन किस्मों का भी पता लगाया गया है जो विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों के कम स्तरों पर भी उगने में समर्थ हैं। केन्द्रीय सरकार सूक्ष्मपोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए कार्बनिक, खाद कम्पोस्ट तथा हरी खाद के उपयोग को बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहन दे रही है। मृदा जांच प्रयोगशालाएं मिट्टी की जांच के परिणामों के आधार पर विभिन्न राज्यों में सूक्ष्म पोषक वाले उर्वरकों के उपयोग संबंधी सलाह किसानों को देती हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने रासायनिक कीटनाशियों पर निर्भरता को कम करने हेतु नाशीकीटो को जैविक नियंत्रण, कीट प्रतिरोधी किस्मों का पता लगाने तथा कृषि क्रियाओं के प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंध अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है। यह संस्थान प्राकृतिक कीट नियंत्रण संबंधी पदार्थों पर कार्य कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् कार्बनिक कीटनाशियों के विकास तथा उपयोग को भी प्रोत्साहित कर रही है। ये मनुष्यों के हानिकारक नहीं है। अखिल भारतीय समन्वित जैविक नियंत्रण अनुसंधान प्रायोजना, विकास, प्रदर्शन तथा कीटों की देसी दमन प्रणाली तैयार करने में लगी है जिसमें उनके प्राकृतिक शत्रुओं का उपयोग भी शामिल है। अखिल भारतीय समन्वित कीटनाशी अपशिष्ट अनुसंधान प्रयोजना कृषि उत्पाद में कीटनाशी अपशिष्टों की सान्द्रता की निगरानी करता है। उत्पादों को इस्तेमाल करने से पहले अपेक्षित सुरक्षित इंतजारी की अवधि भी प्रयोजना द्वारा खोजी गई है।

गोदाम

*35. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति** :

श्री जगतवीर सिंह द्रोण :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में खाद्यान्नों के भंडारण की समस्या का सामना कर रही है;

(ख) क्या हाल ही में खुले पड़े खाद्यान्नों का भारी स्टाक क्षतिग्रस्त हो गया है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1995 के दौरान प्रत्येक राज्य में अनुमानतः कितनी मात्रा में खाद्यान्नों को क्षति पहुंची और इससे प्रत्येक राज्य को कितना घाटा हुआ/आर्थिक हानि हुई;

(घ) खाद्यान्नों की पुरानी तथा नई फसल के भंडारण के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है/करने का विचार है;

(ङ) देश के विभिन्न भागों में खाद्यान्नों की भण्डारण सुविधाओं तथा उनकी क्षमताओं संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार के पास–विभिन्न राज्यों में और ज्यादा गोदामों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (घ) केन्द्रीय पूल में स्टाक का भंडारण करने के लिए मैक्रो स्तर पर वर्तमान भंडारण क्षमता प्रर्याप्त है। पहली अक्तूबर, 1995 को स्थिति के अनुसार, 27.92 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता के प्रति, भारतीय खाद्य निगम के पास अपने अथवा किराये के गोदामों में 19.36 मिलियन मीटरी टन खाद्य का स्टाक था। तथापि, भारी वसूली के क्षेत्रों (पंजाब और हरियाणा), प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रों और पहाड़ी तथा अगम्य क्षेत्रों जैसी कुछ पाकेटों में परिचालन अथवा संभार–तंत्र सम्बन्धी बाधाओं के कारण समस्याएं उत्पन्न हो ही जाती हैं। इन समस्याओं पर काबू पाने के उद्देश्य से, भारतीय

खाद्य निगम के फील्ड अधिकारियों को केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगमों जैसी सरकारी एजेंसियों, राज्य सरकार की एजेंसियों तथा प्राइवेट पार्टियों से अतिरिक्त भंडारण क्षमता किराए पर लेने के लिये पर्याप्त शक्तियां प्रयायोजित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम गोदामों के अपने निर्माण कार्यक्रम को तेज कर रहा है।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम कवर और प्लिंथ (कैप) में वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर खाद्यान्नों का भंडारण करता है। प्राकृतिक आपदाओं, जैसे पंजाब और हरियाणा में बाढ़, के कारण स्टाक को कुछ क्षति पहुंची है और प्रभावित स्टाक में से अच्छे स्टाक को निकालने का कार्य प्रगति पर है। अभी तक 2106 मीटरी टन खाद्यान्न क्षतिग्रस्त स्टाक के रूप में घोषित किए गए हैं।

(ड़) एक विवरण संलग्न है (उपाबंध –1)।

(च) और (छ) एक विवरण संलग्न है (उपाबंध–2)।

उपाबंध-1

1.10.1995 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम की कुल भंडारण क्षमता, स्टाक और क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण।

(लाख मीटरी टन)

क्र.सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	भंडारण क्षमता ढकी हुई क्षमता	कैप क्षमता	जोड़	रखा गया स्टाक	उपयोग की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1.	अरूणाचल प्रदेश	0.13	-	0.13	0.03	21
2.	आंध्र प्रदेश	20.85	3.00	23.85	12.61	53
3.	असम	2.80	-	2.80	1.37	49
4.	बिहार	6.21	-	6.21	3.82	61
5.	गोवा	0.15	-	0.15	0.10	64
6.	गुजरात	8.43	6.20	14.63	9.43	64
7.	हरियाणा	15.00	3.14	18.14	10.96	60
8.	हिमाचल प्रदेश	0.25	-	0.25	0.31	122
9.	जम्मू और कश्मीर	0.84	0.13	0.97	0.53	63
10.	कर्नाटक	3.83	0.31	4.14	2.11	51
11.	केरल	5.42		5.42	3.86	71
12.	मध्य प्रदेश	15.62	1.48	17.10	13.77	81
13.	महाराष्ट्र	16..40	2.25	18.65	11.24	60
14.	मणिपुर	0.14	-	0.14	0.03	18
15.	मेघालय	0.17	-	0.17	0.08	43
16.	मिजोरम	0.15	-	0.15	0.07	46
17.	नागालैंड	0.18	-	0.18	0.04	20
18.	उड़ीसा	4.22	-	4.22	2.21	52
19.	पंजाब	57.44	23.66	81.10	63.24	78
20.	राजस्थान	10.95	8.18	19.13	17.55	92
21.	सिक्किम	0.09	-	0.09	0.02	28

1	2	3	4	5	6	7
22.	तमिलनाडु	60.62	-	60.62	4.51	59
23.	त्रिपुरा	0.35	-	0.35	0.22	63
24.	उत्तर प्रदेश	29.64	6.58	36.22	26.29	73
25.	पश्चिम बंगाल	12.20	-	12.20	6.45	53
26.	चण्डीगढ़	0.88	0.07	0.95	0.84	89
27.	दिल्ली	3.69	0.12	3.81	1.78	47
28.	पाण्डिचेरी	0.41	-	0.41	0.15	37
	जोड़ :	224.06	55.12	279.18*	193.62	69

टिप्पणी : * इसमें केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों से किराए पर ली गई 52.61 लाख मीटरी टन की क्षमता शामिल है।

उपाबंध -2

वार्षिक योजना 1995-96 में भारतीय खाद्य निगम के निर्माण कार्यक्रम का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं०	केन्द्र (राज्य)	क्षमता (हजार मीटरी टन में)
1.	बेल्लारी (कर्नाटक)	10.00
2.	कुल्लु (हिमाचल प्रदेश)	1.67
3.	जोवई (मेघालय)	5.00
4.	श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)	5.00
5.	कटनी (मध्य प्रदेश)	10.00
6.	जम्मीकुंटा (आंध्र प्रदेश)	10.00
7.	काजीपेट (आंध्र प्रदेश)	15.00
8.	जंगापल्ली (आंध्र प्रदेश)	15.00
9.	पटियाला (पंजाब)	29.18
10.	धुरी (पंजाब)	21.69
11.	राय बरेली (उत्तर प्रदेश)	20.00
	जोड़ :	142.54

[हिन्दी]

खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत क्षेत्र

*36. **श्री नीतीश कुमार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान देश के कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार गत तीन वर्षों की तुलना में इस समय खाद्यान्न उत्पादन के लिए कुल कितने कृषि भूमि–क्षेत्र का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या देश में कृषि उत्पादन की औसत दर में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो 1991-92 तथा 1994-95 में गेहूं, चावल, फलों, सब्जियों, कपास, तिलहनों एवं दालों की उत्पादन दर एवं राष्ट्रीय स्तर पर औसत उत्पादन–दर कितनी–कितनी रही?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत कुल क्षेत्र करीब 123.00 मिलियन हैक्टेयर है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल खाद्यान्नों के अंतर्गत वर्षवार क्षेत्र इस प्रकार रहा है :–

वर्ष	क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर में)
1992-93	123.15
1993-94	122.75
1994-95	123.55

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय स्तर पर 1991-92 तथा 1994-95 के दौरान उत्पादन (उत्पादकता) की प्रति हैक्टेयर औसत दर इस प्रकार है :–

(पैदावार कि.ग्रा./हैक्टेयर)

फसल	1991-92	1994-95
कुल खाद्यान्न	1382	1547
गेहूं	2394	2553
चावल	1751	1921
कपास	216	260
तिलहन	719	848
दालें	533	609
फल	9951	उ.न.
सब्जियां	10460	उ.न.

[अनुवाद]

महिला आयोग

*37. **श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम तथा संख्या क्या है जिनमें महिला आयोगों का गठन कर लिया गया है;

(ख) शेष राज्य सरकारों को ऐसे आयोग गठित करने हेतु प्रेरित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इन आयोगों के गठन तथा इनके दैनिक कार्यक्रम के लिए वित्तीय अंशदान देती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) सात राज्यों, नामतः असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल ने महिला आयोगों की स्थापना कर ली है।

(ख) केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से अनुरोध करती रही है कि ये राज्य महिला आयोगी की स्थापना करें। अप्रैल 1995 में आयोजित मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान भी इस मामले पर चर्चा की गयी और मानव संसाधन विकास मंत्री ने राज्य मंत्रियों से आयोगों की स्थापना करने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया है।

(ग) से (ङ) राज्य महिला आयोगों की स्थापना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। इसमें केन्द्र सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी कोई स्कीम नहीं चलाई जाती जिसके अन्तर्गत राज्य महिला आयोगों का निर्वाचन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता हो।

राज्यों को आवश्यक वस्तुओं का आवंटन

*38. **प्रो. के. वी. थामस :**

डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 के दौरान प्रत्येक राज्य विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों द्वारा कुल कितने गेंहू, चावल, चीनी, खाद्य तेलों और मिटटी के तेल की मांग की गई और उन्हें कितनी मात्रा में इन वस्तुओं की सप्लाई की गई;

(ख) क्या राज्य सरकारों से उनका कोटा बढ़ाए जाने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्रीय सराकर द्वारा इन अनुरोधों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) वर्ष 1996 के दौरान केन्द्रीय सरकार का विचार राज्यों की मांग को किस तरह से पूरा करने का है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) 1995 (जनवरी से अक्तूबर, 1995) के दौरान विभिन्न राज्यों को आवंटित गेंहू, चावल, चीनी, खाद्य तेल और मिटटी के तेल की कुल मात्रा का बताने वाला विवरण-I संलग्न है। राज्यों के लिए समग्र रूप में आवंटन किए जाते है और पहाड़ी क्षेत्रों सहित, यदि कोई हो, राज्यों के अन्दर वितरण करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। 1995 के दौरान असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, दादर और नागर हवेली तथा दमण और दीव से गेंहू के अतिरिक्त आवंटन और/अथवा गेंहू के उनके मासिक कोटे में वृद्धि करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए है। इसी प्रकार असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु तथा दमन और दीव से 1995 के दौरान चावल के अतिरिक्त आवंटन और/अथवा उनके कोटे में वृद्धि करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 1995 (जनवरी—अक्तूबर) के दौरान चावल और गेंहू के किए गए अतिरिक्त आवंटनों को बताने वाला विवरण-II संलग्न है।

आयातित खाद्य तेलों की अनुपूरक प्रकृति होने की वजह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से की जा रही आपूर्ति के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता, उठान का स्तर आदि को ध्यान में रखकर यथासंभव सीमा तक अधिक आवंटन किए जाते हैं।

यद्यपि, समय—समय पर मिट्टी के तेल के लिए अतिरिक्त आवंटन करने हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। परंतु उत्पाद की उपलब्धता में बाधा होने, विदेशी मुद्रा और इससे जुड़ी भारी सब्सिडि के कारण पूरी मांग को पूरा करना संभव नहीं है। तथापि, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान पिछले वर्षो की तुलना में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए मिट्टी के तेल के आबंटनों में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।

जहां तक चीनी का संबंध है, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त मांग के आधार पर लेवी चीनी के आवंटन नहीं किए जाते हैं। तथापि, सितम्बर, 1995 से राज्यों के लेवी चीनी के मासिक कोटे में 5% की तदर्थ वृद्धि की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, सरकार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की पसन्द के महीने/महीनों में उन्हें त्यौहार कोटे के रूप में प्रति वर्ष लगभग 1.00 लाख मीटरी टन लेवी चीनी निर्मुक्त करती है।

(ङ) देश में चावल, गेहूं और चीनी का पर्याप्त स्टाक है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फिलहाल कोई गंभीर परेशानी दिखाई नहीं देती। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्य तेल की आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी की जाती है और मिट्टी के तेल की आवश्यकता को आंशिक रूप से आयात द्वारा और आंशिक रूप से स्वदेशी उत्पादन से पूरा किया जाता है।

विवरण-I

1995 (जनवरी-अक्तूबर, 1995) के लिए गेंहू, चावल, चीनी, खाद्य तेलों और मिट्टी के तेल के आवंटन बताने वाला विवरण।

(हजार मीटरी टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गेंहू	चावल	चीनी	खाद्य तेल	मिट्टी का तेल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	159.00	2080.00	261.81	52.60	458.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	6.00	89.70	3.33	0.30	7.16
3.	असम	300.00	436.70	99.56	0.60	190.04
4.	बिहार	588.00	318.00	342.72	0.00	444.47
5.	गोवा	34.00	54.00	5.10	3.20	20.49
6.	गुजरात	664.00	345.00	167.97	43.90	613.38
7.	हरियाणा	175.92	44.00	66.24	0.10	117.69
8.	हिमाचल प्रदेश	120.00	120.00	20.01	1.20	31.21
9.	जम्मू और कश्मीर	300.00	440.00	26.71	0.50	65.58
10.	कर्नाटक	300.00	1202.60	184.20	9.00	345.85
11.	केरल	440.00	1500.00	123.51	1.50	205.00
12.	मध्य प्रदेश	486.60	485.60	256.01	2.50	349.64
13.	महाराष्ट्र	940.00	715.00	310.13	25.50	1153.20
14.	मणिपुर	27.00	100.00	7.43	0.20	17.69
15.	मेघालय	21.50	136.00	6.94	0.20	13.54
16.	मिजोरम	20.00	79.60	2.90	0.90	5.27
17.	नागालैंड	22.20	04.50	4.54	4.10	8.77
18.	उड़ीसा	350.00	557.50	128.45	12.00	139.24
19.	पंजाब	124.00	13.50	80.86	0.00	224.31
20.	राजस्थान	1194.10	44.00	173.47	0.30	235.70
21.	सिक्किम	10.00	48.00	1.71	0.72	21.14
22.	तमिलनाडु	250.00	1175.00	233.48	6.00	478.73
23.	त्रिपुरा	18.00	162.00	10.65	0.50	43.37
24.	उत्तर प्रदेश	988.00	458.00	549.52	0.00	787.54
25.	पश्चिम बंगाल	873.60	748.00	269.47	17.50	565.16
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.40	29.00	3.05	0.09	3.46
27.	चंडीगढ़	18.00	3.00	4.12	0.10	15.80
28.	दादरा और नागर हवेली	2.10	5.00	0.53	0.48	2.35
29.	दमन और दीव	1.60	5.20	0.40	0.75	2.24
30.	दिल्ली	690.00	200.00	103.31	2.51	183.91
31.	लक्षद्वीप	0.50	6.30	0.86	0.21	0.66
32.	पांडिचेरी	7.50	20.00	3.52	4.71	11.22
	जोड़ :	9140.92	11684.50	3452.51	192.17	6762.31

विवरण-II

वर्ष 1995 के लिए चावल, और गेंहू के अतिरिक्त उठान बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

		जनवरी		फरवरी		मार्च		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर	
क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	चावल	गेंहू	चावल	गेंहू	चावल	गेंहू	चावल	गेंहू	चावल	गेंहू	चावल	गेंहू	चावल	गेंहू	चावल	गेंहू	चावल	गेंहू	चावल	गेंहू
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	-	3.00	-	3.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	3.50	-	-	-	5.00	-	-	-	-	425+1	-	-	4.25+1	-	1.00	-
3.	असम	-	10.00	-	10.00	-	10.00	-	10.00	-	10.00	15.00	10.00	-	10.00	10.90	10.00	10.90	10.00	15.90	10.00
4.	बिहार	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20
5.	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	1.30	3.00	1.30	3.00	1.30
6.	गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.50	-	21.50	-	21.50	-	21.50	-	21.50	-	21.50
7.	हिमाचल प्रदेश	5.10	2.00	5.10	2.00	5.10	2.00	5.10	2.00	5.10	2.00	5.10	2.00	5.10	2.00	5.10	2.00	5.10	2.00	5.10	2.00
8.	कर्नाटक	51.76	5.00	51.76	5.00	51.76	5.00	51.76	5.00	51.76	5.00	51.76	5.00	51.76	5.00	51.76	5.00	51.76	5.00	51.76	5.00
9.	केरल	-	5.00	-	5.00	-	5.00	-	5.00	-	15.00	-	15.00	-	15.00	-	35.00	-	20.00	-	20.00
10.	मध्य प्रदेश	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66
11.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-	20.00	-	20.00
12.	मेघालय	2.50	-	2.50	-	2.50	-	2.50	-	2.50	-	2.50	-	2.50	-	4.50	0.50	4.50	0.50	4.50	0.50
13.	मिजोरम	-	0.90	6.00	0.90	-	0.90	-	0.90	-	0.90	-1.50	0.90	-1.50	0.90	-1.50	0.90	1.50	0.90	-	0.90
14.	नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-	-	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-	-	-	-
15.	उड़ीसा	8.80	10.00	8.80	10.00	8.80	10.00	8.80	10.00	8.80	10.00	8.80	10.00	8.80	10.00	36.30	10.00	36.30	10.00	36.30	10.00
16.	राजस्थान	-	9.91	-	9.91	-	9.91	-	9.91	-	9.91	-	9.91	-	9.91	-	9.91	-	9.91	-	9.91
17.	सिक्किम	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40
18.	तमिलनाडु	29.20	5.00	29.20	5.00	29.20	5.00	29.20	5.00	54.20	5.00	54.20	5.00	54.20	5.00	54.20	5.00	54.20	5.00	54.20	5.00
19.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	10.00	10.00	10.00	-	-	-	15.00	-	15.00
20.	अं० और नि० द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	1.00
	जोड़	112.52	63.07	118.52	63.07	116.02	63.07	137.52	85.07	142.52	114.57	161.02	126.57	146.02	126.57	176.17	141.37	176.17	139.37	189.92	140.37

टिप्पणी : दमण और दीव के लिए चावल और गेंहू के सामान्य मासिक आवंटन सितम्बर, 1995 से क्रमशः 100 मीटरी टन और 50 मीटरी टन बढ़ा दिए गए थे। इसी प्रकार सितम्बर, 1995 से दादर और नागर हवेली के लिए गेंहू के सामान्य मासिक आवंटन 50 मीटरी टन बढ़ा दिए गए थे।

प्रदूषणकारी उद्योगों का स्थानांतरण

***39. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री तारा सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली से अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों को तुरंत हटाए जाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने के लिए निदेश देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 25.8.1995 के अपने आदेशों के तहत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश दिया है कि वह प्रथम चरण में परिसंकटमय उद्योगों (एच श्रेणी) को स्थानान्तरित करने के बारे में तत्काल कदम उठाए।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एच श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 1226 ऐसे उद्योगों की पहचान की है। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, इन उद्योगों को दिल्ली से बाहर पुनः स्थापित किया जाना है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इस बारे में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 15.11.1995 के अपने आदेश में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया है कि यदि उद्योग अपने श्रेणीकरण की पुनरीक्षा करने के लिए अपनी आपत्तियां दायर करते हैं, तो वह दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा किए गए उद्योगों के श्रेणीकरण की जांच करें।

(घ) और (ङ) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत कार्यान्वयन प्राधिकरण और यह माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

***40. श्री पीयूष तीरकी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) एक वर्ग के विद्यार्थियों और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा हिंसा, आगजनी और विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं जाने की घटना के बाद से ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (ए.एम.यू.) को 15 नवंबर, 1995 से अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया था।

(ग) विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा छात्रावासों में आपराधिक तत्वों और अनधिकृत रूप से रह रहे व्यक्तियों को पहचानने और उन्हें निकाल बाहर करने, विश्वविद्यालय को बंद कराने के लिए उत्तरदायी और घटना में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा अवांछित तत्वों को वहां से निकालने जैसे सुधारात्मक कार्यों के संबंध में विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

मत्स्यकी प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र

183. श्री एन. जे. राठवा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर गुजरात राज्य के पिछड़े/ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में मत्स्य पालन हेतु ग्रामीण शिक्षित आदिवासी युवकों को कितनी सहायता राशि प्रदान की गयी है ;

(ख) मीठे जल और खारे जल में, विशेषकर गुजरात में मत्स्य पालन हेतु लागू की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य वार प्रदान की गयी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) सहायता प्रदान करने हेतु क्या दिशा–निर्देश निर्धारित किये गये हैं;

(ङ) राज्यवार मत्स्य पालन/झींगा पालन हेतु किसानों और युवाओं के प्रशिक्षण देने हेतु इस समय प्रदर्शन सह–प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं और यह कहां–कहां स्थित हैं;

(च) क्या सरकार का विचार देश में इस प्रकार के और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) गुजरात सहित देश में ग्रामीण शिक्षित आदिवासी युवकों को मात्स्यिकी विकास हेतु सहायता प्रदान करने के लिए 1995-96 के दौरान आदिवासी उप योजना के अंतर्गत ताजे पानी में मछली पालन के विकास हेतु 110.00 लाख रुपये तथा मछुआरों का कल्याण के तहत 25.00 लाख रुपये नियत किए गए हैं। बहरहाल कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है और राज्य सरकारों से प्रस्ताव आने पर धनराशि जारी कर दी जाती है।

(ख) ताजे पानी तथा खारे पानी में मत्स्य पालन के विकास संबंधी केन्द्र प्रयोजित योजनाएं मत्स्यपालक विकास एजेन्सियों तथा खारा पानी मत्स्यपालक विकास एजेन्सियों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। ये एजेन्सियां मत्स्य/श्रिम्प पालकों को तकनीकी, वित्तीय तथा विस्तार संबंधी पैकेज सहायता प्रदान करती है। ताजापानी मत्स्यपालन के अंतर्गत नए तालाबों के निर्माण, पुराने तालाबों तथा जलाशयों के जीर्णोद्वार, प्रथम

वर्ष के आदानों, बहते पानी में मत्स्यपालन, उत्पादन बढ़ाने के लिए एयरेटरों एकीकृत मत्स्यपालन, बीज हैचरियों तथा आहार मिलों की स्थापना आदि के लिए सहायत दी जाती है। खारे पानी में मछली पालन के अंतर्गत श्रिम्प फार्मों के विकास, प्रथम फसल आदान, श्रिम्प हैचरियों आदि के लिए सहायता दी जाती है।

जहां तक गुजरात राज्य का संबंध है। 17 मत्स्य पालक विकास एजेन्सियां तथा 3 खारा पानी मत्स्यपालक विकास एजेन्सियां स्थापित की जा चुकी हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान मत्स्य पालक विकास एजेन्सी/खारा पानी मत्स्य पालक विकास एजेन्सी योजना के अंतर्गत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रदत्त केन्द्रीय सहायता का विवरण-I संलग्न है।

(घ) मत्स्यपालक विकास एजेन्सियों/खारा पानी मत्स्यपालक विकास एजेन्सियों के माध्यम से ताजा पानी/खारा पानी मत्स्यपालन विकास के लिए केन्द्रीय सहायता संबंधित राज्यों को इन योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम के वास्तविक तथा वित्तीय कार्य निष्पादन के आधार पर जारी की जाती है।

(ङ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-II में है।

(च) और (छ) राज्यों /केन्द्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव आने पर चालू योजनाओं के अंतर्गत और अधिक संख्या में प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएंगे।

विवरण-I

मत्स्यपालक विकास एजेन्सी/खारापानी मत्स्यपालक विकास एजेन्सी योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93		1993-94		1994-95	
		म.पा. वि.ए.	ख.म. वि.ए.	म.पा. वि.ए.	ख.म. वि.ए.	म.पा. वि.ए.	ख.म. वि.ए.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	22.00	73.12	22.00	26.00	26.00	52.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.00	-	13.00	-	22.00	-
3.	असम	12.00	-	82.00	-	23.00	-
4.	बिहार	39.00	-	59.00	-	49.00	-
5.	गोवा	-	-	-	2.00	-	1.00
6.	गुजरात	15.00	11.50	17.00	36.16	17.00	6.00
7	हरियाणा	21.00	-	36.00	-	24.00	-
8.	हिमाचल प्रदेश	2.00	-	7.00	-	2.00	-
9.	जम्मू व कश्मीर	2.00	-	7.00	-	2.00	-
10.	कर्नाटक	11.00	-	11.00	2.00	34.00	13.10
11.	केरल	14.00	-	14.00	61.00	14.00	37.50
12.	मध्य प्रदेश	34.00	-	120.00	-	97.50	-
13.	महाराष्ट्र	-	-	-	4.00	30.00	24.19
14.	मणिपुर	9.00	-	7.00	-	13.00	-
15.	मेघालय	1.00	-	1.00	-	-	-
16.	मिजोरम	5.00	-	8.00	-	14.00	-
17.	नागालैंड	4.00	-	2.00	-	18.00	-
18.	उड़ीसा	33.00	67.50	76.00	71.53	57.00	15.90
19.	पंजाब	31.00	-	27.00	-	26.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	राजस्थान	16.00	-	15.00	-	18.00	-
21.	सिक्किम	2.00	-	1.00	-	3.00	-
22.	तमिलनाडु	30.00	47.00	13.00	10.00	13.00	5.00
23.	त्रिपुरा	13.00	-	16.00	-	48.50	-
24.	उत्तर प्रदेश	111.00	-	161.00	-	170.00	-
25.	पश्चिम बंगाल	79.00	-	140.00	3.00	174.00	101.94
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	5.00	-	-
27.	पांडिचेरी	1.00	-	1.00	-	-	-
	कुल :	515.00	119.12	856.00	220.69	895.00	256.63

म.पा. वि.ए. – मत्स्य पालक विकास एजेन्सी

ख.म. वि.ए. – खारापानी मत्स्य पालक विकास एजेन्सी

विवरण-II

सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्थापना/उन्नयन हेतु स्वीकृत प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्यवार सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	योजना का नाम: ताजापानी मत्स्यपालन संख्या	स्थान	खारापानी मत्स्यपालन संख्या	स्थान	विश्व बैंक सहायता प्राप्त श्रिम्प एवं मत्स्यपालन परियोजना संख्या	स्थान	मात्स्यिकी प्रशिक्षण एवं विस्तार संख्या	योग स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1	मचलीपत्तनम	1	पोलेकुरू	-		-	2
2.	असम	1	शिबसागर	-		-		-	1
3.	गोवा	-		1	दाऊजी	-		-	1
4.	गुजरात	-		1	मटवाड	-		-	2
5.	हरियाणा	1	ज्योतीसार	-		-		1 लहिती बनियानी	2
6.	हिमाचल प्रदेश	1	देवली	-		-		2 देवली	3
7.	जम्मू व कश्मीर	1	गोमानसन	-		-		2 कोगेरनाग और खतवा	3
8.	कर्नाटक	1	रायपुर	1		-		2 शिमोगा मालपे	4
9.	केरल	-		1	मुलावाकु	-		-	1
10.	मध्य प्रदेश	1	छतरपुर	-		-		1 रायपुर	2
11.	महाराष्ट्र	1	नवगांव	1	बडापोखरन	-		-	2
12.	मणिपुर	1	इम्फाल	-		-		-	1
13.	मेघालय	1	मापेन	-		-		1 शिलॉंग	2
14.	मिजोरम	1	तजांवल	-		-		1 तमडिल	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	नागालैंड	1	दीमापुर	-		-		1 घासपानी	2
16.	उड़ीसा	1	कौशल्यागंगा	1	पारादीप	1	चन्द्रभागा	-	3
17.	पंजाब	1	संगरूर	-		-		2 नाथना फीरोजपुर	3
18.	राजस्थान	1	गुवारडी	-		-		-	1
19.	तमिलनाडु	1	मद्रास	1	करगांडू	-		-	2
20.	त्रिपुरा	1	उदयपुर	-		-		1 लैम्बूचेरा	2
21.	उत्तर प्रदेश	1	जौनपुर	-		-		-	1
22.	पश्चिम बंगाल	1	एस-24 परगना	1		1	डीगा	1 कुलिया	4
	कुल :	19		9		2		15	45

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की कमी

184. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश दक्षिणी राज्यों में विशेषकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति हेतु अभी भी खाद्यान्नों की भारी कमी है, जबकि भारतीय खाद्य निगम के पास उत्तरी राज्यों में भार सुरक्षित भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवंटनों को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों की कमी नहीं है। दक्षिणी राज्यों में खाद्यान्नों की स्थिति की दैनिक आधार पर मानिटरिंग की जाती है और दक्षिण राज्यों में बफर स्टाक बनाने के लिए अधिकतम स्टाक उपलब्ध करवाने हेतु सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। गेहूं और चावल की राज्यवार स्टाक स्थिति, आवंटन, उठान, संचलन योजना और पारेषण बताने वाला विवरण I से IV संलग्न है।

विवरण-I

स्टाक, आवंटन, उठान, और संचलन की स्थिति

क्षेत्र	आंध्र प्रदेश							धान का छोड़कर
वर्ष / महीना	माह/वर्ष की पहली तारीख को स्थिति के अनुसार स्टाक की स्थिति		सार्वजनिक वितरण प्रणाली					
			गेहूं			चावल		
	गेहूं	चावल	आवंटन	उठान	प्रतिशतता	आवंटन	उठान	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1990-91	123.2	875.2	370.0	121.4	32.8	1565.0	1368.4	87.4
1991-92	120.2	2032.1	276.0	153.7	55.7	2283.0	2169.1	95.0
1992-93	16.3	848.8	143.0	145.5	101.7	1929.4	1896.9	98.3
1993-94								
अप्रैल	60.2	1246.8	11.3	10.3	91.2	190.0	179.8	94.6
मई	75.3	1381.3	11.3	5.0	44.2	190.0	181.4	95.5
जून	385.7	1609.8	15.0	8.4	56.0	190.0	198.0	104.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जुलाई	143.4	1543.7	15.0	3.4	22.7	190.0	105.3	55.4
अगस्त	213.5	1352.9	15.0	10.0	66.7	190.0	189.6	99.7
सितम्बर	257.3	1168.3	15.0	11.6	77.3	190.0	184.6	97.2
अक्तूबर	375.3	855.6	15.0	11.8	78.7	190.0	190.04	100.2
नवम्बर	481.3	726.5	15.0	12.0	80.0	190.0	188.7	99.3
दिसम्बर	524.1	661.0	15.0	10.9	72.7	190.0	191.2	100.6
जनवरी	498.8	1077.6	15.0	13.3	88.7	190.0	185.4	97.6
फरवरी	496.2	1638.6	15.0	11.1	74.0	190.0	195.1	102.7
मार्च	494.0	1739.2	15.0	9.4	62.7	190.0	183.3	96.5
जोड़ :			172.6	117.2	68.1	2280.0	2172.8	95.2
1994-95								
अप्रैल	492.3	1658.9	15.0	5.5	36.7	125.0	136.4	109.1
मई	517.7	1810.7	15.0	4.5	30.0	165.0	157.5	95.5
जून	523.0	1997.6	15.0	4.4	30.0	190.0	190.5	100.3
जुलाई	542.9	1991.7	15.0	8.4	56.0	190.0	188.8	99.4
अगस्त	675.6	1767.4	15.0	11.2	74.7	190.0	196.2	103.3
सितम्बर	588.6	1420.5	15.0	9.5	63.3	190.0	188.3	99.1
अक्तूबर	582.2	1060.9	15.0	9.5	63.3	190.0	169.7	89.3
नवम्बर	587.6	962.4	15.0	9.7	64.7	190.0	185.7	97.7
दिसम्बर	575.3	782.4	15.0	12.8	85.3	190.0	188.6	99.3
जनवरी	576.7	1141.9	15.0	11.7	78.0	190.0	179.3	94.4
फरवरी	605.8	1535.0	15.0	13.1	87.0	190.0	198.9	104.7
मार्च	501.6	1693.3	15.0	8.9	59.3	210.0	198.2	94.4
जोड़ :			180.0	109.2	60.7	2230.0	2178.2	97.7
1995-96								
अप्रैल	430.3	1560.5	15.0	8.8	58.7	210.0	187.3	89.2
मई	348.8	1635.1	15.0	5.3	35.3	210.0	198.7	94.6
जून	324.4	1929.7	15.0	6.4	42.7	210.0	206.2	98.2
जुलाई	310.4	1018.9	15.0	8.5	56.7	210.0	196.7	93.7
अगस्त	269.2	1625.8	15.0	9.8	65.3	210.0	183.2	87.2
सितम्बर	221.4	1279.8	15.0	10.7	71.3	210.0	198.6	94.6
अक्तूबर	162.3	833.7	15.0	10.5	70.0	210.0	191.9	91.4
नवम्बर	126.8	474.9	18.0	-	-	210.0	-	-
दिसम्बर	-	-	15.0	-	-	210.0	-	-

विवरण-II

स्टाक, आवंटन, उठान, और संचलन की स्थिति

क्षेत्र कर्नाटक धान का छोड़कर

वर्ष महीना	माह/वर्ष की पहली तारीख को स्थिति के अनुसार स्टाक की स्थिति		सार्वजनिक वितरण प्रणाली					
			गेहूं			चावल		
	गेहूं	चावल	आवंटन	उठान	प्रतिशतता	आवंटन	उठान	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1990-91	27.0	66.1	375.0	340.4	90.8	589.0	524.4	89.0
1991-92	45.5	210.5	467.0	450.6	96.5	622.0	612.9	98.5
1992-93	12.5	106.9	300.0	297.3	99.1	803.5	736.8	91.7
1993-94								
अप्रैल	65.6	215.9	20.0	15.8	79.0	68.5	49.0	71.5
मई	83.7	246.4	20.0	17.3	86.5	68.5	51.5	75.2
जून	76.6	283.3	25.0	19.1	76.4	68.5	42.6	62.1
जुलाई	68.0	318.6	25.0	23.6	94.4	68.5	49.1	71.7
अगस्त	74.0	299.4	25.0	23.2	92.8	68.5	52.1	76.1
सितम्बर	86.7	282.1	25.0	22.1	88.4	68.5	49.2	71.8
अक्तूबर	92.6	286.8	25.0	23.8	95.6	68.5	56.4	82.3
नवम्बर	108.3	263.4	25.0	23.7	94.8	68.5	55.8	81.5
दिसम्बर	101.5	248.6	25.0	24.2	96.8	68.5	57.9	84.5
जनवरी	98.1	280.1	25.0	23.2	92.8	68.5	59.6	87.0
फरवरी	93.0	301.1	25.0	21.6	86.4	68.5	39.8	58.1
मार्च	86.2	326.2	30.0	18.9	63.0	75.0	33.3	44.4
जोड़ :			295.00	256.5	86.9	828.5	596.3	72.0
1994-95								
अप्रैल	64.3	327.3	30.0	20.2	67.3	75.0	43.8	58.4
मई	80.0	348.9	30.0	19.1	64.0	75.0	44.7	59.6
जून	77.8	324.7	30.0	19.9	66.3	75.0	45.6	60.8
जुलाई	96.8	302.6	30.0	22.4	74.3	120.3	52.2	43.4
अगस्त	70.0	286.3	30.0	21.9	73.3	120.3	52.7	46.3
सितम्बर	66.3	259.0	30.0	21.5	71.7	120.3	58.0	48.2
अक्तूबर	68.2	242.7	30.0	22.5	75.0	120.2	58.5	48.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
नवम्बर	75.2	213.2	30.0	22.4	74.7	120.3	64.9	53.9
दिसम्बर	83.4	214.6	30.0	23.2	70.3	120.3	62.7	52.0
जनवरी	111.2	199.2	30.0	23.1	78.0	120.2	64.8	53.8
फरवरी	96.5	218.2	30.0	23.7	79.0	120.2	67.7	56.3
मार्च	71.7	178.0	30.0	22.5	75.0	120.3	59.4	49.4
जोड़ :			360.0	262.4	72.9	1307.4	678.0	51.9
1995-96								
अप्रैल	41.7	168.6	30.0	14.7	49.0	120.3	77.1	64.1
मई	54.7	181.4	30.0	15.5	51.7	120.3	81.9	68.1
जून	58.8	153.0	30.0	15.4	51.3	120.3	78.2	65.0
जुलाई	61.9	151.9	30.0	16.9	56.3	120.3	79.8	66.3
अगस्त	40.4	126.9	30.0	20.3	67.7	120.3	78.0	64.8
सितम्बर	56.0	135.4	30.0	21.6	72.0	120.3	79.3	65.9
अक्तूबर	34.8	154.5	30.0	30.0	66.7	120.3	73.8	61.3
नवम्बर	51.6	190.4	30.0	-	-	120.3	-	-
दिसम्बर	-	-	30.0	-	-	120.3	-	-

विवरण-III

स्टाक, आवंटन, उठान, और संचलन की स्थिति

क्षेत्र केरल — धान को छोड़कर

वर्ष / माह	माह/वर्ष की पहली तारीख को स्थिति के अनुसार स्टाक की स्थिति		सार्वजनिक वितरण प्रणाली					
			गेहूं			चावल		
	गेहूं	चावल	आवंटन	उठान	प्रतिशतता	आवंटन	उठान	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1990-91	12.7	164.3	255.0	244.7	96.0	1652.5	1536.2	93.0
1991-92	63.4	259.5	354.0	331.7	93.7	1782.5	1790.1	100.4
1992-93	26.8	365.6	305.8	283.3	92.6	1792.0	1777.9	99.2
1993-94								
अप्रैल	84.9	340.7	25.0	22.7	90.8	150.0	145.1	96.7
मई	83.2	337.8	25.0	16.0	64.0	150.0	129.7	84.5
जून	77.7	385.0	25.0	26.8	107.2	150.0	129.7	86.5
जुलाई	62.1	413.5	25.0	23.3	93.2	150.0	155.0	103.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अगस्त	67.7	403.5	40.0	16.8	62.0	175.0	172.7	98.7
सितम्बर	75.7	394.7	30.0	42.6	142.0	150.0	120.0	80.0
अक्तूबर	52.6	442.6	30.0	32.6	108.7	150.0	143.5	95.7
नवम्बर	47.2	419.6	30.0	31.7	105.7	150.0	138.0	92.0
दिसम्बर	70.3	431.0	30.0	34.6	115.0	150.0	160.9	107.3
जनवरी	65.8	406.4	30.0	22.9	76.3	150.0	123.7	82.5
फरवरी	71.6	405.4	30.0	21.1	70.3	150.0	89.7	59.8
मार्च	95.7	473.9	30.0	24.4	81.3	150.0	71.4	47.6
जोड़ :			350.0	315.5	90.1	1825.0	1579.4	86.5
1994-95								
अप्रैल	86.2	469.6	30.0	23.0	76.3	150.0	59.7	39.8
मई	64.3	420.8	35.0	28.5	81.4	150.0	72.4	48.3
जून	57.6	395.4	35.0	29.9	85.4	150.0	97.2	64.8
जुलाई	56.6	361.7	35.0	35.9	102.6	150.0	110.1	73.4
अगस्त	58.2	349.6	35.0	32.4	92.6	150.0	105.8	70.5
सितम्बर	62.2	353.9	50.0	28.3	56.6	150.0	102.9	68.6
अक्तूबर	77.3	350.7	35.0	39.1	112.0	150.0	89.1	59.4
नवम्बर	77.7	349.7	35.0	35.4	100.0	150.0	81.5	54.3
दिसम्बर	68.9	335.2	50.0	46.7	93.2	150.0	110.9	73.9
जनवरी	47.3	336.3	35.0	31.1	88.9	150.0	99.7	66.4
फरवरी	42.9	335.3	35.0	25.6	73.1	150.0	95.6	63.7
मार्च	27.2	332.0	35.0	30.0	85.7	150.0	93.2	62.1
जोड़ :			445.0	386.8	86.9	1800.0	1118.1	62.1
1995-96								
अप्रैल	19.2	360.9	35.0	28.0	80.0	150.0	80.8	53.9
मई	27.0	384.8	45.0	38.5	85.6	150.0	93.3	62.2
जून	14.4	354.2	45.0	44.5	98.9	150.0	99.7	66.5
जुलाई	20.6	334.4	45.0	45.3	100.7	150.0	101.9	67.9
अगस्त	34.9	330.9	65.0	58.2	89.5	150.0	118.0	78.7
सितम्बर	57.1	291.5	50.0	50.2	100.4	150.0	85.9	57.3
अक्तूबर	62.8	294.1	50.0	50.5	101.0	150.0	91.1	60.7
नवम्बर	54.3	308.1	50.0	-	-	150.0	-	-
दिसम्बर	-	-	50.0	-	-	150.0	-	-

विवरण-IV

स्टाक, आवंटन, उठान, और संचलन की स्थिति

क्षेत्र	तमिलनाडु							धान को छोड़कर
वर्ष माह	माह/वर्ष की पहली तारीख को स्थिति के अनुसार स्टाक की स्थिति		सार्वजनिक वितरण प्रणाली					
			गेहूं			चावल		
	गेहूं	चावल	आवंटन	उठान	प्रतिशतता	आवंटन	उठान	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1990-91	121.5	88.7	360.0	172.8	48.0	751.8	715.8	94.0
1991-92	127.7	223.7	354.0	231.1	65.3	948.5	961.5	101.4
1992-93	29.7	169.8	261.1	186.1	71.3	832.0	828.3	99.6
1993-94								
अप्रैल	68.9	207.5	20.0	7.1	35.5	70.8	60.8	85.9
मई	65.2	224.7	20.0	8.2	41.0	70.8	59.7	84.3
जून	61.4	233.6	20.0	8.9	44.5	70.8	57.3	80.9
जुलाई	62.7	215.3	20.0	11.1	55.5	70.8	67.4	95.2
अगस्त	86.9	174.2	20.0	10.0	50.0	70.8	70.3	99.3
सितम्बर	79.0	217.6	20.0	7.0	35.0	70.8	36.5	51.6
अक्तूबर	97.2	230.8	20.0	29.7	148.5	70.8	55.3	78.1
नवम्बर	81.1	274.5	20.0	23.5	117.5	70.8	58.0	81.9
दिसम्बर	66.2	329.2	20.0	28.6	143.0	70.8	83.6	118.1
जनवरी	63.5	385.3	20.0	27.2	136.0	70.8	79.9	112.8
फरवरी	112.9	458.1	20.0	26.0	130.0	70.8	97.6	137.8
मार्च	155.4	529.9	25.0	48.4	193.6	100.0	129.8	129.8
जोड़ :			245.0	235.7	96.2	878.8	856.2	97.4
1994-95								
अप्रैल	134.8	540.9	25.0	14.7	58.8	100.0	93.9	93.9
मई	172.9	597.1	25.0	12.8	58.8	100.0	97.2	97.2
जून	205.3	597.6	25.0	11.0	44.0	100.0	95.2	95.2
जुलाई	192.2	584.7	25.0	11.0	44.0	100.0	103.6	103.6
अगस्त	192.3	540.6	25.0	16.8	67.2	100.0	114.2	144.2
सितम्बर	189.1	499.9	25.0	8.1	32.4	100.0	127.9	127.9
अक्तूबर	173.0	458.2	25.0	27.4	109.6	100.0	76.2	76.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
नवम्बर	180.2	453.7	25.0	5.9	23.6	100.0	88.9	88.9
दिसम्बर	171.7	463.1	25.0	14.1	56.4	100.0	88.1	88.1
जनवरी	149.7	483.2	25.0	9.3	37.2	100.0	108.7	108.7
फरवरी	102.5	470.3	25.0	9.4	37.6	100.0	117.7	117.7
मार्च	65.1	468.9	25.0	14.6	58.4	100.0	112.7	112.7
जोड़ :			300.0	155.1	51.7	1200.0	1224.3	102.0
1995-96								
अप्रैल	34.2	426.6	25.0	12.7	50.8	125.0	91.3	73.0
मई	27.5	431.0	25.0	13.1	52.4	125.0	108.0	86.4
जून	34.9	407.1	25.0	13.6	54.4	125.0	138.4	110.7
जुलाई	33.9	379.0	25.0	15.6	62.4	125.0	145.8	116.6
अगस्त	33.8	321.4	25.0	13.9	55.6	125.0	113.8	91.0
सितम्बर	75.4	327.9	25.0	5.8	23.2	125.0	77.9	62..3
अक्तूबर	61.5	351.9	25.0	15.9	63.6	125.0	153.9	123.1
नवम्बर	85.7	327.2		-	-	140.0	-	-
दिसम्बर	-	-	25.0	-	-	140.0	-	-

नारियल विकास बोर्ड

185. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में विगत तीन वर्षों के दौरान नारियल विकास बोर्ड द्वारा क्या कार्य किये गये और इसकी उपलब्धियां क्या रहीं; और

(ख) केरल में नारियल खेती के विकास हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) नारियल बोर्ड द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान केरल में निम्नलिखित कार्य किए गए। उनके संक्षिप्त परिणाम नीचे दिए गए हैं।

1. रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण :

(i) दो प्रदर्शन–सह–बीज उत्पादन फार्म स्थापित किए गए हैं, एक नेरीमंगलम में तथा दूसरा बेल्सनीक्कारा में दोनों फार्मों में रोपण कार्यक्रम चल रहे हैं।

(ii) प्रदर्शन–सह–बीज उत्पादन फार्मों से सम्बद्ध नारियल नर्सरियों की स्थापना : कुल 61,000 पौध तैयार की गई और कृषकों को उनकी बिक्री की गई।

(iii) टी. एक्स. डी. नारियल संकर किस्म का उत्पादन एवं वितरण कुल 3,51,900 टी.एक्स.डी. पौध तैयार की गई और उनकी बिक्री की गई।

2. नारियल के तहत क्षेत्र विस्तार : 6156 हैक्टेयर क्षेत्र को नए रोपण के तहत लाया गया एवं किसानों को 186.159 लाख रुपये राजसहायता के रूप में दिए गए।

3. उत्पादन में सुधार करने के लिए नारियल की जोतों में एकीकृत खेती : इस कार्यक्रम में 55,000 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल था जिसमें से 3.65 लाख रोग ग्रस्त पामों को हटाया गया 3.49 लाख क्वालिटी पोदों का पुनर्रोपण किया गया 545 सिंचाई स्रोतों का विकास किया गया। 360 पम्पसेट लगाए गए 11.33 लाख हैक्टेयर में बहुप्रजातीय फसल प्रणाली को अपनाया गया तथा 87.5 लाख पामों में उर्वरकों का प्रयोग किया गया।

4. प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र : पायलट प्लांट की स्थापना के लिए उद्योग विभाग केरल से वजाकुलम में एक एकड़ क्षेत्र लिया गया है। इस कार्यक्रम के अधीन उपलब्धियां इस प्रकार हैं :–

		वास्तविक उपलब्धि
1.	काश्तकार	13 (संख्या)
2.	सहकारी समितियां	13
3.	उन्नत खोपरा ड्रायर	23

ऊपर उल्लिखित गतिविधियों के अलावा केरल राज्य में विभिन्न विस्तार गतिविधियां भी संचालित की गई। 1993-94 से 1995-96 के दौरान लगभग 60 प्रदर्शनियों, 48 बैठकों/संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। नारियल तैल के घरेलू उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए केरापेड के सहयोग से प्रचार अभियान चलाया गया।

(ख) आठवीं योजना के शेष दो वर्षों के दौरान भी राज्य में उपर्युक्त विकास गतिविधियां जारी रखी जाएंगी।

सोयाबीन का भण्डार

186. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आयात किये गये सोयाबीन का भारी भण्डार है;

(ख) यदि हां, तो अब तक की स्थिति क्या है;

(ग) क्या वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार का विचार सोयाबीन के आयात को बंद करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) से (घ) महानिदेशक, विदेश व्यापार (डी. जी. एफ. टी) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मैसर्ज अल्पाइन उद्योग लिमिटेड, इन्दौर द्वारा 23,300 मीटरी टन सोयाबीन का आयात किया गया है। डी जी एफ टी ने 9.3 लाख मीटरी टन सोयाबीन के आयात के लिए 13 मार्च, 1995 को 38 अग्रिम लाइसेंस जारी किए। इसके मुकाबले, अब तक उपर्युक्त मात्रा का आयात किया गया है। ये लाइसेंस 30 सितम्बर, 1995 तक वैध थे, जिनको 31 अक्तूबर, 1995 तक पुनर्वैधीकृत किया गया था। आगे वैधीकरण की अनुमति नहीं दी गई।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय

187. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय के पुनर्गठन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अलावा उसमें क्या सुधार सुझाए गए हैं;

(ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय के पुनर्गठन पर कितनी राशि खर्च होगी; और

(घ) उपरोक्त प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

साहित्य अकादमी अनुवाद ब्यूरो

188. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में सहित्य अकादमी के अनुवाद ब्यूरो की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

नारियल

189. श्री पी. सी. थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल की खेती करने वाले किसानों को नारियल के मूल्यों के संबंध में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नारियल के मूल्य में बढ़ोत्तरी करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार नारियल की खेती को लाभकारी बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी खेती को किस प्रकार लाभकारी बनाया जाएगा;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) 1995 के विपणन मौसम के प्रारंभ में जब कोपरा के मूल्य कम किए गए थे तो नारियल उत्पादक किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। किन्तु बाद में कोपरा के मूल्य की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

(ख) 1995 के दौरान प्रमुख मंडियों में गुणवत्ता विनिर्दिष्टयों पर ध्यान दिए बिना कोपरा के मासांत थोक बिक्री कीमतों का विवरण नीचे दिया गया है :

मूल्य प्रति क्विंटल

केन्द्र	मास			
	जनवरी, 95	अप्रैल, 95	जुलाई, 95	अक्तूबर, 95
कोचीन	2275	2050	2105	2635
कोजीखोडे	2325	2150	2300	2600
मंगलौर	2279	2168	2206	2471

(ग) भारत सरकार ने कोपरा (एफ.ए.क्यू.) और मिलिंग कोपरा (एफ.ए.क्यू.) के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1994 मौसम के न्यूनतम सापेक्ष मूल्य में 1995 में 150 रु० प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। नैफड शीर्षस्थ एजेंसी के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर कोपरे की खरीद के लिए मूल्य समर्थन कार्य में लगा हुआ है। मूल्य समर्थन कार्य के कारण कोचीन में कोपरे का मूल्य जुलाई, 1995 में 2105 रु० प्रति क्विंटल से बढ़कर अक्तूबर, 95 में 2635 रुपये प्रति क्विंटल हो गया और अन्य मंडियों में भी यही प्रवृत्ति देखी गई।

(घ) जी हां।

(ङ) नारियल की खेती को लाभकारी बनाने के लिए भारत सरकार ने अनेक उपाय किए हैं, जैसे नारियल प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना, तकनीकी आर्थिक

अध्ययन और सर्वेक्षण करना, नारियल उत्पादों के उपभोक्ता स्वीकृति अध्यन करना, सहकारी क्षेत्र में प्रसंस्करण तथा विपणन गतिविधियों को बढ़ावा देना, कोपरा सुखाने की उन्नत/आधुनिक सुविधाओं के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कच्चे नारियल की दुकान खोलने के लिए वित्तीय सहायता देना आदि।

वृन्दावन

190. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 सितम्बर, 1995 के "एशियन एज" में "पोल्यूशन, डीफारेस्टेशन थ्रीटेन वृन्दावन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वृन्दावन के वन क्षेत्र को प्रदूषण तथा वन कटाई के खतरे से बचाए तथा बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी, हां।

(ख) वृन्दावन के वन क्षेत्रों के परिरक्षण और संरक्षण के लिए विगत कई वर्षो से कदम उठाए गए हैं। इस क्षेत्र में प्रदूषण रोकने के लिए वन क्षेत्रों, ग्राम समाज की भूमि और सड़कों के किनारों पर वनरोपण प्रयास किए गए हैं।

[हिन्दी]

पक्षी अभयारण्य

191. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से इन्दौर में पक्षी अभयारण्य की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, इन्दौर में रालामंडल अभ्यारण्य के विकास के लिए केन्द्रीय सहायत प्राप्त करने हेतु मध्य प्रदेश राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। निधियां रिलीज करने के लिए प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

विश्व हिन्दी सम्मेलन

192. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आगामी वर्ष ट्रिनिडाड में होने वाले पांचवें विश्व हिन्दी सम्मेलन को कोई सहायता प्रदान करेगी;

(ख) यदि हां, तो प्रदान की जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) आयोजक देश का क्या नाम है;

(घ) भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की संख्या सहित उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त सम्मेलन में कौन–कौन से देश भाग ले रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (डा० कृपा सिंधु भोई) : (क) जी हां। पांचवें विश्व हिन्दी सम्मेलन में भारत की भागीदारी से संबंधित कार्रवाई विदेश मंत्रालय द्वारा की जा रही है।

(ख) दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा ट्रिनिडाड व टोबेगो में होने वाले उपर्युक्त सम्मेलन के आयोजकों के साथ विचार विमर्श करके तैयार किया जा रहा है;

(ग) उपर्युक्त सम्मेलन ट्रिनिडाड में एक स्वैच्छिक गैर–व्यावसायिक संगठन ट्रिनिडाड व टोबेगो की हिन्दी निधि द्वारा वैस्ट इंडीज विश्वविद्यालय के कला व सामान्य अध्ययन संकाय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

(घ) उपर्युक्त सम्मेलन में भारत से जाने वाले अधिकारिक प्रतिनिधिमंडल को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया हैं।

(ङ) उक्त सम्मेलन में कौन–कौन से देश भाग ले रहे हैं इसकी जानकारी इस मंत्रालय के पास नहीं है, हां, ट्रिनिडाड व टोबेगो की हिन्दी निधि ने उक्त सम्मेलन में भाग लेने के लिए समूचे विश्व से हिन्दी विद्वानों को आमंत्रित किया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय

193. डा० लाल बहादुर रावल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में चलाये जा रहे विद्यालयों को केन्द्रीय विद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदन दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों से अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा इस संबंध मे हुए विचार–विमर्श का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या शर्तें निर्धारित की गयी हैं तथा इन विद्यालयों को कब तक मान्यता प्रदान की जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपा सिंधु भोई) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गन्ना उत्पादन

194. श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए गन्ना उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ख) इन लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धियां क्या रहीं;

(ग) गन्ना उत्पादन में आई कमी के क्या कारण हैं;

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें इस अवधि के दौरान गन्ना उत्पादन और गन्ने की खेती किए जाने वाले क्षेत्र में कमी आई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान के गन्ने के उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	उत्पादन (मिलियन मी. टन में)	
	लक्ष्य	उपलब्धियां
1992-93	243.0	228.0
1993-94	250.0	229.7
1994-95	250.0	258.4

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान उत्पादन लक्ष्यों से ज्यादा रहा है। लेकिन 1992-93 और 1993-94 में कुछ प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में मौसम के क्रमिक रूप और मौसम की प्रतिकूल स्थितियों के कारण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी है।

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान, प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में गन्ने के क्षेत्र तथा उत्पादन में कोई खास कमी नजर नहीं आती है।

(ङ) गन्ने के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में गन्ना आधारित फसल प्रणाली के सतत् विकास नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना चला रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, दिल्ली

195. **श्री हरिन पाठक** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, दिल्ली में जमा वन्य जीवों की खाल का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन जानवरों के नाम क्या हैं जिनकी खाल उक्त संग्रहालय में रखी हैं तथा इन खालों की संख्या क्या है एवं ये वहां पर कब से रखी हैं;

(ग) उन जानवरों के नाम क्या हैं जिनकी खाल क्षतिग्रस्त हो गई है तथा ऐसी खालों की संख्या क्या है; और

(घ) खालों के संरक्षण तथा रख–रखाव पर वर्षवार कितना खर्च किया जा रहा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय ने 1972 से अब तक 175 वन्य जीव जन्तुओं की खालें अधिप्राप्त की हैं। ये खालें शेर, हिरण, हाथी, बाघ और बंदर जैसे वन्य जीवों की हैं।

(ग) कोई खाल बिगड़ी नहीं है और न ही नष्ट की गई है। तथापि तेंदुए और सफेद बाघ के बच्चे की एक–एक खाल, कुल मिलाकर दो खालें गुम होने की खबर है तथा इस संबंध में 11.3.1991 को तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

(घ) इन खालों के परिरक्षण और अनुरक्षण पर वर्ष वार आवर्ती व्यय लगभग 5000 रु० प्रति वर्ष का है।

उर्वरकों की मांग

196. **श्री अन्ना जोशी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा मौजूदा रबी फसल के लिए राज्यवार कुल कितने उर्वरकों की मांग की गयी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की मांग पूरी करने में असमर्थ है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) यूरिया ही केवल एक ऐसा उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है। राज्य सरकारों के परामर्श से रबी 1995-96 के मौसम के लिये यूरिया की आवश्यकता 101.01 लाख मी. टन आंकी गई है। यूरिया की राज्यवार आवश्यकाता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) यूरिया की संपूर्ण आवश्यक मात्रा राज्यों को उपलब्ध करा दी जायेगी।

विवरण

रबी 1995-96 के मौसम के लिय यूरिया की आकलित आवश्यकता

(000 मी. टन)

क्र.सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1,090.00
2.	कर्नाटक	370.34
3.	केरल	60.00
4.	तमिलनाडु	500.00
5.	गुजरात	600.00
6.	मध्य प्रदेश	620.00
7.	महाराष्ट्र	625.00
8.	राजस्थान	550.00
9.	गोवा	2.50
10.	हरियाणा	700.00
11.	पंजाब	1,080.00

1	2	3
12.	उत्तर प्रदेश	2,485.00
13.	हिमाचल प्रदेश	20.00
14.	जम्मू और कश्मीर	31.50
15.	दिल्ली	23.50
16.	बिहार	600.00
17.	उड़ीसा	130.00
18.	पश्चिम बंगाल	525.65
19.	असम	25.00
20.	त्रिपुरा	6.93
21.	मणिपुर	5.00
22.	मेघालय	2.50
23.	नागालैंड	0.39
24.	अरूणाचल प्रदेश	0.30
25.	मिजोरम	0.40
26.	सिक्किम	0.90
27.	अन्य	49.99
	अखिल भारत	10,101.10

उर्वरकों का उत्पादन

197. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 में समाप्त होने वाले वर्ष में सामग्री और पोषक तत्वों की दृष्टि से उर्वरकों (यूरिया, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेड, डाई अमोनियम फास्फेट, कम्पलेक्स उर्वरक, सिंगल सुपर फास्फेट आदि) की किस्मवार क्षमता, उत्पादन और खपत का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक किस्म के उर्वरक की खपत और उत्पादन के बीच दूरी को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) 1994-95 के दौरान सामग्री तथा पोषक तत्वों की दृष्टि से उर्वरकों की किस्मवार क्षमता, उत्पादन और खपत दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) 24 जुलाई, 1991 को सरकार द्वारा जारी औद्योगिक नीति विवरण के अनुसार उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित नहीं है। उर्वरक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र/सहकारी एककों ने उर्वरकों की खपत और उत्पादन के बीच अंतर कम करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीति अपनाई है :—

(i) वर्तमान उर्वरक संयंत्रों का विस्तार/रिट्रोफिटिंग/मरम्मत करना, वर्तमान अवसंरचना का बेहतर उपयोग और आयात।

(ii) अधिमत खाद्य स्टॉक सुविधाओं का सृजन करना।

(iii) कच्चे माल के पर्याप्त और सस्ते संसाधनों वाले देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की स्थापना करना।

विवरण

1994-95 के दौरान उर्वरकों की क्षमता, उत्पादन और खपत

(लाख मी० टन में)

क्रम सं०	उत्पाद	स्थापित क्षमता			उत्पादन			खपत			
		उत्पाद	पोषक तत्व		उत्पाद	पोषक तत्व		उत्पाद	पोषक तत्व		
			एन.	पी.		एन.	पी.		एन.	पी.	के:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	यूरिया	101.76	74.41	-	142.83	65.70	-	171.12	76.72	-	-
2.	अमोनियम सल्फेट	7.72	1.62	-	5.82	1.22	-	5.48	1.13	-	-
3.	कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट	9.42	2.36	-	5.72	1.43	-	5.06	1.27	-	-
4.	अमोनिया क्लोराइड	1.28	0.32	-	1.37	0.34	-	1.15	0.29	-	-
5.	डी–1–अमोनियम फास्फेट	26.20	4.72	12.05	28.23	5.08	12.99	35.86	6.45	16.49	-
6.	सिंगल सुपर फास्फेट	51.45	-	8.23	26.37	-	4.22	26.26	-	4.20	-
7.	कम्पलेक्सेज	34.83	6.30	7.93	25.73	6.50	7.72	39.74	7.16	8.38	3.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	म्यूरिएट ऑफ पोटाश	-	-	-	-	-	-	12.70	-	-	7.62
9.	सल्फेट आफ पोटाश	-	-	-	-	-	-	1.11	-	-	0.05
10.	अन्य (राक फास्फेट + मिक्सचर)	-	-	-	-	-	-	1.28	0.05	0.25	0.06

शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान

198. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जिला स्तर पर और अधिक शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) भारत सरकार ने देश में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासियों को वन भूमि

199. श्री द्वारका नाथ दास : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम विशेषतः केवल करीमगंज जिला में आरक्षित वन क्षेत्रों में अनेक आदिवासी जोत संबंधी दस्तावेजों के बिना ही निवास कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कर्मचारी सहकारी समिति के उपनियमों में संशोधन

200. श्री राम नाईक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार को विजया बैंक एसोसियेशन की कर्मचारी सहकारी समिति के डी 1-1 और डी-2-1 के उपनियमों में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या रजिस्ट्रार ने इस संशोधन को स्वीकृति दी थी;

(ग) यदि हां, तो कब;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों में एक से अधिक सहकारी समितियों को पंजीकृत किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) से (घ) विजया बैंक कर्मचारी सहकारी ऋण समिति लि० का एक प्रस्ताव सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीकार के यहां उसके उप-नियम सं. डी. 1.1 और डी. 2.1 के संशोधनों को पंजीकृत करने हेतु प्राप्त हुआ था। केन्द्रीय पंजीकार के कार्यालय में इस प्रस्ताव की जांच की गई और उप नियम डी. 1.1 और डी. 2.1 के संशोधनों को पंजीकृत नहीं किया गया क्योंकि प्रस्तावित संशोधन विजया बैंक कर्मचारी संगठन के सदस्यों को सदस्यता से अलग करता है जिसे खुली सदस्यता के सिद्धान्त के विरूद्ध समझा गया तथा जिससे बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 के उपबन्धों का उल्लंघन होता है। उस समिति ने केन्द्रीय पंजीकार के आदेश के विरूद्ध एक अपील की है। वह अपील अभी लम्बित है।

(ङ) भारतीय स्टेट बैंक, सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक तथा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में एक से अधिक बहु-राज्य सहकारी समितियां हैं।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम

201. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारी क्षेत्र के पुनरूद्धार हेतु तरीके सुझाने के लिए बृह्म प्रकाश समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम में संशोधन करने का कोई विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस अधिनियम में संशोधन कब तक किए जायेंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) योजना आयोग ने 1990 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। उस समिति ने मई, 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक "मार्डेल सहकारी अधिनियम" की सिफारिश की गई थी। मार्डेल सहकारी अधिनियम की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार ने चौधरी ब्रह्म प्रकाश समिति रिपोर्ट की सिफारिशों को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया है। मौजूदा बहु–राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 को ब्रह्म प्रकाश समिति रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर बदलने का फैसला किया गया है।

विवरण

मॉडल सहकारी अधिनियम

1. "मार्डल अधिनियम" के आरम्भ में **राज्य की सहकारी मीति और सहकारिता के सिद्धान्त** दिए गयें हैं जो अधिनियम के शेष उपबंधों के लिये मार्गदर्शन स्वरूप हैं तथा सरकार के लिए सहकारिता के मूल सिद्वान्तों के अनुरूप कार्य करना सुविधाजनक बनाने के लिये है।

2. नई सहकारी समिति के **पंजीकरण की प्रविधि** को सरल बना दिया गया है तथा कार्य संचालन के क्षेत्र, आर्थिक व्यावहार्यता आदि जैसी कृत्रिम रूकावटें हटा दी गई हैं।

3. "मार्डेल अधिनियम" सरकार को नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं देता। यह कानून स्वयं ही ऐसे बृहत प्रतिमान निर्धारित करता है जिनका सहकारी समितियों द्वारा अनुपालन आवश्यक है तथा इसमें समिति के गठन, प्रबन्ध और व्यापार से जुड़े सभी अन्य मामलों को उपनियमों के अनुसार चलाने की बात प्रतिपादित है।

4. "मार्डेल अधिनियम" किसी सहकारी समिति में निम्नलिखित में से किसी के बारे में भी आदेश देने की शक्ति पंजीकार या सरकार को नहीं देता।

(क) निदेशक मंडल का अधिनियम;

(ख) समितियों का अनिवार्य विलयन या खंडन।

(ग) उप नियमों में अनिवार्य संशोधन।

(घ) किसी सहकारी समिति की महासभा या निदेशक मंडल के संकल्पों को वीटो करने/रद्द करने/निष्प्रभावी करने की शक्ति।

5. **सहकारी परिसंघ/संघों** को सदस्य सहकारी समितियों के मामले में **और अधिक जिम्मेदारी** लेनी होगी, विशेषकर प्रबन्ध मण्डल के चुनाव निर्धारित रूप से कराना सुनिश्चित करने हेतु तथा खातों की वार्षिक लेखा–परीक्षा सही समय पर कराने हेतु।

6. पंजीकार की भूमिका सहकारी समितियां के पंजीकरण तथा समापन, जांच करने तथा चूक करने पर चुनाव कराने, लेखा परीक्षा कराने तथा महासभा की बैठक कराने तक समिति होगी।

7. मॉडल अधिनियम सहकारी समिति पर **सरकार से इक्विटी** के रूप में धन स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाता है।

अनुसंधान केन्द्र

202. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में इस समय कार्यरत कृषि अनुसंधान केन्द्रों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार की पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में इन केन्द्रों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कितनी राशि आवंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) राज्य–वार अनुसंधान केन्द्रों की सूची (जिसमें कृषि अनुसंधान प्रायोजना केन्द्र भी शामिल हैं) संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) से (घ) जी, हां। 8वीं योजना के दौरान पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में कुछ नये केन्द्रों को कार्यान्वित करने के लिए स्वीकृति दी गई है। 8वीं योजना में इन नये केन्द्रों के लिए धनराशि के आबंटन का विवरण–II संलग्न है।

विवरण-I

भा. कृ. अ. परिषद के अनुसंधान केन्द्र

राज्य	केन्द्रों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	100
असम	43
बिहार	66
गुजरात	73
हरियाणा	68
हिमाचल प्रदेश	59
जम्मू और कश्मीर	25
कर्नाटक	115
केरल	54
मध्य प्रदेश	109
महाराष्ट्र	117
मणिपुर	6
मेघालय	15
नागालैंड	4
उड़ीसा	66
पंजाब	64
राजस्थान	85
सिक्किम	7
तमिलनाडु	97
त्रिपुरा	4
उत्तर प्रदेश	162

1	2
पश्चिम बंगाल	69
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3
अरूणाचल प्रदेश	5
चण्डीगढ़	1
दिल्ली	31
गोवा	2
लक्ष्यद्वीप	2
मिजोरम	1
पांडिचेरी	1
कुल अखिल भारतीय	1454*

(* इसमें राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना केन्द्र शामिल हैं)

विवरण-II

मुख्य योजना	स्थान	8वीं योजना व्यय (रु० लाखों में)
1	2	3
पश्चिमी बंगाल		
1. भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान (प्रदर्शन तथा सेवा केन्द्र)	पुरूलिया	15.05
2. ए. आई. सी. आर. पी. –मसाले	मोहनपुर	10.80
उत्तर पूर्वी राज्य		
असम		
1. ए.आई.सी.आर.पी.–कृषि मौसम विज्ञान	जोरहट	7.68
2. ए.आई.सी.आर.पी.–खेती उपस्कर और यांत्रिकी	जोरहट	8.33
3. केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान	गुवाहाटी	103.91
सिक्किम		
4. राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र–आर्किड	गंगटोक	120.00
मणिपुर		
5. केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र (सात महाविद्यालय के साथ जैसे उ. पू. राज्य के लिए प्रत्येक के लिए एक–एक जिसमें सिक्किम भी शामिल है)।	इम्फाल	4100.00

ए. आई. सी. आर. पी. – अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना
एन. आर. सी. – राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र.

जैव-विविधा कन्वेंशन का उल्लघंन

203. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ अमरीकी कम्पनियों द्वारा रियो की जैव विविधा कन्वेंशन के उल्लंघन के नीम के अवशेष से विकसित कीटनाशक को पेटेंट करने के मुद्दे की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो "जेनेटिक" पदार्थों को हटाने के कार्य को विनियमित करने तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकार के हित को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका जैविक विविधता संबंधी कन्वेंशन का एक पक्षकार नहीं है क्योंकि इसने अभी कन्वेंशन की अभिपुष्टि नहीं की है। तथापि, भारत सरकार देश से अनुवांशिक सामग्री के अन्तरण को विनियमित करने की संभावना की जांच कर रही है।

उर्वरकों का मूल्य

204. श्री अशोक आनंदराव देशमुख : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) इसने किस तरह उर्वरकों के उपभोग को तथा कृषि उत्पादनों को प्रभावित किया है;

(ग) क्या सरकार का पुनः उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार उचित दर पर उर्वरकों को उपलब्ध कराने के लिए किसी वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उर्वरकों के मूल्य में स्थिरता रखने तथा इसके उपभोग को बढ़ाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) एक विवरण सलंग्न है।

(ख) से (घ) यूरिया उर्वरकों के मूल्यों में मामूली वृद्धि से कृषि उत्पादों या इनकी खपत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। नियंत्रित उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) से (छ) अगस्त, 1992 में विनियंत्रण के कारण फास्फेट और पोटाशयुक्त उर्वरकों के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई। फास्फेट और पोटाशयुक्त उर्वरकों की बिक्री पर रियायत की एक योजना शुरू करके जिसके अंतर्गत रबी 1992-93 के दौरान डी. ए. पी. और एम.ओ.पी. पर

1000/- रुपये प्रति टन तथा मिश्रणों पर भी इसी अनुपात में रियायत दी गई है, उक्त वृद्धि को कुछ हद तक कम किया गया। 1993-94 से एस. एस.पी पर भी 340/- रुपये प्रति टन की दर से रियायत दी जा रही है। साथ ही, डी. ए. पी. तथा उसके योगों पर दी जाने वाली रियायतों का स्वदेशी उत्पादों तक ही सीमित रहा गया। यह योजना चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भी चल रही है।

विवरण

सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत उर्वरकों के खुदरा मूल्यों से प्रभावित मूल्य रु० प्रति टन

क्र. सं०	उर्वरक का नाम	25.7.91	14.8.91	25.8.92	10.6.94
1.	यूरिया (46%एन)	3300	3060	2760	3520
2.	एन्हाइड्रस अमोनिया	5200	4900	4420	5300
3.	जिंकयुक्त यूरिया			3940*	4480
4.	अमोनियम सल्फेट (20.6%एन)			1920*	**
5.	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (25%एन)			2000*	**
6.	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (26%एन)			2080*	**
7.	अमोनियम क्लोराइड (25%एन)			2000*	**

* इसे 13.5.82 से सांविधिक मूल्य नियंत्रणाधीन लाया गया।

* 10.6.94 से सांविधिक मूल्य नियंत्रण से हटा दिया गया।

समर्थन मूल्य

205. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादों के लागत मूल्य सहित वर्ष 1991-92 से 1995-96 के दौरान अलग-अलग विभिन्न कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य में वर्ष वार कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) कृषि को लाभकारी बनाने हेतु सरकार द्वारा क्रियान्वित नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक की उपलब्धि क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) 1991-92 से 1995-96 के दौरान विभिन्न कृषि उत्पादों के अधिप्राप्ति/न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वर्षवार हुई वृद्धि का अलग-अलग ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कृषकों को उत्पादन लागत के लिये प्रदत्त मूल्यों के सूचकांक निम्नलिखित हैं :

(1971-72 को समाप्त होने वाले तीन वर्ष =100)

वर्ष	उत्पादन लागत के लिये प्रदत्त मूल्यों का सूचकांक
1990-91	449.0
1991-92	524.4
1992-93	606.4
1993-94 (अ)	680.1
1994-95 (अ)	756.4

(अ) अनन्तिम

(ख) और (ग) सरकार ने कृषकों को उन्हें उत्पादों के लिये उचित लाभ सुनिथिश्चत करने के लिए फसल उत्पादन की लागत का आकलन करने संबंधी विधि को विस्तृत और यथार्थपरक बनाने के लिये इसे संशोधित कर दिया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये किये गये विशिष्ट उपायों में सांविधिक न्यूनतम मजदूरी दर या वास्तविक मजदूरी दर पर, इसमें से जो भी अधिक हो, श्रम का मूल्यांकन करना, कुल लागत के 10 प्रतिशत की दर पर लागत के मद के रूप में प्रबंधकीय आदानों का मूल्यांकन, और बुवाई के मौसम के पहले घोषित किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्यों का समायोजन शामिल हैं। कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वर्षों के अंतराल में वृद्धि की गई है ताकि कृषकों को अधिक निवेश तथा उत्पादन के लिये प्रोत्साहित किया जा सके। इसके फलस्वरूप केवल अधिक उत्पादन ही नहीं, बल्कि फसलों की अधिक पैदावार भी प्राप्त हुई है।

विवरण

(फसल वर्ष के अनुसार)

(रु. प्रति क्विंटल)

फसल	किस्म	गुणवत्ता	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7	8	9
धान	कपास	एफ एक्यू	205.00	230.00 (12.2)	270 (17.4)	310 (14.8)	340 (9.7)	360 (5.9)
मूल्य अन्तर फाइन और सुपर फाइन			10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	15.00
ज्वार			180.00	205.00 (13.9)	240 (17.1)	260 (8.3)	280 (7.7)	300 (7.1)
बाजरा			180.00	205.00 (13.9)	240 (17.1)	260 (8.3)	280 (7.7)	300 (7.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मक्का			180.00	210.00 (16.7)	245 (16.7)	265 (8.2)	290 (9.4)	310 (6.9)
रागी			180.00	205.00 (13.9)	240 (17.1)	260 (8.3)	280 (7.7)	300 (7.1)
गेहूं			225.00	275.00 (22.2)	330 (20.0)	350 (6.1)	360 (2.9)	-
जौं			200.00	210.00 (5.0)	260 (23.8)	275 (5.8)	285 (3.6)	-
तूर (अरहर)			480.00	545.00(13.5)	640 (17.4)	700 (9.4)	760 (8.6)	800 (5.3)
मूंग			480.00	545.00 (13.5)	640 (17.4)	700 (9.4)	760 (8.6)	800 (5.3)
उडद			480.00	545.00 (13.5)	640 (17.4)	700 (9.4)	760 (8.6)	800 (5.3)
चना			450.00	500.00 (11.1)	600 (20.0)	640 (6.7)	670 (4.7)	-
मूंगफली			580.00	645.00 (11.2)	750 (16.3)	800 (6.7)	860 (7.5)	900 (4.7)
सोयाबीन काला			350.00	395.00 (12.9)	475 (20.3)	525 (10.5)	570 (8.6)	600 (5.3)
पीला			400.00	445.00 (13.3)	525 (18.5)	580 (10.5)	650 (12.1)	680 (4.6)
सूरजमुखी बीज			600.00	670.00 (11.7)	800 (19.4)	850 (6.3)	900 (5.9)	950 (5.6)
तोरिया और सरसों			600.00	670.00 (11.7)	760 (13.4)	810.(6.6)	830 (2.5)	-
तोरिया			570.00	645.00 (13.2)	725 (12.4)	780 (7.6)	800 (2.6)	-
कुसुम			575.00	640.00 (11.3)	720 (12.5)	760 (5.6)	780 (2.6)	-
कपास एफ 414 एच 777			620.00	695.00(12.1)	800 (15.1)	900 (12.5)	1000(11.1)	1150(15.0)
एच 4			750.00	840.00(12.0)	950 (13.1)	1050 (10.5)	1200 (14.3)	1350 (12.5)
पटसन डब्ल्यू 5 असम में			320.00	375टी (17.2)	400 टी (6.7)	450 टी(12.5)	470 टी(4.4)	490टी(4.3)
गन्ना			23.00	26.00(13.0)	31.00(19.2)	34.50(11.3)	39.10(13.3)	42.50 (8.7)
तम्बाकू वी.एफ.सी., काली मिट्टी एफ 2 ग्रेड			13.25	14.75(11.3)	16.00(8.5)	18.00 (12.5)	18.50(2.8)	19.00(2.7
(रु. प्रति कि.ग्रा.) हल्की मिट्टी भेरल			14.25	16.00 (12.3)	17.50(9.4)	20.00(14.3)	21.00(5.0)	19.00(2.7)
कोपरा मिलिम वाला	एफ.ए.क्यू.		1600.00	1700.00*(6.3)	एन. ए.	2150*	2350*(9.3)	2500*(6.1)
बाल				1850.00*	एन. ए.	2350*	2575*(9.6)	2725*(5.1)
सीसामम	एफएक्यू							850
रामतिल	एफएक्यू							700

* उस स्तर से प्रत्येक 0.1% की वृद्धि पर आनुपातिक प्रीमियम सहित 8.5% की मूलभूत वसूली के लिये टी – नवगांव, असम में टी.डी.एन.ए. – घोषित नहीं

एस. टी. – स्थिर

क्यू. – 25.00 रु० प्रति क्विंटल के केन्द्रीय बोनस सहित।

* कैलेन्डर वर्ष क्रमश : 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 तथा 1995 के लिये।

टिप्पणी : (1) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में अधिप्राप्ति/न्यूनतम समर्थन मूल्यों में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाते हैं।
(2) 1991-92 के आंकड़े न्यूनतम समर्थन मूल्यों से सम्बद्ध हैं।

उर्वरकों पर राज सहायता

206. श्री वी. धनंजय कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न प्रकार के उर्वरकों पर राज सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किस्मवार कितनी राज सहायता प्रदान की जा रही है;

(ग) क्या कुछ दक्षिणी राज्यों ने उर्वरकों पर राजसहायता में वृद्धि की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन पर उर्वरक की कीमतों के प्रभाव का अध्ययन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान स्वदेशी नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों पर 3622.35 करोड़ तथा आयातित यूरिया पर 1166 करोड़ रुपये की रकम राजसहायता के रूप में दी गई। इसके अलावा वर्ष 1994-95 में नियंत्रण रहित फास्फेटयुक्त और पोटासयुक्त उर्वरकों पर रियायत के रूप में 514.02 करोड़ रुपये दिए गए।

(ग) जी, हां।

(घ) इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

युवक विकास केन्द्र

207. डा० विश्वनाथम् कैनिथी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए सूचना, खेलकूद, प्रशिक्षण और युवा कार्यक्रम प्रदान करने के लिए देश में प्रत्येक 10 गांवों के लिए एक युवक विकास केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है, और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे केन्द्र स्थापित करने के लिए अब तक कुल प्राप्त किए गए और स्वीकृत किए गए प्रस्तावों की संख्या क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां। सरकार ने युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय, नेहरू युवा केन्द्र संगठन के जरिए संपूर्ण देश में सामान्यतः दस गांवों के समूह के लिए एक युवा विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए युवा विकास केन्द्रों की एक नई योजना लागू की है। तथापि, शुरूआत में केन्द्र दस गांवों से अधिक को शामिल करेगा।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं०	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	11	08
2.	बिहार	15	11
3.	गुजरात	09	05
4.	हरियाणा	09	06
5.	हिमाचल प्रदेश	09	07
6.	कर्नाटक	13	08
7.	केरल	08	05
8.	मध्य प्रदेश	23	08
9.	महाराष्ट्र	42	39
10.	मणिपुर	01	01
11.	उड़ीसा	05	03
12.	पंजाब	04	03
13.	राजस्थान	20	13
14.	तमिलनाडु	10	06
15.	त्रिपुरा	01	01
16.	उत्तर प्रदेश	60	33
17.	पश्चिम बंगाल	15	14
	कुल :	255	171

क्षतिपूरक वनरोपण

208. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों द्वारा वन भूमि का विकास परियोजनाओं में उपयोग करने के बदले में क्षतिपूरक वनरोपण के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा न किए जाने के कुछ मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राज्यों में वन भूमि का अन्य कार्यों हेतु उपयोग किए जाने की स्थिति में निर्धारित नियमों के अनुरूप राज्य सरकारों द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) क्षतिपूरक वनरोपण के तहत 30 जून, 1995 तक 4.56

लाख की निर्धारित हैक्टेयर क्षेत्र तुलना में 2.08 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाता है। जिन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के तहत वनीकरण का कम से कम 70% लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है उनको चेतावनी दी गई है कि यदि वे लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो इसके बाद वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन क्षेत्र को उपयोग में लाने की किसी भी प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। वर्ष 1995-96 के लिए 1.00 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 1995-96 के लिए निर्धारणों, उपलब्धियों और लक्ष्यों को दर्शाने वाला एक विस्तृत विवरण संलग्न है।

विवरण

31.3.1995 की स्थिति

क्र. सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	उपयोग में लाया गया वन क्षेत्र (है.)	निर्धारित क्षतिपूरक वनरोपण (है.)	क्षतिपूरक वनरोपण (है.)	प्रतिशत	1995-96 के लिए लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	14,231	14,600	11,258	77.10	4000
2.	अरूणाचल प्रदेश	745	1,006	811	80.61	514
3.	असम	1000	1,213	578	47.65	635
4.	बिहार	3,158	1,788	68	3.80	1720
5.	गोवा	115	94	93	98.94	1
6.	गुजरात	19,780	30,563	15,337	50.18	2500
7.	हरियाणा	760	566	661	116.78	-
8.	हिमाचल प्रदेश	3,388	7,433	3,890	52.33	2650
9.	जम्मू व कश्मीर	1,286	1,425	288	20.21	1137
10.	कर्नाटक	10,525	10,404	10,564	101.54	-
11.	केरल	30,263	57,130	1,873	3.27	72
12.	मध्य प्रदेश	2,07,622	2,32,676	89,628	38.52	74000
13.	महाराष्ट्र	25,607	48,100	42,906	89.20	4000
14.	मणिपुर	244	नगन्य	-	-	-
15.	मेघालय	173	249	270	108.43	-
16.	मिजोरम	3,000	3,.030	610	20.13	2900
17.	उड़ीसा	15,040	15,535	12,157	78.25	3666
18.	पंजाब	334	464	227	48.92	218
19.	राजस्थान	7,708	8,449	3,121	36.93	1049
20.	सिक्किम	409	213	1,448	679.81	-
21.	तमिलनाडु	4,731	941	816	86.71	74
22.	त्रिपुरा	167	380	282	74.21	98
23.	उत्तर प्रदेश	24,986	16,902	8,927	52.82	1500
24.	पश्चिम बंगाल	8,924	1,15	604	54.17	536
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,143	1,994	2,046	102.60	-
26.	दादर और नगर हवेली	141	262	262	100.00	-
	कुल :	3,85,580	4,56,532	2,08,725	45.71	100370

[हिन्दी]

सेमरी जलाशय

209. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार मध्यप्रदेश में रामसेन जिले की सेमरी जलाशय परियोजना को पर्यावरण और वन की दृष्टियों से स्वीकृति प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) मध्य प्रदेश सरकार से रायसेन जिले में सेमरी जलाशय परियोजना के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के अंतरण हेतु अभी तक औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इस मंत्रालय को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भी कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उर्वरकों का वितरण

210. श्री परसराम भारद्वाज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की अपने क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय निदेशालयों के विशाल नेट्वर्क के माध्यम से कृषि क्षेत्र को 48 लाख टन रसायनिक उर्वरकों का वितरण करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम उर्वरकों का वितरण नहीं करता है। लेकिन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि क्षेत्रों को उर्वरकों तथा अन्य कृषि आदानों की आपूर्ति संबंधी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दे रहा है। यह प्रोत्साहन वह उर्वरकों के खुदरा संवितरण के लिए सहकारी समितियों को दी जाने वाली चलती पूंजी में वृद्धि करने के लिये उनकी "मार्जिन मनी" के रूप में सहायता देकर कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में 1993-94 तक 17.11 करोड़ रुपये की सहायता दे चुका है।

हाथियों द्वारा व्यक्तियों पर हमला करना

211. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशेषकर असम में प्रायः लोग जंगली हाथियों द्वारा मारे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान और आज तक राज्यवार कितने लोग मारे जा चुके हैं; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार लोगों को उचित सुरक्षा प्रदान करने और मृत्यु के कारण हुई क्षति के मुआवजे के लिए राज्य सरकारों के साथ इस मामले पर बातचीत करने का है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) केन्द्रीय सरकार को विभिन्न राज्यों के जंगली हाथी से मानव जीवन की क्षति, जो असम, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में काफी होती है, की खबरें प्राप्त हुई हैं।

(ख) विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1993-94 और 1994-95 के दौरान हाथियों द्वारा मारे गए लोगों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं०	राज्य	1993-94	1994-95
1.	आंध्र प्रदेश	1	03 ***
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	उपलब्ध नहीं है
3.	असम	52*	उपलब्ध नहीं है
4.	बिहार	2*	उपलब्ध नहीं है
5.	कर्नाटक	30	12
6.	केरल	2	लागू नहीं
7.	मेघालय	शून्य	04
8.	उड़ीसा	14	12
9.	तमिलनाडु	5*	03
10.	उत्तर प्रदेश	9	6
11.	पश्चिम बंगाल	66*	51**

* कलेण्डर वर्ष 1993

** कलेण्डर वर्ष 1994

*** कलेण्डर वर्ष 1995, 30 सितंबर 95 तक

(ग) केन्द्रीय सरकार ऐसी दुर्घटना के शिकार लोगों को अनुग्रह राहत के भुगतान के रूप में हाथी रेंज राज्यों को वित्तीय सहायता देती है। जंगली हाथी द्वारा मानव जीवन की क्षति को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों में हाथी प्रुफ ट्रेंचों, विद्युत बाड़ों का निर्माण, बिगड़े हुए हाथियों को पकड़ना और हाथी दस्ते बनाना आदि शामिल हैं। इन उपायों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम – हाथी परियोजना के तहत राज्य सरकार के जरिए लागू किया जा रहा है।

[हिन्दी]

वन्य प्राणियों का अनाधिकार शिकार

212. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

श्री दत्ता मेघे :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य वार प्रत्येक वर्ष वन्य प्राणियों की कितनी प्रमुख जातियों का अनाधिकार शिकार किया गया;

(ख) क्या देश में कोई अन्तर्राष्ट्रीय शिकारी गिरोह सक्रिय है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में उक्त गिरोह द्वारा किये जाने वाले अनाधिकार शिकार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) हाथी, गैंडा और बाघ जैसी बड़ी प्रजातियों के चोरी–छिपे शिकार के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं। तथापि, कुछ मामलों में देश के बाहर के व्यक्तियों के शामिल होने की सूचना मिली है।

(ग) इस प्रकार के मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबी आई) को भेजा जा रहा है जो भारत में इन्टरपोल के लिए माडल एजेंसी है।

विवरण

शिकार चोरों द्वारा मारे गए हाथियों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं०	राज्य	1992-93	1993-94	1994-95
1.	आंध्र प्रदेश	3	उपलब्ध नहीं	1
2.	असम	3	4	3
3.	कर्नाटक	16	15	18
4.	केरल	10	3	उपलब्ध नहीं
5.	उड़ीसा	उपलब्ध नहीं	4	उपलब्ध नहीं
6.	पश्चिम बंगाल	1	4	5
	योग :	33	30	27

II. शिकार चोरों द्वारा मारे गए गैंडों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं०	राज्य	1993	1994	1995 (30 अक्तूबर, 1995 तक)
1.	असम	70	31	35
2.	पश्चिम बंगाल	1	0	शून्य(सितम्बर तक)
	योग :	71	31	35

III. शिकार चोरों द्वारा मारे गए बाघों के राज्यवार ब्यौरे

(31.7.95 तक)

क्र.सं०	राज्य	1993	1994	1995
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3	3	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	1
3.	असम	2	-	-
4.	बिहार	1	1	1
5.	कर्नाटक	1	-	1
6.	केरल	-	1	-
7.	मध्य प्रदेश	-	-	1
8.	महाराष्ट्र	5	5	-
9.	मणिपुर	-	1	-
10.	उड़ीसा	3	3	-
11.	राजस्थान	-	-	-
12.	तमिलनाडु	-	-	-
13.	उत्तर प्रदेश	1	2	-
14.	पश्चिम बंगाल	1	2	-
	कुल :	17	18	4

मध्याह्न भोजन योजना

213. श्री महेश कनोडिया :

श्री पंकज चौधरी :

श्री राम सिंह कस्वां :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा प्राथमिक स्कूल विद्यार्थियों के लिए शुरू की गयी मध्याह्न भोजन योजना बुरी तरह असफल हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा० कृपा सिंधु भोई) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

लेवी चीनी का आवंटन

214. श्री छीतूभाई गामीत : क्या खाद्य मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिल्ली में प्रति व्यक्ति 800 ग्राम प्रति माह की तुलना में गुजरात में प्रति व्यक्ति 400 ग्राम चीनी वितरित की जाती है;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 5 प्रतिशत तदर्थ आवंटन को पुनः दिए जाने का अनुरोध किया है जिसे अप्रैल 1994 में

बंद कर दिया गया था क्योंकि उस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रति व्यक्ति 500 ग्राम लेवी चीनी का वितरण किया जाता था; और

(ग) सरकार द्वारा गुजरात के दूर दराज के क्षेत्रों में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लेवी चीनी के अतिरिक्त आवंटन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां। जैसाकि गुजरात तथा दिल्ली से सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) गुजरात सरकार ने 1995 को प्रक्षिप्त जनसंख्या के आधार पर मासिक लेवी चीनी आवंटन को 19315 मी०टन तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लेवी चीनी की लगातार बढ़ती हुई मांग तथा 1994-95 के पिछले मौसम में चीनी उत्पादन के उच्चतर स्तर को देखते हुए सरकार ने अब राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1991 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर 1.1.1995 से लेवी चीनी आवंटित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार गुजरात राज्य के लिए मासिक लेवी कोटा 16194 मी० टन + 810* = 17804 मी० टन के वर्तमान कोटे की तुलना में 17557 मी० टन होगा। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित लेवी चीनी के वितरण की जिम्मेवारी राज्य सरकारों तथा उनके नामितों की है।

* सितम्बर, 1995 से 5% की तदर्थ बढ़ोतरी शामिल है।

काली-II सिंचाई योजना

215. श्री शंकर सिंह बाघेला : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंच महल जिलें में काली-II सिंचाई योजना के लिए वनभूमि उपलब्ध कराने हेतु गुजरात के राज्य वन विभाग को उतनी ही गैर वन भूमि दी है;

(ख) यदि हां तो वन भूमि देने संबंधी आदेश जारी करने में जब तक हुए विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में आदेश कब तक जारी किए गए जाएंगे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वन विभाग को क्षतिपूरक वनरोपण के लिए उतनी ही गैर–वन भूमि अन्तरित की गई है।

(ख) और (ग) मामले पर कार्रवाई की जा रही है तथा अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिए जाने की संभावना है।

मणिपुर केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय

216. श्री याइमा सिंह युमनाम : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण हेतु कितनी राशि दी गयी है।

(ख) भवन के निर्माण पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या वहां सभी श्रेणियों के रिक्त पड़े पदों को भर लिया गया है। यदि नहीं तो वे कब तक तथा किस प्रकार भरे जाएंगे; और

(घ) विश्वविद्यालय में छात्रों की भर्ती क्षमता कितनी है तथा छात्रों के लिए राज्यों में नामांकन अनुपात क्या है तथा विभिन्न राज्यों के लिए नियत सीटों का अनुपात क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान नागरिक कार्यो के लिए आवंटित कुल 15 करोड़ रु० में से 33.16 लाख रु० की राशि निर्माण कार्यो पर खर्च की गई है।

(ग) पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा तथा पदोन्नति सी. ए. यू. अधिनियम के अनुसार की जाती है। कालेज से संबंधित रिक्तियां जिनके लिए अध्यादेश जारी किया गया है, नियुक्ति संबंधी कार्रवाई के लिए अधिसूचित की गयी हैं।

(घ) दो कालेजों की भर्ती क्षमता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

	राज्य/एजेंसी	कृषि कालेज, मणिपुर			पशुविज्ञान एवं पशुपालन कालेज मिजोरम
1.	अरूणाचल प्रदेश	06	-	-	03
2.	मणिपुर	10	-	-	04
3.	मेघालय	08	-	-	03
4.	मिजोरम	03	-	-	03
5.	सिक्किम	03	-	-	02
6.	त्रिपुरा	10	-	-	04
7.	भा.कृ.अ.प./वी.सी.आई.	-	-	-	03
		40 (चालीस)			22 (बाईस)

[हिन्दी]

फसल बीमा योजना

217. श्री केशरी लाल : क्या **कृषि मंत्री** यह जानने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन जिलों में 1994-95 के दौरान फसल बीमा योजना आरम्भ की गयी थी;

(ख) राज्य में कितने जिलों में यह योजना अब तक आरम्भ नहीं की जा सकी है;

(ग) इस योजना द्वारा राज्य के कितने प्रतिशत किसानों और कृषि योग्य भूमि को लाभ पहुंचा है; और

(घ) शेष जिलों में कब तक यह योजना आरम्भ किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य ने 1994-95 के दौरान बृहत फसल बीमा योजना में भाग नहीं लिया।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

खाद्यान्नों की आर्थिक लागत

218. **श्री बृशिण पटेल :**

श्री जगमीत सिंह बराड़ :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे जा रहे गेहूं और चावल की आर्थिक लागत गत तीन वर्षों से निरंतर बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान गेहूं और चावल की आर्थिक लागत पृथक-पृथक, कितनी थी;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उगाहे जाने वाले गेहूं और चावल की उगाही भी कम हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त अवधि के दौरान गेहूं और चावल की पृथक-पृथक कितनी मात्रा में उगाही की गई?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किए गए गेहूं और चावल की आर्थिक लागत निम्नानुसार है :-

(रुपये प्रति क्विंटल)

वर्ष	गेहूं	चावल
1992-93	504.10	585.27
1993-94	532.03	665.10
1994-95	551.17	694.71

(ग) और (घ) जी, हां। हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के उठान में कमी आने का मुख्य कारण खुले बाजार में खाद्यान्नों का आसानी से उपलब्ध होना है। 1992-93 से 1994-95 की अवधि के दौरान उठाई गई मात्रा निम्नानुसार है :-

(मात्रा लाख मीटरी टन में)

वर्ष	गेहूं	चावल
1992-93	77.24	94.89
1993-94	59.69	89.56
1994-95	49.83	80.13

[अनुवाद]

दालों की कमी

219. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :**

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दालों की भारी कमी है जिससे उनकी कीमतों में असामान्य वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो दालों की विभिन्न किस्मों की कितनी कमी हुई है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) दलहनों का स्वदेशी उत्पादन इसकी मांग से कुछ कम हैं। मूल्य मांग और आपूर्ति के तत्वों से शासित होते हैं।

(ख) किस्मवार आवश्यकता के मूल्यांकन की मानिटरिंग नहीं की जाती है किंतु योजना आयोग ने वर्ष, 1996-97 के लिए दालों का उत्पादन लक्ष्य 17.00 मिलियन मी. टन निर्धारित किया है। 14.46 मिलियन मी. टन के उत्पादन के वर्तमान रूख को देखते हुए लगभग 2-3 मिलियन मी. टन की कमी है।

(ग) सभी दालों को एक साथ लेने पर उसका समग्र मूल्य पिछले वर्ष की इसी अवधि (12.12.94 बनाम 11.11.95) के दौरान एक प्रतिशत कम था। किंतु अरहर का मूल्य सूचकांक 43.1% मूंग का मूल्य सूचकांक 13% और अलसी का मूल्य सूचकांक 23.5% तथा उड़द का मूल्य सूचकांक 15.2% बढ़ा। चने के मूल्य सूचकांक में पिछले वर्ष के मुकाबले 43.4% की कमी आई है।

(घ) दलहन बहुत ही जोखिम भी फसल है अतः किसान सुनिश्चित और लाभकारी फसल उगाना चाहते हैं और दलहन की और कम ध्यान देते हैं। दलहन का लगभग 90% क्षेत्र वर्षा सिंचित है और उनका उत्पादन वर्षा की मात्रा और उसके वितरण पर घटता बढ़ता रहता है।

(ङ) 25 राज्यों और संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अधीन बीजों, राइजोबियल कल्चर, स्प्रिंकलर सैट, उन्नत फार्म यंत्रों आदि के उत्पादन और वितरण पर सहायता दी जाती है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा फ्रंटलाइन प्रदर्शनों तथा राज्य कृषि विभागों द्वारा प्रखंड प्रदर्शनों के माध्यम से उत्पादन प्रौद्योगिकियों का विस्तार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

पशु पालन

220. **श्री छेदी पासवान :**

श्री राम टहल चौधरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में पशुपालन कार्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) जी, हां। माननीय श्री कड़िया मुंडा, संसद सदस्य, श्री ललित उंराव, संसद सदस्य तथा श्री राम टहल चौधरी, ससंद सदस्य ने बिहार के भूतपूर्व विधायक श्री राम दास राय के पत्र को पृष्ठांकित किया था जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि राज्य पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने 1990 से मार्च, 1992 की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा बिहार सरकार के पशुपालन विभाग को आबंटित 46.50 करोड़ रुपये की राशि का कुप्रबंध/दुरूपयोग किया है। सूअरों, भैसों, गायों/बछड़ों भेड़ों बकरियों, कुक्कुट दवाओं तथा आहार और चारा के मुफ्त वितरण तथा लाभकारियों को इन पशुओं के भरण–पोषण की लागत प्रदान करने के द्वारा बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र के जनजातीय तथा संथाली लोगों के कल्याण के उद्देश्य से इन कथित निधियों को आवंटन जनजातीय विकास एजेंसी कार्यक्रम, विशेष घटक योजना, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, सामाजिक कल्याण विभाग तथा सामाजिक संगठनों के लिए किया गया था। पत्र में कथित भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा सेवाओं में तैनाती स्थानांतरण, नियुक्तियां तथा विस्तार अनियमितताओं के उदाहरणों का भी उल्लेख किया गया है।

(ग) चूंकि पत्र में उठाए गए मामले बिहार राज्य सरकार/राज्य पशुपालन विभाग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं तथा केन्द्रीय कृषि मंत्रालय का इन मुद्दों से सीधा कोई संबंध नहीं है अतः इन शिकायतों को उचित जांच–पड़ताल तथा यथा–तत्काल कार्रवाई के लिए बिहार सरकार को भेज दिया गया था।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महिला नीति

221. श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय महिला नीति बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ग) प्रस्तावित नीति पर राज्य सरकारों, राज्य महिला आयोगों, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डो, महिला संगठनों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों की विशिष्ट सिफारिशें प्राप्त करने के लिए देशभर में क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय परामर्श बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

तेल का फैलना

222. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदूषण नियंत्रण मिशन के तटरक्षक जहाज ने नवम्बर, 1995, के दौरान मद्रास तट से समुद्र में फैले तेल की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कारण क्या क्षति हुई है; और

(घ) समुद्र में ऐसे प्रदूषण रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी, हां। मद्रास तट के तटरक्षकों द्वारा 13 नवम्बर, 1995 को नियमित निगरानी के दौरान तेल रिसाव का एक मामला नोट किया गया। रिसाव का क्षेत्र 4 मील x 3 मील था और मद्रास के इलियट बीच के दक्षिण पूर्व 1.5 मील था। जैसा कि तटरक्षकों द्वारा सूचना की गई, यह तेल रिसाव मद्रास से जाते हुए जहाज द्वारा विल्ज विसर्जित तेल के कारण हुआ। रिसाव के स्रोत का पता लगाने और उसको तत्काल निष्क्रिय करने के लिए मद्रास से प्रदूषण निवारण दल भेजा गया। रिसाव को निष्क्रय बनाने के लिए सी जी डोर्नियर से डिस्पर्सेटस का भी छिड़काव किया गया। तट रक्षक का जहाज अव्वियार प्रदूषण निवारण उपकरण और सैंट्रल इलैक्ट्रो केमिकल रिसर्च इन्स्टीच्यूट, कराईकुडा, तमिलनाडु के वैज्ञानिकों को लेकर 14 नवम्बर 1995 को आंकड़े एकत्र करने के लिए मद्रास से गया था। बाकी बचे रिसाव के निष्क्रियकरण और सफाई का काम भी किया गया।

गेहूं की कमी

223. श्री राम बदन :

श्री एन जे राठवा :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में विशेषकर गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में वर्षाकाल में खाद्यान्नों की भारी कमी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किस दर पर केन्द्र सरकार द्वारा उन राज्यों को खाद्यान्नों की आपूर्ति की गई थी?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) वर्षा के मौसम के दौरान, विशेष रूप से गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं थी। तथापि, कुछ अवसरों पर कुछ पाकेटों में खाद्यान्नों की कमी हो सकती है और इसे राज्य के अंदर ही खाद्यान्नों का आंतरिक संचलन करके अथवा अधिशेष वाले राज्यों से संचलन करके पूरा किया जाता है। 109.50 हजार मीटरी टन के मासिक आवंटन के प्रति औसत मासिक उठान 42 हजार मीटरी टन है और जून 95 में अक्तूबर, 95 तक

की अवधि के दौरान गुजरात के लिए औसत मासिक संचलन 171.20 हजार मीटरी टन हुआ है।

(ग) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर भारतीय खाद्य निगम विभिन्न राज्य सरकारों को खाद्यान्न अर्थात् गेहूं और चावल निर्युक्त कर रहा है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 1.2.94 से प्रभावी वर्तमान केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार है :

(दर : रुपये क्विंटल)

		चावल	
	साधारण	बढ़िया	उत्तम
सार्वजनिक वितरण प्रणाली	537	617	648
सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली	487	567	598
		गेंहू	
सार्वजनिक वितरण प्रणाली		402	
सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली		352	
		मोटे अनाज	
सार्वजनिक वितरण प्रणाली		199	
सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली		149	

चारागाह का विकास

224. **श्री राम टहल चौधरी :**

श्री राम कृपाल यादव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में वनों और अन्य चारागाहों पर पड़ते हुए दबाव को कम करने हेतु राज्य में चारागाह के विकास हेतु कोई विशिष्ट योजना तैयार की है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रोन्मुख ईंधन लकड़ी और चारा परियोजनाओं की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चलाई जा रही है जो देश में पता लगाए गए ईंधन लकड़ी की कमी वाले जिलों में ईंधन लकड़ी तथा चारे की कमी की समस्या का दूर करने के लिए तैयार की गई है। यह स्कीम बिहार सहित सभी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। पता लगाए गए जिलों में ईंधन लकड़ी और चारा प्रदान करने वाले वृक्षों के उगाने पर व्यय होने वाली लागत का आधा हिस्सा राज्य सरकार तथा आधा केन्द्र सरकार वहन करता है। वर्ष 1992-95 की अवधि के दौरान बिहार को ईंधन लकड़ी और चारे के वृक्षों का रोपण करने के लिए 529.32 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई है। राज्य सरकार से 1995-96 के दौरान कोई परियोजना प्रस्ताव नहीं मिला है।

[हिन्दी]

सूखा

225. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या राजस्थान के कई जिलों और कुछ अन्य राज्यों में इस वर्ष सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो अत्यंत सूखा प्रभावित क्षेत्रों के नाम क्या हैं और प्रत्येक राज्य में सूखे से कितनी अनुमानित क्षति हुई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में कोई केन्द्रीय दल भेजा है और दल ने किस हद तक वित्तीय सहायता की सिफ़ारिश की है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए राज्यों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराए हैं और क्या उसका विचार और अधिक धन जारी करने का है; और

(ङ) सूखे की स्थिति का स्थाई समाधान निकालने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश के किसी भी भाग में अभी तक सूखे की घोषणा नहीं की गई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वर्ष 1995-96 के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की तीन किस्तें सभी राज्यों को जारी कर दी गई हैं। कुछ राज्यों को चौथी और अंतिम किस्त भी अग्रिम जारी कर दी गई है। ये किस्ते बाढ़ से हुए नुकसान के लिए अग्रिम जारी की गई हैं न कि सूखे के लिए।

(ङ) फसलों के उत्पादन, पशुधन तथा भूमि, पानी एंव मानव संसाधनों पर सूखे के दुष्प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए देश के चुनिन्दा विकास खंडों में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

गेहूं की आवश्यकता

226. **श्री पंकज चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) देश में प्रति वर्ष गेहूं की आवश्यकता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष आवश्यकता की तुलना में गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी आई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गेहूं का निर्यात करने

का है;

(घ) यदि हां, तो किन–किन देशों को गेहूं का निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) गेहूं की मांग का अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि यह किसी भी समय, लोगों की पसंद, उत्पादन, वैकल्पिक वस्तुओं की उपलब्धता उपभोक्ताओं की आदतें, आय का लचीलापन, आदि जैसे कई परिवर्तनशील तथ्यों पर निर्भर करता है। हालांकि, गेहूं की निवल उपलब्धता, जिसे खपत के रूप में समझा जा सकता है, का वर्ष 1994 और 1995 में अनन्तिम रूप से क्रमशः 50.6 मिलियन मीटरी टन और 54.7 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) 1995-96 के दौरान सरकार ने गैर दुरुम गेंहू के निर्यात के लिए अधिकतम 2.5 मिलियन मीटरी टन गेहूं की निर्मुक्ति की है। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की सुखद स्टाक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 1995-96 के दौरान 2.5 मिलियन मीटरी टन तक गेहूं के निर्यात के कार्य के लिए भारतीय खाद्य निगम को निर्यात/बिक्री करने के लिए प्राधिकृत किया है।

फर्जी इन्जीनियरिंग कालेज

227. डा. रमेश चन्द तोमर :

श्री पंकज चौधरी :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक फर्जी इन्जीनियरिंग कालेज खुले हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कालेजों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन फर्जी इन्जीनियरिंग कालेजों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, देश में तकनीकी शिक्षा का समन्वित विकास करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित किया गया एक सांविधिक निकाय है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुमोदन के बगैर इसके नियमन के अनुसार, कोई भी नया इंजीनियरिंग कालेज खोला नहीं जा सकता है। देश के किसी जाली इंजिनियरी काजेज के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा कोई कार्रवाई किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विश्व महिला सम्मेलन

228. श्री रवि राय :

श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बीजिंग (चीन) में गत सितम्बर माह के दौरान हुए चौथे विश्व महिला सम्मेलन में भाग लिया;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में भारत की महिलाओं द्वारा महिलाओं के कल्याण हेतु क्या उपाय सुझाये गये तथा उस पर अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया थी;

(ग) भारतीय प्रतिनिधि मंडल में कौन–कौन से सदस्य थे तथा सरकार द्वारा उन पर कुल कितना खर्च किया गया;

(घ) इस सम्मेलन की क्या उपलब्धियां रहीं तथा सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) क्या सम्मेलन में गैर–सरकारी संगठनों ने भी भाग लिया,

(च) यदि हां, तो इन संगठनों की क्या उपलब्धियां रहीं, और

(छ) सरकार द्वारा उन गैर–सरकारी संगठनों को वित्तीय तथा अन्य किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध करायी गयी तथा उस मद पर सरकार का कुल कितना खर्च हुआ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) बीजिंग घोषणा सहित कार्रवाई मंच चतुर्थ विश्व महिला सम्मलेन द्वारा पारित एक सर्व समस्त दस्तावेज बन गया है, जिसमें सदस्य राष्ट्रों ने महिलाओं की प्रगति के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जैसाकि "नैरोबी फारवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज" में निर्धारित किया गया है।

भारतीय शिष्ट मंडल ने विभिन्न समितियों, कार्यकारी दलों और इसके उप–दलों के माध्यम से कार्रवाई मंच के प्रारूप को तैयार करने में और अन्य विचार–विमर्श में सक्रिय भूमिका निभायी। वास्तव में, भारत को बीजिंग घोषणा का प्रारूप तैयार करने के लिए सह–अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बालिका के विरुद्ध बढ़ते जा रहे भेदभाव के निवारण के लिये कार्रवाई मंच में बालिका पर एक पृथक खंड शामिल करवाने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

(ग) भारतीय सरकारी शिष्टमंडल में 34 सदस्य थे, जिसमें मंत्री, विधायक, अधिकारी, गैर–अधिकारी, सुविख्यात व्यक्ति, विशेषज्ञ आदि शामिल थे। सदस्यों की सूची सलंग्न विवरण में दी गई है। इस पर हुए कुल अनुमानित व्यय के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन

के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी। महिला सांसदों को एक शिष्टमंडल भी बीजिंग गया जिसका प्रायोजन और निधीयन अलग से किया गया।

(घ) भारत कुछेक ऐसे देशों में से था जिसने विश्व सम्मेल की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में विशिष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त की, जैसे (i) राष्ट्रीय महिला नीति निर्माण (ii) शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद के छः प्रतिशत का पूंजी निवेश (iii) राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र की स्थापना (iv) महिला अधिकारों के आयुक्त के कार्यालय की स्थापना (v) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के माध्यम से मातृ और बाल देखभाल कार्यक्रमों का सर्व सुलभीकरण और (vi) कुछ चुनिन्दा ब्लाकों में इन्दिरा महिला योजना का कार्यान्वयन।

(ङ) जी, हां।

(च) भारतीय सरकारी शिष्ट मंडल में गैर सरकारी संगठनों के आठ प्रतिनिधि थे जिन्होंने विचार विमर्श में सक्रिय भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किये। इसके अलावा, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के रूप में कुछ सुविख्यात भारतीय महिलाएं भी थीं जिन्होंने विश्व सम्मेलन में विभिन्न मंचों पर वक्ता के रूप में प्रशंसनीय कार्य किया।

(छ) सरकार ने उन गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों पर हुए व्यय को वहन किया जो भारतीय सरकारी शिष्ट मंडल का एक हिस्सा थे। सम्मेलन के दौरान गैर–सरकारी संगठन मंच के भाग के रूप में उपस्थित अन्य गैर सरकारी संगठनों का प्रयोजन नहीं किया गया।

विवरण

भारतीय शिष्ट मंडल की संरचना

1. श्री माधवराव सिंधिया, मंत्री, मानव संसाधन विकास — अध्यक्ष
2. न्यायमूर्ति (श्रीमती) सुजाता मनोहर, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली। — सदस्या
3. डा. (श्रीमती) नजमा हेपतुल्ला उपाध्यक्षा, राज्य सभा नई दिल्ली। — स्थानापन्न अध्यक्षा
4. श्रीमती वासवराजेश्वरी राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास मानव संसाधन विकास मंत्रालय — उन्होंने 1-2 सितंबर, 1995 को निर्गुट मंत्री स्तरीय सम्मेलन में और 3 सितंबर, 1995 को राष्ट्रमंडल मंत्रियों की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल की अध्यक्षता की। उन्होंने दक्षेस देशों की ओर से सम्मेलन में एक वक्तव्य भी दिया।
5. श्रीमती कृष्णा साही, उद्योग राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। — सदस्या
6. श्रीमती मार्गरेट अल्वा, राज्य मंत्री; कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन तथा संसदीय मामलों की राज्य मंत्री नई दिल्ली। — सदस्या
7. कुमारी शैलजा, उप मंत्री, शिक्षा एवं संस्कृति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। — सदस्या
8. श्रीमती मोहिनी गिरि, अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली। — सदस्या
9. श्रीमती रोज़ मिलियन बैथ्यू, अध्यक्षा, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली। — सदस्या
10. डा० (श्रीमती) सरला गोपालन, सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, — सदस्या
11. श्री सी० देसगुप्ता, चीन में भारत के राजूदत — सदस्य
12. श्रीमती फातिमा बीबी, सदस्या, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली। — सदस्या
13. श्रीमती जमुना देवी, मंत्री, समाज कल्याण, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल। — सदस्या
14. श्रीमती विद्यावेनशाह, अध्यक्षा, — सदस्या

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड
नई दिल्ली।

15. श्रीमती रानी सतीश, सदस्या
उपाध्यक्षा,
कर्नाटक विधान परिषद्,
बंगलौर।

16. श्रीमती निर्मला भूरिया,, .सदस्या
विधायक, मध्य प्रदेश।

17. श्रीमती विद्या बेलोज़, सदस्या
सदस्या, विधान परिषद्
बम्बई (महाराष्ट्र)

18. श्रीमती अम्बिका सोनी, सदस्या
संयुक्त सचिव,
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति,
नई दिल्ली।

19. श्रीमती मर्सी रवि, सदस्या
संयुक्त सचिव,
केरल प्रदेश महिला कांग्रेस समिति,
त्रिवेन्द्रम।

20. श्रीमती सावित्री कुनाडी, सदस्या
संयुक्त सचिव (संयुक्त राष्ट्र) विदेश मंत्रालय

21. श्री एस. के. गुहा, सदस्य
संयुक्त सचिव,
महिला एवं बाल विकास विभाग

22. श्रीमती गीता वसुमातारी, सदस्या
प्रोफेसर,
गोहाटी विश्वविद्यालय,
गोहाटी।

23. श्रीमती जयन्ती पटनायक, सदस्या
भूतपूर्व अध्यक्षा,
राष्ट्रीय महिला आयोग,
भुवनेश्वर।

24. श्रीमती ललिता रामदास, सदस्या
अध्यक्षा,
अन्तर्राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संघ,
नई दिल्ली।

25. श्रीमती लुइस फर्नांडिस खुर्शीद, सदस्या
2-मोतीलाल नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली।

26. न्यायमूर्ति (श्रीमती) पद्मा खस्तागीर सदस्या
कलकत्ता।

27. श्रीमती सरोज बजाज, सदस्या
अध्यक्षा,
भारतीय समाज कल्याण परिषद्
हैदराबाद।

28 श्रीमती सुनीता गाडगिल, सदस्या
95 शाहजहां रोड, नई दिल्ली।

29. श्रीमती टी के सरोजिनी, सदस्या
निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग

30. श्रीमती नन्दिनी अय्यर कृष्णा, सदस्या
उप सचिव (संयुक्त राष्ट्र) विदेश मंत्रालय

31. कुमारी एम मणिमेकलाई, सदस्या
प्रथम सचिव (राजनैतिक)
भारत का स्थायी मिशन
न्यूयार्क।

32. श्रीमती शीला रानी चुनकठ, सदस्या
भा० प्र० से० परियोजना निदेशक,
भारतीय जनसंख्या परियोजना-5
तमिलनाडु।

33. सुश्री कमल वासुदेवा, सदस्या
सचिव,
अरूणादेय शैक्षिक समिति,
नई दिल्ली।

34. श्रीमती शीला मोदी, संदस्या
अध्यक्षा,
इन्नर व्हील, ग्वालियर।

खाद्यान्नों की ढुलाई

229. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्यान्नों की ढुलाई पर किसी प्रकार का प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी राज्य सरकारों ने खाद्यान्नों की ढुलाई से प्रतिबंध हटा लिया है;

(घ) यदि नही, तो इन प्रतिबंधों को हटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता में कोई क्षेत्रीय असमानता नहीं है; और

(च) प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा योजना हेतु तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) मार्च, 1993 में केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को परामर्श दिया कि वे खाद्यान्नों पर से संचलन संबंधी सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा लें। इसके प्रत्युत्तर में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने खाद्यान्नों पर से या तो वहां लागू संचलन संबंधी प्रतिबंध उठा लिए हैं अथवा यह सूचित किया है कि उनके यहां खाद्यान्नों पर संचलन संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं है। फिलहाल, गेहूं और मोटे अनाजों के लिए संपूर्ण देश एकल खाद्य जोन है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू और कश्मीर राज्य सरकारों पर उनके यहां धान/चावल पर शेष प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए जोर डाला जा रहा है।

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली/संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय पूल से माह दर माह आधार पर गेंहू और चावल के आवंटन किए जाते हैं जो उपलब्ध स्टाक, मौसमी उपलब्धता, संगत आवश्यकताओं और उठान प्रवृत्ति से जुड़े हुए होते हैं। केन्द्रीय पूल से आवंटन अनुपूरक प्रकृति के होते हैं और ये राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं होते हैं। केन्द्रीय सरकार ने स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में गेंहू और चावल की खुली बिक्री भी शुरू की हुई है।

इसके अलावा, खाद्यान्नों के संचलन पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने से पूरे देश में खाद्यान्नों के बेहतर वितरण और उपलब्धता को बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

(च) खाद्यान्नों के उत्पादन, स्टाकिंग और वितरण हेतु योजना तैयार करने के मूल में खाद्य सुरक्षा की संकल्पना है। खाद्यान्नों के उत्पादन स्तर और स्टाक पर निरंतर निगाह रखी जाती है और केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक रखने के लिए प्रयास किए जाते हैं ताकि खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

महाराष्ट्र में अनुसंधान केन्द्र

230. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :**

श्री दत्ता मेघे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अंतर्गत अनुसंधान परिषदों, अनुसंधान केन्द्रों और परियोजनाओं के नाम क्या हैं और वे कहां–कहां स्थित है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन परिषदों, केन्द्रों और परियोजनाओं पर अलग–अलग कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इन अनुसधान कार्यो का महाराष्ट्र में कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) महाराष्ट्र में कार्य कर रहे अनुसंधान संस्थान केन्द्र एवं अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं के नाम की सूची एवं उनके स्थान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) कृपया संलग्न विवरण देखें।

(ग) अनुसंधान संस्थानों एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय में किए गए अनुसंधान से खाद्यान्नों, तिलहनों, कपास और बागवानी फसलों की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के विकास में सहायता मिली है। इससे उत्पादन टेक्नोलाजी का विकास हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप गेंहू, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, तिलहन, कपास, आलू आदि जैसी सभी महत्वपूर्ण फसलों की पैदावार और उपज में वृद्धि हुई है। इन अधिक पैदावार देने वाली किस्मों एवं एक मुश्त कृषि क्रियाओं के कारण राज्यों की कृषि फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिली है। राज्यों ने विपरीत मौसम स्थितियों में भी अपने को समायोजित करने की प्रक्रिया का विकास कर लिया है।

विवरण

संस्थान/रा.अनु.के./प्रायो.निदे./ अ.भा.स.अनु.प्रायो.के नाम	स्थान	खर्च (रु० लाख में)		
		1991-92	1992-93	1993-94
संस्थान				
1. केन्द्रीय कपास अनु.संस्थान	नागपुर	273.34	303.59	392.73
2. रा.मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	नागपुर	355.78	388.14	442.58

संस्थान/रा.अनु.के./प्रायो.निदे./ अ.भा.स.अनु.प्रायो.के नाम	स्थान	खर्च (रु० लाख में) 1991-92	1992-93	1993-94
3. केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनु.संस्थान	बम्बई	192.03	216.90	289.32
4. केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	बम्बई	287.36	270.91	714.19
5. जल प्रबंध प्रायोजना निदेशालय	राहुरी		12.76	24.83
राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र				
6. रा.निम्बू वर्गीय फल अनु. केन्द्र	नागपुर	120.18	79.57	102.69
अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना				
7. चावल	करजात, तुलजापुर, सकोली	ये कुछ ऐसे भिन्न–भिन्न केन्द्र हैं जो परिषद् द्वारा समर्थित हैं और जिन्हें राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा सहयोग दिया जा रहा है और इनके अनुसंधान कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष के लिए अलग–अलग धन का आवंटन किया गया है। इन सभी केन्द्रों के खर्चों का ब्यौरा संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा रखा जाता है।		
8. ज्वार	परभणी, अकोला, राहुरी			
9. सूरजमुखी, अलसी, तिल	अकोला, राहुरी			
10. कपास	अकोला, नन्देड, राहुरी, पेडगांव, पुणे			
11. उष्णकटिबंधीय फल	श्री रामपुर, ललगांव			
12. चारा फसलें	ऊरली कंचन, राहुरी			
13. कुसुम	सोलापुर			
14. तिलहन	जलगांव, दिगराज, शोलापुर, दिंडोरी, अकोला, फलटोन, राहुरी, लातूर			
15. जैविक नियंत्रण	पुणे, परभणी, कोल्हापुर			
16. सफेद सूंडी	परभणी, कोल्हापुर			
17. कीटनाशी रसायनों के अवशेष	राहुरी			
18. सूत्रकृमि	राहुरी			
19. पान	दिगराज			
20. उप–उष्णकटिबंधीय फल	वेंगुरला, राहुरी, पुणे			
21. शुष्क फल	राहुरी			
22. गेहूं	निफाड, पुणे, महाबलेश्वर			
23. मक्का	कोल्हापुर			
24. बाजरा	पुणे			
25. सब्जी	अम्बाजोगई, राहुरी			
26. खुम्बी	पुणे			
27. पुष्पविज्ञान	पुणे			
28. कटाई के बाद की बागवारी फसलें	राहुरी, डपोली			
29. शुष्क खेती	अकोला, शोलापुर			
30. भेड़	राहुरी			

संस्थान/रा.अनु.के./प्रायो.निदे./ अ.भा.स.अनु.प्रायो.के नाम	स्थान	खर्च (रु० लाख में) 1991-92	1992-93	1993-94
31. बकरी	राहुरी			
32. खुर पका और मुंह पका बीमारी का अध्ययन	पुणे			
33. पशु रोग अनुश्रवण निगरानी और पूर्वानुमान	पुणे			
34. दलहन	राहुरी, अकोला, बदनापुर	ये कुछ ऐसे भिन्न–भिन्न केन्द्र हैं जो परिषद् द्वारा समर्थित हैं और जिन्हें राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा सहयोग दिया जा रहा है और इनके अनुसंधान कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष के लिए अलग–अलग धन का आवंटन किया गया है। इन सभी केन्द्रों के खर्चों का ब्यौरा संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा रखा जाता है।		
35. सोयाबीन	पुणे, परभणी			
36. फसल प्रणाली अनुसंधान	डपोली, राहुरी, परभणी, अकोला			
37. खरपतवार नियंत्रण	परभणी			
38. कंद फसलें	डपोली			
39. कृषि वानिकी	अकोला, राहुरी, डपोली, परभणी, शोलापुर			
40. काजू	वेंगुरला			
41. ताड़	रत्नागिरी, मुल्दे			
42. कुएं और पम्प	राहुरी			
43. उत्पादों द्वारा कृषि	पुणे, बम्बई			
44. मुर्गीपालन	अकोला			
45. गन्ना	पेडगांव, कोल्हांपुर, परावारानगर			
46. जल प्रबंध	परभणी, राहुरी, डपोली			
47. नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत	अकोला			
48. पावर टिल्लर	राहुरी			
49. कृषि उपस्कर यांत्रिकी	पुणे			
50. गुड़ और खांड	कोल्हापुर			
51. कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी	अकोला			
52. कृषि मौसम विज्ञान	राहुरी			
53. सूक्ष्म जैविक विघटन	राहुरी			
54. राष्ट्रीय बीज प्रयोजना (विश्व बैंक)	राहुरी, नीफाड, पुणे, अकोला, परभणी, डपोली, नागपु			
55. प्रजनक बीज उत्पादन	जलगांव, अकोला, परभणी			
56. संकर बीज उत्पादन	अकोला, डपोली, नागपुर, परभणी, राहुरी, पुणे			
57. राष्ट्रीय बीज प्रायोजना (योजना)	राहुरी, परभणी, अकोला, डपोली, नागपुर			

पी. डी. – प्रयोजना निदेशालय

एन.आर.सी. – राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

ई.ई.सी. द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं

231. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गुजरात में कार्यरत यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा अन्य एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित कृषि परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पुस्तकों के प्रकाशन के लिए कागज की आपूर्ति

232. **श्रीमती केसर बाई सोनाजी क्षीरसागर :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सरकारी प्रकाशन और पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के लिए महाराष्ट्र सरकार को सस्ती दर पर कागज प्रदान कराना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्यार्थियों को इसके परिणामस्वरूप उच्च दरों पर पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ता है और निर्धन विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र सरकार को पहले की भांति सस्ती दरों पर कागज उपलब्ध करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध कर दी जायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) 1974 से मार्च, 1990 तक स्कूली पाठ्य पुस्तकें व अभ्यास पुस्तिकाएं तैयार करने के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा क्षेत्र को रियायती मूल्य पर सफेद मुद्रण कागज प्रदान करने की एक योजना थी। इस योजना के बंद होने के बाद राज्यों को सफेद मुद्रण कागज आवंटित नहीं किया गया है।

इस योजना को बहाल करने के लिए सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

बागवानी विकास कार्यक्रम

233. **श्री शांताराम पोतदुखे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चलाये जा रहे बागवानी विकास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में बागवानी फसलों के लिए योजना आबंटन कितना हैं; और

(ग) 1994-95 के दौरान देश में कितनी मात्रा में फल का उत्पादन हुआ हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) कृषकों को बेहतर आर्थिक लाभ दिलाने के लिये कटाई पश्चात की बुनियादी सुविधाओं तथा विपणन को मजबूत बनाने तथा फसल उत्पादकता में सुधार लाने के लिये चालू बागवानी विकास कार्यक्रमों में फलों, सब्जियों, मसालों, नारियल, काजू, कोको, सुपारी, पुष्पकृषि, जड़ तथा कन्द फसलों, मशरूम, पान की बेल, कृषि में प्लास्टिक का उपयोग तथा मधुमक्खी पालन के विकास को शामिल किया गया है।

(ख) बागवानी के विकास के लिये आठवीं योजना का परिव्यय 1000 करोड़ रु० का है।

(ग) 1994-95 के दौरान देश में फलों के उत्पादन से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र

234. **श्री बलराज पासी :**

श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

श्री रामपाल सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र के लिए राजसहायता में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सेन्ट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट

235. **श्री रमेश चेन्नितला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोचीन के पास अपने क्रियाकलापों के संचालन के लिए कोई भूमि नहीं है और सी. एम. एफ. आर. आई. द्वारा भूमि के अधिग्रहण के लिए कोई अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंस्टीट्यूट को भूमि के अधिग्रहण की अनुमति दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) केन्द्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के पास अनुसंधान संबंधी गतिविधियां चलाने

के लिए भूमि और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे उपलब्ध हैं। फिर भी केन्द्रीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने अभी हाल ही में ग्रेटर कोचीन विकास प्राधिकरण से कोचीन में 25 सैण्ट भूमि प्राप्त करने का एक प्रस्ताव भेजा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) एवं (घ) केन्द्रीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने ग्रेटर कोचीन विकास प्राधिकरण से 1.8 करोड़ रुपये की 25 सैण्ट जमीन प्राप्त करने का प्रस्ताव भेजा है ताकि एक संकरा गलियारा बनाकर संस्थान को मुख्यालय से जोड़ा जा सके।

चूंकि वर्ष 1995-96 के दौरान किसी भी अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध नहीं था इसलिए यह संभव नहीं है कि चालू वित्त वर्ष में केन्द्रीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान को जमीन प्राप्त करने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

कृषि संबंधी मानव संसाधन विकास योजना

236. **श्री दत्ता मेघे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने कृषि संबंधी मानव संसाधन विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सिद्धांत रूप से इस प्रायोजना में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की है पर कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, कृषि मानव संसाधन विकास प्रायोजना आंध्र प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में प्रथम चरण में शुरू की गई है जिसने प्रायोजना का विस्तृत प्रस्ताव भेजा है।

[अनुवाद]

कृषि भूमि का आबंटन

237. **श्री हरिसिंह चावड़ा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से गुजरात में अनुमानतः कितने भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि भूमि आबंटित की गई;

(ख) क्या इन जोतदारों के नाम पंजीकृत किए गए हैं और उन्हें भूमि जोतने–बोने आदि के अधिकार दिए गए है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कुछ दिशा–निर्देश दिए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) पिछले दो वर्षो अर्थात् 30 जून, 1993 से 30 जून 1995 तक के दौरान गुजरात राज्य सहित राज्यवार वितरित क्षेत्र तथा लाभार्थियों की संख्या का विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों को, आंबटियों को एक साथ पट्टा जारी करने तथा अधिकारों के रिकार्ड में आवश्यक परिवर्तन करते हुए उन्हें दी गई अधिकतम अधिशेष भूमि का कब्जा देने को कहा गया है।

विवरण

पिछले दो वर्षो, यानि जून, 1993 से जून, 1995 तक के दौरान राज्यवार वितरित क्षेत्र तथा अधिकतम भूमि के वितरण के लाभार्थियों की संख्या

(क्षेत्र लाख एकड़ में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वितरित क्षेत्र	लाभार्थी (लाख में)
1. आन्ध्र प्रदेश	72811	69206
2. असम	18776	11918
3. बिहार	18338	32838
4. गुजरात	1107	1434
5. हरियाणा	उपलब्ध नहीं है।	उपलब्ध नहीं है।
6. हिमाचल प्रदेश	0	0
7. जम्मू एवं कश्मीर	0	0
8. कर्नाटक	1376	उपलब्ध नहीं है।
9. केरल	325	1947
10. मध्य प्रदेश	768	711
11. महाराष्ट्र	उपलब्ध नहीं है।	1050
12. मणिपुर	0	0
13. उड़ीसा	3157	4475
14. पंजाब	507	115
15. राजस्थान	2268	721
16. तमिलनाडु	8882	7931
17. त्रिपुरा	0	0
18. उत्तर प्रदेश	16224	18293
19. पश्चिम बंगाल	11837	43949
20. दादर एंव नागर हवेली	40	40
21. दिल्ली	0	0
22. पाण्डिचेरी	0	0

भारतीय पटसन निगम

238. श्री चित्त बसु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम ने वित्तीय संकट पर काबू पाने के लिए कार्य संचालन के विविधीकरण की परियोजना (पैकेज) बनाई है;

(ख) यदि हां, तो योजना (पैकेज) का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय पटसन निगम ने अभी तक कार्य संचालन के विविधीकरण का पैकेज तैयार नहीं किया है।

(ग) भारतीय पटसन निगम को अपना प्रशासन सख्त करने तथा प्रशासनिक व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए कहा गया है, ताकि अपेक्षित वित्तीय सहायता की राशि कम की जा सके।

केन्द्रीय राज्य फार्म

239. डा० साक्षीजी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय राज्य फार्मो में उत्पन्न विभिन्न खाद्यान्नों के बीजों की कुल मात्रा का फार्मवार और अनाजवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : 1994-95 के दौरान केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराइच तथा केन्द्रीय राज्य फार्म रायबरेली (उ०प्र०) में उत्पादित बीज की मात्रा का ब्यौरा इस प्रकार हैं :–

(क्विंटल में)

फसल	के०रा०फा०, बहराइच	के०रा०फा० रायबरेली
धान	8297	450
मक्का	35	-
सोयाबीन	6233	-
गेहूं	24610	350
मसूर	155	-
राजमा	617	-
मटर	12	-
	39959	800

वृक्ष उत्पादन प्रौद्योगिकी

240. श्री पीयूष तीरकी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा किये गए अध्ययन मल व्ययन बहिस्त्राव से जलीय और स्थलीय किस्मों के लिए वृक्ष उगाने संबंधी प्रौद्योगिकी को सफलता सिद्ध हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा परती भूमि के विकास के लिए इस प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए की गई/की जा रही कार्यवाही क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड ने घरों से निकलने वाले गंदले पानी और मल–जल के इस्तेमाल से वृक्ष उगाने के लिए प्रौद्योगिकी विस्तार की तीन परियोजनाएं प्रायोजित की हैं। मिट्टी के गुणों पर ऐसे गंदले पानी से पड़ने वाले प्रभावों का भी इस परियोजनाओं के माध्यम से मूल्यांकन किया जा रहा है। ये परियोजनाएं केन्द्रीय मृदा लवण अनुसंधान संस्थान, करनाल तथा अन्य संस्थानों द्वारा बनाई जा रही हैं। व्यापक स्तर पर कार्यान्वित किये जाने के लिए इन परियोजनाओं के नतीजों का अभी मूल्यांकन किया जाना है।

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त स्थान

241. श्री बी. एल. शर्मा प्रेम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के अनेक पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका श्रेणी–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) 1.4.95 की स्थिति के अनुसार, संस्वीकृत 35,465 शिक्षक पदों में से, विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में, पदों को विभिन्न श्रेणियों में निम्नलिखित रिक्तियां विद्यमान थीं :

प्रधानाचार्य	138
उप प्राधानाचार्य	120
प्रधानाध्यापक	99
पी. जी. टी.	1045
टी. जी. टी./पी. आर. टी. तथा अन्य	3629

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने, उक्त सभी श्रेणियों में अधिकांश रिक्तियों को हाल ही में सीधी भर्ती तथा विभागीय पदोन्नति द्वारा भर दिया था।

तथापि, प्राधानाचार्य के ग्रेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की 19 रिक्तियां तथा शिक्षकों की लगभग 1200 रिक्तियां सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्ताव (ऑफर) से इनकार करने/विभागीय पदोन्नति पाने वालों तथा पदों की कुछ श्रेणियों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों की अनुपलब्धता के कारण भरी नहीं जा सकी। अतः भर्ती/पदोन्नति के लिए प्रयास जारी है।

विद्यालयों के सुचारू कार्यकरण के लिए जहां कहीं नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, प्रधानाचार्यों को संविदा आधार पर शिक्षक नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

242. श्री जगमीत सिंह बराड़ : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक सुधार लाने हेतु सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सुझावों के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना को कब तक लागू किया जाएगा?

नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) से (ङ) जी हां। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर दी गई मूल्यांकन रिपोर्ट की टिप्पणियां आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परिचालित कर दी गई हैं। इन मुद्दों की राज्य सरकारों के साथ की जाने वाली बैठकों में भी समीक्षा की जा रही है क्योंकि इन टिप्पणियों पर कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा की जानी है। अतः इस संबंध में अलग से कोई स्कीम तैयार नहीं की गई है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के मुख्य निष्कर्ष और सुझाव निम्नवत हैं:—

(i) आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विकास खण्डों और समन्वित आदिवासी विकास परियोजनाओं (आई.टी.डी.पी.) के भूभागी क्षेत्र एक जैसे नहीं हैं। मध्य प्रदेश में कुछ अभिज्ञात खण्डों के सभी गांवों को संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नहीं लाया गया है।

(ii) बिहार, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के चुने हुए खण्डों में किसी भी उचित दर दुकान के दरवाजे तक सुपुर्दगी की स्कीम नहीं चलाई जा रही है। इसे आंशिक रूप से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है।

(iii) 64 चुने हुए गांवो में से 25 गांवों में उचित दर दुकान न होने और 30 गांवो के चुने हुए परिवारों के पास राशन कार्ड न होने की सूचना दी गई है। कुछ चुने हुए गांवों में राशन कार्ड या तो खो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, फट गए हैं या उपयोग के लायक नहीं रहे हैं, पर परिवारों द्वारा राशन लिया जा रहा है।

(iv) खण्ड स्तर पर भण्डारण सुविधाएं अपर्याप्त पायी गई हैं। राजसहायता के घटक को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करके वित्तीय सहायता को उदार बनाए जाने के बावजूद सरकारी क्षेत्र में अपने गोदाम बनाने/निर्माण करने के बजाए भाड़े के गोदामों पर निर्भरता बढ़ रही है।

(v) दरवाजे तक सुपुर्दगी और चलती—फिरती उचित दर दुकानों के लिए पयुक्त वैनों की संख्या अपर्याप्त पाई गई है। लगभग 20 प्रतिशत वैनें कार्य करने की अवस्था में नहीं हैं और उनमें काफी मरम्मत की आवश्यकता है।

(vi) अधिकांश सतर्कता समितियां अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रही हैं।

(vii) आवंटित सभी वस्तुओं की 60 प्रतिशत से अधिक मात्रा उठा ली जाती है, हालांकि वस्तुओं का आवंटन एक समान या राज्यों की वास्तविक आवश्यकता के अनुपात में या लोगों की आहार संबंधी आदतों के अनुसार नहीं किया जाता है। स्कीम के तहत शामिल वस्तुओं का वितरण आमतौर पर संतोषजनक है।

(viii) वस्तुओं के वितरण के लिए निर्धारित मानकों का उचित दर दुकानों द्वारा आमतौर पर अनुपालन किया जा रहा है।

(ix) उचित दर दुकानधारियों की समस्याएं सुपुर्दगी केंद्रों की स्थिति, वस्तुओं की ढुलाई, मार्जिन मनी या कमीशन के निर्धारण, वस्तुओं के मूल्य के अग्रिम भुगतान और आवधिक सुपुर्दगी से संबंधित हैं।

(x) चुने हुए राज्यों में, बिहार और मध्य प्रदेश को छोड़कर जवाहर रोजगार योजना/रोजगार आश्वासन स्कीम के तहत काम करने वाले परिवारों को मजदूरी का भुगतान उचित दर दुकानों के जरिए वस्तु के रूप में नहीं किया जा रहा है। किसी भी राज्य में संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पोषाहार कार्यक्रम के साथ कोई भी संबंध नहीं पाया गया है।

(xi) उचित दर दुकानों के कार्यकरण के बारे में चुने हुए परिवारों की एक मिश्रित प्रतिक्रिया थी। 61 प्रतिशत से अधिक प्रत्यार्थियों ने उचित दर दुकानों को नियमित रूप से खोले जाने के बारे में सकारात्मक उत्तर दिया, जबकि 30.28% का उत्तर नकारात्मक था। उचित दर दुकानों को खोले जाने और निर्धारित काम के घंटो के बारे में निम्नलिखित राज्यों के अनेक प्रत्यार्थियों ने नकारात्मक रूप से सूचित किया : बिहार (75.29%), कर्नाटक (43.56%), महाराष्ट्र (57.14%), राजस्थान (43.48%) और तमिलनाडु (100%) तथापि, खोलने के समय, काम के घण्टों, वितरण में नियमितता और उपभोक्ताओं को सूचित करने के बारे में मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। उचित दर दुकानों में वस्तुओं की घटिया किस्म, परिमाण और साथ ही ऊंचे मूल्यों के बारे में कुछ संकेत मिले हैं। इस प्रयोजन के लिए सचेत पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग की आवश्यकता है।

(xii) यह पाया गया कि आमतौर पर वस्तुएं नियमित रूप से वितरित

की जाती हैं, पर कुछ मामलों में काफी अन्तर से अनियमित वितरण की सूचना मिली है।

(xiii) गेहूं (60%) और मिट्टी का तेल (67%) के मामले में उपभोक्ताओं ने वितरित की गई मात्रा को पर्याप्त माना है, जबकि चीनी (61%) और चावल (55%) के मामले में अनेक स्थानों पर वितरित की गई मात्रा अपर्याप्त बताई गई है। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित की जाने वाली वस्तुओं के मामले में गेहूं (69.08%) चावल (57%) और चीनी (57%) की किस्म आमतौर पर "औसत" सूचित की गई है।

(xiv) अधिकांश प्रत्यर्थियों ने वस्तुओं अर्थात गेहूं (80.40%), चावल (77.21%) चीनी (89%) और मिट्टी का तेल (92.13%) के लिए व्यय करने में सक्षमता प्रकट की।

(xv) कुछ राज्यों में, लाभभोगियों ने उन वस्तुओं के संबंध में अपनी स्थानीय आवश्यकताएं और पसंद सूचित कीं जिन्हें वे संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किया जाना पसंद करेंगे। उदाहरणार्थ राजस्थान और गुजरात में मकई, ज्वार और बाजरा आदि को शामिल किए जाने की स्थानीय मांग है, केरल में गेहूं के मुकाबले चावल की मांग अधिक है। पश्चिम बंगाल में वितरण हेतु स्थानीय किस्म के चावल को पसंद किया जाना है। अध्ययन से पता चलता है कि वस्तुओं की पसंद के बारे में स्थानीय स्थिति (सामाजार्थिक और सांस्कृतिक) पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। वितरण के तहत वस्तुओं को शामिल करने और बदलने के लिए स्कीम में क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण को यथोचित महत्व देने की आवश्यकता है।

(xvi) "जानकार लोगों" के अनुसार संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन निम्न कारणों से असंतोषजनक है: खाद्यान्नों का अनियमित वितरण किया जाना, उच्च ढुलाई लागत होना और अपर्याप्त राजसहायता वस्तुओं को नियमित रूप से और समय से न उठाना, आपूर्ति वितरण में कम तोलना, भंडारण केंद्रों/सपुर्दगी केंद्रों पर अच्छे किस्म की वस्तुओं को बदल देना, वितरण में गुणवत्ता और प्रक्रिया का पालन न करना और सतर्कता समितियों का अभाव होना।

[अनुवाद]

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

243. श्री प्रवीन डेका : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अवैध शिकार और पेड़ों की अवैध कटाई की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) मुख्य वन्य जीव वार्डन, असम सरकार के अनुसार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों के चोरी छिपे शिकार को छोड़कर वृक्षों की अवैध कटाई की कोई रिपोर्ट नहीं हैं।

(ख) गत चार वर्षो के दौरान शिकार चोरों द्वारा मारे गए गैंडों की संख्या नीचे दी गई है :

1992	40
1993	40
1994	14
1995	21 (1.1.95 से 31.10.95 तक)

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन ने सूचित किया है कि गैंडों के चोरी–छिपे शिकार को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान में गश्त तेज कर दी गई है।

मानसून के कारण क्षति

244. डा० वसंत पवार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस वर्ष अनियमित मानसून के कारण महाराष्ट्र में अंगूर/प्याज के उत्पादन को पहुंची अत्यधिक क्षति से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का किसानों की क्षतिपूर्ति में सहायता करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों द्वारा लिये गये ऋण के भुगतान को माफ/सांतर करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मानसून की गड़बड़ी का अंगूर/प्याज के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भारत सरकार की सहकारी ऋण व्यवस्था में ऐसा प्रावधान है जिसके अनुसार प्राकृतिक आपदा के कारण 50 प्रतिशत या इससे अधिक की फसल हानि होने पर किसानों को वितरित किये गये अल्पावधिक ऋणों को मध्यम आवधिक ऋणों में बदल दिया जाता है। इससे किसान अगले फसल मौसम के लिये नया अल्पावधिक उत्पादन ऋण ले सकते हैं। कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष नामक एक ऐसी केन्द्रीय प्रायोजित योजना भी है जिसके अंतर्गत जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण प्रदान

किया जाता है जिससे कि वे अपने अल्पावधिक ऋणों को मध्यम अवधि के ऋणों में बदलने की अपनी जरूरतें पूरी कर सकें।

बाढ़ सहायता

245. श्री लाईता उम्ब्रे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष बाढ़ प्रभावित राज्यों को राज्य–वार कितनी सहायता राशि जारी की गई;

(ख) चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा प्रत्येक ऐसे राज्य के लिए बाढ़ सहायता कोषों से कितनी धन राशि स्वीकृत की गई;

(ग) अब तक राज्य सरकारों को राज्य–वार वास्तविक रूप से कितनी धन राशि उपलब्ध कराई गई है;

(घ) बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ङ) क्या सभी राज्यों के लिए यही मानदंड अपनाए जाते हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान, आवंटित आपदा राहत कोष में केन्द्रीय अंश सभी राज्य सरकारों को दे दिया गया है। 1995-96 के दौरान, आपदा राहत कोष में केन्द्रीय अंश की तीन किश्तें सभी राज्य सरकारों को दी जा चुकी हैं। कुछेक राज्यों को चौथी किश्त भी अग्रिम रूप से दी जा चुकी है। पिछले तीन वर्षो के दौरान आपदा राहत कोष में से दिया गया केन्द्रीय अंश आपदा राहत कोष से आवंटन तथा 1995-96 के दौरान दिये गये धन का एक विवरण संलग्न है।

(घ) सरकारी विभागों से विशेषज्ञों के केन्द्रीय दल क्षेत्रों के दौरों तथा राज्य सरकारों के पदाधिकारियों के साथ चर्चाओं के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में क्षति की सीमा का अनुमान लगाते हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(रु० करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	पिछले तीन वर्षो के दौरान वार्षिक रूप से निर्मुक्त आपदा राहत कोष में केंद्रीय अंश	1995-96 के दौरान आवंटित आपदा राहत कोष	1995-96 के दौरान निर्मुक्त आपदा राहत कोष (केन्द्रीय अंश)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	64.50	117.21	87.91
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.50	6.64	4.98
3.	असम	22.50	47.20	35.40
4.	बिहार	26.25	49.04	36.78
5.	गोवा	0.75	1.01	0.57
6.	गुजरात	63.75	131.76	74.11
7.	हरियाणा	12.75	23.65	17.64
8.	हिमाचल प्रदेश	13.50	25.44	14.31
9.	जम्मू एवं कश्मीर	9.00	18.60	13.95
10.	कर्नाटक	20.25	39.49	29.62
11.	केरल	23.25	52.29	29.41
12.	मध्य प्रदेश	27.75	48.21	27.12
13.	महाराष्ट्र	33.00	64.37	36.21
14.	मणिपुर	0.75	2.35	1.32
15.	मेघालय	1.50	2.63	1.97
16.	मिजोरम	0.75	1.20	0.67
17.	नागालैण्ड	0.75	1.60	0.90
18.	उड़ीसा	35.25	46.25	43.88
19.	पंजाब	21.00	51.11	38.33
20.	राजस्थान	93.00	168.99	95.05
21.	सिक्किम	2.25	4.44	2.49
22.	तमिलनाडु	29.25	56.02	31.50
23.	त्रिपुरा	2.25	4.24	2.38
24.	उत्तर प्रदेश	67.50	118.09	66.42
25.	पश्चिम बंगाल	30.00	48.44	36.33

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालय

246. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन स्थानों पर जहां सरकार ने नवोदय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है भवन निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में नवोदय विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो उक्त विद्यालय खोलने के बारे में घोषणा करने के पश्चात भी भवन उपलब्ध न होने और समय पर शिक्षकों की नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी हां। विद्यालय के भवनों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से तभी आरम्भ किया जाता है जबकि राज्य सरकार द्वारा भूमि का हस्तांतरण समिति को हो जाये तथा वह पर्याप्त निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ख) जिला रामपुर (उ० प्र०) में अब तक किसी नवोदय विद्यालय की संस्वीकृति नहीं दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ने नवोदय विद्यालय योजना का प्रारूप तैयार किया है तथा विद्यालयों को चलाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षा में एक समिति जिसे नवोदय विद्यालय समिति के नाम से जाना जाता है, का गठन किया है। विद्यालयों को चलाने के लिए योजना और योजनेत्तर के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निधियां संस्वीकृत की जाती है। संगठन की सामान्य परिषद् (समिति) के अतिरिक्त, चल रहे कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए और संगठन के सुचारू कार्यकरण के लिए मार्गदर्शन हेतु कार्यकारी समिति, निर्माण (कार्य) समिति, वित्त समिति और शैक्षिक सलाहकार समिति है।

[अनुवाद]

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

247. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कब्जे वाले आवासीय परिसर को खाली करवाने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने कुछ टाइप दो के आवासों को खाली कर दिया है परंतु उन्हें अब तक सरकार को नहीं सौंपा गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) उक्त परिसर को पूरी तरह से आई. एस. टी. एम. को कब तक सौंप दिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय ने पहले ही ब्लाक 1 में टाईप–III के 16 क्वार्टर तथा 13 कमरे पहले ही खाली कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय ने सम्पदा निदेशालय से यह भी अनुरोध किया है कि वह विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा खाली किए गए टाईप–II के 2 क्वार्टर तथा टाईप–I के 12 क्वार्टरों को अपने कब्जे में ले लें।

(घ) यह मामला विश्वविद्यालय तथा शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय के बीच विचाराधीन है।

गेहूं का निर्यात

248. श्री रामविलास पासवान : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धारित खुली बिक्री दर में संशोधन के पश्चात्, भारतीय खाद्य निगम को गेहूं के निर्यात हेतु कुल कितने क्रयादेश प्राप्त हुए;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं का मूल्य कम है जिससे भारतीय गेहूं का निर्यात कम हो रहा है; और

(ग) क्या निर्यात के लिए निर्धारित गेहूं उचित समय पर भेजने के लिए बन्दरगाहों तथा "रेलहेडों" पर शीघ्र निकासी के पर्याप्त उपाय किए गए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की सुगम स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1995-96 के दौरान गैर–ड्युरूम गेहूं निर्यात करने के लिए 2.5 मिलियन मीटरी टन की सीमा रिलीज की है जिसके लिए कोई न्यूनतम निर्यात मूल्य लागू नहीं किया गया है और भारतीय खाद्य निगम को उक्त सीमा के अन्दर अपने स्टाक से गेहूं का निर्यात करने/निर्यात के प्रयोजन के लिए बिक्री करने के लिए भी प्राधिकृत किया है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम गेहूं का सीधे निर्यात नहीं कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम को निर्यातकों से निर्यात के प्रयोजन के लिए गेहूं की खरीददारी करने हेतु कुछ पेशकश प्राप्त हुई हैं और इन पर कार्रवाई की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय में विज्ञान उपकरण

249. डा. मुमताज अंसारी : क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 नवंबर, 1995 के "जनसत्ता" में प्रकाशित "पांच करोड़ में खरीदे उपकरणों का आठ साल से इस्तेमाल नहीं" समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में पांच करोड़ रुपये के मूल्य के विज्ञान उपकरण बेकार पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार पत्र में लगाए गए आरोपों की एक वास्तविक रिपोर्ट दिल्ली विश्वविद्यालय से मंगवाई गई है तथा इस संबंध में आगे कोई भी कार्रवाई करना रिपोर्ट के उपलब्ध होने के बाद ही संभव होगा।

[अनुवाद]

मदरसा शिक्षा

250. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अधिकांश मदरसों और मक्तबों ने मदर्रसों को

आधुनिक बनाने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को अस्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ मदरसों ने गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे आधुनिक विषयों के शिक्षण में रूचि दिखाई है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह नीति कार्य योजना 1992 में तैयार की गई थी;

(ङ) क्या कार्य योजना, 1992 शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति के अनुरूप है; और

(च) यदि हां, तो मदरसों को आधुनिक बनाने संबंधी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को अस्वीकार किए जाने के मुख्य कारण क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डॉ० कृपासिंधु भोई) : (क) से (ग) मदरसों को आधुनिक बनाने की योजना वर्ष 1993-94 में शुरू की गई थी जिसमें 25 लाख रु० के सन्तुलित बजट का प्रावधान था और यह सहायता वर्ष 1994-95 तक 64 मदरसों को प्रदान की गई। वर्ष 1995-96 में इस योजना के लिए 40 लाख रु० का बजट प्रावधान है और राज्य सरकारों के माध्यम से अब तक 192 मदरसों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। सन्तुलित स्तर पर नई योजनाएं शुरू करना बिल्कुल सामान्य है।

सरकार को यह जानकारी नहीं है कि देश में अधिकांश मदरसों ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया है। दूसरी ओर, सरकार ने जिन अध्येताओं से परामर्श किया, उन्होंने इस योजना में बहुत रूचि प्रकट की और बृहद स्तर पर मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता की अपेक्षा की।

(घ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता। सरकार ने मदरसों को सहायता देने के मानदण्डों को सुदृढ़ किया है और सरकार ने वर्ष 1995-96 से इस योजना को मदरसों से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक चलाने का विस्तार किया है। सरकार इस योजना के अन्तर्गत देश में मदरसों की सहायता में तेजी से वृद्धि करना चाहती है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन

251. श्री काशी राम राणा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, व्यक्तियों आदि सहित अनेक स्त्रोतों से समय-समय पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के बारे में सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। प्रायः ये सूचनाएं केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग अथवा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत जारी अनुमोदनों में मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किए जाने से संबंधित है :—

(ग) संबंधित राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न हो। साथ ही, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के मामलों पर निर्णय अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लिया जाता है।

भारतीय खेल प्राधिकरण

252. श्री मोहन रावले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अक्तूबर, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "ऑडिट रिपोर्ट डैम्स स्पोर्टस अथारिटी आफ इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इसमें अनिमितताओं के लिए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भविष्य में इसे रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रमंडल खेल, विक्टोरिया तथा एशियार्ड खेल, हिरोशिमा में भाग लेने के लिए भारतीय खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कुछ खेल सामग्री का आयात किया गया था। आंतरिक आडिट ने पाया कि इसके आयात में उपयुक्त प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है।

(ग) से (ङ) मामले की जांच की जा रही है और सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा

253. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा देने संबंधी सुझाव को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या नीति अपनाई है और क्या निर्णय लिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) भारत सरकार की नीति विश्वविद्यालय स्तर पर, शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देने की रही है। देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने शिक्षण के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 25 मई, 1995 को हुई अपनी बैठक में श्री राजनाथ सिंह, संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत एक निजी सदस्य विधेयक–क्षेत्रीय भाषाओं में अनिवार्य प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विधेयक, 1995 के प्रति अपनी प्रतिक्रिया पर विचार किया और अन्य बातों के साथ–साथ यह मत जाहिर किया कि विश्वविद्यालय किसी भी आधुनिक भारतीय भाषा तथा अंग्रेजी व हिन्दी में शिक्षण जारी रख सकते हैं। तथापि आयोग उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं के अनिवार्य प्रयोग के पक्ष में नहीं था।

[अनुवाद]

शिक्षा को राज्य सूची में शामिल किया जाना

254. श्री हाराधन राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार शिक्षा को समवर्ती सूची से निकाल कर राज्य सूची में शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दामोदर नदी

255. श्री हाराधन राय :

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दामोदर नदी के दोनों किनारों पर स्थित सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बड़े, मझोले एवं लघु उद्योग कौन–कौन से हैं तथा वे कहां–कहां हैं जो नदी में प्रदूषण पैदा कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार दामोदर नदी के प्रदूषण को रोकने हेतु किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो दामोदर नदी के प्रदूषण को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन राज्य मंत्रालय के मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) दामोदर नदी का प्रदूषण निवारण कार्यक्रम गंगा कार्य योजना के चरण–II के भाग के रूप में शुरू किया जाना है। बिहार के 9 नगरों तथा पश्चिम बंगाल क्षेत्र के 4 नगरों से होने वाले प्रदूषण भार का मूल्यांकन करने के लिए जनवरी/फरवरी, 1994 में सर्वेक्षण एवं जांच कार्य किए गए थे। इन नगरों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इन सर्वेक्षणों से पता चलता है कि नदी बिहार में सभी 9 नगरों के किनारे प्रदुषित है। पश्चिम बंगाल के मामले में सर्वेक्षण से पता चला है कि नदी केवल रानीगंज के किनारे आंशिक रूप से प्रदूषित है। पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर इन 4 नगरों के पुनः सर्वेक्षण का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार से वितरण की प्रतीक्षा की जा रही है।

विवरण

बिहार और पश्चिम बंगाल के नगरों की सूची जहां सर्वेक्षण कार्य किया गया था

बिहार

1.	रामगढ़	2.	बोकारो/कारगली
3.	दुग्धा	4.	तेलू मोचू पुल
5.	जामादोबा	6.	झारिया
7.	सुदामदी	8.	सिंदरी
9.	चिरकुण्डा		

पश्चिम बंगाल

1.	आसनसोल	2.	रानीगंज
3.	अन्दाल	4.	दुर्गापुर

[हिन्दी]

बीजों/तिलहनों की आवश्यकता

256. श्री राम सिंह कस्वां : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय विभिन्न खाद्यान्नों तथा तिलहनों की अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य कृषि निगमों तथा अन्य सरकारी एजेन्सियों द्वारा खाद्यान्नों के बीजों तथा तिलहनों की कुल कितनी मात्रा की आपूर्ति की जा रही है;

(ग) देश में संकर किस्म के एवं प्रमाणित बीजों की आवश्यकता की तुलना में इनकी कितनी कमी है;

(घ) क्या सरकार ने बीजों की कमी दूर करने हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) राज्यों द्वारा सूचित किये गये के अनुसार 1995-96 के लिये खाद्यान्नों के प्रमाणित बीज की आवश्यकता 53.67 लाख क्विंटल तथा तिलहनों के प्रमाणित बीज की आवश्यकता 13.89 लाख क्विंटल आंकी गई है।

(ख) इन एजेंसियों द्वारा आपूर्ति किये जा रहे खाद्यान्नों तथा तिलहनों के प्रमाणित बीजों/गुणवत्ता वाले बीजों की कुल मात्रा 52.91 लाख क्विंटल हैं।

(ग) आवश्यकता की पूर्ति में कोई कमी नहीं है।

(घ) तथा (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

खाद्य तैल की चोरी

257. श्री श्रीकांत जेना : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अक्तूबर, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "एडिबल आयल वर्थ रूपीज 1.80 करोड़ पिलफर्ड डेली बाई माफिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) चोरी से बचने के लिए बन्दरगाह क्षेत्र में तेल मापने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) से (ग) सरकार ने राज्य व्यापार निगम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्य तेलों का आयात करने के लिए प्राधिकृत किया है। राज्य व्यापार निगम द्वारा बम्बई सहित विभिन्न पत्तनों पर आयातित खाद्य तेल भूमिगत पाईपलाइनों के जरिए जहाज से निकाल कर सीधे भंडारण टैंकों तक पहुंचाया जाता है। तेल की मात्रा आयतन मूलक आधार पर निर्धारित की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नामितियों को सुपुर्दगी करने से पहले तेल का भार राज्य व्यापार निगम की संस्थापना में, जो कि पत्तन क्षेत्र में अवस्थिति है, कर लिया जाता है। इन कार्यों में किसी चोरी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

कृषि विकास

258. श्री पवन दीवान :

श्री खेलन राम जांगड़े :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में दीर्घकालिक आधार पर कृषि के सतत् विकास के लिए उठाये जा रहे/उठायें जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : कृषि के क्षेत्र में सतत् विकास हासिल करने में मध्य प्रदेश राज्य सरकार को मदद करने के लिए भारत सरकार ने दीर्घकालीन आधार पर बहुत सी केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें शुरू की हैं। इनमें निम्नलिखित प्रमुख योजनायें शामिल हैं:

1. समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (चावल)।
2. समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (मोटे अनाज)।
3. गहन कपास विकास कार्यक्रम।
4. राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम।
5. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम।
6. समेकित मसाला विकास कार्यक्रम।
7. कृषि में प्लास्टिक का उपयोग।
8. नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।
9. बाढ़ प्रवण नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबंध।
10. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।

बीजों पर अनुसंधान

259. श्री मोहन सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न फलों, सब्जियों तथा खाद्यान्नों के उन्नत बीजों को विकसित करने हेतु अनुसंधान कार्य चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या उपलब्धि रही;

(ग) क्या सरकार ने कोई नीति बनाई है ताकि छोटे किसानों को भी इससे लाभ मिल सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान देश की विभिन्न कृषि जलवायुयीय दशाओं में खेती के लिए कई उन्नत किस्में/संकर किस्में तथा उत्पादन प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं। (फलों की -13 सब्जियों की -58 तथा खाद्यान्नों की -71)

(ग) तथा (घ) नीति के रूप में छोटे किसानों सहित किसानों के बीच उन्नत प्रौद्योगिकियों के हस्तान्तरण तथा उसकी लोकप्रियता के लिए भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए राज्य कृषि तथा बागवानी विभागों एवं अन्य एजेन्सियों (अभिकरणों) को केन्द्रीय सहायता दे रही है।

[अनुवाद]

मूंगफली का उत्पादन

260. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान मूंगफली का राज्य-वार अनुमानित सकल उत्पादन कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में वर्ष—वार मूंगफली की कृषि के अन्तर्गत आने वाला कुल क्षेत्र कितना है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इसके उत्पादन में कोई कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम, जहां गिरावट दर्ज की गई है क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) खरीफ, 1995 के मूंगफली के उत्पादन का विवरण-I संलग्न हैं।

(ख) विवरण-II संलग्न है।

(ग) और (घ) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान मूंगफली का उत्पादन लगभग एक समान अर्थात् 8.56 मिलियन मी० टन था। किन्तु वर्ष 1993-94 में केवल 7.76 मिलियन मी० टन मूंगफली का उत्पादन हुआ। मुख्यतः गुजरात राज्य में उत्पादन में गिरावट आई, इसका कारण अनियमित वर्षा और मध्य मौसम में अधिक समय तक सूखे का पड़ना है,जिससे खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उत्पादन प्रभावित हुआ। किन्तु एक राज्य से दूसरे राज्य में उत्पादन में वर्ष प्रतिवर्ष उतार चढ़ाव आता रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि मानसून की स्थिति के अनुसार खरीफ मौसम में मूंगफली के अधीन क्षेत्र में कमी बेशी आती रहती है।

(ङ) मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए बीजों, राइजोबियल कल्चर, जिप्सम और पाइराइट, उन्नत कृषि यंत्रों आदि के उत्पादन और वितरण जैसे मुख्य आदानों पर केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से सहायता दी जाती है। इसके अलावा संभावना वाले राज्यों में रबी/ग्रीष्म मौसम में सिंचित मूंगफली के अधीन अधिक क्षेत्र लाने के लिए किसानों को स्प्रिंकलर सैट मुहैया कराए जा रहे हैं।

विवरण-I

राज्य मूंगफली का अनुमानित उत्पादन (खरीफ, 95)

('000 मि. टन में)

1	2
आंध्र प्रदेश	1558
असम	3
बिहार	20
गुजरात	578
हरियाणा	1
हिमाचल प्रदेश	2
जम्मू और कश्मीर	3
कर्नाटक	692
केरल	14
मध्य प्रदेश	271
महाराष्ट्र	318
उड़ीसा	205
पंजाब	9
राजस्थान	202
तमिलनाडु	830
उत्तर प्रदेश	160
पश्चिम बंगाल	-
अन्य	5
संपूर्ण भारत	4871

विवरण -II

(क्षेत्र 000 है. में)

	राज्य	1992-93	1993-94	1995-96
1.	आंध्र प्रदेश	2372.4	2375.0	2171.0
2.	गुजरात	1884.0	2053.0	1989.0
3.	कर्नाटक	1275.7	1228.3	1206.0
4.	मध्य प्रदेश	258.8	275.8	281.0
5.	महाराष्ट्र	652.2	659.0	624.0
6.	उड़ीसा	112.1	100.1	176.0
7.	राजस्थान	242.8	286.4	248.0
8.	तमिलनाडु	1188.4	1197.4	1170.0
9.	उत्तर प्रदेश	118.8	132.0	136.0
10.	अन्य	61.2		69.0
	संपूर्ण भारत	8166.4	8378.8	8070.0

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियालाजी इन्स्टीट्यूट

261. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने मंगलौर में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियालाजी इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए स्थान के बारे में सिफारिश करने हेतु एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने प्रस्तावित संस्थाम के लिए स्थान की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने इस प्रयोजनार्थ भूमि और अन्य

सुविधाएं उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित संस्थान की स्थापना कब तक कर दी जाएगी; और

(छ) वर्ष 1995-96 के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित संस्थान की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराने और स्थान का सुझाव देते हेतु राज्यों का दौरा करने के लिए निम्नलिखित समिति की स्थापना की गई है :

1.	डा. बी. के. सोनी	अध्यक्ष
2.	डा. एस. पी. अरोड़ा	सदस्य
3.	डा. जी. सी. मोहोती	सदस्य
4.	डा. पी. एन. लंगर	सदस्य
5.	डा. किरन सिंह	सदस्य—सचिव

(ग) जी, हां।

(घ) उपरोक्त समिति ने सिफारिश की है कि प्रस्तावित संस्थान बंगलौर, कर्नाटक में स्थापित किया जा सकता है।

(ङ) जी, हां।

(च) राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान ने 24 नवम्बर, 1995 से बंगलौर, कर्नाटक में काम करना शुरू कर दिया है।

(छ) इस संस्थान के लिए वर्ष 1995-96 के लिए 170.00 लाख रुपये का व्यय निर्धारित किया गया है।

ताजमहल

262. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताज में प्रकाश तथा ध्वनि कार्यक्रम आरंभ होने से ताज को संभावित क्षति के संबंध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कारण ताज की संभावित क्षति के संबंध में क्या निष्कर्ष निकला है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ताजमहल में ध्वनि एवं प्रकाश कार्य का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

263. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जुलाई, 1995 के "द स्टेट्समेन" में "लूपहोल्स इन पी डी एस नेटवर्क स्पेल डूम फार ट्राइबलस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि आदिवासियों के लिए नियत खाद्यान्न उन्हीं को मिलें; और

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गंभीर अनियमितताओं में लिप्त लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मुख्य आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति, भंडारण, परिवहन तथा राज्य सरकारों को थोक में उनके आवंटन का प्रबंध करती है। उपभोक्ताओं को वस्तुओं के वास्तविक वितरण से संबंधित कार्यवाही करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि दहानू तहसील में उचित दर दुकानों के कार्यकरण के बारे में की गई जांच के निष्कर्षों के आधार पर तीन उचित दर दुकानों के लाइसेंस निलम्बित कर दिए गए हैं। सभी अनियमितताओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है तथा इसमें लिप्त कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि ठाणे जिले के जिला आपूर्ति अधिकारी को स्थानांतरित कर दिया गया है और दहानू के तहसीलदार को अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने आगे सूचित किया है कि दहानू तहसील में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार, महाराष्ट्र सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को सलाह देती रही है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का, विशेष रूप से संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों में, उचित स्टाक रखने तथा वितरण करने के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित करें। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित दर दुकानों के दरवाजे तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को सुपुर्दगी सुनिश्चित करें और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं में हेरा—फेरी को रोकने के लिए उपभोक्ताओं की उचित दर दुकान स्तर की सतर्कता समितियां गठित करें। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में चलती फिरती उचित दर दुकानों अथवा दरवाजें तक सुपुर्दगी हेतु वाहनों के रूप में इस्तेमाल करने के वास्ते वैनो/ट्रकों को खरीदने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में

2000 मी. टन क्षमता तक के गोदामों के निर्माण के लिए भी वित्तीय सहायता देती है।

(घ) इस प्रकार के कदाचारों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्य सरकारों द्वारा उचित दर दुकानों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय भाषाओं का संवर्धन

264. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचार संवर्धन और विकास के लिए वित्तीय सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी क्षेत्रीय भाषायें, जिनके लिए गत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, के नामों को दर्शाते हुए राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार में मगही बोलने वाले लोगों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता उपलब्ध कर के इन विशिष्ट मगही लेखकों की रचना को प्रकाशित कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा० कृपासिंधु भोई) : (क) शिक्षा विभाग प्रादेशिक भाषाओं की प्रोन्नति और विकास के लिए पुस्तकों के प्रकाशन और खरीद हेतु व्यक्तिगत और पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को समिति वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान संस्वीकृत भाषावार अनुदानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) और (घ) मगही हिन्दी भाषा की एक बोली है। वित्तीय वर्ष 1992-93 में नई दिल्ली के श्री सरोज कुमार त्रिपाठी को उनकी पांडुलिपि हिन्दी और मगही की व्याकरणिक संरचना के प्रकाशन के लिए 44,883/–रु० का अनुदान संस्वीकृत किया गया जो 56,104/–रु० के अनुमोदित व्यय का 80 प्रतिशत होता है।

विवरण

(रु० में)

क्र.सं.	प्रादेशिक भाषाओं के नाम	वित्तीय वर्ष 1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	असमी	-	111.00	-
2.	बंगाली	71,790.00	58,226.00	-
3.	गुजराती	2,99,110.00	1,36,868.00	-
4.	कन्नड़	54,140.00	1,32,663.00	-
5.	कश्मीरी	-	400.00	-
6.	कोंकणी	6,772.00	-	-
7.	मलयालय	9,438.00	40,942.00	31,415.00
8.	मणिपुरी	-	39,220.00	-
9.	मराठी	23,685.00	-	14,050.00
10.	उड़िया	36,800.00	200.00	-
11.	पंजाबी	1,97,288.00	2,77,974.00	98,750.00
12.	तमिल	1,18,993.00	2,15,661.00	1,32,242.00
13.	तेलुगू	72,947.00	1,46,180.00	25,500.00
14.	अंग्रेजी	4,00,000.00	4,16,635.00	2,28,366.00
15.	हिन्दी (मगही सहित)	4,21,000.00	5,45,000.00	3,41,000.00
	कुल	17,11,963.00	20,10,080.00	8,71,323.00

[अनुवाद]

भूकम्प पीड़ितों को सहायता

265. श्री राम नाईक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को 1993 में महाराष्ट्र में भूकम्प पीड़ित लोगों की सहायतार्थ दान और ऋण के रूप में कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई और वस्तुओं के रूप में कितनी सहायता प्राप्त हुई ;

(ख) क्या उक्त राशि/सहायता सम्पूर्णतः राज्य को दे दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भूकंप पीड़ित लोगों के पूर्नवास हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक दिए गए सहयोग का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के भूकंप पीड़ितों के पुनर्वास के लिए विश्व बैंक 246 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण देने के लिए सहमत हो गया है। यह ऋण वर्तमान मानक निबंधन और शर्तों, अर्थात् 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान पर राज्य सरकार को दिया जाएगा। इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार को विदेश की विभिन्न एजेंसियों और व्यक्तियों से दान के रूप में 69.54 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। भारत के विभिन्न स्रोतों के प्राप्त दान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और मुख्यमंत्री भूकंप राहत कोष के जरिये दिए गए।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत सरकार ने भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक से ऋण सहायता के लिए समझौता किया था।

औषधीय फसलें

266. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औषधीय फसलों के उत्पादन तथा विस्तार के लिये कोई योजना लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन फसलों की खेती के लिए किसानों को दी जा रही सहायता का क्या ब्यौरा है; और

(घ) औषधीय फसलों के विपणन हेतु किसानों को क्या–क्या सहायता या सुविधाएं दी जा रही हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना के दौरान वर्ष 1993-94 से 5.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से कृषि मंत्रालय द्वारा औषधीय और सुगंधित पौधों के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं :–

(I) पौध रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण (II) जड़ी बूटी के बगानों और पौधशालाओं की स्थापना (III) क्षेत्रीय विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाओं की स्थापना (IV) किसानों के खेतों पर प्रदर्शन (V) आधुनिक आसवन एककों की स्थापना। ये कार्यक्रम राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान की अनुसंधान संस्थाओं तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी विभाग भी 1990-91 से औषधीय पादपों के विकास और खेती के लिए एक केन्द्रीय योजना क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य पादपमूल की अपरिष्कृत औषधियों के उत्पादन में वृद्धि करना है क्योंकि इनकी मांग अधिक है, किन्तु सप्लाई कम है, तथा इनका प्रयोग भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी की दवाइयों को तैयार करने में किया जाना है।

(ग) कृषि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजना में किसानों के 0.05 है. आकार वाले खेतों में प्रदर्शन सह पौधरोपण सामग्री बहुलन प्लॉटों के जरिये सहायता देने पर विचार किया गया है। किसानों के लिए 1,500/ प्रति प्लाट की दर से आदान राजसहायता देने का विचार है। आठवीं योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए 31.50 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

(घ) किसानों को राज्य कृषि/बागवानी विभागों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के बीच अंतक्रिया के जरिए उनके उत्पाद के संभावित क्रेताओं की जानकारी दी जाती है।

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत जागरूकता अभियान

267. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 सितम्बर, 1995 के "फाइनेंनशियल एक्सप्रेस", नई दिल्ली में प्रकाशित "पीपुल्स कनसर्न फार द गैंगेज़ लोनज् मज टू बी डीजायर्ड" शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता अभियान को पुनः प्रारंभ किया जा रहा है कि गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को आरंभ करने और जागरूकता कार्यक्रम तैयार करने से पहले गंगा में किसी प्रकार को प्रदूषण न फैलाया जाए;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की सरकार को कितनी धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने वर्ष 1985 में गंगा नदी की जल गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पूर्णतया केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित गंगा कार्य योजना शुरू की थी जिसमें बेसिन राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के 25 नगरों को शामिल किया गया था। नदी जल गुणवत्ता में सुधार के मूल कार्यों के अलावा अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जन जागरूकता एवं भागीदारी को भी इस कार्यक्रम का एक भाग बनाया गया है।

(घ) से (च) नदी को स्वच्छ रखने के लिए जन जागरूकता एवं भागीदारी एक निरन्तर चलते रहने वाला कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत गंगा सेवा शिविरों, पदयात्रा, प्रदर्शनी, श्रमदान, घाट सफाई अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे है। नदी जल गुणवत्ता निगरानी करने के लिए स्कूल के बच्चों को भी शामिल किया गया है। इसके लिए उन्हें विशेष रूप से डिजाइन की गई परीक्षण किटें दी गई थीं। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981

268. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 को निरस्त करने के संबंध में व्यापारी समुदाय से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अधिनियम को निरस्त करने के लिए व्यापारियों द्वारा क्या कारण प्रस्तुत किए गए हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 को निरसित करने के लिए व्यापारिक समुदाय से समय–समय पर अभ्यावेदन

प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से यह कहा जाता है कि 1981 का अधिनियम उस समय प्रख्यापित किया गया था जब देश में खाद्यान्नों की भारी कमी थी। इस समय देश में किसी भी आवश्क वस्तु की भारी कमी नहीं है और इस अधिनियम की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ग) किसी भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने मान्यता अवधि को बढ़ाने का विरोध नहीं किया है न ही अधिनियम को निरसित करने की मांग की है। अधिनिमय को निरसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस अधिनियम को बेईमान तत्वों को कदाचार या चोर बाजारी करने और इस प्रकार उपभोक्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने से रोकने के लिए आवश्यक समझा जाता है।

अधिनियमों में संशोधन

269. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न संबंधित मंत्रालयों में आपसी मतभेदों के कारण दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा "सती" निवारण अधिनियम कमीशन की समीक्षा तथा उनमें संभावित संशोधन में विलंब किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समीक्षा की शुरूआत किस तिथि को की गई थी;

(ग) यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा तथा कानून बनाने हेतु क्या–क्या आवश्यक संशोधन किये गए हैं;

(घ) क्या इन विधेयको को "विधि आयोग" अथवा किसी अन्य सांविधिक संस्था के पास उनके द्वारा अध्ययन कराने हेतु भेजा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) से (ग) विभाग संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा सती निवारण अधिनियम की समीक्षा कर रहा है। कानूनों की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सरकार द्वारा इस आशय के कोई विधेयक तैयार नहीं किए गए।

थोट्टोपल्ली मत्स्यन पत्तन

270. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में थोट्टोपल्ली मत्स्यन पत्तन के द्वितीय चरण की परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) से (ग) जी हां। थोट्टापल्ली में चरण–II का मछली उतारने का केन्द्र विकसित करने के लिये एक परियोजना प्रस्ताव राज्य सरकार से जून, 1993 में प्राप्त हुआ था। 98.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत का यह प्रस्ताव दो ब्रेक वाटर निर्मित करने हेतु है। इस परियोजना रिपोर्ट की तकनीकी छान–बीन करने पर राज्य सरकार से माडल अध्ययन कराने का अनुरोध किया गया है ताकि प्रस्तावित ब्रेक– वाटरों की अनुकूलता लम्बाई, सुस्थापना और क्रास–सेक्शन का पता लगाया जा सके और इस प्रस्ताव की तकनीकी उचितता सुनिश्चित हो सके।

पुर्नगठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

271. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुर्नगठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुछ कमियों का पता लगाया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और कारगर बनाने हेतु उन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) से (ग) सरकार ने संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यांकन का कार्य योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को सौंपा था। मूल्यांकन रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियां सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए परिचालित कर दी गई हैं। इन मुद्दों की समीक्षा राज्य सरकारों के साथ होने वाली बैठकों में भी की जा रही है क्योंकि इन टिप्पणियों पर कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा की जानी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली/संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और सुप्रभाही बनाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रणाली के कार्यकरण में तेजी लाने के प्रयास किए जाते हैं। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले खण्डों की संख्या, रोज़गार आश्वासन स्कीम के तहत आने वाले खण्डों में रहने वाले सभी परिवारों को इस स्कीम का लाभ पहुंचाने के लिए हाल ही में 1775 से बढ़ाकर 2446 कर दी गई है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के मुख्य निष्कर्ष और सुझाव निम्नवत हैं :–

(i) आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विकास खण्डों और समन्वित आदिवासी विकास परियोजनाओं (आई.टी.डी.पी.) के भूभागी क्षेत्र एक जैसे नहीं हैं। मध्य प्रदेश में कुछ अभिज्ञात खण्डों के सभी गांवों को संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नहीं लाया गया है।

(ii) बिहार, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के चुने हुए खण्डों में किसी भी उचित दर दुकान के दरवाजे तक सुपुर्दगी की स्कीम नहीं चलाई जा रही है। इसे आंशिक रूप से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है।

(iii) 64 चुने हुए गांवों में से 25 गांवों में उचित दर दुकान न होने और 30 गांवों के चुने हुए परिवारों के पास राशन कार्ड न होने की सूचना दी गई है। कुछ चुने हुए गांवों में राशन

कार्ड या तो खो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, फट गए हैं या उपयोग के लायक नहीं रहे हैं, पर परिवारों द्वारा राशन लिया जा रहा है।

(iv) खण्ड स्तर पर भण्डारण सुविधाएं अपर्याप्त पायी गई हैं। राजसहायता के घटक को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करके वित्तीय सहायता को उदार बनाए जाने के बावजूद सरकारी क्षेत्र में अपने गोदाम बनाने/निर्माण करने के बजाए भाड़े के गोदामों पर निर्भरता बढ़ रही है।

(v) दरवाजे तक सुपुर्दगी और चलती-फिरती उचित दर दुकानों के लिए प्रयुक्त वैनों की संख्या अपर्याप्त पाई गई है। लगभग 20 प्रतिशत वैनें कार्य करने की अवस्था में नहीं हैं और उनमें काफी मरम्मत की आवश्यकता है।

(vi) अधिकांश सतर्कता समितियां अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रही हैं।

(vii) आवंटित सभी वस्तुओं की 60 प्रतिशत से अधिक मात्रा उठा ली जाती है, हालांकि वस्तुओं का आवंटन एक समान या राज्यों की वास्तविक आवश्यकता के अनुपात में या लोगों की आहार संबंधी आदतों के अनुसार नहीं किया जाता है। स्कीम के तहत शामिल वस्तुओं का वितरण आमतौर पर संतोषजनक है।

(viii) वस्तुओं के वितरण के लिए निधारित मानकों का उचित दर दुकानों द्वारा आमतौर पर अनुपालन किया जा रहा है।

(ix) उचित दर दुकानधारियों की समस्याएं सुपुर्दगी केंद्रों की स्थिति, वस्तुओं की ढुलाई, मार्जिन मनी या कमीशन के निर्धारण, वस्तुओं के मूल्य के अग्रिम भुगतान और आवधिक सुपुर्दगी से संबंधित हैं।

(x) चुने हुए राज्यों में, बिहार और मध्य प्रदेश को छोड़कर जवाहर रोजगार योजना/रोजगार आश्वासन स्कीम के तहत काम करने वाले परिवारों को मजदूरी का भुगतान उचित दर दुकानों के जरिए वस्तु के रूप में नहीं किया जा रहा है। किसी भी राज्य में संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पोषाहार कार्यक्रम के साथ कोई भी संबंध नहीं पाया गया है।

(xi) उचित दर दुकानों के कार्यकरण के बारे में चुने हुए परिवारों की एक मिश्रित प्रतिक्रिया थी। 61 प्रतिशत से अधिक प्रत्यार्थियों ने उचित दर दुकानों को नियमित रूप से खोले जाने के बारे में सकारात्मक उत्तर दिया, जबकि 30.28% का उत्तर नकारात्मक था। उचित दर दुकानों को खोले जाने और निर्धारित काम के घंटो के बारे में निम्नलिखित राज्यों के अनेक प्रत्यार्थियों ने नकारात्मक रूप से सूचित किया : बिहार (75.29%), कर्नाटक (43.56%), महाराष्ट्र (57.14%), राजस्थान (43.48%) और तमिलनाडु (100%) तथापि, खोलने के समय, काम के घण्टों, वितरण में नियमितता और उपभोक्ताओं को सूचित करने के बारे में मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। उचित दर दुकामों में वस्तुओं की घटिया किस्म, परिमाण और साथ ही ऊंचे मूल्यों के बारे में कुछ संकेत मिले हैं। इस प्रयोजन के लिए सचेत पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग की आवश्यकता है।

(xii) यह पाया गया कि आमतौर पर वस्तुएं नियमित रूप से वितरित की जाती हैं, पर कुछ मामलों में काफी अन्तर से अनियमित वितरण की सूचना मिली है।

(xiii) गेहूं (60%) और मिट्टी का तेल (67%) के मामले में उपभोक्ताओं ने वितरित की गई मात्रा को पर्याप्त माना है, जबकि चीनी (61%) और चावल (55%) के मामले में अनेक स्थानों पर वितरित की गई मात्रा अपर्याप्त बताई गई है। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित की जाने वाली वस्तुओं के मामले में गेहूं (69.08%) चावल (57%) और चीनी (57%) की किस्म आमतौर पर "औसत" सूचित की गई है।

(xiv) अधिकांश प्रत्यर्थियों ने वस्तुओं अर्थात गेहूं (80.40%), चावल (77.21%) चीनी (89%) और मिट्टी का तेल (92.13%) के लिए व्यय करने में सक्षमता प्रकट की।

(xv) कुछ राज्यों में, लाभभोगियों ने उन वस्तुओं के उन वस्तुओं के संबंध में अपनी स्थानीय आवश्यकताएं और पसंद सूचित कीं जिन्हें वे संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किया जाना पसंद करेंगे। उदाहरणार्थ राजस्थान और गुजरात में मकई, ज्वार और बाजरा आदि को शामिल किए जाने की स्थानीय मांग है, केरल में गेहूं के मुकाबले चावल की मांग अधिक है। पश्चिम बंगाल में वितरण हेतु स्थानीय किस्म के चावल को पसंद किया जाना है। अध्ययन से पता चलता है कि वस्तुओं की पसंद के बारे में स्थानीय स्थिति (सामाजार्थिक और सांस्कृतिक) पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। वितरण के तहत वस्तुओं को शामिल करने और बदलने के लिए स्कीम में क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण को यथोचित महत्व देने की आवश्यकता है।

(xvi) "जानकार लोगों" के अनुसार संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन निम्न कारणों से असंतोषजनक है: खाद्यान्नों का अनियमित वितरण किया जाना, उच्च ढुलाई लागत होना और अपर्याप्त राजसहायता वस्तुओं को नियमित रूप से और समय से न उठाना, आपूर्ति/वितरण में कम तोलना, भंडारण केंद्रों/सपुर्दगी केंद्रों पर अच्छे किस्म की वस्तुओं को बदल देना, वितरण में गुणवत्ता और प्रक्रिया का पालन न करना और सतर्कता समितियों का अभाव होना।

आदिवासी बच्चे

272. **श्री अन्ना जोशी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महाराष्ट्र के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में लगभग कितने आदिवासी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं;

(ख) क्या राज्य में इनमें से अधिकांश आदिवासी बच्चे शिक्षा पाने के अधिकार और मूलभूत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाने के अवसरों से वंचित हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव यह सुनिश्चित करने का है कि राज्य में सभी आदिवासी बच्चों को निर्धारित समय में शिक्षा प्राप्त हो?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डॉ० कृपासिंधु भोई) : (क) चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े (वर्ष 1993-94) के अनुसार महाराष्ट्र के सभी जिलों में लगभग 14.9 लाख आदिवासी बच्चे नामांकित थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने के पूर्व ही 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को संतोषजनक स्तर की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का सुनिश्चय करना हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है।

[हिन्दी]

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान

273. डॉ० परशुराम गंगवार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणियों की संख्या में प्रति वर्ष कमी आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन गणनाओं में प्रत्येक गणना में उद्यान में वन्य जीवों की कितनी प्रमुख जातियां थीं;

(घ) उद्यान में पशुओं की संख्या में हो रही कमी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं। गणना के आंकड़ों के अनुसार वन्यजीवों की संख्या में 1989 की तुलना में वृद्धि हुई है हालांकि तेन्दुआ, हिरणों, रीछों, तथा हाथियों के मामले में 1993 की तुलना में कुछ कमी आई है।

(ख) प्रमुख प्रजातियों जैसे हाथियों और हिरणों के मामले में कमी होने के संभावित कारण रूचिकर घास की उपलब्धता में कमी के कारण पशुओं का प्रवास करना हो सकता है।

(ग) मुख्य वन्य जीव वार्डन, उत्तर प्रदेश द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उद्यान में वन्य पशुओं का प्रमुख प्रजातियों की संख्या निम्नलिखित है :—

प्रजाति	गणना		
	1989	1993	1995
बाघ	65	66	69
तेन्दुआं	2	3	-
हिरण प्रजातियां	9029	17228	14085
नीलगाय	347	380	605
जंगली सुअर	2688	4600	6326
रीछ	62	85	70
हाथी	गणना नहीं की गई	34	16

(घ) पशुओं के प्रवास को रोकने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है और वासस्थल सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

खराब आयातित चीनी

274. श्री देवी बक्स सिंह : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित आयातित चीनी में जीवित और मृत कीटाणु पाये जाने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं, यद्यपि दिसम्बर, 1994 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट की थी कि लगभग 20 उचित दर दुकानों के मामले में, भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपूर्ति की गई चीनी में खराबी पाई गई। उन्होंने सूचित किया था कि खराब चीनी के स्टॉक को उपभोक्ताओं में बांटा नहीं गया था एवं भारतीय खाद्य निगम से यह अनुरोध किया गया था कि वे खराब स्टॉक को बदल दें। इस प्रकार की कोई अन्य विशेष शिकायत किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नहीं मिली।

(ग) इस मामले की जांच के लिए भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों का एक दल बनाया गया था। दल ने यह पाया कि मायापुरी स्थित भारतीय खाद्य निगम के एक गोदाम में कुछ चीनी के बोरों की सिलाई पर मरे हुए कीड़े थे। आयातित चीनी के बोरे में कोई खराबी नहीं पाई गई, जोकि जहां तहां से चुने गये थे। भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया कि यद्यपि कुछ मामलों में चीनी की बोरियों के ऊपरी सतह पर इस प्रकार की खराबी को, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में इन्हें अनाज की बोरियों के साथ रखने के कारण से हुई खराबी की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस प्रकार की खराबी चीनी की बोरियों के अंदर नहीं होगी क्योंकि आयातित चीनी की पैकिंग पोलिथिन की बोरियों में होती है और इसकी सिलाई दोहरी होती है।

[हिन्दी]

कृषक सेवा केन्द्र

275. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री राम सिंह कस्वां :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर गुजरात और राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में वर्तमान में कार्यरत कृषक सेवा केन्द्रों का स्थानवार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर गुजरात और राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में इस प्रकार के कुछ और केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो किन–किन जिलों में इन केन्द्रों को स्थापित करने का विचार है और कब से ये केंन्द्र कार्य करना आरम्भ कर देंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना जिसके तहत कृषक सेवा केन्द्र स्थापित किए गए थे, पहले ही दिनांक 1.4.92 से राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दी गई है। अतएव, इन केन्द्रों की कार्य प्रणाली से संबंधित जानकारी केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

लद्दाख के स्मारक

276. कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री गुरूदास कामत :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख के स्मारक जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में इन स्मारकों के संरक्षण के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) लद्दाख क्षेत्र के शे और लेह महलों के कुछ भागों को छोड़कर केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारक काफी अच्छी अवस्था में हैं।

(ग) लद्दाख क्षेत्र के केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों के रख–रखाव के अलावा संरचनात्मक मरम्मत उनकी आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार की जाती है। वर्ष के दौरान लद्दाख के हेमिस मठ की छत के जल रिसाव को कम करने के लिए पुनः छत बनाने का प्रमुख संरक्षण कार्य शुरू किया गया और उसे पूरा किया गया। शे महल के व्यापक संरक्षण के लिए प्राक्कलन संस्वीकृत किया गया है और कार्य शुरू हो गया है, जबकि लेह महल के व्यापक संरक्षण कार्य के लिए प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

दूध का वितरण

277. श्री अमर राय प्रधान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बूथों पर आवश्यकतानुसार दूध की आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली दुग्ध योजना को जन/क्षेत्र कल्याण संघों से इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जनता/क्षेत्र के कल्याण संघों से 1995-96 के दौरान 31.10.1995 तक बयालीस (42) शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों पर समय पर ध्यान दिया गया है तथा क्षेत्र निरीक्षण के बाद जहां आवश्यक समझा गया वहां दूध की आपूर्ति बढ़ा दी गई/आपूर्ति को युक्तिसंगत बना दिया गया।

"आंध्र प्रदेश वन विभाग में सुधार"

278. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संगठन विकास केन्द्र, हैदराबाद ने आन्ध्र प्रदेश वन विभाग के कार्यकरण में बड़े पैमाने पर संस्थागत सुधारों की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र की सिफारिशों को विश्व बैंक के वानिकी अध्ययन दल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया गया है क्योंकि आन्ध्र प्रदेश वन परियोजना का वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) संगठन विकास केन्द्र, हैदराबाद को आन्ध्र प्रदेश वन विभाग के संस्थागत सुधारों पर अध्ययन करने के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त आन्ध्र प्रदेश वानिकी परियोजना के अंतर्गत परामर्श दिया गया। चूंकि अध्ययन अभी चल रहा है, अतः केन्द्र ने संस्थागत सुधारों के बारे में अन्तिम सिफारिशें नहीं की हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत घटिया खाद्यान्न

279. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत घटिया चावल और गेहूं की सप्लाई हो रही है, जब कि दुकानदारों का कहना है कि सप्लाई सरकार द्वारा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उचित मूल्य की दुकानों पर गत छः महीनों के दौरान घपलेबाजी और कालाबाजारी के कितने मामलों का पता लगाया गया; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने और उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं, चावल और चीनी की सप्लाई और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मुख्य आवश्यक वस्तुओं, जिसमें चावल और गेहूं शामिल है, का थोक में आवंटन करती है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर उपभोक्ताओं को वस्तुओं के वितरण के बारे में प्रचालन संबंधी सभी मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। केन्द्रीय सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जारी की जाने वाली वस्तुएं अच्छी किस्म की हों। संबंधित केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा सभी आवश्यक गुणवत्ता नियंत्रण उपाय लागू किए जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और उनके नामितियों को खाद्यान्नों को स्वीकार करने से पूर्व प्रत्येक लाट में उनकी किस्म की जांच करने की भी अनुमति दी है। राज्य सरकारों को लाट को अस्वीकार करने के अधिकार दिए गए हैं जो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों में उचित दर दुकानों के दरवाजे तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की सुपुर्दगी शुरू करने तथा वितरण की देख-रेख करने के लिए उपभोक्ताओं की उचित दर दुकान सतर्कता समितियां गठित करने की सलाह दी है ताकि उपभोक्ताओं के लिए अच्छे किस्म के खाद्यान्न सुनिश्चित किए जा सकें। उचित दर दुकानों को उपलब्ध कराए गए या उचित दर दुकानों द्वारा बेचे जाने वाले घटिया किस्म के खाद्यान्नों से संबंधित शिकायतों का निपटान जिला/उप प्रभागीय स्तर के प्रशासन पर किया जाता है, ताकि शिकायतों का शीघ्र और कारगर निवारण हो सके। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे विशाल आकार के कार्य में जिसमें देश भर की चार लाख से भी अधिक उचित दर दुकानें शामिल हैं, यहां-वहां कुछ कमियों से इंकार नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय सरकार उचित दर दुकान स्तर पर कदाचारों से संबंधित विशिष्ट मामलों के ब्यौरे नहीं रखती है क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों को लागू करने की शक्तियां राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित की गई हैं।

मरूभूमि का प्रसार

280. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

श्री पकंज चौधरी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र को मरूभूमि प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने देश में मरूभूमि क्षेत्रों के प्रकार को रोकने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के कार्यान्वयन पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षक

281. **डा. सुधीर राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों में पद स्थापित कुछ स्नातकोत्तर शिक्षकों को अप्रैल, 1995 में इस आधर पर बरखास्त कर दिया गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को सीधे पत्र लिख कर 1991-94 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कथित व्यापक प्रशासनिक और वित्तीय भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए एक निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने का अनुरोध किया था ताकि तब से हुई बर्बादी की हद सुनिश्चित की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के वर्तमान अध्यक्ष से इन मामलों की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समीक्षा प्रक्रिया का क्या परिणाम मिला/उसमें कितनी प्रगति हुई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) यह सच नहीं है कि प्रधान मंत्री से सीधे पत्र-व्यवहार करने के कारण केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा कुछ स्नातकोत्तर शिक्षकों को बरखास्त कर दिया गया है।

अनुशासनिक मामलों की निर्धारित कार्यवाही का अनुपालन करने के पश्चात् ही केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने वित्तीय अनियमितताओं तथा अन्य कदाचारों में लिप्त पाए गए स्नातकोत्तर शिक्षकों में से दिल्ली के एक शिक्षक को अप्रैल, 1995 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया था।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी प्रक्रियां के अनुसार, उन्हें अनुशासन अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील प्राधिकरण में अपील करने का अधिकार है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, संबंधित कर्मचारी ने निर्धारित समयावधि के भीतर अपील प्राधिकरण में इस प्रकार की कोई अपील नहीं की थी।

पूयमकुट्टी विद्युत परियोजना

282. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री 22 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2762 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल की पूयमकुट्टी विद्युत परियोजना के विषय में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक ले लिया जाएगा;

(घ) क्या सरकार ने परियोजना के स्वीकृत हो जाने की स्थिति में पर्यावरण पर होने वाले भीषण परिणामों का गहराई से अध्ययन करने के लिये कभी कोई दल केरल भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में दल के क्या निष्कर्ष हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ग) यद्यपि 240 मे.वा. पूयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना, केरल को जून, 1985 में पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी, किन्तु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि को उपयोग में लाने का मामला विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) जी, हां। मंत्रालय द्वारा गठित एक बहु–विषयी दल ने परियोजना के संगत पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकीय पहलूओं की जांच के लिए क्षेत्र का दौरा किया। दल ने पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभावों के बारे में अपनी आशंका व्यक्त की। इस मामले में अन्तिम निर्णय लिए जाने से पूर्व, दल के निष्कर्षो पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होगी।

[हिन्दी]

प्राथमिक विद्यालय

283. श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस शताब्दी के अंत तक सभी राजस्व ग्रामों में विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिंधु भोई) : (क) और (ख) प्राथमिक विद्यालयों को खोलना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराये पर ली गई सम्पत्ति

284. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा कितने निजी भवनों को किराए पर लिया गया है;

(ख) क्या पट्टे समझौते की तिथि समाप्त हो जाने के पश्चात् शुरू में तय किए गए किराए में वृद्धि न किए जाने तथा सरकारी भवनों का निर्माण न किए जाने के कारण उन भवनों को खाली कराने के संबंध में कई पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा कितने भवनों का निर्माण कराया गया है तथा किराए पर लिए गए भवनों को खाली न कराए जाने के क्या कारण है; और

(ङ) किराए के भवनों के पट्टे–समझौते की तिथि समाप्त होने पर उन्हें खाली कराने तथा जहां–वहां उनके किराए में वृद्धि की मांग की गई वहां किराया बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कृषि भूमि का जलमग्न हो जाना

285. श्री सत्यदेव सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में देश मे आई भयंकर बाढ़ से कितनी कृषि जलमग्न हो गयी थी;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध मे कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो बाढ़ के कारण एक वर्ष में कितनी कृषि भूमि परती हो गयी और कितने प्रतिशत किसानों को नुकसान पहुंचा; और

(घ) बाढ़ नियंत्रण और कृषि क्षेत्र को बचाने हेतु सरकार द्वारा किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर देश में लगभग 40 लाख हैक्टेयर फसली क्षेत्र हाल ही में आयी बाढ से प्रभावित हुआ है।

(ग) प्राथमिक अनुमानों के अनुसार, बाढ़ के कारण कोई भी कृषि भूमि बंजर नहीं हुई है। जिन किसानों को हानि हुई है उनकी संख्या लगभग

2-3 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(घ) सरकार द्वारा बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए किए गये उपायों में जलाशयों तथा बांधों का निर्माण, जल निकासी में सुधार और पनधारा प्रबंध सम्मिलित हैं।

आंध्र प्रदेश को चावल का आवंटन

286. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विवरण के लिए केन्द्रीय पूल से आंध्र प्रदेश को कुल कितनी मात्रा में चावल सप्लाई किए गए हैं;

(ख) क्या भीषण बाढ़ को देखते हुए आंध्र प्रदेश को कोई प्राथमिकता दी गई है;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा मांगी गई मात्रा और प्रदान की गई मात्रा क्या है; और

(घ) वर्ष 1996 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी मात्रा में चावल की सप्लाई की जाएगी?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) आंध्र प्रदेश को 1995 के दौरान केन्द्रीय पूल से संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 26.00 लाख मीटरी टन चावल आवंटित किया गया है। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में वितरित करने के लिए 6.53 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा प्रक्षेपित की गई है। आंध्र प्रदेश को जनवरी, 1995 से सितम्बर, 1995 तक संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 1995 लाख मीटरी टन चावल की आपूर्ति की गई है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने बाढ़ सहायता के लिए 2.00(दो) लाख मीटरी टन अतिरिक्त चावल आवंटित करने के लिए अनुरोध किया है। इसमें से एक लाख मीटरी टन पहले ही नवम्बर, 1995 माह के लिए आवंटित किए जा चुके हैं जो उनके सामान्य कोटे के अतिरिक्त हैं। उठान की प्रवृत्ति के आधार पर एक लाख मीटरी टन के अन्य अतिरिक्त आवंटन पर विचार किया जाएगा।

(घ) केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की संगत आवश्यकताओं, उठान प्रवृत्ति, बाज़ार उपलब्धता और अन्य संगत घटकों को हिसाब में लेकर आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को माह-दर-माह आधार पर चावल और गेंहू का आवंटन किया जाता है जिसमें अतिरिक्त तदर्थ आवंटन और बफर स्टाक बनाने के लिए अग्रिम आवंटन भी शामिल है।

द्वारका नगर की खोज

287. **श्री नीतीश कुमार :**

श्री गुमान मल लोढ़ा :

श्री वृशिण पटेल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पौराणिक कथाओं में उल्लिखित द्वारका नगर की खोज के संबंध में कोई परियोजना पिछले कुछ वर्षों से सरकार के समक्ष लंबित पड़ी है;

(ख) क्या इस संबंध में खुदाई का कार्य आरंभ हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप सामने आए तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस परियोजना को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(ङ) इस परियोजना के लिये अब तक कुल कितनी धनराशि जारी की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) द्वारका का अंतरर्जलीय अन्वेषण संबंधी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुमोदित एक परियोजना के अंतर्गत गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के डा. एस. आर. राव द्वारा द्वारका तथा बेत द्वारका का अंतर्जलीय अन्वेषण किया गया और मार्च, 1995 तक इस परियोजना पर कुल 77.31 लाख रुपये खर्च हुए। द्वारका में उक्त अन्वेषण कार्य के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त कुएं गढ़, बड़े और लघु लंगरगाह, तांबे के जलयान, प्रस्तर द्वार सीकड़े नावों के मस्तूलों के गोल प्रस्तर मूल तथा 300 मी. लम्बी पर्वतश्रेणी सहित एक प्राचीन बंदरगाह के अवशेष जैसी संरचनाओं का पता चला है। बेत-द्वारका से मृदभाण्ड, एक मुहर, शिलालेख जैसे कुछ पुरावशेष प्राप्त हुए हैं।

इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, में भारतीय समुद्र में समुद्री पुरातत्वीय अध्ययन नामक एक परियोजना अनुमोदित की थी। इस परियोजना की 31.99 लाख रुपये की कुल लागत की तुलना में 1984 से मार्च 1990 तक की अवधि के लिए 28.31 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

किसानों के विकास के लिए कोष

288. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने वित्तीय वर्ष 1995-96 में लघु एवं मध्यम किसानों के लिये अवसंरचना संबंधी विकास के लिये प्रधानमंत्री के विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत कोष की स्वीकृति हेतु अनुरोध करते हुए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चूंकि वर्ष 1995-96 में यह योजना जारी नहीं रखी गई है अतः धन निर्मुक्त नहीं किया जा सका।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा

289. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश के किन–किन जिलों में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना किए जाने का विचार है तथा ऐसे कितने स्कूल खोले जाने की संभावना है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य जिलों विशेषतः बदायुं तथा शाहजहांपुर में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विश्व बैंक से और अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के अनुरोध करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिंधु भोई) : (क) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना में विश्व बैंक की सहायता से खोले जाने वाले प्राथमिक स्कूलों की प्रस्तावित संख्या तथा जिलों के नाम निम्नलिखित हैं :

1.	गोरखपुर	262
2.	वाराणसी	163
3.	इलाहाबाद	327
4.	बांदा	152
5.	सीतापुर	386
6.	इटावा	251
7.	अलीगढ़	171
8.	सहारनपुर	102
9.	पौड़ी गढ़वाल	113
10.	नैनीताल	125
		2052

(ख) एवं (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों का शैक्षिक विकास

291. श्री विजय कुमार यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को क्या–क्या सुविधाएं दी गई हैं; और

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार को कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) कार्य योजना 1992 के अनुसरण में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम और मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण नामक केंद्रीय योजनाएं 1993-94 के दौरान शुरू की गई।

(ख) उपर उल्लिखित योजनाओं के अंतर्गत बिहार सरकार से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण उन्हें अनुदान जारी नहीं किया गया है।

गेहूं उत्पादन

291. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री तारा सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विगत कुछेक वर्षों से उत्तरी भारत में गेहूं के उत्पादन में आ रही कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों द्वारा गेहूं उत्पादन में आई स्थिरता के कारणों की जांच की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो उत्तरी भारत में गेहूं उत्पादन में कमी आने के क्या कारण हैं; और

(घ) उत्तरी भारत में गेहूं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) विगत कुछ वर्षों में उत्तर भारत में गेहूं के उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है। वास्तव में वर्ष 1994-95 के दौरान यह 65.47 मिलियन मीटरी टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया, जिसमें उत्तरी भारत का सर्वाधिक योगदान रहा।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) गेहूं का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं काश्मीर, पंजाब उत्तरी राजस्थान एंव उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) के गेहूं आधारित फसल क्षेत्रों में समेकित केन्द्रीय प्रायोजित अनाज विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। अन्य राज्यों में इस पहलू को समेकित अनाज विकास कार्यक्रम चावल तथा समेकित अनाज विकास कार्यक्रम--मोटा अनाज के अंतर्गत रखा गया है, जहां फसल प्रणाली एप्रोच के अंतर्गत उगाई जा रही फसलों के लिए सहायता दी जाती है। इसके अलावा, नई जारी किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए गेहूं की खेती वाले राज्यों में केन्द्रीय क्षेत्र का गेहूं मिनिकिट प्रदर्शन कार्यक्रम भी क्रियान्वित किया जा रहा है।

कृषि को उद्योग का दर्जा देना

292. डा० (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम :

श्री छेदी पासवान :

श्री कुंजी लाल :

श्री पी. सी. थामस :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान करने के लिये निर्णय लिया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह किस प्रकार से किसानों के लिये लाभप्रद होगा;

(ग) इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या भूमि सीमा कानून औद्योगिक प्रतिष्ठान क्षेत्र में किये जा रहे कृषि कार्य पर लागू होगा जो निर्धारित सीमा से अधिक हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) कृषि नीति संकल्प के प्रारूप में.कृषि को उद्योग का दर्जा दिये जाने की परिकल्पना की गयी है।

(ख) और (ग) कृषि नीति संकल्प में अवसंरचना विकास, मूल्य संवर्द्धन, व्यापार से संबंधित अनुकूल स्थितियों आदि जैसी कारगर कृषि प्रणाली के विकास की परिकल्पना की गयी है। वे लाभ जो उद्योग को मिल रहे हैं कृषि क्षेत्र को भी दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है। लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कृषि को सरकार के विनियमन और कर संग्रह तंत्र का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, यह भी परिकल्पना की गयी है कि, किसानों को निर्धारित महानगरीय सीमाओं में अनिवार्यतता कृषि भूमि का अधिग्रहण करने पर पूंजीगत कर के भुगतान से भी छूट दी जायेगी।

(घ) और (ड.) यदि कोई औद्योगिक उद्यम किसी जोत का मालिक (प्रोप्राराइटर) है तो ऐसी जोत परिसीमन कानूनों के अंतर्गत आयेगी। दूसरी तरफ, यदि ऐसा औद्योगिक उद्यम पट्टेदार के रूप में जमीन पर अधिकार रखता है तो ऐसी जोतें परिसीमन कानून के अंतर्गत नहीं आती। लेकिन यह सही है कि कुछ औद्योगिक उद्यमों ने सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों के, अपने निजी स्वामित्व या पट्टे की जमीन का पूरा पूरा उपयोग नहीं किया है और अपने भावी विस्तार के लिए बचा रखा है। इस अवधि के दौरान, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में न लाई जाने वाली जमीन का अस्थायी तौर पर कृषि फसलों के उत्पादन के लिए उपयोग किया गया हो, ऐसा हो सकता है। ऐसी आशा की जाती है कि इन जमीनों का उपयोग उन उद्योगों के विस्तार के लिये किया जायेगा जिनके लिए इनका अधिग्रहण किया गया था। एक कानूनी प्रावधान यह भी है कि यदि अतिरिक्त भूमि जिसकी उद्योगों के लिए आवश्यकता नहीं है, स्वेच्छा से सरकार को लौटाई जाए और इसके विकल्प में सरकार पट्टेदार से सीमित अवधि में ऐसी भूमि का उपयोग करने के लिए कह सकती है और ऐसा न होने पर सरकार पट्टेदार से उसे दी गई फालतू जमीन को वापस ले सकती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खेल

293. **श्री याइमा सिंह युमनाम** : क्या मानव संसाधान विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले राष्ट्रीय खेलों को मणिपुर राज्य में आयोजित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे सफल बनाने के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं। आगामी राष्ट्रीय खेल, 1996 कर्नाटक राज्य में आयोजित किए जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक संगठन

294. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** :

श्री बोल्ला बुल्ली राम्‌यया :

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेये :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षो के दौरान कितने गैर–सरकारी स्वेच्छिक संगठनों को अनुदान राशि प्रदान की गयी थी;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन संगठनों को अनुदान के रूप में कुल कितनी धनराशि का वितरण किया गया है;

(ग) इनमें से कितने संगठनों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र (उचित रूप लेखा परीक्षित) सरकार को अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं;

(घ) क्या इनमें से अनेक स्वैच्छिक संगठन अनुदान प्राप्त करने के पश्चात् समाप्त हो गए;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(छ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है/की जानी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) इस विभाग ने पिछले तीन वर्षो के दौरान निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में 4145 स्वैच्छिक संगठनों को लगभग 90.47 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है:

क्र. सं०	क्षेत्र का नाम	राशि (करोड़ों में)
1.	प्रारंभिक शिक्षा	56.16
2.	माध्यममिक शिक्षा	5.26
3.	प्रौढ़ शिक्षा (साक्षरता)	21.00
4.	भाषा का विकास	8.00
5.	पुस्तक प्रोन्नति	0.05
	लगभग	90.47

(ग) से (छ) इन योजनाओं में सामान्यतः गैर सरकारी संगठनों को राशि देने से पहले जांच कर ली जाती है। विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त

प्रस्तावों को स्वीकृति देने से पहले मूल्यांकन करने के लिए तथा उसके बाद उनके अनुवीक्षण के लिए इस प्रणाली में अंतर्निर्मित व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा भी जांच का प्रावधान है तथा नया अनुदान देने से पहले, पूर्व दिए गए अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर बल दिया जाता है और जब कभी भी गैर सरकारी संगठनों का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता, वित्तीय सहायता रोक दी जाती है। जिन संगठनों से उपयोगिता प्रमाणपत्र आने बाकी हैं उनकी सही संख्या के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

दुग्ध पाउडर का वितरण

295. श्री राम बदन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों से सस्ती दरों पर दुग्ध पाउडर खरीदकर नवजात शिशुओं के पालन–पोषण के लिए इसे ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम है। जिनमें सरकार दुग्ध पाउडर वितरित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) से (ग) सरकार दुग्ध चूर्ण का आयात करने पर विचार नहीं कर रही है। इसे खुले आम लाइसेंस के अंतर्गत लाने तथा इस पर आयात शुल्क समाप्त करने के द्वारा सरकार ने स्किम्ड दुग्ध चूर्ण के आयात को उदार बना दिया है।

[अनुवाद]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत चिकित्सकों को शामिल किया जाना

296. श्री रवि राय :

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चिकित्सकों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की परिधि के अंतर्गत लाए जाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस निर्णय का चिकित्सा व्यवसाय एवं आम आदमी पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) से (घ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार किसी भी किस्म की सेवा जिसमें चिकित्सीय सेवा शामिल है, यदि किसी प्रतिफल के लिए दी/ली जाती है, तो वह अधिनियम के तहत आती है। उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल के निर्णय में अधिनियम के उपबंधों को मान्य ठहराया है।

उत्तराखंड के जंगल में आग लगना

297. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तराखंड के 931 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में लगी आग से हुई क्षति का क्या विवरण है; और

(ख) भविष्य में इस प्रकार आग लगने की घटना की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या एहतियाती कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उत्तराखंड में 931 वर्ग किलोमीटर वन में आग लगने के कारण 12 करोड रुपये की क्षति होने का अनुमान है।

(ख) उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में वनों में आग लगने के कारणों की जांच करने तथा वनों की क्षति का अनुमान लगाने और भविष्य में बड़े पैमाने पर इस प्रकार की आग को रोकने के लिए उपचारी उपायों की सिफारिश करने के लिए दिनांक 11.7.1995 को दो सदस्यों के एक दल का गठन किया गया था। इस समिति ने अपना फील्ड कार्य पहले ही पूरा कर दिया है। रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के लिए इस समिति ने स्थानीय लोगों, गैर–सरकारी संगठनों, जन प्रतिनिधियों तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार के प्राधिकारियों से संपर्क किया है। इसकी रिपोर्ट सरकार को शीघ्र प्रस्तुत कर दी जायेगी।

कोल्ड स्टोरेज

298. श्री एन. जे. राठवा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों ने केन्द्र सरकार से इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता राशि की मांग की है; और

(घ) सरकार ने राज्य वार, अब तक कितनी ऋण राशि जारी की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) भारत सरकार राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से शीतागार एकक की स्थापना के लिये सीधे विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लाभानुभोगियों को क्रमशः ऋण

तथा सामान्य ऋण उपलब्ध करा रही है। इस संबंध में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा निर्मुक्त की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा शीतागार के लिये निर्मुक्त की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं०	राज्य	दी गई धनराशि	(रु० लाख में)
		एन एच बी (1993 नवम्बर, 95)	एन सी डी सी 31.3.95 को)
1.	आंध्र प्रदेश	74.50	18.250
2.	असम	-	5.758
3.	बिहार	2.25	1166.542
4.	गुजरात	-	10.220
5.	हरियाणा	-	219.916
6.	हिमाचल प्रदेश	76.00	8.408
7.	जम्मू और कश्मीर	-	13.526
8.	मध्य प्रदेश	-	548.151
9.	कर्नाटक	134.56	50.125
10.	महाराष्ट्र	297.23	8.955
11.	नागालैंड	-	16.580
12.	उड़ीसा	-	261.713
13.	पंजाब	157.00	44.150
14.	राजस्थान	-	26.815
15.	तमिलनाडु	51.15	38.23
16.	त्रिपुरा	25.00	89.286
17.	उत्तर प्रदेश	35.00	2989.066
18.	पश्चिम बंगाल	-	2180.335
19.	दिल्ली	-	7.500
20.	चंडीगढ़	5.00	
21.	अन्य	-	2.150

मुम्बई पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 पर बाईपास का निर्माण

299. श्री राम कापसे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुम्बई पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर थाणे जिले में मुम्ब्रा के निकट बाईपास के निर्माण हेतु वन भूमि की स्वीकृति हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

महिला समृद्धि योजना

300. श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं द्वारा राज्य–वार विभिन्न डाकघरों में आज तक कितने खाते खोले गए, और

(ख) सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को और अधिक समृद्ध तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या नीति निर्धारित की गई है और इसे किस तरह से लागू किया जा रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) महिला समृद्धि योजना ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। सरकारी कार्यकर्ताओं के साथ महिलाओं के विचार–विमर्श को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय महिला कोष तथा इन्दिरा महिला योजना की मार्फत बहुआयामी कार्यक्रम शुरू किए हैं ताकि महिलाएं आसानी से ऋण ले सकें तथा ग्रामीण महिलाओं के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यक्रमों एवं सेवाओं का संकेन्द्रण किया जा सके।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खोले गए खातों की संख्या (31.10.95 की स्थिति के अनुसार) (आंकड़े लाखों में)
1	2	3
1.	असम	12.238
2.	तमिलनाडु	19.245
3.	आंध्र प्रदेश	19.835
4.	गोआ	0.271
5.	कर्नाटक	10.689
6.	मध्य प्रदेश	16.070
7.	मिजोरम	0.095
8.	सिक्किम	0.092
9.	पंजाब	3.474
10.	हिमाचल प्रदेश	0.952

1	2	3
11.	केरल	4.271
12.	हरियाणा	2.398
13.	उड़ीसा	4.322
14.	उत्तर प्रदेश	13.185
15.	गुजरात	3.186
16.	महाराष्ट्र	5.445
17.	त्रिपुरा	0.170
18.	राजस्थान	2.453
19.	मणीपुर	0.088
20.	पश्चिम बंगाल	3.159
21.	जम्मू और कश्मीर	0.297
22.	बिहार	3.071
23.	अरूणाचल प्रदेश	0.024
24.	दिल्ली	0.030
25.	मेघालय	0.020
26.	नागालैण्ड	0.012
ख.	संघ राज्य	
27.	चण्डीगढ़	0.080
28.	लक्षद्वीप	0.015
29.	पाण्डिचेरी	0.178
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.033
31.	दमन और दीव	0.007
32.	दादर और नागर हवेली	0.017
	जोड़ :	125.423

महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय

301. श्री वेंकटेश नायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महात्मा गांधी के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक, 1995 दिनांक 24 अगस्त, 1995 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य शिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से हिन्दी भाषा और सहित्य के संवर्धन और विकास हेतु एक शिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित करना है ताकि हिन्दी को और अधिक कार्यसाधक दक्षता और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर मान्यता प्राप्त हो।

राज्यों को "लेवी" चीनी के आवंटन में वृद्धि

302. डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने "लेवी" चीनी के आवंटन में वृद्धि हेतु वर्ष 1986 के स्थान पर 1995 की जनसंख्या को आधार मानने के लिए अभ्यावेदन भेजे हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनके अभ्यविदनों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इसे कब तक लागू किया जायेगा?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण लेवी चीनी कोटे में वृद्धि हेतु लगातार मांग की जाती रही है। अब चीनी की बेहतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1991 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु जनवरी, 1996 माह से लेवी चीनी आवंटित करने का निर्णय लिया है।

आयात शुल्क में कमी

303. श्री रमेश चेन्नितला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाम–आयल को खेती करने वाले किसानों को पाम–आयल के आयात शुल्क में कमी करने तथा अन्य रियायतें दिए जाने के कारण गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

खाद्यान्नों की प्रति-व्यक्ति उपलब्धता

304. श्री चित्त बसु : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता/खपत में वर्ष 1991 से गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) एक वर्ष में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता उत्पादन के स्तर, निवल निर्यात, स्टाक और जनसंख्या में परिवर्तन पर निर्भर करती है। खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता, जो 1991 में 510.1 ग्राम प्रतिदिन थी, जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण 1992 में गिरकर 468.8 ग्राम प्रतिदिन और 1993 में और गिरकर 462.7 ग्राम प्रतिदिन हो गई। तथापि, यह प्रवृत्ति 1994 में बदल गई जब प्रति व्यक्ति उपलब्धता 463.8 ग्राम हो गई। 1995 के लिए लगाए गए अनन्तिम अनुमान 504.1 ग्राम प्रति दिन हैं जिससे पता चलता है कि खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है जिसका श्रेय खाद्यान्नों के बढ़े हुए उत्पादन को दिया जा सकता है।

(ग) सरकार चावल, गेहूं, मोटे अनाजों आदि के विकास के लिए देश में फसल उत्पादन स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है। सस्यक्रम योजना पर आधारित विशिष्ट फसल के अन्तर्गत कुल मिलाकर सस्यक्रम प्रणाली के विकास के जरिये अनाजों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 1994-95 से अनाजों की चल रही स्कीमों में संशोधन किया गया है। इनमें निम्नलिखित शमिल हैं :–

समन्वित अनाज विकास कार्यक्रम	चावल
समन्वित अन्नाज विकास कार्यक्रम	गेहूं
समन्वित अनाज विकास कार्यक्रम	मोटे अनाज

और राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम।

महिलाओं के लिए योजनाएं

305. डा० साक्षीजी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जुलाई, 1995 तक महिला लाभार्थियों हेतु कितनी योजनाएं कार्यान्वित की गई ;

(ख) जुलाई, 1995 तक इन योजनाओं से योजना–वार कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचा; और

(ग) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उनमें से कितनी योजनाएं प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वित की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

चीनी मिलों द्वारा प्रदूषण

306. श्री पीयूष तीरकी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मई, 1981 से पूर्व स्थापित सभी चीनी मिलों के लिये 31 दिसम्बर, 1993 तक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना अनिवार्य कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) अभी तक उल्लिखित उपकरण को नहीं स्थापित करने वाली उन चीनी मिलों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने ये उपकरण अभी तक नहीं लगाये हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है/की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख) जी, हां। चीनी मिलों के साथ–साथ सभी प्रदूषक इकाइयों को 31 दिसम्बर, 1993 तक आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर लगाने के निदेश देते हुए एक अधिसूचना जारी की गई थी।

(ग) और (घ) इन इकाइयों द्वारा अनुपालन की निगरानी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर रहा है। जिन चीनी मिलों ने अभी तक बहिस्त्राव शोधन संयंत्र नहीं लगाएं हैं, उनके ब्यौरे और ऐसे मामलों में की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

चूककर्ता चीनी उद्योगों की स्थिति

इकाई का नाम	की गई कार्रवाई
आंध्र प्रदेश	
1. मेसर्स निजाम सुगर फैक्टरी लि० बोब्बिल्लि जिला–विजयनगरम्	बहिस्त्राव शोधन संयंत्र (ब०शो०सं०) निर्माणाधीन
2. मेसर्स निजाम सुगर फैक्टरी लि० सीतानगरम् जिला– विजय नगरम्	–वही–
3. मेसर्स निजाम हिन्दूपुर जिला अनंतपुर	–वही–
4. मेसर्स एन. वी. आर. कोआपरेटिव सुगर्स लि० जमपानी, वेमूर मंडल जिला – गुंटूर	–वही–
असम	
5. मेसर्स ब्रहमपुत्र सुगर मेन्यूफेक्चरिंग कं. लि. बरूआबामुंगोंव, गोलाघाट	ब०शो०सं० जून, 1996 तक पूरा होने की संभावना है।
बिहार	
6. मेसर्स बिहार स्टेट सुगर कारपोरेशन लि० सकरी	इकाई ने ब.शो.लगा लिया है इसके कार्य कारने के बारे में मालूम करना है।
7. मेसर्स बिहार स्टेट सुगर कारपोरेशन लि० समस्तीपुर	–वही–
8. मेसर्स बिहार स्टेट सुगर कारपोरेशन लि. बनमंखी, पूर्णिया जिला	–वही–

1	2	3
9.	मेसर्स बिहार स्टेट सुगर कारपोरेशन लि० हथवा, जिला गोपालगंज	—वही—
10.	मेसर्स बिहार स्टेट सुगर कारपोरेशन लि० मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर	—वही—
11.	मेसर्स बिहार स्टेट सुगर कारपोरेशन लि० सुगौली, पूर्वी चम्पारण जिला	—वही—
12.	मेसर्स बिहार स्टेट सुगर कारपोरेशन लि० लॉरिया, प० चम्पारण जिला	—वही—
	गुजरात	
13.	मेसर्स चरोतर सहकारी खांड उद्योग लि. पालज, ता, पेटलाड, जिला, खेड़ा	19.11.90 को जल अधिनियम 1974 के तहत मामला दायर और न्यायालय में लंबित है।
14.	मेसर्स श्री विलेश्वर खांड उद्योग खेदुत सहकारी मांडली लि० कोडिनार, जिला अमरेली	—वही—
	केरल	
15.	मेसर्स ट्रैवेंकोर सुगर्स एण्ड केमिकल्स लि० तिरूवल्ला	यह राज्य सरकार का उपक्रम है जो रूग्ण है। कंपनी निवेश की स्थिति में नहीं है।
16.	मेसर्स दि कोआपरेटिव सुगर्स लि० चित्तूर, पालक्कड़	बहिस्त्राव शोधन तथा उत्सर्जन नियंत्रण सुविधाओं का निर्माण प्रगति पर है।
	कर्नाटक	
17.	मेसर्स दक्षिण कन्नड़ एस.एस.के.लि० ब्रहमवर उडुपी, एस.के.जिला.	उद्योग ने ब.शो.सं. लगा लिया है। इसके कार्य करने के बारे में मालूम करना है।
18.	मेसर्स बीदर एस.एस.के.लि० बीदर	राज्य सरकार ने सिफारिश की है कि उद्योग को ब०शो०सं० लगाने और प्रदुषण नियंत्रण उपाय पूरा करने के लिए 6 माह का समय दिया जाए।
19.	मेसर्स श्री दूध गंगा कृष्ण शक्कर कारखाना नियमित चिक्कोड़ी, जिला बेलगांम	उद्योग का विस्तार होने जा रहा है, जिसके लिए ब०शो०सं० उन्नत किया जा रहा है।
20.	मेसर्स श्री राम एम.एस.के. चुनाचनकट्टी के०आर० नगर, मंड्या जिला	नियंत्रण उपस्कर सहित बायॅलर मुहैया किए जाने हैं। जल और वायु अधिनियमों के तहत सहमति नामंजूर कर दी गई है।

1	2	3
21.	मेसर्स श्री मालप्रभा कोआपरेटिव सुगर फैक्टरी लि०, एम.के.हुबली बेलगांम जिला	ब०शो०सं० नहीं रखने पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।
22.	मेसर्स तंगभ्दा सुगर वर्क्स शिमोगा जिला	ब०शो०सं० उन्नयन का कार्य पूरा किया जा रहा है
23.	मेसर्स सिरूगुप्पा सुगर्स एण्ड केमिकल्स लि० गौरी विदनूर कोलार जिला	उद्योग ने ब०शो०सं० अधिप्राप्त कर लिया है।
24.	मेसर्स सिरूगुप्पा सुगर्स एण्ड केमिकल्स लि० बैल्लारी जिला	बंद करने के आदेश हैं। न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया है।
25.	मेसर्स सहकारी शक्कर कारखाना नियमित अलंद तालुक गुलबर्गा जिला	11.5.94 को जल अधिनियम की धारा 33(क) के तहत बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
26.	मेसर्स उगर सुगर वर्क्स लि० उगर खुर्द, बेलगांम जिला	इकाइयों की लाइनिंग को छोड़कर ब०शो०सं० उन्नयन का कार्य पूरा हो गया है।
	मध्य प्रदेश	
27.	मेसर्स मुरैना मंडल सहकारी शक्कर कारखाना	कानूनी कार्रवाई चल रही है।
28.	मेसर्स जीवाजी राव सुगर मिल दलौदा	उद्योग ने ब०शो०सं० लगाने के लिए एक स्कीम प्रस्तुत की है। इस समय इकाई बन्द है।
29.	मेसर्स जओरा सुगर इन्डस्ट्री रतलाम	—वही—
30.	मेसर्स ग्वालियर सुगर कं०, ग्वालियर	कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।
31.	मेसर्स नवल सिंह का सहकारी शक्कर कारखाना, बुरहानपुर	ब०शो०सं० लगाया गया है। कार्य निष्पादन देखा जा रहा है।
	महाराष्ट्र	
32.	मेसर्स विश्वास एस.एस.के.लि. चिकाली, शीराला जिला—सांगली	ब०शो०सं० का उन्नयन कार्य लगभग पूरा हो गया है।
33.	मेसर्स जय जवान जय किसान एस.एस.के. लि. चिकाली शीराला, जिला—सांगली	भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण एरोबिक शोधन मुहैय्या करने का प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं किया जा सका।
34.	मेसर्स श्री वृदेश्वर एस.एस.के. लि०	उन्नयन के लिए प्रस्ताव प्राप्त

	हुआ है परन्तु क्रियान्वित नहीं किया गया है। कार्रवाई शुरू की गई है।
35. मेसर्स श्री संतएकनाथ एस.एस.के. लि०, जयकवाड़ी, औरगांबाद	इस समय उद्योग बंद है।

पंजाब

36. मेसर्स गुरूदासपुर कोआपरेटिव सुगर मिल्स पैनियर जिला गुरदास पुर	कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।
37. मेसर्स जनता कोआपरेटिव सुगर मिल्स लि०, मंडा, जिला–रोपड़	ब०शो०सं० उन्नयन कार्य प्रगति पर है।
38. मेसर्स बटाला कोआपरेटिव सुगर मिल्स लि० बटाला, जिला–गुरदासपुर	–वही–
39. मेसर्स तरन तारण कोआपरेटिव सुगर मिल्स लि० तरन तारण जिला अमृतसर	बी ओ डी थोड़ा ऊंचा है। ब०शो०सं० उन्नयन कार्य शुरू किया गया है।

पाण्डिचेरी

40. मेसर्स पाण्डिचेरी कोआपरेटिव सुगर मिल्स लि० लिंगरेड्डीपलायम	ब०शो०सं० को उन्नत नहीं किया गया है। कारण बताओं नौटिस जारी किया गया है।

राजस्थान

41. मेसर्स किशोरपैटन सहकारी सुगर मिल्स, किशोरपतन	कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

उत्तर प्रदेश

42. मेसर्स किसान सहकारी चीनी मिल लि०, कायमगंज, फर्रूखाबाद	उ०प्र० सरकार द्वारा बंद करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।
43. मेसर्स यू.पी. स्टेट सुगर कारपोरेशन लि० नवाबगंज, गोंडा	–वही–
44. मेसर्स यू.पी. स्टेट सुगर कारपोरेशन लक्ष्मीगंज, देवरिया	–वही–
45. मेसर्स यू.पी. स्टेट सुगर कारपोरेशन लि० छितौनी, देवरिया	–वही–
46. मेसर्स यू.पी.स्टेट सुगर कारपोरेशन रामकोला, देवरिया	–वही–
47. मेसर्स यू. पी. राज्य सुगर कारपोरेशन लिमिटेड देवरिया	बन्द करने के लिए उ०प्र० सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
48. मेसर्स उ०प्र० राज्य सुगर कारपोरेशन, पिपराइच, गोरखपुर	बन्द करने के लिए उ.प्र. सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
49. मेसर्स उ०प्र० स्टेट सुगर कारपोरेशन लि० बैतलपुर, देवरिया	–वही–
50. मेसर्स यू.पी. स्टेट सुगर कारपोरेशन लि०, मुण्डेरवा, बस्ती	–वही–
51. मेसर्स यू.पी. स्टेट सुगर कारपोरेशन लि०, शाहगंज, जौनपुर	–वही–
52. मेसर्स यू.पी. स्टेट सुगर कारपोरेशन लि०, माहोली, सीतापुर	–वही–
53. मेसर्स यू.पी. स्टेट सुगर कारपोरेशन बढवाल, बाराबंकी	–वही–
54. मेसर्स यू.पी.स्टेट सुगर कारपोरेशन बाराबंकी	–वही–
55. मेसर्स यू.पी. स्टेट सुगर कारपोरेशन हरदोई	–वही–
56. मेसर्स यू.पी.स्टेट सुगर कारपोरेशन लि० मोहिउद्दीनपुर, मेरठ	–वही–
57. मेसर्स यू.पी. स्टेट सुगर कारपोरेशन लि०, पन्नीनगर बुलन्दशहर	–वही–
58. मेसर्स यू.पी. स्टेट सुगर कारपोरेशन लि०, सकौटी टांडा, मेरठ	–वही–
59. मेसर्स यू.पी. स्टेट सुगर कारपोरेशन मलयाना, मेरठ	–वही–
60. मेसर्स यू.पी. स्टेट सुगर कारपोरेशन, घुघाली, महाराजगंज	–वही–
61. मेसर्स यू.पी. स्टेट सुगर कारपोरेशन लि०, नेकपुर, बरेली	–वही–
62. मेसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, सुल्तानपुर	–वही–
63. मेसर्स नन्दगंज सिहोरी सुगर को० लिमिटेड, नन्दगंज, गाजीपुर	–वही–
64. मेसर्स द किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, रसडा, वलिया	–वही–
65. मेसर्स द किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, सथियांव, आजमगढ़	–वही–

1	2	3
66.	मेसर्स द किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, साथा, अलीगढ़	–वही–
67.	मेसर्स बागपत को०आप० सुगर मिल्स लिमिटेड, बागपत, मेरठ	–वही–
68.	मेसर्स यू.पी.स्टेट सुगर कारपोरेशन लि०, छतनी, देवरिया	–वही–
69.	मेसर्स द गंगा किसान सहकारी चीनी मिल, मोराना, मुजफ्फरनगर	–वही–
70.	अयोध्या सुगर मिल्स, बिलारी, मुरादाबाद	कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।
71.	मेसर्स मोदी सुगर मिल, मोदीनगर गाजियाबाद	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
72.	मेसर्स मवाना सुगर वर्क्स, ववाना, मेरठ	–वही–
	पश्चिम बंगाल	
73.	मेसर्स रामनगर सुगर मिल्स (खतान एग्रो प्लासी, नोएडा के रूप में पुनर्निर्मिकरण)	कार्य पूरा होने के पश्चात् संचालन की अनुमति दी जाएगी।
74.	मेसर्स अहमदपुर सुगर मिल्स, अहमदपुर, भीरभूम,	

[अनुवाद]

साल की लकड़ी के वन

307. श्री प्रबीन डेका : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में साल की लकड़ी के वनों का राज्य–वार कुल क्षेत्र कितना है;

(ख) क्या साल की लकड़ी का क्षेत्र वृक्षों की कटाई, विशेष रूप से असम में वृक्षों की कटाई के कारण धीरे–धीरे कम होता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या सरकार का नए क्षेत्रों में साल की लकड़ी के वृक्ष लगाने के लिए कोई विशेष उपाय करने का विचार है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1993 के अनुसार 1993 के मूल्यांकन के आधार पर देश में कुल वन क्षेत्र 6,40,107 वर्ग कि०मी० है। तथापि, वन क्षेत्र का प्रजाति–वार मूल्यांकन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा नहीं किया जाता

(ख) असम सरकार द्वारा की गई सूचना के अनुसार असम राज्य में आरक्षित वन के अन्तर्गत साल वन का कुल क्षेत्र 3,22,864.28 हेक्टेयर है तथा वृक्षों की अवैध कटाई के कारण साल काष्ठ का क्षेत्र घट नहीं रहा है।

(ग) से (ड.) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय खाद्य निगम को राजसहायता

308. डा० वसंत पवार : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान उपभोक्ताओं और उत्पादकों के लाभार्थ भारतीय खाद्य निगम को कितनी राजसहायता राशि प्रदान की गई;

(ख) क्या ऐसे लाभ देश के सभी उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहे हैं और कतिपय राज्यों तक ही समिति हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 1994-95 के दौरान उपभोक्ता सब्सिडी और खाद्यान्नों के बफर स्टाक की रख–रखाव लागत के प्रति 5100 करोड़ रुपए (591 करोड़ रुपए की चीनी सब्सिडी सहित) प्रदान किए हैं। खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य पूरे भारत में एक समान रूप से लागू हैं जो उनकी आर्थिक लागत से कम होते हैं तथा यह अन्तर उपभोक्ता सब्सिडी द्वारा कवर किया जा रहा है। इस प्रकार यह लाभ केवल किसी विशेष राज्य/संघ शासित प्रदेश तक समिति नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नामदफा बाघ परियोजना

309. श्री लाईता उम्ब्रे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चकमा शरणार्थियों ने नामदफा बाघ परियोजना और आवासीय क्षेत्र के समीप अन्य वन्य जीव अभ्यारणयों को नष्ट कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन शरणार्थियों द्वारा किये गए कथित नुकसान या मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ड.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) अरूणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है कि नामदफा बाघ रिजर्व अथवा अन्य जीव अभयारण्यों के निकट कोई बस्तियां नहीं हैं और इस प्रकार इन क्षेत्रों को चकमा शरणार्थियों द्वारा कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई है।

(ख) से (ड.) प्रश्न नहीं उठते।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की खरीद

310. * श्री हरिन पाठक : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित दर की दुकानों द्वारा खाद्यान्नों की आपूर्ति में गत तीन वर्षों के दौरान पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान उचित दर की दुकानों द्वारा प्रतिवर्ष खाद्यान्नों की कुल कितनी मात्रा की आपूर्ति की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए सार्वजनिक वितरण के लिए चावल और गेहूं का निम्नानुसार उठान किया गया है :–

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	चावल	गेहूं
1991-92	99.45	87.85
1992-93	93.64	74.00
1993-94	88.84	58.63
1994-95 (अनन्तिम)	79.82	48.28
1995-96 (अनन्तिम)	53.90	26.89
(अक्तूबर, 1995 तक)		

लगातार तीन वर्षों (1992-93 और उसके बाद) में बहुत अच्छी फसल होने की वजह से खुले बाजार में खाद्यान्नों की सुगम उपलब्धता होने, खुले बाजार के मूल्यों और उचित दर की दुकानों पर निर्गम मूल्य के बीच बहुत कम अन्तर होने और उपभोक्ताओं द्वारा स्थानीय किस्मों को तरजीह देने के कारण खाद्यान्नों के उठान में गिरावट हुई है।

[हिन्दी]

भूमिगत जल

311. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में प्रदूषित भूमिगत जल के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में किन–किन स्थानों की राज्यवार पहचान की गयी है; और

(ग) सरकार द्वारा भूमिगत जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक भूमिगत जल गुणवत्ता निगरानी परियोजना शुरू की है और निम्नलिखित क्षेत्रों में 134 भूमिगत जल सैम्पलिंग स्थानों का एक नेटवर्क स्थापित किया है :–

भद्रावती (कर्नाटक), चेम्बूर (महाराष्ट्र) धनबाद (बिहार), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) मंडी गोविन्दगढ़ (पंजाब), ग्रेटर कोचीन (केरल), हावड़ा (पश्चिम बंगाल), जोधपुर (राजस्थान), काला अम्ब (हिमाचल प्रदेश), कोरबा (मध्य प्रदेश), मनाली (तमिलनाडु), नागदा–रतलाम (मध्य प्रदेश), नजफगढ़ नाला बेसिन (दिल्ली), नार्थ अरकाट (तमिलनाडु), पाली (राजस्थान), परवानू (हिमाचल प्रदेश), पतनचेरु बोलारम (आन्ध्र प्रदेश), विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश), सिंगरौली (उत्तर प्रदेश), तलचर (उड़ीसा), वापी (गुजरात)

(ग) भूमिगत जल की गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

(1) पश्चिम बंगाल में भूमिगत जल में आर्सेनिक की उच्च सान्द्रता वाले क्षेत्रों में अध्ययन किए गए हैं। अब तक किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि भूगर्भ वैज्ञानिकीय संरचना से आर्सेनिक स्वतः बन जाता है। आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में एक जल आपूर्ति प्रणाली की स्थापना के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है,

(2) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत बहिस्राव मानक निर्धारित किए गए हैं,

(3) उद्योगों से कहा गया कि वे बहिस्रावों के उत्सर्जकों को निर्धारित मानकों के भीतर रखने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की अपेक्षाओं का पालन करें,

(4) प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़–भाड़ वाले गैर–अनुरूप क्षेत्रों से शिफ्ट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं,

(5) परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया गया है,

(6) साझे बहिःस्राव शोधन संयंत्रो की स्थापना के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों की सहायता हेतु एक स्कीम शुरू की गई है।

(7) अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में एक भूमिगत जल गुणवत्ता निगरानी स्कीम शुरू की गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय

312. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बालिकाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन–जातियों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुक्त विद्यालयों के नेटवर्क के पास दस वर्षों की समयावधि में पन्द्रह करोड़ लोगों को शिक्षा प्रदान करने की क्षमता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में बनाये गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा० कृपासिन्धु भोई) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से इस संबंध में एक सुझाव प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा इस संबंध में संचालन संबंधी ब्यौरे अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं।

चट्टोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट

313. श्री मोहन रावले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार के समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखा है कि वह चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशें बिना अतिरिक्त केन्द्रीय अनुदान के अपने संसाधनों से लागू करने के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार, ने भारत सरकार को (i) 15/- रु० प्रतिमाह से 65/- रु० प्रतिमाह तक चिकित्सा भत्ता बढ़ाने, (ii) वरिष्ठ वेतनमान में 12 वर्ष पूरे कर लेने वाले सभी शिक्षकों को प्रवरण–वेतनमान (सेलेक्शन–वेतनमान) की स्वीकृति, (iii) शैक्षिक प्रशासकों की सेवा निवृत्ति की आयु को 60 वर्ष तक बढ़ाने के सुझाव देते हुए प्रस्ताव भेजे हैं।

प्रस्तावों पर विचार किया गया है और सरकार का दृष्टिकोण इस प्रकार है :

(i) वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखे बिना, नियत चिकित्सा भत्ता देने के बजाय, एक चिकित्सा बीमा (मेडिकल इंश्योरेंस) अधिक उपयुक्त होगा (ii) शिक्षकों को रनिंग वेतनमान की संकल्पना सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई है। चौथे केन्द्रीय वेतन–आयोग और चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशों के आधार पर, शिक्षा को 1.1.1986 से उन्नत तीन स्तरीय वेतनमान तथा अध्ययन भत्ता दिया गया है। इस स्तर पर, जब पांचवां केन्द्रीय वेतन आयोग सभी वेतनमानों के संशोधन और सेवा–शर्तों की जांच कर रहा है, वेतनमान में संशोधन अथवा सेवा–निवृत्ति की आयु में परिवर्तन संभव नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदूषण

314. श्री हाराधन राय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में विशेष कर आसनसोल–दुर्गापुर उपमंडलों में उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं और वे किन–किन स्थानों पर स्थित हैं; और

(ख) राज्य में ऐसे प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) पश्चिम बंगाल में 58 बड़े और मझोले उद्योग हैं जिनकी अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों की 17 श्रेणियों के तहत शिनाख्त की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के वे उपक्रम जो निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं कर हैं, में ये आते हैं : दुर्गापुर, इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर, एलाय इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर, दुर्गापुर कैमिकल्स लिमिटेड, दुर्गापुर; भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, बर्नपुर, दुर्गापुर प्रोजेक्टस लि. दुर्गापुर कोलाघाट फरक्का एवं दुर्गापुर के ताप विद्युत घर तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की आपरेटिंग इकाइयां।

(ख) प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. प्रदूषण फैलाने वाली बड़ी श्रेणियों के लिए उत्सर्जन और बहिस्त्राव मानक अधिसूचित किए गए हैं।
2. उद्योगों को निर्देश दिया गया है कि वे निश्चित समय अवधि में जरूरी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करें और दोषी इकाइयों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।
3. उद्योगों के स्थान निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा–निर्देश तैयार किए गए हैं।
4. प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को लगाने और उद्योगों को भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों से शिफ्ट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।
5. प्रदूषण नियंत्रण/निगरानी उपकरणों के लिए सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क में छूट दी जाती है।
6. लघु औद्योगिक समूहों में साझावहिस्त्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए एक स्कीम शुरू की गई हैं।
7. मोटर–गाड़ियों, घरेलू उपकरणों तथा निर्माण उपकरणों के लिए शोर सीमाएं अधिसूचित की गई हैं।
8. प्रदूषण के प्रभावों पर जनजागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में वन क्षेत्र

315. श्री राम सिंह कस्वां : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य के गठन के समय राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत वन क्षेत्र था;

(ख) राज्य में इस समय कुल कितने प्रतिशत वन क्षेत्र हैं;

(ग) क्या राजस्थान में वन क्षेत्र इसके गठन के समय विद्यमान वन क्षेत्र की तुलना में कम हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) राज्य में वनों के विकास हेतु राज्य द्वारा कौन–कौन सी

योजनाएं शुरू की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के सृजन के समय वहां की 11.75 प्रतिशत भूमि पर वन थे।

(ख) वर्तमान में राजस्थान में अभिलेखबद्ध वन क्षेत्र 9.25 प्रतिशत है।

(ग) जी, हां।

(घ) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वन क्षेत्र में कमी आने का मुख्य कारण बेदखलियों को बसाने, उद्योगों, जल विद्युत परियोजनाओं, अवैध कब्जों का नियमितीकरण तथा राजस्व और वन बन्दोबस्त के कारण सुधार कार्य जैसे विभिन्न वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि आवंटित करना है।

(ङ) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राज्य में वनों के विकास के लिए चलाई गई विभिन्न स्कीमें इस प्रकार है :

राज्य आयोजना स्कीमें :

1. अरावली वनीकरण परियोजना
2. राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना
3. वानिकी विकास परियोजना
4. जलाऊ लकडी और चारा स्कीम
5. अवक्रमित वनों का सुधार
6. आर्थिक पौधरोपण
7. विश्व खाद्य कार्यक्रम
8. पर्यावरणीय वानिकी
9. शहरी वानिकी
10. पहाडी और बीहड़ क्षेत्रों में मृदा संरक्षण

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

1. जलाऊ लकड़ी और चारा स्कीम
2. लघु वनोपज – विकास
3. समन्वित पारि – वनीकरण कार्यक्रम, बीकानेर – गंगानगर परियोजना
4. आई. ए. ई. सी. वनीकरण की पावती परवान परियोजना
5. आई ए ई पी मेरता – दगना परियोजना
6. वन्यजीव परिरक्षण स्कीमें
7. मृदा संरक्षण नदी घाटी परियोजना चंबल, कदना और दांतीवाडा
8. बाढ़ प्रवण नदी साहिबी में मृदा सरक्षण

[अनुवाद]

शिक्षा पर व्यय

316. श्री श्रीकांत जेना :

श्री राजेश कुमार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सकल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से शिक्षा पर कुल कितना व्यय किया जाता है;

(ख) शिक्षा पर व्यय के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत स्तर क्या है; और

(ग) शिक्षा पर व्यय के लिए निर्धारित सकल राष्ट्रीय उत्पाद का छह प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य सरकार किस प्रकार प्राप्त करेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) वर्ष 1993-94 (संशोधित अनुमान) में केन्द्र और राज्यों के शिक्षा विभागों द्वारा शिक्षा पर कुल राजस्व व्यय सकल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 3.5 प्रतिशत है।

(ख) हालांकि कोई अंतर्राष्ट्रीय मानदंड नहीं है, फिर भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर भारत का व्यय अन्य विकासशील देशों की तुलना में अनुकूल है।

(ग) आर्थिक विकास में अपेक्षाकृत अधिक तेजी और साथ ही केन्द्रीय और राज्य बजटों के पुनर्गठन से शिक्षा पर सरकारी परिव्यय सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 6 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा।

[हिन्दी]

सोयाबीन के लिए प्रौद्योगिकी मिशन

317. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश में सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मिशन के अंतर्गत किन–किन राज्यों को शामिल करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) अन्य तिलहन फसलों सहित सोयाबीन को 1986 से तिलहनों पर प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत पहले ही शामिल किया गया है। सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, तथा मेघालय राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम चल रहा है।

[अनुवाद]

दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र

318. **श्री छेदी पासवान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक स्थापित किए गए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के साथ प्रत्येक संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के पास नई दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों को स्थापित करने का कोई आवेदन पत्र लंबित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनको कब तक स्वीकृति प्रदान की जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) पांच लाख लीटर दुध प्रतिदिन के कारोबार की क्षमता वाले दिल्ली दुग्ध योजना को छोड़कर केन्द्र सरकार ने अपना कोई दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित नहीं किया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय पंजीकरण प्राधिकारी के पास दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन आदेश 1992 के अधीन निपटान के लिए लंबित पड़े आवेदन पत्रों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र. सं०	राज्य	निपटान के लिए लंबित आवेदन पत्रों की सं०
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	दिल्ली	2
3.	हरियाणा	1
4.	हिमाचल प्रदेश	2
5.	मध्य प्रदेश	1
6.	महाराष्ट्र	7
7.	राजस्थान	2
8.	तमिलनाडु	2
9.	उत्तर प्रदेश	6
		27

(घ) दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादन आदेश में यह व्यवस्था की गई है कि आवेदन पत्र प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण के लिए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों को निपटा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

कृषि उपजों की कीमतें

319. **श्री गुमान मल लोढ़ा :**

डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उपजों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि उपजों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किये जाने वाली विभिन्न मुख्य मदों की कीमतों में वृद्धि के संबंध में कोई मूल्यांकन भी कराया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कौन सी मदें हैं जिनकी कीमतों में उक्त अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और कितनी वृद्धि हुई है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा भविष्य में कृषि उपजों की लागत में और वृद्धि को रोकने के लिए कोई योजना तैयार की जा रही है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) कृषि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि कमोवेश रूप से अन्य वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि के अनुरूप है। यह निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है।

कृषि वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत वृद्धि (बिन्दुवार)

मद	1993-94	1994-95	1995-96 (11.11.95 की स्थिति के अनु०)
सभी वस्तुएं	10.8	10.4	8.2
कृषि वस्तुएं	9.7	14.0	9.2
खाद्य वस्तुएं	4.4	11.9	7.6
अखाद्य वस्तुएं	24.9	15.5	9.9

(ग) और (घ) कृषि आदानों के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) उर्वरकों, सिंचाई, बिजली, बीजों आदि जैसे आदानों पर रियायत देकर आदान की कीमतों को नियंत्रण में रखने के उपाय किए जा रहे हैं।

विवरण

वस्तुएं	1993-94	1994-95	1995-96 (11.11.95 की स्थिति के अनुसार)
उर्वरक	(-) 1.2	12.5	6.8
कीट नाशक	52.2	7.5	(-) 15.9
सिंचाई के लिए बिजली	26.8	(-) 3.8	0.3
हाई स्पीड डीजल	10.6	6.0	0.0
लाइट डीजल आयल	11.4	0.0	0.0
स्नेहक (लुब्रिकैन्ट)	7.6	(-) 1.3	(-) 2.2
पशु आहार	6.1	10.5	15.4

1	2	3	4
ट्रैक्टर	6.8	8.3	6.8
गैर विद्युत मशीनरी पार्टस	3.2	8.1	5.1
विद्युत चालित पम्प	(-) 0.4	8.0	12.6

[अनुवाद]

दुग्ध उत्पादन

320. **श्री दत्ता मेघे :**

श्री एन. जे. राठवा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार दुग्ध का कितना उत्पादन होता है तथा इसकी कितनी खपत हुई है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इसका उत्पादन राष्ट्रीय औसत से भी कम है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन तथा खपत में वृद्धि करने हेतु किन–किन योजनाओं को शुरू किया गया है या शुरू करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) राष्ट्रीय औसत के साथ दुध की राज्यवार प्रति व्यक्ति उपलब्धता विवरण के रूप में संलग्न है। कुछेक राज्यों में कम उत्पादन का प्रमुख कारण इन राज्यों में दुग्ध उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों की तुलना में दुधारू पशुओं की कम संख्या है।

(ग) राज्य सरकार के कार्यक्रमों के अलावा देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय/केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है :

1. आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता।
2. हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी तथा संतति परीक्षण कार्यक्रम का विस्तार।
3. राष्ट्रीय पशु प्लेग उन्मूलन परियोजना।
4. पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता।
5. व्यावसायिक दक्षता विकास।
6. राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम।
7. गैर–आपेरशन फलड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम।
8. आपरेशन फलड – 3 के अंतर्गत कार्यक्रम।

विवरण

दुग्ध उत्पादन

राज्य/संघ शासित प्रदेश		जनसंख्या 1994-95 (00 संख्या)	94-95 (अनन्तिम) (000 मी०टन)	ग्राम प्रति व्यक्ति/दिन
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	708277	4100	159
2.	अरूणाचल प्रदेश	9438	42	122
3.	असम	242315	697	79
4.	बिहार	934276	3250	95
5.	गोवा	12546	31	68
6.	गुजरात	440417	3650	227
7.	हरियाणा	177990	3950	608
8.	हिमाचल प्रदेश	55321	655	324
9.	जम्मू और कश्मीर	83634	780	256
10.	कर्नाटक	475396	3003	173
11.	केरल	305941	2120	190
12.	मध्य प्रदेश	711202	5160	199
13.	महाराष्ट्र	846746	4450	144
14.	मणिपुर	19959	111	152
15.	मेघालय	19266	54	77
16.	मिजोरम	7710	15	53
17.	नागालैंड	13538	45	91
18.	उड़ीसा	338146	585	47
19.	पंजाब	213744	6400	820
20.	राजस्थान	474901	4850	280
21.	सिक्किम	4560	32	192
22.	तमिलनाडु	578771	3963	188
23.	त्रिपुरा	29932	38	35
24.	उत्तर प्रदेश	1482278	11400	211
25.	पश्चिम बंगाल	723815	3250	123
26.	अंडमान व निकोबार	3191	25	215
27.	चण्डीगढ़	7526	40	146
28.	दादर व नगर हवेली	1526	4	72

1	2	3	4	5
29.	दमन और दीव	1092	1	25
30.	दिल्ली	106809	270	69
31.	लक्षद्वीप	564	1	49
32.	पांडिचेरी	8686	29	91
	कुल :	9039557	63001	191

खाद्यान्न भंडार

321. श्री वृशिण पटेल :

श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान देश में राज्यवार गेहूं और चावल का कुल भंडार अलग-अलग कितना है;

(ग) क्या देश की आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न के भंडार उपलब्ध हैं ;

(घ) यदि हां, तो अतिरिक्त खाद्यान्न भंडार की मात्रा कितनी है; और

(ड.) सरकार का इन भंडारों का उपयोग किस प्रकार करने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां। केन्द्रीय पूल में 1.10.1995 को स्थिति के अनुसार खाद्यान्नों का स्टाक निम्नानुसार था:

(आंकड़े मिलियन मीटरी टन में)

गेहूं	16.78
चावल	13.00
जोड़ :	29.78

(ख) 1.11.1995 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में रखे गए स्टाक की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) सरकार ने बफर स्टाक रखने संबंधी नीति के अधीन बनाकर रखे जाने वाले स्टाक की कुल न्यूनतम अपेक्षाएं निम्नानुसार निर्धारित की हैं :

(आंकड़े मिलियन मीटरी टन में)

तारीख	गेहूं	चावल	जोड
पहली अप्रैल	3.7	10.8	14.5
पहली जुलाई	13.1	9.2	22.3
पहली अक्तूबर	10.6	6.0	16.6
पहली जनवरी	7.7	7.7	15.4

इस प्रकार 1.10.1995 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 29.78 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक था जबकि बफर स्टाक रखने के मानदंड 16.60 मिलियन मीटरी टन है।

(ड) इस स्टाक का उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली/संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए किया जा रहा है और इसका उपयोग जवाहर रोजगार योजना, पोषाहार कार्यक्रम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के होस्टलों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों द्वारा चलाई जा रही खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों, माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड) और इसकी फ्रेन्चाइज्ड यूनिटों और मिड-डे मील स्कीम जैसी विभिन्न योजना के अधीन वितरित करने के लिए भी किया जा रहा है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम घरेलू खपत और निर्यात के प्रयोजन के लिए भी गेहूं और चावल की खुले बाजार में बिक्री कर रहा है।

विवरण

1.11.1995 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय एजेंसियों के पास खाद्यान्नों की स्टाक स्थिति (अनन्तिम)

24.11.1995 की स्थिति के अनुसार (हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	446.81	126.84	0.00	573.65
जे.एम.(पो.आ.) विजाग	28.09	0.00	0.00	28.09
असम	107.48	20.65	0.00	128.13
बिहार	105.10	129.25	0.00	234.35
दिल्ली	50.76	75.47	0.00	126.23
गोआ	4.84	3.17	0.00	8.01
गुजरात	215.95	571.20	0.00	787.15
जे.एम.(पो.आ.) कांडला	33.47	79.56	0.00	113.03
हरियाणा	910.75	2708.59	0.00	3619.34
हिमाचल प्रदेश	2.89	5.79	0.00	8.68
जम्मू और कश्मीर	29.85	5.10	0.00	34.95
कर्नाटक	190.36	51.66	0.00	242.02
केरल	308.09	54.29	0.00	362.38
मध्य प्रदेश	821.80	496.88	0.00	1318.68
महाराष्ट्र	627.24	419.50	0.00	1046.74
मणिपुर	1.39	0.98	0.00	2.37
मेघालय	8.09	1.87	0.00	9.96

1	2	3	4	5
मिजोरम	8.32	1.29	0.00	9.61
नागालैंड	2.73	0.91	0.00	3.64
उड़ीसा	36.19	38.27	0.00	74.46
पंजाब	6232.45	7505.19	0.00	13737.64
राजस्थान	469.72	1227.63	0.00	1697.35
तमिलनाडु	329.47	85.72	0.00	415.19
जे.एम. (पो.आ.) मद्रास	3.17	0.00	0.00	3.17
त्रिपुरा	6.42	6.28	0.00	12.70
उत्तर प्रदेश	959.38	1907.36	नगण्य	2866.74
पश्चिम बंगाल*	251.26	76.03	0.00	327.29
जे.एम.(पो.आ). कलकत्ता	0.00	0.00	0.00	0.00
चण्डीगढ़	5.88	नगण्य	0.00	5.88
मार्गस्थ स्टाक	210.73	170.32	0.00	381.05
जोड़ (अखिल–भारतीय)	12408.68	15769.80	नगण्य	28178.48

अनंतिम

50 मीटरी टन से कम

* जे.एम. (पो.आ.) कलकत्ता शामिल है।

बिजनेस मैनेजमेंट तथा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में प्रवेश

322. **श्री राम विलास पासवान :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में "बिजनेस मैनेजमेंट" तथा "बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन" पाठ्यक्रमों में कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया; और

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1995-96 के शैक्षणिक वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के प्रबंध अध्ययन संकाय द्वारा प्रदान किये जाने वाले विभिन्न प्रबंध पाठयक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 15 अभ्यार्थियों सहित 230 अभ्यार्थियों को प्रवेश दिया गया।

[हिन्दी]

जगन्नाथ मंदिर में देवदासियां

323. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पुरी की जगन्नाथ मंदिर की प्रबंध समिति ने देवदासियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है तथा इस निर्णय का देश में व्यापक विरोध हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) इस संबंध में सरकार को समाचार पत्रों में छपी कतिपय रिपोर्टों की जानकारी है।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की प्रबंध समिति ने मन्दिर में देवदासियों को नियुक्त करने का निर्णय नहीं लिया है। पुरी स्थित मन्दिर में देवदासियों को नियुक्त या भर्ती मन्दिर प्रशासन द्वारा नहीं की जाती। मंदिर में की जाने वाली अन्य सेवाओं की भांति ये भी एक स्वैच्छिक सेवा है जो स्वेछा और समर्पण की भावना से की जाती है।

(घ) मन्दिर में समर्पण के माध्यम से महिलाओं के शोषण के प्रति सरकार चिंतित है। जिन राज्यों में देवदासियों, बासवियों, जोगिनों आदि के रूप में समर्पण की पारंपरिक प्रथा विद्यमान है, केन्द्र सरकार उन राज्यों से अनुरोध करती रही है कि वे देवदासी प्रथा को रोकने और उनके पुनर्वास के लिए कानून/नियम बनायें।

[अनुवाद]

चीनी

324. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1.4.95 को देश में चीनी का कितना अनुमानित भंडार था और 1995-96 के दौरान कितने उत्पादन की संभावना है;

(ख) पहले किए गए करार के अनुसार चालू वर्ष के दौरान चीनी का कितना अनुमानित आयात होगा;

(ग) यदि प्रस्तावित हो तो कितनी चीनी का निर्यात होगा;

(घ) चालू वर्ष के दौरान चीनी की अनुमानित आंतरिक मांग कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान चीनी की थोक और खुदरा कीमतों पर निगरानी रखी है; और

(च) क्या सरकार का विचार भंडार और चीनी के विक्रय पर समय सीमा हटाने का है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) चीनी मौसम की गणना अक्तूबर से सितम्बर तक की जाती है। देशी चीनी का पूर्वाशिष्ट स्टॉक चीनी मिलों के पास दिनांक 1.10.1995 को 53.77 लाख टन (अनन्तिम) था। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार 1 अक्तूबर, 1995 से आरंभ होने वाले वर्तमान मौसम

1995-96 के दौरान चीनी का उत्पादन यदि बेहतर नहीं तो, समान रूप से अच्छा होगा।

(ख) एस. टी. सी. एवं एम. एम. टी. सी. ने 1995 के दौरान हुए अनुबंध के आधार पर 31 अक्तूबर, 1995 तक 1.99 लाख टन चीनी का आयात किया।

(ग) चीनी की अनुकूल स्थिति को देखते हुए सरकार ने निर्यात के लिए 5.00 लाख टन चीनी अधिसूचित की है। इसके अतिरिक्त तरजीह कोटे के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय एवं संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात के लिए भी सरकार ने 1994-95 मौसम के उत्पादन में से 0.19 लाख टन की मात्रा अधिसूचित की है।

(घ) खुले सामान्य लाइसेंस के तहत निजी पार्टियों द्वारा आयातित, यदि कोई हो तो, चीनी की मात्रा के अतिरिक्त 1995-96 मौसम के दौरान चीनी की अनुमानित घरेलू आवश्यकता लगभग 128.51 लाख टन होगी।

(ङ) खुले बाजार में चीनी के उचित मूल्य बनाए रखने के लिए खुली बिक्री व्यवस्था को इस विवेकपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा रहा है कि उपभोक्ताओं की सुविधा के साथ–साथ उत्पादक भी किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान कर सके।

(च) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं है।

स्वाधीनता संग्राम संग्रहालय

325. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में निर्मित दो स्मारक स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय तथा स्वतंत्रता सेनानी स्मारक का उद्घाटन 2 अक्तूबर, 1995 को किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन स्मारकों के गठन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इन स्मारकों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय लाल किले के एक भवन में स्थापित किया गया जो रक्षा प्राधिकारियों से ले लिया गया था उसमें जिसका उद्घाटन 2 अक्तूबर, 1995 को किया गया।

स्वतंत्रता सेनानी स्मारक का उद्घाटन 26 नवम्बर, 1995 को दिल्ली के सलीमगढ़ किले में किया गया था।

(ख) स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय और स्वतंत्रता सेनानी स्मारक 1857 से 1947 तक की अवधि के भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की स्मृति में स्थापित किए गए हैं। सलीमगढ़ किले का भाग भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को स्मृति में एक स्मारक के रूप में विकसित किया गया है। किले और बैरकों की व्यापक मरम्मत की गई है। दो बैरकों तथा अन्य बैरकों को, जिनमें शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरूबक्श सिंह ढिल्लों तथा आजाद हिन्द फौज के अन्य सैकड़ों सिपाहियों को कारागार में रखा जाता था, उनके तथा अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदान के प्रतीक के रूप में सुरक्षित रखा जा रहा है। लाल किले के परिसर के एक भवन में जहां आई. एन. ए. परीक्षण किया गया था, एक संग्रहालय स्थापित किया गया है जिसमें फोटोचित्र, दस्तावेजों, चित्रकारी, काल, अश्मलेखों, बंदूक, पिस्तौल तलवारें शील्ड जैसी काल वस्तुओं आदि ऐंक बैज, पदक, डायोरामा, पेनल्स इन रिलीफ, अर्ध प्रतिमा मूर्तियां आदि के माध्यम से 1857 से 1947 तक के स्वतंत्रता संघर्ष के विभिन्न पहलू/घटनाएं प्रदर्शित की गई हैं।

(ग) संग्रहालय और स्मारकों पर कुल 1,40,68,000/- रुपये खर्च हुए।

चीनी उत्पादन में सहकारी क्षेत्र

326. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उत्पादन हेतु सरकारी क्षेत्र को सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चीनी उत्पादन में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाने का विचार है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) सहकारी क्षेत्र की चीनी फैक्ट्रियों सहित चीनी फैक्ट्रियों को आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन और गन्ना विकास योजनाओं के लिए ब्याज की रियायती दर पर चीनी विकास निधि से ऋण दिया जाता है।

(ख) विवरण I, II और III संलग्न है जिसमें पिछले तीन वर्षों में वर्षवार और राज्यवार सहकारी क्षेत्र की चीनी फैक्ट्रियों को आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन, गन्ना विकास के लिए दिये गये ऋण का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) (1) लाइसेंसिंग नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अन्य सभी बातें समान होने पर सहकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों को भी उसी क्रम में तरजीह दी जायेगी जैसे कि निजी क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों को दी जाती है।

(2) आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन ऋण के संबंध में चीनी विकास निधि संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह बताया गया है कि सहकारी और सरकारी क्षेत्र के चीनी प्रतिष्ठानों को निजी क्षेत्र की तुलना में ऋण मंजूर करने के लिए अग्रता दी जाएगी।

विवरण-I

सहकारी क्षेत्र की चीनी फैक्ट्रियों को 1992-93 में गन्ना विकास, आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए वितरित किए गए ऋण का ब्यौरा

1992-93

क्र.सं०	राज्य का नाम	गन्ना विकास	आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन
1.	आंध्र प्रदेश	2	-
2.	गुजरात	1	1
3.	हरियाणा	1	-
4.	कर्नाटक	1	1
5.	महाराष्ट्र	9	5
6.	मध्य प्रदेश	1	-
7.	पंजाब	3	-
8.	तमिलनाडु	1	4
9.	उत्तर प्रदेश	-	8
	जोड़ :	19	19
	वितरित की गई राशि (लाख रुपयों में)	764.14	5962.62

विवरण-II

सहकारी क्षेत्र की चीनी फैक्ट्रियों को 1993-94 में गन्ना विकास, आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए वितरित किए गए ऋण का ब्यौरा

1993-94

क्र.सं०	राज्य का नाम	गन्ना विकास	आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन
1.	आंध्र प्रदेश	2	-
2.	गुजरात	-	1
3.	हरियाणा	5	-
4.	कर्नाटक	5	1
5.	महाराष्ट्र	17	4
6.	मध्य प्रदेश	1	-
7.	उड़ीसा	-	1
8.	पंजाब	4	-
9.	तमिलनाडु	2	4
10.	उत्तर प्रदेश	1	1
	जोड़ :	37	12
	वितरित की गई राशि (लाख रुपयों में)	3052.54	4401.372

विवरण-III

सहकारी क्षेत्र की चीनी फैक्ट्रियों को 1994-95 में गन्ना विकास, आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए वितरित किए गए ऋण का ब्यौरा

1994-95

क्र.सं०	राज्य का नाम	गन्ना विकास	आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन
1.	आंध्र प्रदेश	-	-
2.	गुजरात	-	-
3.	हरियाणा	-	-
4.	कर्नाटक	-	-
5.	महाराष्ट्र	9	4
6.	मध्य प्रदेश	-	1
7.	उड़ीसा	-	-
8.	पंजाब	1	-
9.	तमिलनाडु	-	2
10.	उत्तर प्रदेश	-	3
	जोड़ :	10	10
	वितरित की गई राशि (लाख रुपयों में)	818.374	3373.126

उच्च व्यावसायिक शिक्षा

327. श्री अन्ना जोशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य में उच्च शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने के लिए महाराष्ट्र को कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ वस्तुतः अब तक कितनी राशि जारी की गई है; और

(ग) शेष राशि कब तक जारी की जायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना वर्ष 1994-95 में प्रथम डिग्री स्तरपर ही आरंभ की गई थी। वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान इस योजना को महाराष्ट्र में कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को किए गए आवंटन तथा प्रदत्त अनुदान से संबंधित स्थिति निम्नवत है :

(रु० लाखों में)

वर्ष	आवंटित राशि	प्रदत्त राशि
1994-95	306.00	306.00
1995-96	271.50	135.75

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि शेष राशि वर्ष 1995-96 के दौरान जारी की जाएगी।

[हिन्दी]

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में आग

328. डा. परशुराम गंगवार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में कितनी बार आग लगी;

(ख) इस आग में कितने जीव–जन्तु मारे गए और वन क्षेत्र को कितनी क्षति पहुंची; और

(ग) इस उद्यान की आग से सुरक्षा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खाद्य तथा पोषण संवर्धन एकक

329. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री एन. जे. राठवा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय चलते–फिरते खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य तथा पोषण संवर्धन एककों की संख्या कितनी है तथा वे किन–किन स्थानों पर कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर गुजरात में ऐसे और एकक स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में इस प्रकार के एकक कब तक स्थापित कर दिये जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एंव बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) देश में चलते–फिरते खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य पोषाहार के कोई एकक नहीं हैं। देश भर में 43 सामुदायिक खाद्य एवं पोषाहार विस्तार एकक हैं, तो एक–एक अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ, अरनाकुलम, फरीदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हिसार, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जबलपुर, जेयपुर, जम्मू, लखनऊ, लुधियाना, मद्रास, मदुरई, मंडी, मंगलूर, नागपुर, पणजी, पटना, पांडिचेरी, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, सिलवासा, तिरूअनन्तपुरम, उदयपुर, बलसाद, विजयवाडा, विशाखापत्तनम् में तथा तीन दिल्ली में स्थित हैं।

(ख) और (ग) मामला विचाराधीन है।

(घ) इस समय प्रत्येक राज्य के जिले में ऐसे एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गन्ने का खरीद मूल्य

330. कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री गुरूदास कामत :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कुछ राज्य सरकारों ने गन्ने के खरीद मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के खंड 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार गन्ना उत्पादकों को चीनी उत्पादकों द्वारा भुगतान किए जाने वाला न्यूनतम मूल्य अर्थात् सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। यह मूल्य ऐसे प्राधिकरणों, निकायों अथवा एसोसिएशनों, जिन्हें सरकार उपयुक्त समझती है, के साथ परामर्श और गन्ने की उत्पादन लागत, वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों को मिलने वाले मूल्य और कृषि जिन्सों के मूल्य की सामान्य प्रवृत्ति, उचित दर दुकानों पर उपभोक्ताओं को चीनी की उपलब्धता, चीनी उत्पादकों द्वारा गन्ने से तैयार की गई चीनी के बिक्री मूल्य और गन्ने से चीनी की रिकवरी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिए जाने के पश्चात् कुछ राज्य सरकारें राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्यों की घोषणा करती हैं जो सामान्यतया सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अधिक होते हैं। केन्द्रीय सरकार ने अग्रिम में दिनांक 19 दिसम्बर, 1994 को चीनी मौसम, 1995-96 हेतु गन्ने के लिए 42.50 रुपये प्रति क्विंटल देय सांविधिक न्यूनतम मूल्य की घोषणा की थी जो 8.5% की मूल्य रिकवरी से सम्बद्ध है। चूंकि 1995-96 चीनी मौसम 1.10.1995 से शुरू हो चुका है इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राज्यों ने गन्ने के लिए राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्यों की घोषणा कर दी है। केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया सांविधिक न्यूनतम मूल्य आधार मूल्य (फ्लोर प्राइस) का कार्य करता है जिससे कम मूल्य कोई भी फैक्ट्री अदा नहीं कर सकती। तथापि राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए मूल्य चीनी मिलों पर बाध्य नहीं है।

उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग

331. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग में व्यापक संशोधन हेतु कार्यदल द्वारा की गयी विभिन्न सिफारिशों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों को कोई धनराशि उपलब्ध करायी है; और

(घ) यदि हां, तो उसे उपयोग किये जाने के संबंध में ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों में उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देने के लिए गठित कार्यदल ने सिफारिश की है कि किसी राज्य में राज्य आयोग की अधिक पीठें स्थापित करने का प्रावधान शामिल करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाए और इसके लिए कार्यभार के आधार पर सदस्यों की संख्या पांच तक बढ़ाई जा सकती है। सिफारिशों पर अंतमंत्रालयिक परामर्श किया जा रहा है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत गठित उपभोक्ता न्यायालयों के आधार ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुहैया कराये जाने हेतु 61.00 करोड़ रु० की एक बार की वित्तीय सहायता की स्कीम अनुमोदित की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहली किस्त के रूप में 15.45 करोड़ रु० की राशि निर्मुक्त कर दी गई है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में नये अनुसंधान केन्द्र

332. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार महाराष्ट्र में कुछ नये कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये अनुसंधान केन्द्र कब से कार्य शुरू कर देंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, हां।

(ख) महोदय, इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इनमें से कुछ केन्द्रों ने पहले ही कार्य करना आरंभ कर दिया है तथा अन्य केन्द्र आठवीं योजना की शेष अवधि के दौरान यानी 1996-97 तक संभवतः कार्य करना आरंभ कर देंगे।

विवरण

क्र.सं०	प्रायोजना	केन्द्र का स्थान
1	2	3
1.	राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र – अंगूर	पुणे
2.	रा. अनु. केन्द्र – प्याज और लहसुन	पिम्परी
3.	ए.आई.सी.आर.पी. गर्म मसाले	डपोली (प्रस्तावित)
4.	ए.आई.सी.आर.पी. दीर्घ अवधि के उर्वरक प्रयोग	पी.के.वी. अकोला
5.	ए.आई.सी.आर.पी., सूक्ष्म एंव गौण पोषक तत्व	पी.के.वी. अकोला
6.	ए.आई.सी.आर.पी. कृषि उपकरण और मशीनरी	पी.के.वी. अकोला
7.	औषधि एंव शोभाकारी पौधों से संबंधित ए.आई.सी.आर.पी.	पी.के.वी. अकोला
8.	दीर्घ अवधि से उर्वरक परीक्षणों से संबंधित ए.आई.सी.आर.पी.	एम. ए. यू. परभणी
9.	ए.आई.सी.आर.पी–खरतपतवार नियंत्रण	के. के. वी. डपोली
10.	ए.आई.सी.आर.पी–कृषि मौसम विज्ञान	के. के. वी. डपोली
11.	ताजा जल में जल जीव पालन का केन्द्रीय संस्थान	भान्डर–अकोला

आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वित किए जाने हेतु ई.एफ.सी./पी. आई.सी. द्वारा उपरोक्त प्रायोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।

एन.आर.सी.– राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

ए.आई.सी.आर.पी. – अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना

दिल्ली पौध संरक्षण प्राधिकरण

333. श्री ब्रजभूषण शरण सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए दिल्ली पौध संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, दिल्ली वृक्ष निवारण अधिनियम, 1994 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित किया गया है ताकि सरकारी और निजी क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई को विनियमित किया जा सके और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय

334. डा. सुधीर राय : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन का तीसरा क्षेत्रीय कार्यालय शीघ्र ही ग्वालियर में खोले जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे कार्यालय एर्नाकुलम, कोचीन, सिबसागर और पुणे में भी खोले जाने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने, ग्वालियर के आसपास के 29 केन्द्रीय विद्यालयों को प्रभावी शैक्षिक तथा प्रशासनिक पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए 19 नवंबर, 1995 से ग्वालियर में अपना 19वां (उन्नीसवां) क्षेत्रीय कार्यालय खोल दिया है।

(ग) और (घ) अन्य स्थानों में, एरर्नाकुलम/कोचीन तथा सिबसागर में नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की मांगे प्राप्त हुई थीं। प्रस्तावों की जांच करने के बाद, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इन स्थानों पर नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने का औचित्य नहीं समझा।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन को पुणे में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

335. **श्री गोपी नाथ गजपति : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) हेतु वित्तीय सहायता दी जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु "एन.सी.ई.आर.टी." द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का राज्य वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) डी. पी. ई. पी. के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिंधु भोई) : (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जहां तक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के कारगर कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों का संबंध है, विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत और वित्तीय प्राचलों तथा कार्य विधि को तैयार कर लिया गया है और उसे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित सभी राज्यों को परिचालित कर दिया गया है। एक कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन सूचना व्यवस्था विकसित कर ली गई और तिपाही पर्यवेक्षण मिशनें शुरू की गई हैं।

आई.आई. टी. प्रवेश परीक्षा में आरक्षण

336. **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आरक्षण वर्ष 1995-96 के दौरान होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं में निर्धारित न्यूनतम अर्हक मानक के आधार पर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण विद्यमान हैं। तथापि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण विद्यमान नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

337. **श्री सत्यदेव सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय अनुमानित है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए अगस्त, 1994 में एक कानून बनाया गया है। वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय तथा हैदराबाद में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए दिनांक 24 अगस्त, 1994 को राज्य सभा में विधेयक पेश किए गए हैं।

2. इन विश्वविद्यालयों पर प्रारंभिक व्यय निम्नानुसार अनुमानित है:

महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	40.00 करोड़ रु०
मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	11.00 करोड़ रु०
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	8.12 करोड़ रु०

[अनुवाद]

श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा

338. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देने की कोई योजना आरंभ की है; और

(ख) यदि हां, तो इन बच्चों को इस प्रकार के प्रोत्साहन देने हेतु निर्धारित मानदंड और दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पोन्नानी मत्स्यन पत्तन परियोजना

339. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से पुटिकप्पा और मुनम्बम परियोजनाओं के अनुरूप पोन्नानी मत्स्यन पत्तन परियोजना की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस परियोजना की कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) से (ग) जी, हां। परियोजना प्रस्ताव की तकनीकी छानबीन करने पर राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे माडल अध्ययन करें और तब परियोजना की तकनीकी और आर्थिक व्यावहारिकता स्थापित करने के लिए तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार करें।

नालन्दा विश्वविद्यालय को पुनः चालू करना

340. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्राचीन और ऐतिहासिक नालन्दा विश्वविद्यालय को पुनः चालू करने के लिए केन्द्रीय नालन्दा विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्यान्न उत्पादन

341. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**

श्री राम सिंह कस्वां :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के अन्य विकसित और विकासशील देशों की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान क्या है;

(ख) क्या भारत विश्व के विकसित और विकासशील देशों में तुलना में अभी भी पीछे है;

(ग) यदि हा, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) खाद्य एवं कृषि संगठन की उत्पादन विषयक वर्ष पुस्तिका 1993 के अनुसार खाद्यान्नों के उत्पादन में विश्व में भारत का तीसरा स्थान है और चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका का क्रमशः पहला और दूसरा स्थान है।

(ख) और (ग) विश्व की औसत और कई विकसित एवं विकासशील देशों की तुलना में भारत में खाद्यान्नों की उत्पादकता अभी भी कम है। खाद्य एवं कृषि संगठन की उत्पादन विषयक वर्ष पुस्तिका 1993 के अनुसार, भारत में प्रति हैक्टेयर खाद्यान्नों की पैदावार 1722 कि.ग्रा./हैक्टे. थी, जबकि विश्व की औसत 2583 कि.ग्रा०/हैक्टेयर थी।

(घ) खाद्यान्नों (चावल, गेंहू, तथा मोटे अनाज) का उत्पादन तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए, सरकार, चावल, गेहूं तथा मोटे अनाजों पर आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी) कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा देश में केन्द्रीय क्षेत्र के चावल, गेंहू तथा मोटे अनाज के मिनीकिट प्रदर्शन कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में किले

342. **श्री राम कापसे :** क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र स्थित केन्द्र द्वारा संरक्षित किलों को अवकाश सैरगाह के रूप में विकसित करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है/की जानी है;

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो इसका क्या कारण है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं। सिंधुदुर्ग किले, जो एक केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारक है, के अन्दर एक अल्पाहार गृह तथा एक शौचालय एकक के निर्माण के लिए महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम से केवल एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। चूंकि निर्माण संरक्षित सीमा के भीतर है, अतः इस पर सहमति नहीं हुई है।

(घ) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

चावल का अंतरराष्ट्रीय व्यापार

343. **श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत चावल के उत्पादन तथा खपत के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बडा देश है लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय चावल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मात्र चार प्रतिशत है;

(ख) क्या चावल भारत में उपजाए जाने वाला प्रमुख अनाज है तथा कुल कृषि भूमि के लगभग एक चौथाई हिस्से मे इसकी खेती की जाती है और विश्व में इसकी 35.5 क्विंटल प्रति एकड औसत उपज की

तुलना में भारत में इसकी उपज 26.7 क्विंटल प्रति एकड़ है;

(ग) यदि हां, तो चावल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की इतनी कम प्रतिशत हिस्सेदारी तथा कम उपज के क्या कारण हैं; और

(घ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उपज में इसकी स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, हां।

(ख) अद्यतन सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार देश में चावल की खेती का कुल क्षेत्र सकल फसल क्षेत्र का 23.3 प्रतिशत है। खाद्य व कृषि संगठन की उत्पादन विषयक वर्ष पुस्तिका, 1993 के अनुसार 1993 के दौरान भारत में धान का उपज स्तर 26.94 क्विंटल प्रति हैक्टे० था।

(ग) विश्व बाजार में भारतीय चावल का निर्यात उपभोक्ताओं की वरीयता, गुणवत्ता, मुल्य प्रतिस्पर्धात्मकता, उपलब्धता आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण कम हो रहा है। चावल की कम पैदावार के कारण हैं—चावल को संकर किस्मों के तहत कम क्षेत्र तथा अल्प व मध्यम कालीन किस्मों को अपनाया जाना, उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों को कम स्तर पर अपनाना, उर्वरक का कम उपयोग, और बहुत से अन्य देशों में केवल चावल की फसल की तुलना में अधिकांश सिंचित क्षेत्र में किसी एक वर्ष में दो फसलों सहित फसल चक्र को अपनाया जाना और चावल के विस्तृत क्षेत्र का मानसून पर निर्भर होना।

(घ) चावल के निर्यात में वृद्धि करने के लिये बासमती तथा गैर बासमती चावल दोनों के निर्यात पर मूल्य एवं मात्रा संबंधी प्रतिबन्ध हटाने, विदेशों में अभियान चलाने में तथा व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने में मदद करने, गुणवत्ता सुधारने पैकिंग ब्रान्ड उत्पादों को बढ़ावा देने, मण्डी सर्वेक्षण कराने आदि में निर्यातकों को वित्तीय सहायता का प्रावधान करने जैसे विभिन्न उपाय किये गये हैं।

चावल के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार समेकित अनाज विकास कार्यक्रम नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रही है।

कीट और कीटाणु

344. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीटों के नियंत्रण हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो 1994-95 के दौरान प्रत्येक राज्य को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में कीटों के प्रकोप से प्रभावी ढंग से निपटने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) जी, हां। सहायता का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) देश में कीटों के प्रकोप के प्रभावी नियंत्रण के संबंध में हासिल प्रगति नीचे दी गई है।

1. देश भर में विभिन्न फसलों में लगने वाले कीटों की खोज मानिटरिंग तथा पूर्वसूचना के लिए एक सुदृढ़ सर्वेक्षण एवं निगरानी नेटवर्क विकसित किया गया है जिससे कृषि पारिस्थितिक प्रणाली के विश्लेषण तथा समुचित पौध संरक्षण उपाय करने में मदद मिली है।

2. जैव गहन एकीकृत कीट प्रबन्ध कार्यक्रम विकसित किया गया है जिसमें संवर्द्धनात्मक एवं यांत्रिक प्रचालन, प्रतिरोधी कल्टिवरों के विकास एवं प्रयोग सहित अन्य प्रबन्ध विकल्पों के अलावा चावल, कपास, गन्ने तथा सब्जियों के मामले में संरक्षण एवं उनके प्राकृतिक शत्रुओं को बढ़ाने का काम सफलता पूर्वक किया गया है। इसके अलावा कीटनाशकों का सुरक्षित एवं युक्तियुक्त प्रयोग किया जाता है।

3. उदारीकृत पंजीकरण प्रणाली अपनाई गई है एवं नीम तथा सूक्ष्मजीव आधारित कीटनाशियों का पंजीकरण किया गया है। ये कीटनाशी दवाएं पर्यावरण के लिए सुरक्षित तथा उपयोग में आसान हैं।

4. राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी गई है, जिनका प्रयोग प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जैव नियंत्रण क्षमता को बढ़ाने के लिए जैव नियंत्रण एजेन्टों के बड़े पैमाने पर बहुगुणन के लिए किया जाएगा।

5. कृषकों एवं विस्तार अधिकारियों को एकीकृत कीट प्रबन्ध की जानकारी देने तथा कीट प्रकोप को विफल करने की नीति निर्धारित करने के लिए 1994-95 के दौरान फार्मर्स फील्ड स्कूल, मौसम के दौरान प्रशिक्षण फेरोमोन ट्रैप के उपयोग तथा न्यूक्लियर पॉलिहाइड्रोसिस वाइरस (एन. पी. वी) के संबंध में एकीकृत कीट प्रबन्ध प्रशिक्षण तथा प्रदर्शनों का आयोजन किया गया।

विवरण

1994-95 के दौरान कृषि और सहकारिता विभाग में विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत फसल के लिए नुकसान दायक कीटों को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दी गई सहायता

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कीटों के नियंत्रण के लिए केन्द्रीय सहायता
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	270.273
2.	असम	24.089
3.	अरूणाचल प्रदेश	14.815
4.	अंडमान और निकोबार	10.000
5.	बिहार	85.616
6.	गुजरात	198.187
7.	गोवा	6.400
8.	हरियाणा	91.403
9.	हिमाचल प्रदेश	22.158

1	2	3
10.	जम्मू और कश्मीर	33.196
11.	कर्नाटक	191.477
12.	केरल	33.003
13.	लक्षद्वीप	5.800
14.	महाराष्ट्र	283.32
15.	मध्य प्रदेश	169.638
16.	मणिपुर	13.279
17.	मेघालय	13.358
18.	मिजोरम	11.800
19.	नागालैंड	14.200
20.	उड़ीसा	96.869
21.	पंजाब	205.172
22.	राजस्थान	219.488
23.	पांडिचेरी	0.900
24.	सिक्किम	10.654
25.	तमिलनाडु	319.105
26.	त्रिपुरा	11.958
27.	उत्तर प्रदेश	196.205
28.	पश्चिम बंगाल	58.613

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा आयल पाम की खेती

345. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा देश के विभिन्न भागों में आयॅल पाम की खेती को लोकप्रिय बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किए गए कार्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या देश खाद्य तेल के क्षेत्र में निकट भविष्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) को आयल पाम विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए कर्नाटक में मण्डया जिला आबंटित किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने मण्डया के निकट एक नर्सरी शुरू की है और आयल पाम रोपण के अंतर्गत कर्नाटक में अब तक 15 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

(ग) योजना आयोग ने तिलहन और खाद्य तेलों की मांग को ध्यान में रखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 23 मिलियन मीटरी टन तिलहनों का लक्ष्य निर्धारित किया है और हमें 1996-97 तक 23 मिलियन मीटरी टन का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने की आशा है। इस प्रकार, हम तिलहनों और खाद्य तेलों में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

यूनीसेफ

346. श्रीमती शीला गौतम :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यूनाइटेड नेशन्स इन्टरनेशनल चिल्ड्रेन एमरजेंसी फंड (यूनीसेफ) की सहायता से बच्चों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु किसी नई योजना को लागू करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो योजना की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं और इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रथम तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दहानु तालुका के आसपास उद्योग

347. श्री राम नाईक : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के थाणे जिले में स्थानीय प्रतिनिधियों और विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने दहानू तालूका और इसके आस–पास 25 कि० मी० तक औद्योगिक विकास पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, हां। मुख्य मांगों में दहानू के चारों और 25 कि. मी. के बफर जोन के भीतर नए उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबंध हटाना, विद्यमान भूमि उपयोग के परिवर्तन पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाना तथा गुब्बारा उद्योग को लाल श्रेणी से हटाया जाना शामिल है। इन संशोधनों का अनुरोध इसलिए किया गया कि इस अधिसूचना से क्षेत्र के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना बताया गया है।

(ग) से (ड.) दहानू अधिसूचना की पुनरीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस मामले में निर्णय लिए जाने से पूर्व समिति द्वारा की गई सिफारिशों की कड़ी जांच किए जाने की आवश्यकता है।

निषिद्ध कीटनाशक

348. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 अक्तूबर, 1995 के "इण्डियन एक्सप्रैस" नई दिल्ली में "बैण्ड पेस्टीसाइड्स लीव टोक्सिक रेजिड्यू इन फूड्स" शीर्षक से छपे समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या भारत बी.एच.सी. और डी.डी.टी. को उपयोग न किये जाने वाले कीटनाशकों की सूची में रखने में असफल रहा है, जबकि विकसित देशों में इनका उपयोग काफी पहले ही बन्द किया जा चुका है;

(ड.) क्या इन दोनों कीटनाशकों का उपयोग देश में काफी अधिक मात्रा में किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इन कीटनाशकों को उपयोग न किये जाने वाले कीटनाशकों की सूची में रखे जाने के लिये क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, हां।

(ख) खाद्य जिलों में डी. डी. टी. और बी.एच.सी. के अवशेष मिलने की रिपोर्ट मिली है।

(ग) और (घ) 1989 में, सरकार ने कृषि में डी. डी. टी. के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में इसके उपयोग को 10,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष तक समिति कर दिया गया है। इसके अलावा, फलों, सब्जियों, तिलहनी फसलों और खाद्यान्नों के परिरक्षण में बी. एच. सी. के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(ड.) और (च) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए देश में डी. डी.टी. और बी. एच. सी. का उपयोग केवल प्रतिबन्धित मात्रा में हो रहा है।

(छ) 31 मार्च, 1997 के पश्चात् बी. एच. सी. के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

एम०ओ०पी० का आयात

349. **श्री श्रीकांत जेना :**

श्री राजेश कुमार :

डा० एस० पी० यादव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पोटाश लिमिटेड ने हाल मे स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल से 80,000 मीट्रिक टन एम० ओ० पी० (पोटाश) आयात किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या आयतित वस्तु निम्न श्रेणी की है तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके विरूद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का इन वस्तुओं के ऊपर दी जाने वाली राजसहायता को रोकने का विचार है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार पोटाश उर्वरक हेतु सांविधिक मानदंडों में छूट देने का है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) से (छ) मैसर्स आई. पी. एल. ने हाल ही में स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल से 80,000 मी० टन से भी अधिक एम.ओ.पी. का आयात किया है। उपलब्ध रिपोर्ट यह दर्शाती है कि इसमें से 79739 मी० टन एम. ओ. पी. सितम्बर, 1995 तक गुणवत्ता जांच के अधीन रखे गए तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के उपबन्धों के अनुसार इसे निम्न श्रेणी का पाया गया।

विश्लेषण रिपोर्ट संबंधित राज्यों सरकारों को भेजी गई तथा राज्य सरकारों को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के उपबन्धों के अनुसार निम्न श्रेणी के नमूनों के संबंध में कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त है।

किसानों को एम.ओ.पी. की बिक्री पर मात्रा तथा गुणवत्ता दोनों पर ही राज्य सरकारों की प्रमाणित रिपोर्ट के आधार पर रियायत ग्राह्य है। उर्वरक की क्वालिटी को प्रभावित किए बिना आवश्यकता आधारित लब्धि को देखते हुए समय समय पर उर्वरक नियंत्रण आदेश के उपबन्धों की समीक्षा की जाती है।

खेल-कूद स्तर

250. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खेल–कूद राजनीति से ग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो खेल–कूद में राजनीति के प्रवेश को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) खेल–कूद का स्तर इतना कम होने के क्या कारण है, और

(घ) खेल–कूद के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) और (ख) देश में खेलों के सवर्धन का दायित्व आनिवार्यता विभिन्न खेल विधाओं के राष्ट्रीय खेल संघों का होता है जो स्वायत्त निकाय है।

(ग) भारत के प्रदर्शन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर न होने के

निम्नलिखित कारण हैं :–

(1) खेल स्कूली पाठ्यक्रम का एक अभिन्न और अनिवार्य अंग नहीं है।

(2) विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के बीच स्थापित समन्वय का संतोषजनक न होना।

(3) सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा खेलकूद और खेलों के संवर्धन में निवेश की कमी।

(4) विभिन्न स्तरों पर खेल निकायों का आर्थिक दृष्टि से कमजोर होना और इसके फलस्वरूप घटिया प्रबंध संरचना।

(5) अच्छी किस्म और उचित मूल्य पर खेल सामग्री का उपलब्ध न होना।

(6) स्वदेशी प्रतिस्पार्धाओं की संरचनाओं में सुधार की आवश्कता।

(7) शारीरिक शिक्षा और खेलों की उन्नति के लिए अपर्याप्त मीडिया प्रदर्शन।

(8) खेलों की बुनियादी सुविधाओं की कमी और उनका कम उपयोग।

(घ) सरकार ने खेलों के क्षेत्र में प्रदर्शन में सुधार हेतु अनेक कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शमिल है :–

(1) सरकार ने आगामी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खेलों तथा खेल विधाओं का सावधानीपूर्वक चयन करने हेतु क्या कदम उठाये हैं और लम्बी अवधि के लिए उन्हें संसाधन और विशेषज्ञता प्रदान करने पर ध्यान दिया है।

(2) हमारे जूनियरों के प्रदर्शन के स्तर में सुधार के लिए उन्हें सघन प्रशिक्षण देकर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

(3) उदीयमान प्रतिभाशाली युवा बच्चों के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की योजना को सुचारू बनाया जा रहा है।

(4) संबंधित राष्ट्रीय संघो, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों और भारतीय खेल प्राधिकरण के समन्वय से चयनित विधाओं में खेल अकादमियां स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(5) राष्ट्रीय खेल संघों ने ओलम्पिक और एशिआई खेल विधाओं हेतु दीर्घकालीन विकास योजनाएं तैयार की हैं। इन योजनाओं में एथलेटिक विकास, कोचिंग और अधिकारिक विकास, क्लबों, देशी टूर्नामेंटों और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का विकास, उपस्कर और वैज्ञानिक समर्थन, व्यावसायिक और वित्तीय प्रबंध विकास इत्यादि जैसे क्षेत्रों में शमिल किया गया है। इन योजनाओं की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जा रही है।

(6) राष्ट्रीय खेलों को सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत संशोधित किए जा रहे है ताकि खेलों के विकास मे अंतंग्रस्त एजेंसियों की भूमिका और दायित्वों का स्पष्ट सीमांकन और पहचान की जा सके और इनकी प्रबंधन पद्धतियों में सुधार किया जा सकें।

(7) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी.ए.बी.ई) उप समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और शारीरिक,शिक्षा और खेलों को स्कूल पाठ्यचर्या का अनिवार्य अंग बनाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकारों से इन सिफारिशों को लागू करने का अनुरोध किया गया है।

(8) सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियो के बीच निरंतर बातचीत और मॉनीटरिंग के परिणामस्वरूप समन्वय में सुधार हो रहा है।

(9) खेलों में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 ए.सी. को संशोधित किया गया है। भारतीय उद्योग संगठन ने सरकार से विचार–विमर्श करने के पश्चात् उन खिलाड़ियों और खेल विधाओं को भी प्रायोजित करने का निर्णय लिया है, जहां पदक जीतने संबंधी प्रदर्शन की संभावना है। अतः खेलों में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश बढ़ रहा है।

(10) अच्छी क्वालिटी के खेल उपस्करों की उपलब्धता में सुधार करने हेतु खेल वस्तुओं के आयत को काफी उदार बनाया गया है।

उर्वरकों पर राजसहायता

351 श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक को वर्ष 1995-96 के दौरान उर्वरकों पर कुल कितनी राजसहायता दी गई;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि किसानों को राजसहायता की राशि प्राप्त नहीं हुई; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) केवल यूरिया ही ऐसा उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है। स्वदेशी यूरिया पर राजसहायता की मात्रा उतनी ही है जो अवधारण मूल्य तथा अधिसूचित मूल्य में से वितरण मार्जिन घटाकर दोनों में अंतर आता है तथा इतनी ही राजसहायता किसी निर्माण कर्ता यूनिट को दी जाती है। आयतित यूरिया पर उतनी ही राजसहायता दी जाती है तो आयात की लागत तथा अधिसूचित बिक्री मूल्य में अंतर होता है। इसी प्रकार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रमाणित रिपोर्ट के आधार पर संबद्ध उर्वरक आपूर्तिकर्ता एजेंसियों का किसानों को नियंत्रण रहित फास्फेट युक्त और पोटास युक्त उर्वरकों की बिक्री पर रियायत की प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 1995-96 के दौरान कर्नाटक सरकार को कोई राजसहायता रियायत नहीं दी गई।

(ख) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

भगवान कार्तिकेश्वर की प्रतिमा

352. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 8 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1281 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में आगे जांच करायी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या चमोली के जिलाधिकारी को भगवान कार्तिकेश्वर की प्रतिमा के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिये कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के अभिलेखागारों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं। जैसा कि दिनांक 8.8.1995 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 1281 के उत्तर में बताया जा चुका है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्राम घापड़ जिला चमोली की भगवान कातिकेश्वर की प्रतिमा केन्द्रीय संरक्षण के अधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सब्जियों की कीमतें

353. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री तारा सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों के दौरान सब्जियों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सब्जियों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के लिये कौन–कौन से कारक उत्तरदायी हैं; और

(ग) सब्जियों की कीमतों में कमी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) पिछले कुछ महीनों में सब्जियों के थोक मूल्यों में केवल मौसमी उतार–चढ़ाव हुआ है।

(ख) सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि मानसून के दौरान सप्लाई ठीक से न होने, निरन्तर मांग जिससे जिंसों की मांग और आपूर्ति में अस्थायी असंतुलन पैदा हो गया के साथ उत्पादन में उतार–चढ़ाव के कारण हो सकती है।

(ग) सब्जियों के मूल्यों में अत्यधिक उतार–चढ़ाव पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने अल्पावधिक और दीर्घावधिक दोनों उपाय किए हैं। अल्पावधिक उपायों में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और दिल्ली में सुपर बाजार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर सब्जियों की बिक्री करना शामिल है। देश में सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दीर्घावधिक उपाय के रूप में, सरकार केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना कार्यान्वित कर रही है।

झींगा पालन

354. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तटीब क्षेत्र में रहने वाले लोगों में विशेषकर उड़ीसा के लोगों में तट में झींगा पालन का अंधाधुंध विस्तार करने के कारण असंतोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो पर्यावरणीय खतरे और सामाजिक आर्थिक विवादों के कारण तटीय क्षेत्र के लोगों की शिकायतों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने हैं; और

(ग) विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित इस प्रकार की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) उडीसा सहित तटीय क्षेत्रों में झींगा पालन के अन्धाधुन्ध बढ़ने के संभावित दुष्टप्रभावों के बारे में कुछ क्षेत्रों में आशंकाएं प्रकट हो गई हैं। खारे पानी में मत्स्य पालन से संबंधित किसी भी दुष्प्रभाव की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा संबंधित राज्यों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं कि इस क्षेत्र का विकास सतत पर्यावरण रक्षक तथा सामाजिक रूप से मान्य गतिविधि के रूप में किया जाए।

(ग) विश्व बैंक निधि से 283 करोड़ रुपये जो 95 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर हैं, की सहायता से एक झींगा तथा मत्स्य पालन परियोजना मई, 1992 से 7 वर्ष की अवधि के लिए लागू की गई थी। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत आई. डी. ए. ऋण सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य खारे पानी में झींगा पालन संवर्द्धन का विकास करना (परियोजना लागत का लगभग 80 प्रतिशत) तथा 5 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के जलाशयों तथा आर्क्स को झीलों में मत्स्य पालन का विकास करना है। इसके लिए हैचरियों, आहार मिलों हिम संयंत्रों तथा आई. क्यू. एफ. संयंत्रों जैसी सहायक सुविधाएं भी स्थापित की जाएगी। परियोजना के लाभानुभोगियों को मछली पकड़ने के जाल नौकाओं की खरीद तथा कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं के लिए ऋण सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इस परियोजना से झींगा तथा मछलियों की पैदावार बढ़ाने के अलावा सबसे निर्धन तबकों के लगभग 14,000 परिवारों की आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसमें गहन पर्यावरण प्रबन्ध तथा मानिटरिंग प्रणाली संबंधी घटक भी शामिल है ताकि झींगा/मछली पालन गतिविधियों से पर्यावरण पर होने वाले संभावित दुष्प्रभाव की रोकथाम, कमी अथवा समाप्ति सुनिश्चित की जा सके। यह परियोजना देश में तटीय मत्स्य पालन तथा झील/जलाशय मात्स्यिकी के वैज्ञानिक विकास का मॉडल होगी।

पशुपालन

355. **श्री प्रवीन डेका : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) असम और महाराष्ट्र में मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी विकास हेतु लागू की जा रही विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष योजनावार कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ग) इस अवधि के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्यों और प्राप्त की गई उपलब्धियों का योजनावार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) मात्स्यिकी, पशुपालन तथा डेयरी विकास के लिए असम तथा महाराष्ट्र में क्रियान्वित विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के ब्यौरे तथा 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान जारी की गई निधियों का विवरण संलग्न है।

(ग) पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप, लक्ष्यों की तुलना में दूध, अण्डा तथा ऊन के उत्पादन की उपलब्धि तथा 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान मात्स्यिकी के संबंध में प्राप्त उपलब्धियां इस प्रकार हैं :–

		असम			महाराष्ट्र		
क्र.सं.	मद	1992-93	1993-94	1994-95 (अनन्तिम)	1992-93	1993-94	1994-95 (अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दुग्ध उत्पादन (हजार टन)						
	लक्ष्य	740	780	820	3970	4300	4450
	उपलब्धि	658	677	697	4102	4250	4450
2.	अण्डा उत्पादन (लाख संख्या)						
	लक्ष्य	5600	5900	6090	24460	28000	25700
	उपलब्धि	4340	4470	4600	22909	25010	25700
			(अनन्तिम)			(अनन्तिम)	
3.	ऊन उत्पादन (हजार कि. ग्रा.)						
	लक्ष्य	-	-	-	1475	1547	1530
	उपलब्धि	-	-	-	1488	1511	1530
						(अनन्तिम)	
4.	ताजे पानी में मछली पालन का विकास *						
	शामिल किया गया क्षेत्र (है.)	59	1102	732	1587	2605	2310
	प्रशिक्षित कृषक (सं.)	857	3090	2871	1080	1376	1267
5.	एकीकृत खारे पानी मत्स्य फार्मों का विकास*						

1	2	3	4	5	6	7	8
	शामिल किया गया						
	क्षेत्र (है.)	-	-	-	83	26	97*
	प्रशिक्षित कृषक (सं.)	-	-	-	285	247	124
6.	पारस्परिक शिल्पकारी						
	को तीव्र करना						
	लक्ष्य	-	-	-	-	-	25
	उपलब्धि	-	-	-	-	-	25

* : राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं।

विवरण

मात्स्यिकी, पशुपालन तथा डेयरी विकास के लिए असम तथा महाराष्ट्र में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के ब्यौरे के साथ-साथ 1992-93, 1993-94, 1994-95 के दौरान निर्मुक्त की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण।

(रु० लाख में)

		असम			महाराष्ट्र		
क्र.सं.	योजना का नाम	1992-93	1993-94	1994-95	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी तथा संतति परीक्षण कार्यक्रम का विस्तार	6.00	-	9.27	5.94	11.64	9.75
2.	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	28.06	5.00	6.75	118.50	30.00	19.00
3.	पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	9.70	25.50	30.00	35.16	45.54	21.18
4.	व्यावसायिक दक्षता विकास	2.20	3.53	-	-	-	-
5.	आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता	-	-	8.00	-	-	18.05
6.	बूचड़खानों/शब तथा उतोत्पाद उपयोग केन्द्रों तथा खाल निस्त्वचन एकक की स्थापना/सुधार के लिए राज्यों को सहायता	-	122.60	-	-		148.00
7.	प्रमुख पशुधन उत्पादों का अनुमान लगाने के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	1.30	2.25	1.65	7.09	6.75	9.39

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	राष्ट्रीय मेढ़ा/मृग उत्पादन कार्यक्रम।	-	-	-	-	7.70	15.52
9.	एकीकृत सुअर विकास के राज्यों को सहायता।	-	-	6.00	-	-	-
10.	गैर–आर्पेरेशन फ्लड, महाडी तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना।	-	-	400.00	-	-	-
11.	अन्तर्राष्ट्रीय मत्स्यिकी सांख्यिकी का विकास	2.27	2.45	3.00	2.00	5.47	1.31
12.	छोटे पत्तनों पर मात्स्यिकी बंदरगाह।	-	-	-	-	57.04	140.00
13.	ताजे पानी में मछली पालन का विकास।	12.00	82.00	23.00	-	-	30.00
14.	एकीकृत खारा जल मत्स्य फार्म का विकास	-	-	-	-	4.00	24.19
15.	समुद्र तटीय मात्स्यिकी का विकास।	-	-	-	21.20	175.44	262.65
16.	मछुआरों का कल्याण	6.07	-	19.95	-	-	-
17.	समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम का प्रवर्तन	-	-	-	-	-	10.00

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के वेतनमान

356. **श्री राम विलास पासवान :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति के बिना जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्राधिकरण द्वारा हाल ही में प्रोफेसरों के वेतनमान में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों में समान मानदंड अपनाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एंव संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार शैक्षिक परिषद की सिफारिशों के आधार पर एसोसिएट प्रोफेसरों की प्रोफेसरों के रूप में पदोन्नति के लिए एक वृत्ति उन्नति योजना अभी हाल ही में शुरू की गई है। किंतु इससे प्रोफेसरों के मौजूदा वेतनमानों में कोई संशोधन करना आवश्यक नहीं है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए समय–समय पर समान वेतनमान निर्धारित करती है।

[हिन्दी]

रूग्ण चीनी मिलें

357. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :**

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में चीनी मिलें इस समय बन्द पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके बन्द होने के क्या कारण है;

(घ) पिछले तीन वर्षो के दौरान, वर्षवार प्रत्येक राज्य द्वारा कितना घाटा उठाना पड़ा है;

(ड.) इन मिलों को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(च) क्या कुछ रूग्ण मिलों को सार्वजनिक तौर पर बेचा गया है; और

(छ) यदि हां, तो इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) 30.9.1995 तक 29 मिलों ने 1994-95 चीनी मौसम के उत्पादन की जानकारी नहीं दी है। उनका राज्यवार विवरण निम्नलिखित है :–

राज्य	मिलों की संख्या
बिहार	12
पंजाब	1
उत्तर प्रदेश	3
गुजरात	2
महाराष्ट्र	3
असम	1
उड़ीसा	1
आन्ध्र प्रदेश	3
कर्नाटक	1
तमिलनाडु	1
केरल	1

(ग) चीनी मिल विभिन्न कारणों से बन्द हो सकती है, जैसे–गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता, अलाभकर आकार, पुराने प्लान्ट एवं मशीनें तकनीकी व प्रबंधन सम्बन्धी समस्याएं, आर्थिक बाधाएं आदि।

(घ) चीनी मिलों के संदर्भ में सरकार लाभ एवं हानि का ब्यौरा नहीं रखती।

(ड.) चीनी मिलों को स्वयं ही पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण की योजनाएं तैयार करनी होती हैं एवं संबंधित संस्थानों से उन्हें स्वीकृत कराना होता है। ऐसे पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से रियायती दर पर आर्थिक सहायता भी उपलब्ध है, बशर्ते वे निर्दिष्ट शर्तो को पूरा करते हों।

(च) और (छ) इस संदर्भ में संबंधित चीनी मिलों/राज्य सरकारों को स्वयं ही अपनी नीति तैयार करनी होती है तथा केन्द्र सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती।

[अनुवाद]

चीनी मिलों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण

358. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कुछ चीनी मिलों ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने चीनी मिलों में इन उपकरणों को लगाने के संबंध में कोई नये दिशा–निर्देश जारी किये हैं अथवा उक्त उपकरण को लगाने हेतु कोई अंतिम तिथि निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) दोषी चीनी मिलों के विरूद्ध सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) खाद्य मंत्रालय, चीनी मिलों को जल–एफ्लुएंट तथा गैसों के रिसाव से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगवाने के लिए जोर देता रहा है। खाद्य मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश में स्थापित 437 चीनी मिलों में से 353 चीनी मिलों ने जल–एफ्लुएंट की रोक के लिए प्लांट लगाए हैं, 279 चीनी मिलों में वायु प्रदूषण यंत्र लगाएं हैं तथा 277 मिलों ने जल–एफ्लुएंट तथा वायु प्रदूषण दोनों की रोकथाम के लिए यंत्र लगाए हैं। शेष चीनी मिलों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपकरण न लगा पाने का मुख्य कारण वित्तीय बाधाएं हैं।

(ग) से (ड.) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 1992 को जारी अधिसूचना सं० सा.का.नि.–95 (ई.) के अनुसार चीनी मिलों द्वारा अधिकतम 31 दिसम्बर, 1993 तक निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करना अपेक्षित था। तथापि, सरकार ने इस तिथि को जून, 1994 तक आगे बढ़ा दिया था। दोषी मिलों के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत संबंधित राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्डो द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

बिहार में सामाजिक वानिकी

359. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री 8 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न सं० 1190 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "स्वीडिश इन्टरनेशनल डेवेलपमेंन्ट अथोरिटी" की सहायता से बिहार में शुरू की गई सामाजिक वानिकी परियोजनाओं के क्या वास्तविक लक्ष्य हैं तथा इनकी उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) परियोजना के अंतर्गत जिलावार कुल कितने क्षेत्र शामिल किए गए हैं; और

(ग) परियोजना के अंतर्गत लगाए गए वृक्षों की अनुमानतः उत्तरजीविता दर कितनी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट):

(क) और (ख) बिहार में दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह तथा धनबाद जिलों को स्वीडिश इन्टरनेशनल डेवलेपमैंट अथारिटी (सीडा) की सहायता प्राप्त वानिकी परियोजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है। 47,917 हेक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में इस परियोजना के अन्तर्गत ऊपर उल्लिखित जिलों में 52,385 हेक्टेयर अवक्रामित वन शामिल है। इसके अलावा, 1703 लाख पौध के लक्ष्य की तुलना में परियोजना के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत 1751 लाख पौध उगाई गई।

(ग) अब तक परियोजना के अन्तर्गत रोफित वृक्षों की जीवित दर राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लगभग 48 प्रतिशत है।

चीनी उत्पादन क्षमता का अवैध विस्तार

360. **श्री प्रकाश वी० पाटील :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ चीनी मिलों ने आवश्यक अनुमति हासिल किए बिना ही अपनी क्षमता में वृद्धि कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक चीनी मिल ने अपनी क्षमता में कितनी वृद्धि की हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) मैसर्स श्रीराम इंडस्ट्रीज एन्टरप्राइजेज लि० (एस.आई.ई.एल.) की यूनिट, मवाना शुगर वर्क्स द्वारा सरकार से आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किए बिना अपनी पेराई क्षमता 3000 टन गन्ना प्रतिदिन तक बढ़ाए जाने के बारे में प्राप्त रिपोर्ट की जांच की गई है तथा मंत्रालय के दृष्टिकोण से उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन विभाग को लाइसेंसिंग समिति द्वारा विचारार्थ सूथित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) किसी चीनी मिल द्वारा आई. डी. आर. अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किए बिना अपनी क्षमता का विस्तार करना इस अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

महाराष्ट्र में सामाजिक वानिकी

361. **श्री अन्ना जोशी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में आरम्भ की गई सामाजिक वानिकी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से किसी परियोजना के लिए विदेशी सहायता भी प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना–वार और वर्षवार इनका ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ग) महाराष्ट्र में 1982-83 से 1990 तक यू. एस. ए. आई. डी. की मदद से एक सामाजिक वानिकी परियोजना क्रियान्वित की गई थी। इस परियोजना के तहत 85.21 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 47.751 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है और 500 मिलियन पौधे वितरित किए गए हैं। इस परियोजना के लिए यू. एस. ए. आई. डी. से प्राप्त कुल सहायता 18.598 मिलियन अमरीकी डालर की थी।

वर्तमान में महाराष्ट्र वानिकी परियोजना 1992-93 से विश्व बैंक से 128 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता से चल रही है। कुल परियोजना लागत 431.51 करोड़ रुपए की है और इसका मुख्य उद्देश्य वनों की उत्पादकता बढ़ाना और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाकर जैव विविधता संरक्षण में सुधार करना है। परियोजना के तहत 6 वर्षों से अधिक अवधि में लगभग 3,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। 30 जून, 1995 की स्थिति के अनुसार 73.43 करोड़ रुपए के व्यय पर 69,470 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। वर्ष वार भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष	भौतिक उपलब्धि (हेक्टेयर में)	वित्तीय उपलब्धि (रुपए करोड़ में)
1992-93	8145	6.61
1993-94	19319	20.85
1994-95	420006	40.89
1995-96	-	5.08
		(30.6.95 की स्थिति)

रिक्त गोदाम

362. **श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भाण्डागार निगम विभिन्न राज्यों में अपने गोदामों की पूरी क्षमता का उपयोग कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में विशेषरूप से गुजरात में अनेक गोदाम रिक्त पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके राज्यवार कारण क्या हैं;

(ड.) 1994-95 के दौरान आज तक इन निगमों को गोदामों के रिक्त पडे रहने के परिणामस्वरूप कितना घाटा हुआ; और

(च) इन गोदामों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (च) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम के पास उपलब्ध कुल भण्डारण क्षमता और उनका उपयोग क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दिया गया है। इसमें गुजरात सहित सभी राज्यों की स्थिति दी गई है।

भण्डारण क्षमता की उपयोगिता, विशेष रूप से उपभोक्ता क्षेत्रों में, मुख्यतया अधिशेष वाले क्षेत्रों से खाद्यान्नों के संचलन पर निर्भर करती है। अतः उपभोक्ता क्षेत्रों में अतिरिक्त क्षमता की वास्तविक उपयोगिता, संचलन के स्तर पर निर्भर करती है।

भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम, दोनों ने यह संकेत दिया है कि प्रचालन संबंध कारणों से समय-समय पर उपयोग न लाई जा रही कुछ क्षमता के कारण कोई हानि नहीं हुई है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा भण्डारण क्षमता की और भी बेहतर उपयोगिता हासिल करने के लिए रेलवे प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके वैगनों की आपूर्ति करने के लिए उपाय किए गए हैं।

विवरण-I

1.10.1995 को स्थिति के अनुसार राज्यवार भारतीय खाद्य निगम के पास कुल भंडारण क्षमता, रखा गया स्टाक और इसकी प्रतिशत उपयोगिता बताने वाला विवरण

(लाख मीटरी टन में)

क्र.सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ढकी हुई क्षमता	कैप क्षमता	जोड़	रखा गया स्टाक	उपयोगिता प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1.	अरूणाचल प्रदेश	0.13	-	0.13	0.03	21
2.	आंध्र प्रदेश	20.85	3.00	23.35	12.61	53
3.	असम	2.80	-	2.80	1.37	49
4.	बिहार	6.21	-	6.21	3.82	61
5.	गोवा	0.15	-	0.15	0.10	64
6.	गुजरात	8.43	6.20	14.63	9.43	60
7.	हरियाणा	15.00	3.14	18.14	10.96	60
8.	हिमाचल प्रदेश	0.25	-	0.25	0.31	122
9.	जम्मू और कश्मीर	0.04	0.13	0.97	0.93	63
10.	कर्नाटक	3.83	0.31	4.14	2.11	51
11.	केरल	5.42	-	5.42	3.86	71
12.	मध्य प्रदेश	15.62	1.48	17.10	13.77	81
13.	महाराष्ट्र	16.40	2.25	18.65	11.24	60
14.	मणिपुर	0.14	-	0.14	0.03	18
15.	मेघालय	0.17	-	0.17	0.08	43
16.	मिजोरम	0.15	-	0.15	0.07	46
17.	नागालैंड	0.18	-	0.18	0.04	20
18.	उड़ीसा	4.22	-	4.22	2.21	52
19.	पंजाब	57.44	23.66	81.10	63.24	78
20.	राजस्थान	10.95	8.18	19.13	17.55	92
21.	सिक्किम	0.09	-	0.09	0.02	28
22.	तमिलनाडु	7.62	-	7.62	4.51	59
23.	त्रिपुरा	0.35	-	0.35	0.22	63
24.	उत्तर प्रदेश	29.64	6.58	36.22	26.29	73
25.	पश्चिम बंगाल	12.20	-	12.20	6.45	53
26.	चण्डीगढ़	0.88	0.07	0.95	0.84	89
27.	दिल्ली	3.69	0.12	3.81	1.78	47
28.	पांडिचेरी	0.41	-	0.41	0.15	37
	जोड़ :	224.06	55.12	279.18*	193.62	69

नोट : * केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों से किराए पर ली गई 52.61 लाख मीटरी टन क्षमता शामिल है।

विवरण-II

1.8.1995 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भंडारण निगम के पास कुल भंडारण क्षमता, को बताने वाला विवरण

क्षमता (लाख मीटरी टन में)

क्र.सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	भांडागारों की संख्या	अपनी	किराए की	प्लिंथ	जोड़	उपयोगिता प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	55	9.50	1.29	0.49	11.28	91
2.	असम	6	0.44	0.01	-	0.45	59
3.	**बिहार**	**16**	**1.13**	**0.47**	-	**1.60**	**86**
4.	गोवा	2	0.17	-	-	0.17	91

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	गुजरात	28	1.90	0.76	0.21	2.87	96
6.	हरियाणा	16	1.41	0.66	-	2.07	90
7.	हिमाचल प्रदेश	2	0.05	-	-	0.05	100
8.	कर्नाटक	21	1.28	0.46	-	1.74	93
9.	केरल	5	0.68	0.02	-	0.70	73
10.	मध्य प्रदेश	40	5.31	1.63	-	6.94	90
11.	महाराष्ट्र	69	5.15	2.57	1.52	9.24	100
12.	मणिपुर	1	-	0.03	-	0.03	42
13.	मिजोरम	1	0.015	-	-	0.015	-
14.	नागालैंड	1	0.13	-	-	0.13	98
15.	उड़ीसा	9	1.26	0.05	-	1.31	70
16.	पंजाब	30	4.40	1.55	1.68	7.63	97
17.	राजस्थान	15	1.11	0.44	0.01	1.56	77
18.	तमिलनाडु	27	6.06	0.60	0.25	5.91	76
19.	त्रिपुरा	2	0.24	-	-	0.24	77
20.	उत्तर प्रदेश	51	8.10	0.71	0.05	8.86	80
21.	पश्चिम बंगाल	45	2.72	2.45	0.22	5.39	64
22.	चण्डीगढ़	1	0.10	0.03	-	0.13	100
23.	दिल्ली	14	1.12	0.27	0.11	1	97
24.	पांडिचेरी	1	0.07	0.03	-	0.10	95
	जोड़ :	458	51.35	14.03	4.54	69.92*	88

नोट : * भारतीय खाद्य निगम को किराये पर दी गई 24.89 लाख मीटरी टन की क्षमता शामिल है।

मूंगफली के तेल की तस्करी

363. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कच्छ सीमा क्षेत्र से मूंगफली के तेल की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता-मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) और (ख) कुछ समाचार पत्रों में यह खबर छपी है जिसमें यह इंगित किया गया है कि बड़ी मात्रा में मूंगफली का तेल कच्छ और सौराष्ट्र के रास्ते चोरी छिपे पाकिस्तान को भेजा जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप मूंगफली के तेल के मूल्यों में लगातार वृद्धि का रुख बना हुआ है।

(ग) सरकार ने देश से तेल की ऐसी किसी भी तस्करी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकता वस्तुओं के मूल्य

364. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित चावल और गेंहू के मूल्य में कमी करने के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ग) इसे कब तक लागू किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्त मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने खरीफ, 1994 से प्रभावी चावल और गेंहू के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धियों का भार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं पर नहीं डाला है। खाद्य राजसहायता पर होने वाले व्यय की अर्थव्यवस्था और राष्ट्र द्वारा वहन किए जा सकने वाले स्तर तक बनाए रखने की आवश्यकता को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित शिकायतें

365. **श्री विलासराव नागनाथ राव गूंडेवार :**

श्री लाल बाबू राय :

श्री छेदी पासवान :

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न संगठनों और संसद सदस्यों से 1 जून, 1995 से 15 नवम्बर, 1995 के दौरान पर्यावरणीय प्रदूषण और वनों से संबंधित अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों का राज्य वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/विचाराधीन है और उसके क्या परिणाम निकले?

पर्यावरण वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां। 1 जून, 1995 से 15 नवंबर, 1995 के दौरान मंत्रालय में कुल 324 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें संसद सदस्यों से प्राप्त 44 शिकायतें भी शामिल है।

(ख) राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) शिकायतों के आधार पर इन्हें जांच और समाधान के लिए राज्य सरकारों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो, जिला प्राधिकारियों जैसे संबंधित संगठनों को भेजा जाता है। स्थानीय/राज्य स्तर पर शिकायतों का निपटारा न होने की दशा में केन्द्र सरकार शिकायतों के निपटारे के लिए उपाय करती है।

विवरण

क्र.सं०	राज्य का नाम	संसद सदस्यों से प्राप्त शिकायतों की सं.	विभिन्न संगठनों से प्राप्त शिकायतें
1.	आंध्र प्रदेश	1	-
2.	असम	-	2
3.	बिहार	2	27
4.	गुजरात	1	4
5.	हरियाणा	1	26
6.	हिमाचल प्रदेश	7	4
7.	कर्नाटक	-	2
8.	केरल	-	3
9.	महाराष्ट्र	1	16
10.	मध्य प्रदेश	7	15
11.	उड़ीसा	1	3
12.	पंजाब	1	2
13.	राजस्थान	4	27
14.	तमिलनाडु	3	23
15.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	5	37
16.	पाण्डिचेरी	-	1
17.	उत्तर प्रदेश	9	74
18.	पश्चिम बंगाल	1	8
19.	अन्य	-	6
	योग :	44	280

चीनी का उत्पादन/निर्यात

366. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

श्रीमती वसुंधरा राजे :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान देश में चीनी का कुल कितना उत्पादन/निर्यात हुआ और 1995-96 के दौरान कितना उत्पादन/निर्यात होगा;

(ख) क्या सरकार ने चीनी उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष में चीनी के संभावित भारी उत्पादन की दृष्टि से चीनी का निर्यात करने या उसकी कीमत कम करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) चीनी मौसम 1994-95 के दौरान चीनी का उत्पादन 145.85 लाख टन का (अनन्तिम) एवं खुले सामान्य लाइसेंस के तहत निजी पार्टियों द्वारा आयातित चीनी के अतिरिक्त घरेलू खपत 118.55 लाख टन की थी (अनन्तिम)। जहां तक 1995-96 मौसम का संबंध है, प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार 1 अक्तूबर, 1995 से आरंभ होने वाले वर्तमान मौसम 1995-96 के दौरान चीनी की उत्पादन यदि बेहतर नहीं तो कम से कम समान रूप से अच्छा होगा। खुले सामान्य लाइसेंस के तहत निजी पार्टियों द्वारा आयातित चीनी के अतिरिकत 1995-96 चीनी मौसम के दौरान अनुमानित घरेलू आवश्यकता लगभग 128.51 लाख टन की होगी।

(ख) 1995-96 मौसम के आरंभ में देशी चीनी के पूर्वाशिष्ट स्टाक सहित, 1995 के दौरान नये अनुबंध के द्वारा आयातित चीनी के अधिशेष स्टाक एवं इस मौसम में चीनी के अनुमानित उत्पादन से देश 1995-96 मौसम के दौरान चीनी के घरेलू आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होगा।

(ग) और (घ) चीनी की अनुकूल स्थिति को देखते हुए सरकार ने निर्यात के लिए 5 लाख टन चीनी अधिसूचित की है। इसके अतिरिक्त तरजीह कोटे के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय एवं संयुक्त राज्य अमेरिका को भी सरकार ने निर्यात के लिए 1994-95 मौसम के उत्पादन में से 0.19 लाख टन की मात्रा अधिसूचित की है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अधिकारी

367. डा. सुधीर राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य विभागों से केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्रतिनियुक्ति पर आये कुछ अधिकारियों की अक्तूबर, 1995 में प्रतिनियुक्ति की समयावधि बढ़ा दी गई है जबकि उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कदम उठाने की पीछे क्या औचित्य है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) भर्ती नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन में संयुक्त आयुक्त (प्रशा) की प्रतिनियुक्ति की अवधि अक्तूबर, 95 में बढ़ा दी गई है। अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक/सतर्कता मामला लम्बित नहीं था।

[हिन्दी]

वनस्पति प्रजातियों की तस्करी

368. श्री सत्यदेव सिंह :

श्री रामपाल सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश की वनस्पतियों की बहुमूल्य प्रजातियों की तस्करी विदेशों में हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विदेशों में वनस्पतियों की इन बहुमूल्य प्रजातियों की तस्करी रोकने और उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए कानून बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) यद्यपि औषधीय तथा सुगंधित पौधों की तस्करी के प्रयास के कुछ मामले ध्यान में आए हैं, तथापि इन पौधों अथवा इनके उत्पादों की बड़ी मात्रा में तस्करी नहीं हो रही है।

(ख) जी नहीं, इसका समाधान मौजूदा कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों के जरिए किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) निर्यात–आयात नीति के तहत अभिनिर्धारित 46 पौध प्रजातियों के निर्यात की मनाही है। इनमें 6 वे प्रजातियां शामिल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संकटापन्न वन्य प्राणिजात तथा वनस्पतिजात प्रजाति व्यापार कन्वेंशन के परिशिष्ठ 1 में शामिल हैं। इस कन्वेंशन के अनुसार इन प्रजातियेां के वन्य किस्मों, इनके अंगों, उत्पादों अथवा इनसे निर्मित वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मनाही है। इसके अतिरिक्त पौधों की 15 प्रजातियां और समूह अंतर्राष्ट्रीय संकटापन्न वन्य प्राणिजात तथा वनस्पति जात प्रजाति व्यापार कन्वेंशन के परिशिष्ठ 2 में शामिल हैं और उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सख्ती से विनियमित किया जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय स्वच्छ प्रौद्योगिकी परिषद्

369. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने प्रदूषण दूर करने के कार्यक्रमों में सरकार और उद्योग के द्वारा किए जाने वाले कार्यो के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ प्रौद्योगिकी परिषद् और सामाजिक लेखा परीक्षा पैनल का पठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय परिषद् का पर्यावरण प्रोत्साहन, विधान और सामाजिक कार्य दलों की भूमिका का किस सीमा तक अध्ययन करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख) राष्ट्रीय स्वच्छ प्रौद्योगिकी परिषद् के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है और उस पर कार्यवाही की जा रही है। तथापि मंत्रालय के कार्य कलापों की समीक्षा करने और उपयुक्त सिफारिश करने के लिए एक सोशल आडिट पैनल का मंत्रालय में पहले ही गठन कर लिया है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय को पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित कार्यकलापों की आयोजना, संवर्धन और समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके कार्यों में विकास परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान करना, पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना पारिस्थिति का संरक्षण, परिरक्षण और सुरक्षा पारि–विकास, प्रदूषण नियंत्रण स्वच्छ, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण आदि शामिल हैं। मंत्रालय के कार्यक्रमों की सफलता लोगों की खासकर स्थानीय समुदायों, गैरसरकारी संगठनों और संचार माध्यमों की भागीदारी पर निर्भर करती है। जिस सोशल आडिट पैनल का गठन किया गया है वह सामान्य जागरूकता और मंत्रालय के कार्यक्रमों, परियोजनाओं की समालोचनाओं का मूल्यांकन करेगा तथा जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय सुझाएगा ताकि उनको जनता की अपेक्षाओं के अनुकूल बनाया जा सके और जनता का समर्थन और सहयोग जुटाया जा सके।

मुथलापोझी में मत्स्यन पत्तन

370. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल के मुथलापोझी में एक मत्स्यन पत्तन विकसित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव की जांच कर ली गई है।

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आयेगी और अब तक कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) से (ख) जी, हां। केरल में मुथलापोझी के विकास के लिए राज्य सरकार से एक परियोजना प्रस्ताव जनवरी, 1995 में प्राप्त हुआ था। 695.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत के इस प्रस्ताव में दो जलरोधों, प्रशासनिक ब्लाक, नीलामी हाल, घाट आदि के निर्माण का प्रावधान है। परियोजना प्रस्ताव की तकनीकी जांच करने का प्रस्तावित जलरोधों की सम्बद्धता की तकनीकी सुसंगति सुनिश्चित करने के लिए उप मृदा अन्वेषण तथा प्रतिदर्श अध्ययन कराने के लिये राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। संशोधित परियोजना प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

शिक्षा प्रणाली में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद को शामिल करना

371. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यालय और महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को शामिल करने के संबंध में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उपरोक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या हाल ही में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से शिक्षा प्रणाली में खेलकूद को समाहित करने संबंधी उपायों को शीघ्रता पूर्वक लागू करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने शारीरिक शिक्षा और खेलकूद को शिक्षा प्रणाली में शामिल करने संबंधी उपायों का सुझाव देने के लिए श्री के. पी. सिंह देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।

उक्त समिति ने स्कूलों में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद एक अनिवार्य विषय के रूप में रखने की सिफारिश की है। इसने सिफारिश की है कि प्रतिदिन कम से कम 40 मिनट शारीरिक शिक्षा के लिए रखे जाने चाहिए। सभी शिक्षकों को सेवा पूर्व और सेवाकालीन शिक्षा पाठ्यक्रमों के माध्यम से शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ये पाठ्यक्रम शैक्षिक प्रशिक्षण के जिला संस्थान और बी. एड. कालेजों के जरिए संचालित किए जाने चाहिए।

(ख) सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया है कि और राज्य सरकारों से इन सिफारिशों को अमल में लाने के लिए अनुरोध किया है। एक पृथक समिति ने केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे शारीरिक शिक्षा और खेलकूद संबंधी सी.ए.बी.ई. समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्रवाई आरंभ करें। इसके अलावा निम्नलिखित अनुरोध भी किए गए हैं :

(क) राज्य में स्कूलों/कालेजों में खेल संबंधी बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए खेल निधि में अपना–अपना अंशदान दें।

(ख) खेल शुल्क के प्रश्न पर भी विचार किया जाए।

(ग) सामूहिक सहभागिता कार्यकलाप और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं।

(घ) जिन खिलाड़ियों ने उत्कृष्टता हासिल की हैं उन्हें विशेष वेटेज देने पर विचार किया जाए।

(ङ) राज्य सरकारें प्रत्येक जिले के हिसाब से कम से कम एक स्कूल का खेल स्कूल के रूप में पता लगाएं

(ङ) राज्य सरकारों ने सरकार के सुझावों का स्वागत किया है और इन सिफारिशों को निष्ठापूर्वक कार्यान्वित करने का वादा किया है।

टैंकों में मोती तैयार करना

372. **प्रो. राम कापसे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल मैरीन सिफारिश रिसर्च इंस्टीट्यूट कोचीन ने

एक ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास किया है, जिसके अंतर्गत समुद्री जल से भरे टैंकों में मोती तैयार किये जा सके और टैस्ट ट्यूब मोती तैयार किये जाने के प्रस्ताव किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उस स्थान का नाम क्या है; जहां ऐसी प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो पावेगी; और

(ग) इस प्रौद्योगिकी का अपनाने के पश्चात् क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, हां

(ख) जहां समुद्री जल की लवणता प्रति हजार में 30 भाग के लगभग स्थिर होती है। उन क्षेत्रों में समुद्र तटों पर मोती तैयार करने की टेक्नोलाजी अपनाई जा सकती है।

(ग) इससे संभवतः ये लाभ प्राप्त हो सकते हैं :

(i) मोती आयात में कमी लाकर विदेशी मुद्रा की बचत;

(ii) कल्चर मोतियों की देश की घरेलू मां-। को पूरा करने हेतु आत्मनिर्भरता; और

(iii) समुद्री तट पर बसने वाले गांव के गरीब लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होना।

सुपर बाजार में गुणवत्ता वाली वस्तुएं

373. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार में बेची जा रही किराना वस्तुओं की गुणवत्ता के स्तर क्या हैं तथा उनकी गुणवत्ता तथा शून्य केन्द्रीय भंडार तथा खुले बाजार से किस प्रकार तुलनीय है;

(ख) क्या सुपर बाजार द्वारा बेची जा रही दालों तथा चावल की गुणवत्ता निम्न स्तर की हैं तथा किस प्रकार उनकी गुणवत्ता तथा मूल्य केन्द्रीय भंडार तथा खुले बाजार से तुलनीय है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि सुपर बाजार द्वारा केवल उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं बेची जाएं तथा उपभोक्ताओं के विश्वास के साथ खिलवाड़ न हो?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) सुपर बाजार अनेक किस्म की किराना वस्तुओं की बिक्री करता है। सुपर बाजार ने यह सूचित किया है कि उनकी सभी वस्तुएं खुले बाजार की दरों के मुकाबले सस्ती हैं। चूंकि, विभिन्न किराना वस्तुओं की क्वालिटी अलग-अलग भंडार में भिन्न-भिन्न होती है, अतः केन्द्रीय भंडार के साथ मूल्य की तुलना करना उचित नहीं है।

(ख) जी, नहीं। सुपर बाजार ने यह सूचित किया है कि वे केवल पूर्व-निर्धारित गुणवत्ता वाली दालों और चावल की बिक्री करते हैं। केन्द्रीय सरकार को सुपर बाजार द्वारा बेची जाने वाली दालों तथा चावल की गुणवत्ता के बारे में कोई बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) गुणवत्ता के मानक बनाए रखने के लिए सुपर बाजार के पास अपने परिसर में परीक्षण सुविधाएं हैं।

राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति

374. **श्री समत कुमार मंडल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक लागू किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) से (ग) राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति का मसौदा सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य को उनकी टिप्पणियों के लिये भेजा गया है। इस नीति के मुख्य उद्देश्य हैं– जल संसाधनों तथा आनुवंशिक विविधता का संरक्षण, मछली उत्पादन तथा मछुआरों, मछली पालकों और मत्स्यन उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि, समुद्र तटीय तथा ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार सृजित करना। परंपरागत मछुआरों और मछली पालकों/सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारना उत्तरदायी और कायम रह सकने वाली मात्स्यिकी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मछली और समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करना। केन्द्रीय मात्स्यिकी की बोर्ड ने भी इस प्रारूप पर विचार किया है और इसे अपनाने की सिफारिश की है। मंत्रिमंडल/संसद के अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति को लागू किया जायेगा।

[हिन्दी]

मृदा संरक्षण

375. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मृदा संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश को कितनी राशि दी गई है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा वास्तव में कितनी राशि का उपयोग किया गया; और

(ग) उक्त योजना को लागू करने में राज्य ने कितनी प्रगति की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) से (ग) केन्द्रीय कृषि मंत्रालय उत्तर प्रदेश में मृदा संरक्षण के लिये निम्नलिखित योजनाये क्रियान्वित कर रहा है :

(i) नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण;

(ii) बाढ़ प्रवण नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबंध;

शामिल किये गये क्षेत्र के लिए दी गई धनराशि, वास्तविक रूप से उपयोग में लाई गई धनराशि, राज्य द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रु० लाख में)

वर्ष	निर्मुक्त की गई धनराशि		उपयोग में लाई राशि		(आवरित क्षेत्र हजार हेक्टे. में) भौतिक उपलब्धि	
	ना.धा.प	बा.प्र.न.	ना.धा.प.	बा.प्र.न.	ना.धा.प.	बा.प्र.न.
1	2	3	4	5	6	7
1992-93	311.85	671.17	326.46	727.23	5.81	30.03
1993-94	405.40	930.80	4413.40	785.02	7.15	29.99
1994-95	437.00	1251.50	416.06	1251.50	5.46	47.49
	1154.25	2852.67	1155.92	2763.75	18.42	107.51

[अनुवाद]

वाल्मीकी मंदिर परिसर

376. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंदिर मार्ग, नई दिल्ली स्थित बाल्मीकी मंदिर परिसर, जहां कभी महात्मा गांधी रहते थे, के परिसर के अनुरक्षण और रख-रखाव हेतु प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः कोई आर्थिक सहायता प्रदान की है;

(ख) क्या सरकार की कोई योजना इस परिसर का अधिग्रहण कर इसे बिड़ला भवन की तरह महात्मा गांधी के 125वें जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्मारक बनाने की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) इस स्थल को गांधी परिसर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है और इस प्रयोजनार्थ, एक संकल्पना समिति (कन्सेप्ट कमेटी) का गठन किया गया है।

आंगनवाड़ी केन्द्र

377. श्री अन्ना जोशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में पुणे के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र चलाये जा रहे हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान इन केन्द्रों पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार को इन केन्द्रों के कार्यकरण तथा उस क्षेत्र के कार्यक्रम के लिये आवंटित राशि के दुरूपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच करायी गई है;

(च) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं, तथा सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) से (छ) सूचना महाराष्ट्र राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है।

खाद्यान्न भंडारण

378. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान खरीदे गए गेहूं और चावल की रिकार्ड मात्रा के भंडारण में भारतीय खाद्य निगम को अगस्त, 1995 में कठिनाई का सामना करना पड़ा और इन खाद्यान्नों का निर्यात रूक गया;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका एक कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले अधिशेष बाजार योजना के अंतर्गत आपूर्ति रोक दिए जाने संबंधी लिया गया निर्णय था;

(ग) क्या निगम इस योजना के अंतर्गत पूर्ण भुगतान कर दिये जाने के पश्चात् प्राप्त किए गए वितरण आदेशों पर भी माल की आपूर्ति करने में असफल रहा;

(घ) यदि हां, तो इन आपूर्ति को रोक देने का क्या कारण है जिससे आटा मिल भी प्रभावित हुई हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) खुली बिक्री योजना के अधीन बेचे जाने वाले गेंहू की दरों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब हुआ था जिसके कारण पहली अगस्त

से 27 अगस्त, 1995 तक गेहूं नहीं बेचा जा सका। खुली बिक्री के खाद्यान्नों की एक शर्त यह है कि इसकी सुपुर्दगी की तारीख पर विद्यमान दरें ली जाती हैं। खुली बिक्री के लिए गेहूं के मूल्यों को अन्तिम रूप देने में हुए विलम्ब के कारण अगस्त, 1995 के दौरान खरीदारों को सुपुर्दगी नहीं की जा सकी यद्यपि उनमें से कुछ के द्वारा सुपुर्दगी आदेश जुलाई, 1995 के अन्तिम दिनों में प्राप्त किए गए थे। तथापि, अगस्त, 1995 माह में चावल की बिक्री बेरोक लगातार जारी रही।

(ङ) जांच करने का कोई कारण नहीं है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में ट्यूशन फीस

379. **श्री सत्य देव सिंह :**

डा. रमेश चन्द तोमर :

प्रो. प्रेम धूमल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय आय के आधार पर ट्यूशन फीस तय करने के संबंध में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने का उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई प्रारूप तैयार किया गया है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव कब तक लागू हो जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन

380. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सराकर का कुछ कमियों को दूर करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने का प्रस्ताव है जो सरकार की जानकारी में आई है, और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कौन सी कमियां हैं जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में दिए गए उपबंधों के अनुसार उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने से रोकती है, और प्रस्तावित संशोधनों का क्या ब्यौरा है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) और (ख) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की सिफारिशों पर सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को अधिक प्रभावी और सोद्देश्य बनाने हेतु उनमें उचित संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक कार्यदल का गठन किया था। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें कई सिफारिशें दी गई हैं। चूंकि ये सिफारिशें सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित हैं अतः इस रिपोर्ट को मंत्रालयों/विभागों को उनके प्रेक्षण/टिप्पणी के लिए परिचालित किया गया है ताकि सिफारिशों पर अंतिम राय बनाई जा सके।

भारतीय खाद्य निगम

381. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के शीर्षस्थ पद पर अभी भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आसीन हैं जबकि अधिकांश अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने उच्च पदों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी विशेषज्ञता व्यक्तियों का चयन आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम में सिविल सेवा के कर्मचारियों के बने रहने के क्या कारण हैं और इसमें व्यावसायिक तथा तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 4 सितंबर, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित "एफ. सी. आई. इन स्पाट ओवर गवर्नमेंट इन डिसिजन" को ओर दिलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम में शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति "केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम" के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। निगम में बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारी पूर्णतया व्यावसायिक हैं। निगम में किए जा रहे कार्य की प्रकृति ऐसी नहीं है कि उसके लिए शीर्ष स्तर पर तकनीकी विद् और व्यावसायिक अधिकारियों की आवश्यकता हो।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) 4 सितंबर, 1995 की प्रेस रिपोर्ट मुख्य रूप से निगम में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय रेलवे सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति, निगम द्वारा माडर्न राइस मिल्स स्थापित करने, चावल की निकासी और टोटे के संबंध में भारतीय खाद्य निगम और धान मिल मालिकों के बीच विवाद, भंडारण स्थान की कमी, भारतीय खाद्य निगम में कम स्टाफ आदि के संबंध में हैं। जहां तक भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय रेलवे सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति का संबंध है, निगम में शीर्ष पदों पर नियुक्ति "केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम" के अधीन की जाती है। इन सेवाओं से संबंधित अधिकारियों की अन्य पदों पर नियुक्तियां केवल आवश्यकता आधार पर की जाती है और यह निगम में कर्मचारियों और अधिकारियों की कुल संख्या की तुलना में नगण्य (केवल 22 अधिकारी) हैं।

निगम ने 1968 और 1977 के बीच 25 माडर्न राइस मिल स्थापित की हैं। यह उद्देश्य अधिकांशतः प्राप्त कर लिया गया है और विभिन्न घटकों के कारण इन मिलों का प्रचालन मितव्ययी नहीं रहा है, इसलिए निगम द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इन मिलों को बंद कर दिया जाए और इनकी बिक्री /निपटान संबंधी कार्रवाई चल रही है।

हाल ही में, एकल ग्रेड विनिर्दिष्टियां लागू करने के लिए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं और कच्चे चावल की निकासी प्रतिशतता 67% और सेला चावल के लिए निकासी प्रतिशतता 68% निर्धारित की गई है। भंडारण संबंधी बाधाओं के कारण चावल मिलों के परिसरों में धान का भंडारण किया गया था न कि प्रेस रिपोर्ट में बताये गए कारणों की वजह से । यह कहना भी सही नहीं है कि विशेषज्ञ समिति ने 33% तक टोटे की प्रतिशतता स्वीकार करने के लिए सिफारिश की थी। बकाया धान की मिलिंग करवाने के लिए भारतीय खाद्य निगम आवश्यक उपाय कर रहा है।

30.9.1995 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 27.92 मिलियन मीटरी टन भंडारण क्षमता उपलब्ध थी जबकि इसके पास 19.36 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक रखा हुआ है। इससे पता चलता है कि निगम के पास भंडारण स्थान की कोई कमी नहीं थी। किराये पर लिए गए भंडारण स्थान का किराया बढ़ाने अथवा घटाने की शक्ति पूर्णतया निगम के पास है। जब कभी अपेक्षित होता है तब निगम अतिरिक्त क्षमता किराये पर लेने के लिए स्वतंत्र है।

यद्यपि, श्रेणी 3 और 4 के पदों में प्रवेश स्तर पर कुछ रिक्तियां हैं जिन्हें सीधी भर्ती पर रोक लगी होने के कारण नहीं भरा गया है फिर भी भारतीय खाद्य निगम में स्टाफ की कमी नहीं है। स्वीकृत स्टाफ संख्या केवल भंडारण क्षमता के आधार पर ही निर्धारित नहीं की जाती है बल्कि वास्तव में रखा गया स्टाक, कार्यभार आदि जैसे अन्य घटकों के आधार पर भी निर्धारित की जाती है।

यह कहना सही नहीं है कि गेंहू का कोई खरीदार नहीं है और 1991 में वसूल किया गया चावल अभी भी निगम के पास पड़ा हुआ है। वास्तव में पिछले 3-4 वर्षों के दौरान चावल की भारी वसूली होने के कारण निगम के पास 1991-92 फसल के चावल की नगण्य मात्रा उपलब्ध है। जहां तक गेंहू का संबंध है 1993-94 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली/खुली बिक्री के अधीन 87.64 लाख मीटरी टन गेंहू जारी किया गया था जबकि 1994-95 में 101.56 लाख मीटरी टन की मात्रा और 1995-96 के दौरान अक्तूबर, 1995 तक 50.67 लाख मीटरी टन की मात्रा जारी की गई थी।

[हिन्दी]

जलग्रहण क्षेत्र का विकास

382. **श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों ने जलग्रहण क्षेत्र के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बाढ़ प्रवण नदियों (बा.प्र.न.) तथा नदी घाटी परियोजनाओं (न.धा.प.) के जलग्रहण क्षेत्रों में पनधाराओ के प्रबंधन की दृष्टि से भारत सरकार उन योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है जिसके तहत 50% ऋण के रूप में तथा 50% अनुदान के रूप में राज्यों को शत प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है।

उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त की गई धनराशि का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारत सरकार द्वारा जलग्रहण क्षेत्रों के विकास के लिये निर्मुक्त की गई धनराशि का राज्यवार/योजनावार ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्यों का नाम	न.धा.प.			बा.प्र.न.		
		92-93	93-94	94-95	92-93	93-94	94-95
1.	आंध्र प्रदेश	3.37	3.00	3.29	-	-	-
2.	असम	0.60	-	0.50	-	-	-
3.	बिहार	1.82	2.16	-	0.36	3.03	-
4.	गुजरात	1.98	1.83	2.59	-	-	-
5.	हरियाणा	-	-	-	0.50	0.17	8.90
6.	हिमाचल प्रदेश	2.17	3.88	5.35	2.54	3.86	3.08
7.	जम्मू और कश्मीर	0.75	1.27	2.36	-	-	-
8.	कर्नाटक	3.20	5.13	6.14	-	-	-
9.	केरल	1.60	1.88	0.55	-	-	-
10.	मध्य प्रदेश	4.40	10.99	10.62	0.93	3.40	4.69
11.	महाराष्ट्र	निर्मुक्त नहीं	1.09	7.00	-	-	-
12.	उड़ीसा	0.91	1.71	3.26	-	-	-
13.	पंजाब	-	0.09	0.20	-	-	0.50
14.	राजस्थान	4.70	5.43	6.60	5.70	6.22	7.19
15.	सिक्किम	2.45	1.60	-	-	-	-
16.	तमिलनाडु	2.93	5.30	3.37	-	-	-
17.	त्रिपुरा	0.25	-	-	-	-	-
18.	उत्तर प्रदेश	3.12	4.05	4.37	6.71	9.30	12.52
19.	पश्चिम बंगाल	0.96	2.00	2.00	0.78	0.92	1.53
20.	डी.वी.सी.	3.50	3.50	3.50	-	-	-
	कुल योग :	37.71	54.91	61.60	17.62	26.95	29.91

[अनुवाद]

चीनी मिलें

383. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई चीनी मिलें स्थापित करने को लिए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा 1994-95 और 1995-96 के दौरान कितने आवेदन भेजे गए;

(ख) कितनी चीनी मिलों की लाइसेंस जारी किया गया है तथा कितनी मिलों ने काम शुरू कर दिया है; और

(ग) इस समय सरकारी, गैर–सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में राज्य वार कितनी चीनी मिलें हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 (अक्तूबर–सितम्बर) (31.10.1995 तक) नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा राज्यवार प्राप्त आवेदन की संख्या दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) आठवां पंचवर्षीय योजना के दौरान (1992-93 से 1996-97) (30.9.1995 तक) देश में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए उद्योग मंत्रालय द्वारा 76 आशय पत्र जारी किए गए हैं।

सामान्यतः एक चीनी मिल की स्थापना में लगभग तीन से चार वर्ष लग जाते हैं।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं सहकारी क्षेत्र में स्थापित चीनी मिलों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 (अक्तूबर से सितंबर) के दौरान मई चीनी मिलें स्थापित करने हेतु उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा राज्यवार प्राप्त आवेदन की संख्या दर्शाने वाला विवरण, जो कि विचारार्थ लम्बित है।

(31.10.1995 की स्थिति)

क्रम सं०	राज्य का नाम	आवेदनों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	69
2.	पंजाब	1
3.	हरियाणा	1
4.	महाराष्ट्र	3
5.	मध्य प्रदेश	12
6.	उड़ीसा	9
7.	आंध्र प्रदेश	12
8.	कर्नाटक	47
9.	तमिलनाडु	11
10.	पश्चिम बंगाल	1
11.	नागालैंड	1
	कुल :	167

विवरण-II

राज्यवार एवं क्षेत्रवार संस्थापित चीनी मिलों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण (दिनांक 30.9.1995 तक)

क्रम स०	राज्य	संस्थापित चीनी मिलों की कुल संख्या			
		सार्व	निजी	सहकारी	कुल
1.	पंजाब	-	6	16	22
2.	हरियाणा	-	1	10	11
3.	राजस्थान	1	1	1	3
4.	उत्तर प्रदेश	35	46	31	112
5.	मध्य प्रदेश	1	5	3	9
6.	गुजरात	-	-	18	18
7.	महाराष्ट्र	-	6	104	110
8.	बिहार	14	16	-	30
9.	असम	1	-	2	3
10.	उड़ीसा	-	4	4	8
11.	पश्चिम बंगाल	1	1	-	2
12.	नागालैंड	1	-	-	1
13.	आंध्र प्रदेश	6	14	18	38
14.	कर्नाटक	3	10	18	31
15.	तमिलनाडु	3	15	15	33
16.	पांडिचेरी	-	1	1	2
17.	केरल	-	1	2	3
18.	गोवा	-	-	1	1
19.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-
20.	मणिपुर	-	-	-	-
	कुल : समस्त भारत	66	127	244	437

[हिन्दी]

कृषि फार्म

384. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों ने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से बड़े कृषि फार्म स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पिछले एक वर्ष में ऐसे प्रयास किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

12.01 म.प.

[अनुवाद]

मंत्रियों का परिचय

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, मैं कल से शेष रही औपचारिकता को पूरा करने की अनुमति चाहता हू।

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आपकी अनुमति से, मैं हाल ही में मंत्रि परिषद में शामिल किए गये निम्नलिखित नये सदस्यों का परिचय करवाना चाहता हूं :

(1) **श्री एस.एस. अहलुवालिया** : शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(2) **श्री पवन सिंह घाटोवार** : स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री

12.02 म. प.

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

श्री पी. जी. नारायणन (गोबिचेटिट्पालयम) : महोदय, जाफना क्षेत्र में हो रही घटनाएं बहुत गम्भीर हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस संबंध में बोलने की अनुमति प्रदान करूंगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, संसदीय लोकतंत्र में केवल इतना ही काफी नहीं है कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो, यह भी जरूरी है कि चर्चा कारगर होनी चाहिये, प्रभावशाली होनी चाहिये। इसके लिए अलग–अलग व्यवस्थायें की गई है। प्रणाली में इनका प्रबन्ध है और नियम बने हुए हैं। सरकार कोई गम्भीर भूल कर दे तो हम इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिये विवश होंगे। अगर इससे कम गम्भीर मामला हो जिस में हम सरकार की निन्दा भी करना चाहते हैं, मगर किसी एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी करना चाहते हैं तो उसके लिये नियम काम–रोको प्रस्ताव की व्यवस्था करते हैं। काम–रोको का मतलब यह नहीं कि पूरा काम रोक दिया जाये, बल्कि बाकी काम छोड़ कर एक महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय, कश्मीर का मामला और उस पर काम–रोको प्रस्ताव अगर इस आधार पर न लिया जाये कि कश्मीर पर तो चर्चा होती रही है, आज भी चर्चा होने वाली है, गृह मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे तो मेरा निवेदन है कि यह न तो जम्मू–कश्मीर की स्थिति के साथ न्याय करना होगा और न सदन के सदस्य के नाते हम अपने दायित्व का पूरी तरह से पालन कर सकेंगे। बीच में जो घटनायें हुई हैं, उनको किस रूप में उठाया जाये? क्या गृह मंत्री के वक्तव्य की प्रतीक्षा की जाये या हम सरकार की निन्दा करने का जो अवसर पाना चाहते हैं, वह आपसे प्राप्त करें?

[अनुवाद]

श्री सुधीर सावंत (राजापुर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसकी अनुमति प्रदान करूंगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप काम–रोको प्रस्ताव के ऊपर बहस की इजाजत दें और हम अपनी बात दृढ़ता से कहें, एक सार्थक तरीके से कहें।

अध्यक्ष महोदय, बीच में सरकार ने फैसला कर लिया कि जम्मू–कश्मीर में चुनाव होंगे, मगर चुनाव की तैयारी नहीं की, चुनाव के लायक वातावरण नहीं बनाया, आतंकवाद को कुचला नहीं, घाटी के लोगों को विशेष कर अपने साथ जोड़ा नहीं। नतीजा यह हुआ कि चुनाव आयोग को कहना पड़ा कि अभी जम्मू–कश्मीर में चुनाव की स्थिति नहीं है। सरकार की स्थिति हास्यास्पद हो गई है। क्या इस तरह का निर्णय चुनाव आयोग की सलाह से नहीं किया जाना चाहिये था? मगर सरकार ऐलान करने में लगी रहती है। चुनाव आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा करने के बजाय प्रधानमंत्री देश छोड़कर चले गये। मेरा मतलब उनकी विदेश यात्रा से था, वैसे नहीं था। हमने अखबारों में पढ़ा और सुना कि विदेश में बैठकर प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया और उस संदेश में नयी घोषणा कर दी। सरकार के सामने समस्या पैदा हो गयी कि अगर चुनाव करना है और चुनाव के लिये जो उचित कदम उठने थे, वे उठाये नहीं गये हैं तो कुछ न कुछ पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिये तैयार करना चाहिये और नेशनल कांफ्रेंस को संतुष्ट करने के लिये प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि घड़ी की सुई को वापस किया जा सकता है, काल–प्रवाह को लौटाया जा सकता है, भले ही यह 1995 हो मगर वह जम्मू–कश्मीर को 1953 में ले जाने के लिये तैयार हैं। क्या मतलब है इसका कि देश में दो प्रधानमंत्री होंगे, देश में दो राष्ट्रपति होंगे? प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि जम्मू–कश्मीर में वजीरे–आजम होंगे, सदरे रियासत होंगे। यह ठीक है कि फैसला कश्मीर की विधानसभा से होगा, चुनाव के बाद होगा मगर यह पहले से ऐलान करने की क्या जरूरत है?

अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा गंभीर मामला है और हम कश्मीर के बारे में बहुत पहले से तीव्रता से अनुभव करते हैं। इसी कुर्सी पर बैठकर डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर का मामला उठाया था और श्रीनगर के सरकारी अस्पताल में नज़रबंदी की स्थिति में उनकी मृत्यु हुई थी। देश डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भूल नहीं सकता है। पश्चिम बंगाल के हमारे मित्र मतभेदों के बावजूद अच्छी तरह से जानते हैं। आज फिर वह घड़ी घूम–घाम पर वहीं आ गयी और 1953 की सारी बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने संसद को विश्वास में नहीं लिया, विरोधी दलों से चर्चा नहीं की और देश को कुछ नहीं बताया। ऐसी घोषणा करने की क्या जल्दी थी?

देश के बाहर जाने से पहले प्रधानमंत्री जी घोषणा कर सकते थे, लौटने के बाद प्रधानमंत्री जी घोषणा कर सकते थे। जल्दी क्या थी? पांच साल कोई जल्दी नहीं हुई और पांच साल में प्रधानमंत्री जी को जम्मू कश्मीर में जाने का मौका नहीं मिला और विदेश जाकर ब्रॉडकास्ट कर दिया। उसमें ऐसी बात कही गयी है जो जम्मू–कश्मीर को शेष भारत से दूर ले जाती है, अलग ले जाती है, पृथक्कता को बढ़ावा देती है और यह एक तरह से आतंकवाद की पीठ थपथपाना है। जो हथियार लेकर खड़े हो जायें और उनकी गलत मांगे, अनुचित मांगे मान ली जायेंगी, इसका दुष्परिणाम क्या होगा? अन्य राज्यों पर इसका परिणाम क्या होगा? वैसे ही पूर्वांचल के छोटे छोटे राज्य सुलग रहे हैं। क्या यह विघटन की तरफ जाने का कदम नहीं है? क्या इस कदम को ऐलान करना प्रधानमंत्री जी के लिए जरूरी था? उसके बावजूद भी चुनाव नहीं हुये; यह बात अलग है। नेशनल कांफ्रेंस और मांगें रख रही है।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैं यह केस बना रहा हूं, पूरा भाषण नहीं दे रहा हूं, आप ऐसा न समझें। मैंने जो कुछ कहना था, वह कह दिया। मैं तो अभी बिस्मिल्लाह कर रहा हूं, शुरूआत कर रहा हूं। मैं आपसे चाहता हूं कि गंभीरता के साथ आप हमारे काम रोको प्रस्ताव को चर्चा के लिये लीजिये और फिर हम इस सरकार की धज्जियां उड़ायेंगे और हम सरकार की निन्दा करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी, पहले मैं सावन्त जी की बात सुनूगा और फिर आपकी बात।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : हमने एक स्थगत प्रस्ताव दिया है, हम बोलना चाहते है। ...... (व्यवधान)

श्री सुधीर सावंत : अध्यक्ष महोदय, न मेरे दल को और न ही मुझे जम्मू–कश्मीर के मामलें पर चर्चा करने में कोई आपत्ति है जिसे हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण समझते है और हमारा भी यह मत है कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या स्थगत प्रस्ताव के अन्तर्गत चर्चा करने के लिए इसे प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत स्वीकार किया जा सकता है और मैं इस पर आपत्ति करता हूं :

प्रक्रिया नियमों के नियम 58 में यह बताया गया है :

"तात्कालिन सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सभा के स्थगत के प्रस्ताव का अधिकार......."

अतः यह मामला निश्चित होना चाहिए तथा इसे एक तात्कालिक महत्व का मामला होना चाहिए।

महोदय, मैं केवल आपका ध्यान कौल तथा शकधर की नियम पुस्तक की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। – पृष्ठ 447.......(व्यवधान) महोदय, प्रश्न यह है कि क्या मामला निश्चित है अथवा नहीं। हम यह जानना चाहते है कि वे किस पर चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि अपने स्थगन प्रस्ताव में, उन्होंने स्थिति का सामान्दीकरण कर दिया है।.....(व्यवधान)....

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : ऐसा मोशन कहां से आया?

श्री सुधीर सावन्त : कहीं से भी मिला हो।.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।.....(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, उसे यह कहां से मिला ?.. ......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नाईक व्यवस्था के प्रश्न यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा। वह यह कहते हुए उठते हैं कि वह व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना चाहता है। जब तक मैं स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता, वह इसका संदर्भ नहीं देगा।

......(व्यवधान)......

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, इसीलिए मैंने प्रस्ताव का संदर्भ नहीं दिया। ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप का कहना सही है। श्री सावन्त, उसने जो कुछ बोला है, आप उस पर बोल सकते हैं।

श्री सुधीर सावन्त : महोदय, प्रश्न यह है कि क्या श्री वाजपेयी ने आज जो कुछ बोला है और उन्होंने जो कहने का प्रयास किया है, वह एक निश्चित मामला है अथवा नहीं। वह क्या बोलना चाहते है, मुझे इसका पता नहीं हैं, प्रश्न यह है कि क्या वे कश्मीर की स्थिति पर चर्चा करना चाहते है, क्या हम सरकार के एक विशेष निर्णय पर चर्चा करना चाहते है और इस का पता लगाना है। महोदय, उसके बिना आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते।

दूसरा प्रश्न यह है कि यह तात्कालिक सार्वजनिक महत्व का मामला होना चाहिए। अब कौल तथा शकधर की नियम पुस्तक में यह बताया गया है :

"सही होने के लिए, एक स्थगन प्रस्ताव में पर्याप्त सार्वजनिक महत्व का मामला उठाया जाना चाहिए जिसके लिए सभा के सामान्य कार्य में व्यवधान करने की आवश्यकता हो।"

प्रश्न यह है कि क्या इस मामले में सभा के अन्य कार्यों में व्यवधान डालने की आवश्यकता है। और यह अध्यक्ष के स्वविवेक पर है। इसे सापेक्ष प्रश्नों के साथ समझना होता है। यह सदैव एक सापेक्ष प्रश्न है। भारत जैसे एक विस्तृत देश में, एक घटना के महत्व की जांच देश के समस्त प्रशासन की पृष्ठभूमि में की जानी चाहिए। पिछले कई महीनों में, कई बातें हुई हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को हथियार प्रदान करने के संबंध में टैंक ब्राउन संशोधन सार्वजनिक महत्व का मामला है... (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : आप उस पर एक स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं। उस पर स्थगन प्रस्ताव लाने पर आपको कोई नहीं रोकता है.....(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, हमने इस पर एक स्थगन प्रस्ताव

दिया है। उन्हें उसे स्वीकार करने दो.....(व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : आप इसे उठाइएं और हम इसका समर्थन करेंगे....(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : आप इसे उठाइएं और हम इसका समर्थन करेंगे. ......(व्यवधान)

श्री सुधीर सावंत : महोदय, मैं प्रश्न पर आने का प्रयास कर रहा हूं....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सावन्त, कृपया अन्य सदस्यों से बहस न करें।

श्री सावन्त इसे बहुत अच्छे तथा कानूनी ढंग से उठा रहे है। यदि आप उसके तर्क को काटना चाहते हैं, तो आपको इसे उसी तरह से काटना है। कृपया उनको उन पर चिल्लाइएं नहीं।

श्री सुधीर सावन्त : महोदय, प्रश्न यह है कि किसी मुददे का सापेक्ष अर्थ तथा महत्व उस विषय को उठाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। यदि हमें यहां इस तरह वाद-विवाद करना है, तो प्रत्येक मामले पर स्थगन प्रस्ताव द्वारा चर्चा करनी होगी और सभा को चलाने का कोई अन्य तरीका नहीं होगा। यही कारण है कि जब हम तात्कालिक सार्वजनिक महत्व के मामले का निर्णय करते हैं तो हमें इस बात को महत्व प्रदान करना चाहिए कि क्या यह उस समय देश के प्रशासन को प्रभावित कर रहीं है। ऐसा नहीं है कि निर्णय अब किया गया है और कोई घोषणा की गई है। इतने अधिक दिन बीत गये है। यह इस समय इस देश के प्रशासन को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर रही है।

महोदय, कौल तथा शकधर की पुस्तक में यह बताया गया है :

"स्थगन प्रस्ताव तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि सरकार संविधान तथा विधि द्वारा प्रदान किए गये कर्तव्यों की अनुमति प्रदान करने में असफल नहीं रहती।"

अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह स्थगन प्रस्ताव यह इंगित करता है चुनावों के संबंध में कतिपय घोषणाएं करके सरकार, जहां तक कानून का संबंध है, असफल रहीं है। अब मैं इस प्रश्न का खण्डन करना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर के मुददे पर इस में चर्चा होनी चाहिए।

इसके बारे में कोई दो रास्ते नहीं है। यहां तक कि हमें जम्मू-कश्मीर के बजट पर चर्चा करनी है। लेकिन मैं स्थगन प्रस्ताव के रूप में किसी चर्चा का विरोध नहीं करूंगा।

महोदय, श्री वाजपेयी जी ने कुछ अन्य विषय भी उठाये थे जिनको मे स्पष्ट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सावन्त, अब यदि आपको बहुत अच्छे प्रश्न उठाने हैं तो आपको संक्षेप में अपनी बात कहनी चाहिए।

श्री सुधीर सावन्त : उतना ही समय मुझे दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों को उतने ही समय की अनुमति प्रदान नहीं कर सकता। एक बार प्रश्न मेरे द्वारा समझे जाने के पश्चात् आप को उस प्रश्न पर चिपकना नहीं चाहिए।

श्री सुधीर सावन्त : महोदय, इसका कारण यह है कि सरकार के विरुद्ध कतिपय आरोप लगाये गये है। उस स्थिति में, मुझे उस पर उत्तर देना होगा।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया इस बात को समझिए कि आप श्री वाजपेयी की बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा है कि आपने अच्छा प्रश्न किया है। आपको कृपया, संकेत पर बैठ जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, सावंत जी ने कौल-शकधर और प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख करते हुए तीन बातें कही हैं मैं उन तीनों से सहमत हूं। इनका कहना है कि हर मामले में एडजर्नमेंट मोशन आये यह ठीक नहीं है। रेलेटिव इंपार्टमेंस देखनी पड़ेगी। ब्राउन अमेण्डमेंट के कारण देश की सुरक्षा को जो संकट पैदा हुआ है वह देश भर के लिए चिन्ता की बात है। मुझे खुशी हुई है सावंत जी को भी चिंता हैं और इतने चिंतित हैं कि वे चाहते हैं कि उसके बारे में एडजर्नमेंट मोशन जस्टीफाइड होगा। जबकि एडजर्नमेंट मोशन का एक पहलू......

श्री सुधीर सावंत : ऐसा मैंने नहीं कहा है। यह मामले सापेक्ष महत्व पर निर्भर है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इन्होंने आखिर में जो तीसरी बात कही है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अर्जेंट भी होना चाहिए, पब्लिक इम्पोर्टेंस का इश्यू भी होना चाहिए, लेकिन उसमें सरकार को फेलियर होगा तभी हमारा एडजर्नमेंट मोशन जस्टीफाइड होगा, अन्यथा शायद नहीं होगा। अंन्यथा ब्राउन अमेण्डमेंट के बारे में कोई अगर कहे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, सरकार ने क्या किया जिसके कारण एडजर्नमेंट मोशन ला रहे हैं, तो कोई वजन की बात हो सकती है।

विपक्ष के नेता ने बड़े प्रभावी ढंग से एक बात रखी कि, क्योंकि सरकार ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर पाई, अर्थात आतंकवाद को रोकने में असमर्थ रही इसके कारण हमने आलोचना की, इतना नहीं है। बाकी कई सारे राजनैतिक दलों ने कहा कि वहां चुनाव कराने की स्थिति नहीं हैं, इतना ही नहीं है। लेकिन सरकार की घोषणा के बावजूद एक संवैधानिक अधिकारी, कांस्टीट्यूशनल अथोरिटी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि सरकार की यह घोषणा ठीक नहीं है कि वहां पर चुनाव कराने की स्थिति है। उन्होंने वीटो किया। उस वीटो का मामला कोर्ट मे हैं और कौन सही है, कौन गलत, उनका निर्णय सही है या गलत, इससे मेरा लेना-देना नहीं हैं।

[अनुवाद]

लेकिन स्वत्रंत तथा निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार एक सांविधानिक प्राधिकरण ने सार्वजनिक रूप से यह कहा है कि स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें स्वत्रंत तथा निष्पक्ष चुनाव करवाये जा सकें। सरकार की असफलता के लिए और किस साक्ष्य की आवश्यकता है? गवर्नमेंट का फैलियर है अपने ही निर्णय को कार्यान्वित करने में तो इससे बडा प्रमाण नहीं हो सकता।

अध्यक्ष जी, मैं जो कुछ वाजपेयी जी ने कहा है कि उसम एक आयाम जोड़ना चाहूंगा। वह आयाम है कि सदन में कल हमने जिस सर्वसम्मति

से इजराइल के पूर्व प्रधान मंत्री की हत्या के बारे में उनके निधन पर एक शोक प्रस्ताव पास किया। सर्वसम्मति से शोक प्रस्ताव पारित करना एक नोर्मल पद्धति संसद की रही है, इस सदन की रही है। लेकिन सर्वसम्मति से किसी तात्कालिक समस्या के बारे में प्रस्ताव पास करना एक असामान्य स्थिति रही है और वह असामान्य स्थिति पिछले साल 1994 में आयी जब हमने जम्मू–कश्मीर के बारे में एक विस्तृत प्रस्ताव पारित किया। मैं इस समय वह कोट नहीं कर रहा हूं। वाजपेयी जी ने कहा कि इस समय हम केवल काम–रोको प्रस्ताव के औचित्य के बारे में कि क्यों काम–रोको प्रस्ताव के माध्यम से जम्मू–कश्मीर पर विचार करना चाहिए, इसी की चर्चा कर रहे हैं। अन्यथा उस प्रस्ताव को हम लें जिस प्रस्ताव में हमने संकल्प प्रकट किया है कि वहां पर पाकिस्तान अपने एजेंटो के द्वारा जिस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिस प्रकार का सबवर्शन कर रहा हैं उसको हम समान्प्त करेंगे, यह संसद का संकल्प है, राष्ट्र का संकल्प है। उसमें यहां तक हम गए कि हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया है कि हम कश्मीर का एक तिहाई भू–भाग जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से अपने कब्जे में कर रखा है उसको हम विमुक्त करायेंगे।

मेरा मन है कि इस प्रकार के संसद के सर्वसम्मत प्रस्ताव जिनकी इतनी अहम महत्ता है,

[अनुवाद]

उनका सरकार द्वारा पूरी तरह से सम्मान किया जाना है और मेरे विचार से प्रधानमंत्री द्वारा बरकिना फासो में यह घोषणा करना।

[हिन्दी]

कि हिन्दुस्तान में इस चुनाव के बाद वजीरे आजम होगा एक और प्रधान मंत्री होगा एक। राष्ट्रपति होगा एक और सदरे रियासल होगा एक।

[अनुवाद]

यह उनके प्रतिकूल है, यह संसद के उस सर्वसम्मत प्रस्ताव का उल्लघंन करती है।

[हिन्दी]

हमारी संसद का जो एक सर्वसम्मत प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव के सर्वधा खिलाफ है, वायलेशन है। और उसके कारण भी मैं मानता हूं कि यह सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। उन्होंने न केवल वहां पर चुनाव करवाने के लिए जो उपयुक्त स्थिति आनी चाहिए थी, आतंकवाद को रोकना चाहिए था, उसमें विफल रही है, बल्कि जिस मनस्थिति से हमने राष्ट्र की इच्छाओं का प्रकटीकरण करते हुए, जो यह एक निश्चय किया, उस पर भी एक बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। इसीलिए इस मामले में काम रोको प्रस्ताव बिल्कुल उपयुक्त होगा। यह मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सत्तापक्ष को भी मुझे सही निर्णय पर पहुंचने में मेरी सहायता करने की अनुमति प्रदान करूंगा। यदि वे चाहे, तो उन्हें अवसर दिया जायेगा, उन्हें तैयार रहना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस पर काम रोको प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं 13, 14 और 15 तारीख को जम्मू कश्मीर में गया हुआ था और मुझे इस बात का दुख है कि प्रधानमंत्री जी ने बिना सोचे–समझे वहां चुनाव कराने की जो घोषणा की और उसके बाद चुनाव आयोग ने उस पर जो रोक लगाने का काम किया, उससे पाकिस्तान के हाथ मजबूत हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान बार–बार यह कहता रहा है कि कश्मीर में चुनाव की स्थिति नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, मैंने इसीलिए उनको भी रोका था। यह मैटर एडजार्नमेंट मोशन की फार्म में कैसे डिसकस किया जा सकता है, इस पर बोलिए।

श्री राम विलास पासवान : सर, चूंकि यह महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। इसीलिए मैंने यह कहा है। इसीलिए एडजर्नमेंट मोशन चाहिए। सर इसमें जो समस्या उत्पन्न हुई है, यह अर्जेंट समस्या है और यह भयावह समस्या है। मैं यह कह रहा हूं कि प्रधान मंत्री जी यदि विदेश से वक्तव्य नहीं देते और इलेक्शन कमीशन एज यूजुअल वहां चुनाव कराने की घोषणा करता, तो कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा सिर्फ इसलिए बना कि प्रधानमंत्री जी ने चुनाव की घोषणा कर दी, बिना विपक्षी दलों को और देश को कान्फीडेंस में लिए हुए और बार–बार हम लोग इस बात को कहते रहे हैं,........

[अनुवाद]

श्री सुधीर सावन्त : यदि वे स्थगन प्रस्ताव के पक्ष में प्रश्न उठा रहा है......**(व्यवधान)** प्रश्न यह है कि मुझे रोका गया। मुझे उन प्रश्नों पर बोलने की अनुमति प्रदान नहीं की गई। मैं इन प्रश्नों का खण्डन करना चाहता हूं। यदि वे यह प्रश्न उठा रहे हैं....**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : आपके पास बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं हैं।

[हिन्दी]

इसलिए अध्यक्ष जी, यदि नार्मल– वे में चुनाव आयोग वहां जाकर चुनाव की घोषणा करता, तो कोई बात नहीं थी, लेकिन देश के प्रधान मंत्री विदेश में थे और उन्होने इस मुद्दे को इतना महत्वपूर्ण बनाया,......

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान जी, उन्होंने बहुत अच्छे प्रश्न उठाये थे। अब वे अच्छे प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। श्री सावन्त जी, आप कृपया बैठ जाइएं। मैं इस पर भी आऊंगा। मैंने कहा है कि सरकार को अवसर प्रदान किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सर, मैं एक–एक लाइन में इन बातों को कहे देता हूं। इस मुद्दे के कारण ऐसा लगा कि शायद किसी ज्योतिषी ने कहा हो प्रधान मंत्री जी को कि 15 दिसम्बर के पहले चुनाव कराना बहुत जरूरी है या प्रधानमंत्री जी ने सोचा होगा, लेकिन अध्यक्ष जी, एक–दो दिन के बाद प्रधान मंत्री जी देश को लौटने वाले थे, लेकिन उन्होंने दो दिन तक भी वेट नहीं किया और विदेश की भूमि से घोषणा की थी कि जम्मू कश्मीर के चुनाव होंगे या फिर दूसरा कारण यह रहा होगा कि

पार्लियामेंट के चुनाव आने वाले हैं, नई सरकार बनने वाली है, सरकार किसकी बनने वाली है, यह भी किसी को नहीं मालूम है। हम लोगों ने बार–बार कहा कि नई सरकार आने दीजिए, वह तय करेगी और चाहेगी तो चुनाव कराएगी और देश को कान्फीडेंस में लेगी, अपोजीशन को कान्फीडेंस में लेगी। यह कोई कांग्रेस की प्रापर्टी नहीं है। इसलिए अध्यक्ष जी, हम लोग वहां गए। हम लोगों को मालूम है कि कश्मीर में 47 सीट हैं, राजेश पायलट जी यहां बैठे हुए हैं, वे जानते है कि जम्मू में 37 सीटें हैं और लद्दाख में 4 सीटें हैं।

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आप यह क्यों कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैं प्वाइंट पर आ रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमको खुशी हुई, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी से सहमत नहीं हूं। ऐडजर्नमेंट मोशन पर इनका मुद्दा अलग किस्म का आ सकता है, हमारा प्वाइंट अलग है। मैं 1995, 1953 में भी नहीं जाता हूं और हम धारा 370 का सपोर्ट करते रहे हैं, करते रहेंगे। कश्मीर का भारत में जो विलय हुआ था, वह स्पेशल कंडीशन्स में हुआ था। यदि आप इतिहास में गए हैं और 1995 में 1953 की बात करेंगे तो आपको 1953 में जाना पड़ेगा। उसमें हमारा इनसे अलग मुद्दा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। इन्होंने सदरे रियासत और वजीरे आज़म संबंधी पैकेज की जो घोषणा की है, उसके बारे में मैं अपनी बात कहता हूं। हमको खुशी हुई कि यदि कम से कम इस पैकेज से समस्या का सौलुशन हो जाए तो देश को बचाने के लिए यह बहुत बड़ी चीज नहीं है।.....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं।

[अनुवाद]

अगर आप सरकार को दलों से परामर्श करने के लिए कह रहे हैं तो दल महत्वपूर्ण मामलों पर अपने विचार रख रहे हैं। कृपया उन पर आपत्ति मत कीजिये।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हमको उस दिन लगा कि शायद प्रधानमंत्री जी ने बातचीत करके कोई पैकेज की घोषणा की है और मैं समझता हूं कि भारत का संविधान हमारी एक परिधि है और भारत के संविधान के अन्तर्गत रहते हुए देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए यदि देश को बचाने के लिए कोई ऐग्रीमेंट किया जाता है तो मैं उसे गलत नहीं मानता। लेकिन इन्होंने वजीरे आजम और सदरे रियासत की जो घोषणा की है, उस संबंध में इन्होंने किसी से बात नहीं की। आपने किससे बातचीत की, कौन से ग्रुप हैं? जम्मू–कश्मीर में तीन ग्रुप हैं, मैं खोलना नहीं चाहता हूं, सरकार को मालूम है। लेकिन तीनों ग्रुपों में से किस ग्रुप ने आपको प्रपोज़ किया था कि आप इस पैकेज की घोषणा करो, हम उसपर कन्सीडरेशन करने को तैयार हैं। बिना किसी के मांगे हुए आपने पैकेज की घोषणा करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं समझता हूं कि जम्मू–कश्मीर का मामला बहुत ही भयावह है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकार अपने कारनामों से चुनावी राजनीति के कारण इसको और जटिल करने का प्रयास कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इसे और जटिल बनाने का काम न करें और इस पर सदन में काम रोको प्रस्ताव रखकर चर्चा करवाई जाए। हम अपना–अपना पक्ष रखने का काम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, हमारी कठिनाई यह है कि हमारे पास श्री वाजपेयी जी के प्रस्तावित स्थगन प्रस्ताव का (मूलपाठ) नहीं है। महोदय, हमसे ज्यादा आप फायदे में रहे क्योंकि आपको (मूल–पाठ) अवश्य मिल गया होगा। आप इस बात का निर्णय करने की बेहतर स्थिति में हैं कि उनके स्थगन प्रस्ताव की शब्दावली नियमों के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं। मेरा कहना यह है कि कोई भी स्थगन प्रस्ताव तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि इसका संबंध किसी विशेष मामले अथवा मामलों से न हो। यह कहने का कोई फायदा नहीं है।

[हिन्दी]

कि आतंक का वहां दमन नहीं किया। वह तो कितने वर्षों से नहीं किया क्योंकि जितने ये वर्ष बीत गए, हम हमेशा ऐडजर्नमेंट मोशन करते रहे।

[अनुवाद]

प्रश्न यह नहीं है। मामला सार्वजनिक महत्व को होना अति आवश्यक है। यह चुनाव घोषणा होने पर धांधलेबाजी का प्रश्न हो सकता है अथवा कोई अन्य मुद्दा हो सकता है। लेकिन यह मुद्दा विशेष मुद्दा होना चाहिये कोई सामान्य मुद्दा नहीं जिसकी प्रत्येक बात का सम्बन्ध कश्मीर से होना चाहिये। कश्मीर का मुद्दा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा की जानी चाहिये। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। प्रश्न यह है कि इस पर किस तरीके से तथा किस रूप में चर्चा की जाये। माननीय गृह मंत्री जो वक्तव्य देने जा रहे हैं उसके आधार पर सामान्य चर्चा के रूप में इस पर चर्चा की जा सकती है। मैं नहीं जानता कि वह क्या कहने जा रहे हैं। यह उस प्रस्ताव पर आधारित हो सकता है, जो जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को और आगे बढ़ाने के लिए अनुमति हेतु इस सभा में लाया जाना है। उस पर चर्चा किये जाने की जरूरत होगी जिसमें यह सभी पहलू शामिल किये जा सकते हैं। उसके पश्चात्, पुनः जम्मू और कश्मीर के बजट को पारित करने का प्रश्न उठता है, जिसका सम्बन्ध केवल बजटीय मामलों से ही नहीं है। इसमें ये सभी पहलू हमेशा ही शामिल हो जाते हैं। इससे पहले कि हम अपना मत रखे या आप निर्णय करें, मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री वाजपेयी के स्थगन प्रस्ताव में विशेष मुद्दा क्या है क्योंकि हमारे पास इसका मूलपाठ नहीं है। क्या ऐसा इसलिए है कि सरकार पुनः 1953 की स्थिति लाना चाहती है? क्या इसी प्रश्न पर वे आपत्ति कर रहे हैं? क्या इसका संबंध बरकीना पासो में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य है, जिस पर वे आपत्ति कर रहे हैं? क्या यह इस तथ्य से संबंधित है कि यह घोषणा करने से पहले किसी से परामर्श नहीं किया गया था? क्या इसी प्रश्न पर वे आपत्ति कर रहे हैं? वे कश्मीर से संबंधित प्रत्येक मामले पर स्थगन प्रस्ताव नहीं ला सकते। फिर तो यहां प्रतिदिन एक स्थगन प्रस्ताव लाया जायेगा क्योंकि यह सरकार बुरी तरह असफल हो चुकी है। उनके पास आज ही नहीं, बल्कि इन सभी वर्षों में कोई कश्मीर नीति नहीं रही। फिर, इस सभा को तो स्थायी रूप से स्थगित कर देना चाहिये। कोई विशेष मुद्दा अवश्य होना चाहिए। श्री वाजपेयी

और श्री आडवाणी के यहां दिये गये भाषणों से बाहरी तौर पर जो झलक मिलती है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुझे यह नहीं मालूम कि उन्होंने स्थगन प्रस्ताव के रूप में जो कुछ लिखा है अथवा प्रारूप तैयार किया है, उसमें वही बातें हैं, जो उन्होंने इन भाषणों में कही हैं। इसकी जानकारी हमें केवल तभी होगी जब आप हमें प्रस्ताव का मूलपाठ बतायेंगे और केवल तभी हम निर्णय लेने में समर्थ हो सकेंगे अतः, मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि हमें अभी इस संपूर्ण समस्या के सभी गुण–दोषों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस पर अभी कोई सामान्य चर्चा नही करवा रहे हैं। यह निर्णय आपको करना है। अगर आप स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत करते हैं, तो फिर इस पर चर्चा की जायेगी, और अगर आप स्वीकृति नहीं देते हैं, तो फिर अन्य कई तरीके हैं, जिनके द्वारा इस पर आम चर्चा की जा सकती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन हमें यह अवश्य मालूम होना चाहिये कि ऐसी कौन सी विशेष बात है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र यह स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते हैं। इसमें सभी प्रकार की सामान्य बातें लाकर उन्हें इस विशेष प्रश्न की अवहेलना नहीं करनी चाहिये। मुख्य प्रश्न यही है। अतः कृपया हमें सूचित कीजिये अथवा उन्हें हमें सूचित करने दीजिये कि उनके प्रस्ताव की शब्दावली क्या है तथा क्या नियमों के अन्तर्गत यह आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कश्मीर मुद्दे पर हमारे और भारत सरकार के विचारों में व्यापक और मौलिक अंतर है और हमारी स्थिति भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। अब हम जिस प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं वह यह है कि स्थगन प्रस्ताव लाया जायेगा अथवा नहीं। श्री गुप्त ने ठीक ही कहा है कि हमें प्रस्ताव का विषय मालूम नहीं है और हम केवल उसी के सहारे, जो विपक्ष के नेता, श्री आडवाणी ने सभा में कहा है, अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है, वास्तव में वे प्रधान मंत्री की चुनाव करवाने संबंधी घोषणा अथवा निर्णय तथा चुनाव आयोग के निर्णय पर केन्द्रित है। चाहे ठीक हो या गलत, यह मामला अब लंबित मुकदमेबाजी का न्याय है। श्री आडवाणी ने स्वंय कहा है कि वे इसका उल्लेख नहीं कर सकते। तो फिर क्या हम घोषणा संबंधी प्रश्न अथवा चुनाव आयोग के निर्णय पर स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा कर सकते हैं, दुर्भाग्य से हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि यह सभा कश्मीर मुद्दे पर चर्चा करे और दल इस पर अपने विचार अभिव्यक्त करें। यह एक अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामला है और मैं आशा करता हूं कि इस मामले में राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया जायेगा। महोदय, आप नेताओं से परामर्श करने के पश्चात् इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि इस मामले पर समुचित रूप से किस प्रकार बेहतर ढंग से तथा समुचित दृष्टिकोण से चर्चा की जा सकती है, ताकि जैसा कि बताया गया है, हम एक या दो मसले उठाने का प्रयास न करें। प्रस्ताव की विषय–वस्तु को लेकर हम अंधेरे में हैं। इस समय हम यही कह सकते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है, जिस पर समुचित ढंग से चर्चा की जानी चाहिये। लेकिन सिवाय इसके कि उन्होंने अपने भाषणों में जो कहा है, उस आधार पर, जिसके बारे में बताया ही नहीं गया है, के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने पर जोर देने के बजाय, मेरे विचार में इस अति महत्वपूर्ण मामले पर यथासंभव शीघ्र चर्चा करने का कोई तरीका निकाला जाना चाहिये। हम इस पर अपने विचार अभिव्यक्त नहीं करना चाहते। इस मामले पर किसी भी व्यक्ति, यहां तक कि हमारे देश के बाहर भी, इस देश में जो कुछ कहा जा रहा है, अथवा किया जा रहा है, को फायदा नहीं उठाना चाहिये। हम इसके बारे में अत्यधिक चिंतित हैं और इस देश का प्रत्येक व्यक्ति चिंतित है कि किसी को भी इसका फायदा नहीं उठाना चाहिये। और चुनाव आयोग के निर्णय का क्या प्रभाव पड़ा है? विभिन्न लोगों ने, यहां तक कि हमारे देश के बाहर भी इसके विभिन्न निष्कर्ष निकाले गये हैं। अतः, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस पर चर्चा करवाइये और यथासंभव शीघ्र चर्चा किस तरीके से की जाये, इसका निर्धारण कीजिये ताकि इस अत्यधिक महत्व के राष्ट्रीय मुद्दे को यह सभा शीघ्रातिशीघ्र और समुचित ढंग से सुलझा सके।

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील (अमरावती) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में हमारे पास स्थगन प्रस्ताव का मूलपाठ नहीं है, अतः, यह स्पष्ट नहीं है कि कौन से विशेष मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाया जा रहा है।

यहां पर जो कुछ कहा गया है, उससे मुझे यही लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जम्मू और कश्मीर का मामला एक महत्वपूर्ण मामला है; यह एक राष्ट्रीय मामला है और सार्वजनिक महत्व का मामला है तथा प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में चिंतित है। तथापि मेरा यह दृढ़ मत है कि अब स्थिति यह है कि सरकार ने अपने मतानुसार जम्मू और कश्मीर में चुनाव करवाने का निर्णय लिया है जबकि चुनाव आयोग का अपने सर्वोत्कृष्ठ निर्णय में यह स्वीकार किया है कि वहां स्थिति चुनाव करवाने के अनुकूल नहीं है। और यह मुद्दा न्यायालय में है। मेरे विचार में यह न्यायाधीन है। मैं यह जानना चाहूंगा कि जब इस प्रकार की कोई महत्वपूर्ण मामला न्यायाधीन हो तो उस पर सरकारी अथवा चुनाव आयोग के मत के गुणा–व–गुणों पर सभा चर्चा कर सकती है या नहीं। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि सरकार ने न्यायालय की शरण ली है अथवा नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मामला न्यायालय में जा चुका है। अतः, जब हम इस विशेष मामले पर चर्चा कर रहें हैं और जबकि यह विशेष मामला न्यायालय में लंबित हो, तो मैं जानना चाहूंगी कि सभा इस पर चर्चा कर सकती है तथा सभा को स्थगित किया जा सकता है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : न्यायाधीन का सिद्धान्त इस मामले पर लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मेरे मुंह से, कुछ आवाज निकले तो यह न समझियें कि मैं जिसके बारे में तारीफ करता हूं, उसकी दिल से तारीफ करता हूं, बल्कि किसी खास एक्शन के लिए उसकी तारीफ करता हूं। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर नरसिंह रावजी की दिल से तारीफ करता हूं। अभी मैंने दो नेताओं इन्द्रजीत गुप्तजी और सोमनाथजी को सुना। इस मामले में ये दोनों राजनैतिक दल महत्व रखते हैं। हमारे भाई पासवानजी भी उसमें शामिल हैं। एक चीज जिसे हम समझ नहीं पाये सभी लोगों ने इसके महत्व को जाहिर किया है। मेरे दिमाग में एक नई चीज है जिसकी तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या हम इतने कमजोर हो गये हैं कि एक फारेन पावर हमारे सारे इलेक्शन को स्थगित कराती चली जाये। यह सोचने की बात है कि

कश्मीर में आज जो हो रहा है, वह क्यों हो रहा है? मैं बड़े दुःख के साथ कहता हूं कि जब वाजपेयी कहने के लिए उठे तो इन्होंने कहा कि यह बिस्मिल्ला है। जैसे ही इन्होंने बिस्मिल्ला कहा तो शहाबुद्दीनजी को गुस्सा आ गया कि इन्होंने बिस्मिल्ला क्यों कह दिया। वाजपेयीजी, आप तो मुसलमानों का गला काटिये इसमें इनका फायदा है, बिस्मिल्ला मत करिये। यानि वाजपेयीजी के मुंह से बिस्मिल्ला निकल गया तो गलत हो गया। .... (व्यवधान)

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : ये जिबह करने से पहले बिस्मिल्ला करते हैं।

श्री अब्दुल गफूर : एक चीज हमारे सदन के अंदर परेशानी की होती है। मैं तो हमेशा यही कहूंगा बीजेपी के नेताओं से कि ख्याल नहीं करे कि आपकी पार्टी की कोई बात से हिन्दुस्तान पर इनका कब्जा हो जायेगा। आप मेहरबानी करके इन्द्रजीत गुप्त, सोमनाथ चटर्जी और पासवानजी से पहले बात कर लें। यदि यह कर लेगें तो यह आपकी बात को समर्थन करेंगे, लेकिन आप पहले कहेंगे तो फिर नहीं करेंगे। यह सीधी बात है, असलियत है और यही आज की राजनीति हैं अध्यक्ष महोदय, मैं स्पीच नहीं देता हूं। यहां जो लोग कश्मीर के बारे में बोल रहे हैं, मेरी नजर में उनके दिलों में कुछ और है। मेरी नजर में यह है कि किस तरीके से हिन्दुस्तान में चलेगा।

सुनिये भाई साहब, उसकी वजह क्या है? कश्मीर का मसला जो उठा, वह टू–नेशन थ्योरी है।.....(व्यवधान).... नहीं, यह एडजर्नमेंट मोशन नहीं है। क्यों हैं? इसीलिए तो पार्टी से आपको हटा दिया गया। हम तो श्री नरसिंह राव जी की तारीफ कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत

......(व्यवधान).....

श्री अब्दुल गफूर : मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कश्मीर का इलेक्शन आज तक क्यों नहीं हुआ? मैं सोचता हूं, रोज मैं अखबार में कश्मीर पर दुनिया भर के आर्टिकल्स पढ़ता हूं। एक साहब ने आर्टिकल लिख दिया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों को इससे कोई मतलब नहीं कि कश्मीर में होगा तो उनका नजरिया और हमारा नजरिया क्या होगा। लेकिन हमको तो इस नजरिये से यह है कि टू–नेशन थ्योरी तो हिन्दुस्तान में हमेशा के लिए है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं :– buried deep down. मैं वाजपेयी जी से कहूंगा और सभी लोगों से कहूंगा। कांग्रेस से और श्री नरसिंह राव जी से खासतौर से कहूंगा जो लोग हिन्दुस्तान से गलती करके गये हैं, आज उनकी क्या हालत है?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। इसको एप्रीशियेट करना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : आप रास्ते से भटक गये हैं।

श्री अब्दुल गफूर : मैं रास्ते से नहीं भटका हूं। मैं जब कभी बोलता हूं तो मेरे दिमाग में और दिल में बात होती है। इसीलिए कहता हूं और बोलने में मैं समझता हूं कि सबकी इंटलीजेंस बराबर नहीं है। कॉमनसेंस भी बराबर नहीं हैं। मैं यह मानता हूं कि हममें इंटलीजेंस नहीं है लेकिन कॉमनसेंस है। समझे कि नहीं? मैंने इसीलिए शुरू में कहा। मैंने श्री नरसिंह राव जी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एलान कर दिया चाहे वह मॉस्को से करे या नीदरलैण्ड से करें, एलान कर तो दिया कि हम इलेक्शन कराने जा रहे है। उधर पाकिस्तान कहता है कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे और हम लोग मुंह पर मुंह धरे बैठे हैं। बाहर पाकिस्तान चाहता है कि वहां इलेक्शन नहीं हो। कल इधर से कोई दूसरा देश चाहेगा कि हिमाचल से इलेक्शन नहीं हो। कल तीसरा कहेगा तो हम लोग रहेंगे क्या? हिम्मत के साथ इलेक्शन होना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि टू–नेशन थ्योरी की तरफ हम लोग बढ रहे हैं। अब मैं हिन्दुस्तान में बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर सकता। खासतौर से मैं मुसलमान होने की नीयत से जो मेरे दिल में बात है, उसको मैं लोगों के सामने कहता हू कि किसी भी कीमत पर कश्मीर में इलेक्शन हो। मैं यह मानता हूं कि जरा सी इनसे गल्ती हो गई है।

एक माननीय सदस्य : क्या गलती हो गई है?

श्री अब्दुल गफूर : अरे भई, बेमतलब में हंसते क्यों हैं? गलती यह हो गई है कि चाहे वह चीफ जस्टिस हों, इलेक्शन कमीशन हों, अब लड़ाई हो गई है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करायेंगे? श्री नरसिंह राव जी करायेंगे या श्री वाजपेयी जी करायेंगे। श्री सोमनाथ चटर्जी ने तो तीन–तीन को कर दिया। वे बेचारे तीनों अपना दिमाग लड़ा रहे हैं और अकेले रहते तो वह कर भी देते। इसके पीछे भी बात थी कि तीन क्यों हैं? सरकार ने जो यह काम किया है, मैं समझता हूं और मैं तमाम राजनीतिक दलों के मान्यवर सदस्यों को ......(व्यवधान).....यह बात दूसरी है। जैसा कि इन्होंने बताया।

अध्यक्ष महोदय : अब आप कंक्लूड करिये।

श्री अब्दुल गफूर : मैं जानता हूं। आज मैंने थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया है। इस वजह से ....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मगर मुझे दूसरों को भी समय देना है।

श्री अब्दुल गफूर : अरे, आप इससे काहे को बुलवाईयेगा ?....... (व्यवधान)

सब को बुलाने की जरूरत नहीं है। कश्मीर में जितनी रियायत दी जाये पर इसमें हमारा डिफरेंस होगा। सभी पार्टी के लोग होंगे। उसको छोड़ दीजिये। इलेक्शन हो। इलेक्शन क्यों नहीं हुआ है?

क्यों नहीं हुआ, इसकी जिम्मेदारी तो हम प्रधान मंत्री जी को देगें। इसलिए इनका एडजार्नमेंट मोशन कोई गलत नहीं है.....(व्यवधान) इलैक्शन अगर नहीं हो, इसको हम लोग यह मत समझें कि एक फारन–कन्ट्री चाहेगा। चाहे बीजेपी के लोग हो या कांग्रेस के लोग हों, एक थर्ड–फर्न्ट बन रहा है.... (व्यवधान) समझे कि नहीं। सारे लोग देखते रह जायेंगे, एक मुल्क चाहेगा कश्मीर में इलैक्शन नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय, मैटर बहुत सीरीयस है, लेकिन ईमानदारी के साथ सीरीयस है कि इलैक्शन होना चाहिए। नरसिंह राव जी और अपोजीशन के लोग इस पर जितनी बात करें। एडजार्नमेंट मोशन अगर नहीं होता है, चाहे ये ही दे देते, तो मैं हाथ जोड कर इनको कह देता कि एडजार्नमेंट

मोशन को मानिए। लेकिन उनसे ज्यादा दिल इनका दुखी हुआ है। समझ लीजिए यह मार्क्सवाद के पतन के पश्चात् यह एक नया सिद्धांत ..... (व्यवधान) यह नई फिलोसोफी इन लोगों की चल रही है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मार्क्सवाद का पतन नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : वह क्या है, मैं बता देता हूं। एन्टी कांग्रेसिज्म, एन्टी बीजेपी होता, तो बात थी, हम मानते – पंडित जवाहर लाल नेहरु, महात्मा गांधी और आप स्पीकर, यह सब जो है..... (व्यवधान) यही है।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, यह जो सवाल उठा है, इस पर मैं ऐसा मानता हूं, सोमनाथ चटर्जी जी ने जो बात कही है, वही अपने मायने में मायने रखती है, इस समस्या को देखते हुए। उन्होंने कहा कि हम सब को एक राष्ट्रीय रूख अपनाना चाहिए, नेशनल–एप्रोच। क्या हम लोग जो आज सवेरे से, करीब एक घंटे से, पचास मिनट से, जो कह रहे हैं, इससे राष्ट्रीय रूख अपनाने में सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस सवाल के ऊपर हमको जरा दिल पर हाथ रख कर सोचना चाहिए।

हमारे अंतिम वक्ता ने जो भाषण दिया है आपकी अनुमति से, संसद में ऐसा भी होता है कि इसका वीडियो टेप लिया जा रहा है और दुनिया में इसको देखा जाएगा। क्या यह माना जाएगा कि हम कशमीर की समस्या को गंभीरता से ले रहे हैं? संसद में कभी कोई ऐसा अवसर आना चाहिए, जहां हम राष्ट्रीय समस्या को राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखें और उसी रूप में उस पर बात करें। रोने की नहीं, रोते तो सभी लोग हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों की रुलाई में हंसी समझते हैं। आज देश रो रहा है और हम हंस कर प्रसन्न हो रहे हैं, तो आपको मुबारक ।

मैं ऐसा मानता हूं, कश्मीर की समस्या किसी एक देश की वजह से हमारे यहां चुनाव स्थगित नहीं हो रहे हैं, हमारी अपनी वजह से हो रहे हैं। क्योंकि कशमीर उस जमाने में हमारे साथ आया था, जब धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। जिन्हा के पाकिस्तान में कश्मीर नहीं गया, गांधी के हिन्दुस्तान में आया था। आज जो हम कर रहे हैं, उससे क्या उस माहौल तक पहुंचने में हमे मदद मिलेगी या नहीं? मैं, अध्यक्ष जी, बहुत दुख के साथ कहता हू कि जिस प्रकार से हमारे प्रधान मंत्री जी ने चुनाव की घोषणा की, उससे किसी भी आदमी को दुख पहुंचेगा। विदेश में जा कर घोषणा करना, हमारे आदर के अनुरूप नहीं है। घोषणा करने के पहले सारे लोगों की सहमति न लेना, यह भी एक ऐसी बात थी, जो कम से कम मेरी समझ में नहीं आती। जब इतना पैचीदा मुद्दा है और सारी दुनिया उस मुद्दे को और पेचीदा बनाने की कोशिश कर रही है, तो अपने देश में ही विवाद का अवसर देना कोई बुद्धिमत्ता नहीं थी। मैं इस बात को मानता हूं। मैं यह भी नहीं जानता कि किस वजह से ऐलान हुआ। हर सवाल पर पहल करने की अपने मन में एक पिपासा, लालसा, इच्छा राजनीतिज्ञ के लिए कभी कभी अच्छी होती है लेकिन राष्ट्र नेता के लिए यह बात अच्छी नहीं होती है। खास तौर से ऐसे समय पर जब कि राष्ट्र के सामने संकट हो उस संकट का सामना करने के लिए सब की सहमति की जरूरत होती है। मैं माननीय आडवाणी जी से कहूंगा कि जब उन्होंने ब्राउन प्रस्ताव की बात की, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन क्या यह सही नहीं है कि जिस तरह से हम कशमीर के सवाल पर आज संसद में बहस करना चाहते हैं उससे उन्हीं ताकतों को बल मिलेगा जिन ताकतों के खिलाफ आप एक दूसरा काम रोको प्रस्ताव लाना चाहते हैं। आखिरकार कश्मीर का सवाल हमारे देश का ही सवाल नहीं रह गया है बल्कि हमारे लिए देश का सवाल है। दुनिया की ताकतें आज यहां हस्तक्षेप करना चाहती हैं और ब्राउन प्रस्ताव उसकी एक पृष्ठभूमि है। महोदय, मैं समझता हूं कि इस तरह के विवादों से ऐसी ताकतों को और बल मिलेगा।

अध्यक्ष महोदये, मैं पार्लियामेंट्री पद्धति नहीं जानता। कॉल और शकधर ने क्या लिखा है वह मैं नहीं जानता। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री जी आज भी सदन के नेता के नाते कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं कि सभी लोगों को बिठा कर वे कोई ऐसा राष्ट्रीय रूख अपनाएं जिसका जिक्र सोमनाथ चटर्जी जी ने लिखा है कि उस आधार पर अगर इस सदन में बहस हो तो शायद हम कशमीर समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़ेगे और देश की अच्छी सेवा कर सकेंगे। आडवाणी जी ने कहा कि अगर एक साल पहले हम सब लोग सर्वसम्मत प्रस्ताव पास कर सकते थे तो एक साल बिगड़ी हुई परिस्थितियों में एक सर्वसम्मत राष्ट्रीय रूख अपना सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। महोदय, मैं यह जरूर चाहता हूं, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे राष्ट्रीय सवालों पर इसे मसकरेपन का सवाल नहीं बनाना चाहिए, यह संसद की मर्यादा के अनुरूप नहीं है।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सभा का प्रत्येक सदस्य कशमीर की स्थिति तथा कश्मीर समस्या पर चर्चा करना चाहेगा। मेरा विचार है कि हम प्रत्येक सत्र में इस विषय पर चर्चा करते आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा उल्लेख किया गया है, यहां अनेक प्रकार के संसदीय तरीके हैं जिनके द्वारा इस विषय पर चर्चा की जा सकती हैं। विपक्ष के नेता द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति देना केवल इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वह ऐसी किसी घटना से संबंधित है अथवा नहीं जो कि पिछले सत्र से आज तक के दौरान घटित हुई है ताकि इसे हाल ही में घटित हुई घटना समझा जाए और वह लोक महत्व की घटना होनी चाहिए। इसमें कोई शंका नहीं है कि यह घटना लोक महत्य की है। लेकिन जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है, कि प्रश्न यह है कि क्या वह किसी घटना से संबंधित है विशेषकर ऐसी ये घटना जो हाल ही में हुई हो। सामान्य रूप से कश्मीर के संबंध में सरकार की सामान्य नीति के अनुसार स्थगन प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हम यह जानना चाहेंगे कि विपक्ष के नेता ने इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देने के उद्देश्य से किस बात का हवाला दिया है?

मैं पुनः यह कहूंगा कि पूरी सभा के विचारों को ध्यान में रखते हुए यह परामर्श नहीं दिया जा सकता कि कशमीर मसले पर चर्चा को किसी एक विशेष घटना तक ही सीमित रखा जाए। पूरी सभा इस नीति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना चाहती है और पिछले सत्र से आज तक जो घटनाएं घटित हुई हैं उन पर चर्चा करना चाहती है। इसलिए इस बात की भी सलाह नहीं दी जा सकती कि एक घटना के लिए इस स्थगन प्रस्ताव को

स्वीकार किया जाए और सभा को इस पूरे विषय से वंचित रखा जाए।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो शब्द कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उसी क्षण नहीं बोलिए। अब यदि संसदीय कार्य मंत्री बोलना चाहते हैं तो मैं उन्हें अनुमति दूंगा। लेकिन अब मुझे किसी मदद की आवश्यकता नहीं है।

श्री उमराव सिंह : महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव को अनुमति देने पर आपत्ति करता हूं। श्री आडवाणी जी द्वारा प्रस्ताव में तीन उदाहरण दिए गए हैं। पहला है कश्मीर मसला दूसरा है प्रधानमंत्री का वक्तव्य और तीसरा है ब्राउन संशोधन। नियम 80 में यह बताया गया है.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम पढ़ा है।

श्री उमराव सिंह : नियम में यह बताया गया है कि एक ही प्रस्ताव पर एक से अधिक मामलों पर चर्चा नहीं की जा सकती है। अतः यहां तीन मामले हैं। दूसरे नियम 58 का उपनियम में यह बताया गया है कि यदि कोई मामला किसी अन्य प्रस्ताव द्वारा उठाया गया है तो इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है। अब जम्मू और कश्मीर का मामला वहां पर राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने के लिए सभा के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः नियम 56 के खंड (छ) के अनुसार इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। तीसरा मुद्दा है ब्राउन संशोधन के बारे में है। नियम 58 के खंड (आठ) में यह बताया गया है और मैं उसे उद्धृत करता हूं : "प्रस्ताव में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जायेगा जिसे संविधान या इन नियमों के अंतर्गत महासचिव को लिखित सूचना देकर एक अलग प्रस्ताव द्वारा ही उठाया जा सकता है।"

यहां कुछ संवैधानिक विशेषज्ञ है जो स्थगन प्रस्ताव द्वारा किसी दूसरे देश की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य पर केवल नियम 342 के अंतर्गत ही चर्चा की जा सकती है। सांविधि पुस्तक में नियम 342 मौजूद है जिसमें यह बताया गया है कि मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा की जा सकती है और वह भी नियम 56 के अंतर्गत नहीं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा तर्क है। जसवंत सिंह जी, इस पर बहुत संक्षेप में बोलिए।

श्री जसवंत सिंह (चितौड़गढ) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इस पहलू पर बहुत संक्षेप में बोलूंगा कि इस मसले पर स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा क्यों की जानी चाहिए। अनेक वक्ताओं ने कहा है कि यह कोई घटना होनी चाहिए यह घटना विशिष्ट और निश्चित होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि यह एक घटना है। वह घटना क्या है? यह घटना है चुनावों की घोषणा करना और उनको करवाने में असफल रहना।

दूसरे, इसके साथ–साथ अथवा असफलता के परिणामस्वरूप इस घटना में अनेक कठिनाईयां हैं जो कि आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय हैं। यही घटना है। वह आंतरिक कैसे हैं? वह इसलिए क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की है कि इसे वजीर–ए–आजम, सदर ए रियासत कहा जायेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय क्यों हैं? वह इसलिए क्योंकि उन्होंने बुरकीना फास्को से घोषणा करना उचित समझा, चाहें इसके कोई भी कारण क्यों न हों। यह पहला मुद्दा है। इसे हाल ही में घटित होना चाहिए। यह घटना इसी महीने घटित हुई है और जैसे ही संसद की बैठक हुई है हमने इस मुद्दे को उठाया है।

तीसरे, यह लोक महत्व का विषय होना चाहिए। जिस सदस्य ने भी आज बोला है उसने यही कहा है कि यह लोक महत्व का विषय है। मेरे मित्र श्री रामविलास जी ने कहा है निश्चय ही उनके और हमारे बीच कुछ मतभेद हैं कि उनके विचार नेशनल कांग्रेस के विचारों के समान हैं और उन्होंने भी यही कहा है कि यह स्थगन प्रस्ताव होना चाहिए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री सोमनाथ चटर्जी जी ने यह कहा है। बल्कि जो कुछ गफूर चाचा ने कहा है मैं उसके बारे में सोच रहा हूं कि यदि भा. ज.पा. द्वारा इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं किया गया होता तो वह भी यह कहते कि यह स्थगन प्रस्ताव होना चाहिए। मैं माननीय चन्द्रशेखर जी की बात का सम्मान करता हूं। मैं राष्ट्रीयता की भावना को तोल नहीं सकता अथवा यह कि वह केवल राष्ट्रीयता द्वारा ही प्रेरित होनी चाहिए। निश्चय ही, जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि वह स्थगन प्रस्ताव क्यों होना चाहिए तो वास्तव में इसका कारण राष्ट्रीय महत्व के विषय से दूर जाना नहीं है।

यहां दो अतिरिक्त मुद्दे और हैं जिन्हें माननीय सुधीर सावंत जी ने प्रस्तुत किया है कि इसके कोई प्रशासनिक परिणाम होने चाहिए, जो कदम उठाए गए हैं उनके प्रशासनिक परिणाम निकलने चाहिए। यदि चुनाव होते हैं, तो वह न होने के बराबर हैं, यदि चुनाव नहीं हो सकते हैं और जम्मू और कश्मीर के लिए जिस व्यवस्था पर विचार किया गया है और जिसके अंतर्गत जिन विभिन्न पद नामों का सृजन करने का विचार किया गया है निश्चय ही उन सब के प्रशासनिक परिणाम हैं फिर उन्होंने एक प्रश्न भी उठाया। क्या यह सरकार भी असफलता के कारण है? अब यदि जो कुछ भी कहा गया है और जो कुछ भी माननीय सदस्यों ने कहा है निश्चय ही उन्होंने अविवादित तथा अद्भुत सफलता के रूप में सरकार की कश्मीर नीति का उदाहरण नहीं दिया है। यदि यह सरकार की असफलता नहीं है तो क्या है? यह प्रश्न उत्पन्न होता है। सभी मुद्दों पर एक ही चर्चा पर एक ही चर्चा की गई है। चर्चा से पहले एक ही प्रश्न उठता है कि आप इन्हें कैसे करायेंगे? यदि हम इस संबंध में सरकार की असफलता की निन्दा न करें जो कि दोनों आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है तो हम किस बात पर सरकार की निन्दा करेंगे? हम अवश्य ही सरकार की निन्दा करना चाहते हैं और चूंकि हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि विपक्षी दल के नेता ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। यहां एक प्रस्ताव मेरे नाम से भी है, विपक्षी दल के नेता ने जो कुछ भी कहा है आप उसे छोड़कर शेष को अस्वीकृत कर सकते हैं। यह स्थगन प्रस्ताव होना चाहिए क्योंकि यह एक संसदीय तरीका है जो कि सरकार की निन्दा के लिए हमें प्राप्त है। यही हमारा उद्देश्य है।

01.00 म.प.

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : महोदय, कृपया मुझे संक्षेप में एक मुद्दा रखने दीजिए, जिसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा है। संक्षेप में मुद्दा यह है कि मैं निवेदन करता हूं कि पूर्णता निष्पक्ष रूप से स्थगन प्रस्ताव का पाठ सभा को उपलब्ध करवाना चाहिए। मैं ऐसा पूर्वोदाहरण के

आधार पर कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यही वह बात है जिसकी मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा था क्योंकि आपको नियम समझने होंगे और फिर मुद्दा प्रस्तुत करना होगा।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, क्या मुझे अपनी बात पूरी करने के अनुमति मिलेगी?

मैंने यह तर्क पूर्वोदाहरण के आधार पर दिया है जिसे लोकसभा के पूर्ववर्ती अध्यक्ष ने रखा था जबकि सभा में हमेशा स्थगन प्रस्ताव रखे जाते थे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। वह निर्णय लेते हुए होता था और इससे पहले नहीं।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, मुझे ऊपर की दीर्घाओं में बैठने का विशेषाधिकार प्राप्त था, मैंने पूर्ववर्ती अध्यक्ष, श्री मावंलकर की ओर ध्यान दिया था जिन्होंने सभी स्थगन प्रस्तावों के प्रस्ताव के पाठों को पढ़ने की अनुमति दी थी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बात समझिए। निर्णय देते हुए मैं इसे पढूंगा।

श्री इन्द्रजीत : नहीं, महोदय, अन्यथा यह सब नहीं पढ़ा जाएगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने निर्णय नहीं लिया है।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, हम केवल कल्पन ही कर सकते हैं। पाठ उपलब्ध करवाना चाहिए अन्यथा चर्चा अर्थहीन होगी।

श्री राम नाईक : सरकारी पक्ष की ओर से भी मुद्दे रखे जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में सरकार की ओर से भी मुद्दे रखे गए हैं। इन पर ध्यान नहीं दिया गया होगा।

ठीक है, सबसे पहले मैं सदस्यों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस चर्चा को वैधानिक रूप दिया, जैसा कि होना चाहिए। अब, मैं सदस्यों को कुछ अच्छे मुद्दे प्रस्तुत करने के लिए मुबारकबाद देना चाहूंगा। स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय लेने से पहले मैं कहूंगा कि कश्मीर से संबंधित मामले तथा वहां पर चुनाव कराने पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर किस तरह से चर्चा होनी चाहिए, इस बात का निर्णय हमें लेना है।

इस समय जिस प्रश्न पर मुझे निर्णय लेना है, वह यह है कि क्या यह मामला स्थगन प्रस्ताव के रूप में अनुज्ञेय है तथा चर्चा योग्य है। जैसा कि श्री इन्द्रजीत जी ने कहा है, निर्णय के समय हम प्रस्ताव पढ़ेंगे और अब मैं इसे पढ़ रहा हूं :

"जम्मू और कश्मीर में चुनाव आयुक्त द्वारा चुनावों के निरीक्षण तथा संचालन के लिए सही स्थिति उत्पन्न करने में सरकार की असफलता इसके अलावा सर्वसम्मति से रखे गए प्रस्ताव का उल्लघंन करके जम्मू और कश्मीर के दलों को सरकार द्वारा विभिन्न आश्वासन देना।"

यह प्रस्ताव है। अब, वैधानिक मुद्दे इस प्रकार हैं, जिन पर मुझे निर्णय लेना है। जहां तक कि उन सब बातों का संबंध है कि क्या यह मामला अविलम्बनीय महत्व का है, लोक महत्वा का है तथा स्थगन प्रस्ताव अनुज्ञेय है अथवा नहीं और जहां तक इन सभी बातों का संबंध है तो निश्चय ही, यह एक लोक महत्व का मामला है निश्चय ही यह एक ऐसा मामला है जिस पर सभा में चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन, फिर किस रूप में इस बात का निर्णय लेना है। इस बारे में पहले क्या निर्णय लिया गया है।

मैं कौल और शकधर की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 445 से पढूंगा। किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करवाने के लिए हम एक साधारण युक्ति के रूप में स्थगन प्रस्ताव का सहारा नहीं ले सकते हैं। यह एक साधारण युक्ति नहीं है। यह एक अपवादस्वरूप युक्ति है। किसी अपवादस्वरूप स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और वह अपवादस्वरूप स्थिति क्या है? अध्यक्ष जी मावंलकर जी ने अपने विनिर्णय में कहा था, मैं कौल और शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 445 से उद्धृत करता हूं :

> "सबसे महत्वपूर्ण कसौटी सदा यह है कि जिस प्रश्न को स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाया जाना है, वह अचानक उठा है या नहीं और उसके कारण कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हुई है या नहीं जिसे अविलम्बनीय कहा जा सके और इस कारण सभा बाकी सारे कार्य को स्थगित कर दे और निश्चित समय पर उस अविलम्बनीय विषय पर चर्चा प्रारंभ करे। अविलम्बनीयता इतनी अधिक होनी चाहिए कि उस विषय पर देर करने की बिल्कुल कोई गुंजाइश न हो और उस पर उसी दिन चर्चा होनी चाहिये जिस दिन उसकी सूचना दी गयी हो।"

क्या यह एक महत्वपूर्ण मामला है – जी हां। क्या यह लोक महत्व का मामला है – जी हां, क्या हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए – जी, हां हमें इस बात का निर्णय करना होगा कि क्या हमें उन मामलों को दरकिनार करके इस पर चर्चा करनी चाहिए जो कि कार्य सूची में दिए गए हैं। इस मुद्दे पर निर्णय लेते समय हमें यह निर्णय करना होगा कि यदि हम इस पर आज चर्चा न करें तो क्या होगा। तात्कालिक महत्व वाले मामले पर ध्यान देना होगा। मान लीजिए हम इस पर कल या परसों चर्चा करते हैं तो क्या इससे देश को कोई नुकसान होगा? इसीलिए किसी मामले की तात्कालिकता होती है। इस बात का निर्णय करना होगा कि यदि हम आज इस पर चर्चा न करें तो क्या होगा। यदि कुछ ऐसा होने वाला नहीं है जिससे देश को नुकसान हो तो हमें क्या करना है। पुनः यह कहा गया है..... **(व्यवधान)** कृपया इस पर ध्यान दीजिए। इसमें आलोचना का भी कुछ अंश है।

स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य यह है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाये, जिससे कि किसी अविलम्बनीय विषय के संबंध में सरकार ने निर्णय की आलोचना की जा सके। तात्कालिक किसी ऐसे मामले जिसके संबंध में समुचित सूचना देकर प्रस्ताव या संकल्प रखे जाने पर बहुत देर हो सकती हो के बारे में सदस्य सरकार की आलोचना अपने अधिकारों के अंतर्गत ही कार्य कर रहे होंगे।

यदि आप कोई संकल्प लाते हैं और सरकार की आलोचना करना चाहते हैं तो आप संकल्प पर चर्चा करते समय सरकार की आलोचना कर सकते हैं। यदि इस तरह का नोटिस तत्काल स्वीकृत नहीं किया जा सकता

है और उस पर चर्चा नहीं हो सकती है तो इससे विलम्ब हो सकता है, उस स्थिति में स्थगन प्रस्ताव लिया जाएगा अन्यथा नहीं।

यह मामला जिस भावना से इस सभा के समक्ष लाया गया है वह मुझे मालूम है। मैं उस भावना का सम्मान करता हूं और मैं समझता हूं कि इस मामले के पीछे जो भावना है सदस्यगण भी उसका सम्मान करेंगे, फिर भी इस पर स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे खेद है।...... **(व्यवधान)** .....

अध्यक्ष महोदय : यही बात अन्य सभी स्थगन प्रस्तावों पर लागू होती है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मूल्य वृद्धि के बारे में हमारा स्थगन प्रस्ताव ..... **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : हमारा स्थगन प्रस्ताव इतना महत्वपूर्ण है कि मूल्य वृद्धि ..... **(व्यवधान)**.....

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं और आप हमें उस अवसर से वंचित कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : अब मूल्य वृद्धि अत्यधिक तात्कालिक मुद्दा है। इस पर स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि इस सत्र के दौरान मुझे जो भी प्रस्ताव दिए गए हैं वे सभी महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित है। मुझे दिए गए अधिकांश प्रस्तावों पर चर्चा करने मे बहुत प्रसन्नता होगी। यदि आप उन पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप मूल्य वृद्धि के बारे में दिए गए प्रस्ताव पर भी चर्चा कर सकते हैं ऐसी बात तो नहीं है कि यदि आज आप इस पर चर्चा नही करेंगे तो कल कीमतें बढ़ जायेंगी। जो इस पर लागू होता है वही उस पर भी लागू होता है। कृपया हमें यह बात समझनी चाहिए कि स्थगन प्रस्ताव उस समय स्वीकार किए हैं जब बहुत बड़ी-बड़ी आपदाएं या युद्ध की स्थिति की या अपवादस्वरूप स्थितियां थी।

.....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, कृपया ऐसी व्यवस्था मत दीजिए जिससे भविष्य में कोइ कामरोको प्रस्ताव आ ही न सके।.. ..**(व्यवधान)** ...... अध्यक्ष महोदय, हम आपकी व्यवस्था से बहुत दुखी हैं हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं, इसलिए सदन से बाहर जा रहे हैं।

1.09 म.प.

(तत्पश्चात श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन से बहिंगमन किया।)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कृपया अपने विनिर्णय के बाद हमें यह कहने की अनुमति दीजिए कि यह इतना तात्कालिक है कि इसे पहले लिया जाना चाहिए था। मूल्य स्थिति की तात्कालिकता ऐसी है कि इसे पहले लिया जाना चाहिए था और हर हाल मैं आज से पहले लिया जाना चाहिए था। इस स्थगन प्रस्ताव की तात्कालिकता इस तरह की है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मंहगाई के बारे में ऐडजर्नमेंट मोशन लेना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे। यह स्वीकृत नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, मंहगाई की बाबत यह मामला बहुत अरजैंट है। डालर के मुकाबले रुपये का अवमूल्यन हो रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए मंहगाई के बारे मे ऐडजर्नमेंट मोशन को पहले लेना चाहिए।.... **(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे यह स्वीकृत नहीं किया गया है।

....**(व्यवधान)**....

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : कृपया हमें अपने मामले में तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति दीजिए। .....**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : लोक महत्व, तात्कालिकता इत्यादि के बारे में हमें तर्क प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि आप उनके बारे में पहले ही संकेत दे चुके हैं। हमारा साधारण सा प्रश्न यह है कि यह इतना तात्कालिक है कि इसे कल लिया जाना चाहिए था आज नहीं क्योंकि पूरा देश त्रस्त है यदि इस प्रवृति को रोका नहीं जाता तो पूरे देश को झटका लगेगा। बेशक आसमान नहीं गिरेगा, केवल सरकार गिरेगी और हम प्रसन्न होंगे।

अध्यक्ष महोदय : जब आसमान गिरेगा तो हम स्थगन प्रस्ताव ले लेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : लेकिन हमारा प्रश्न यह है। उन्होंने आज भी एक प्रश्न के उत्तर में एक वक्तव्य दिया हैं कि आपूर्ति की स्थिति के कारण कीमतें बढ़ रही है। जिसमें उन्होंने दावा किया है.....**(व्यवधान)**..

अध्यक्ष महोदय : जी, हां आपका प्रश्न बहुत अच्छा है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : कृषि मंत्रीजी यहां पर हैं। वह हर बार खाद्यान्नों के उत्पादन का 189 से 191 मिलियन टन तक संशोधित कर रहे हैं। वक्तव्य के अनुसार आपूर्ति बढ़ी है फिर भी कीमतें बढ़ रही हैं। चीनी के बारे में वक्तव्य दिया गया है कि चीनी का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है, हम चीनी का निर्यात कर रहे हैं फिर भी कीमतें बढ़ रही हैं। यह तात्कालिक है क्योंकि जब तक सरकार पर नीतियां बदलने के लिए,दबाव नहीं डाला जाता है तो देश के समाप्त होते समय नहीं लगेगा। बेशक हम सरकार को उड़ाना करना चाहते हैं लेकिन देश को नहीं। अतः हम

चाहते हैं कि यह स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए।... (व्यवधान)...

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, सरकार और सत्ताधारी दल की ओर से कोई तुरंत अनुक्रिया नहीं हुई थी। इस तरह के मुद्दे पर जिससे देश में हर कोई प्रभावित है, कोई अनुक्रिया प्रकट नहीं की गई है। .... (व्यवधान) के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इस मूल्यवृद्धि से प्रभावित न हुआ हो....(व्यवधान)....

श्री निर्मल कांति चटर्जी : उनके पास कोई जवाब नहीं है.... (व्यवधान) ..... 184 की मांग किए बगैर आप ऐसा मत कीजिए... (व्यवधान)...

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इससे सहमत क्यों नहीं हैं? सरकार का स्थगन प्रस्ताव के बारे में कोई उत्तर नहीं है। आपको कुछ करना चाहिए।. ... (व्यवधान).... सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया है।..... (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : सरकार उत्तर दे रही है। सरकार इस समय उत्तर दे रही है। कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): महोदय, आपके अभी–अभी जो विनिर्णय दिया उसके अनुसार यह मामला निसंदेह रूप से एक महत्वपूर्ण मामला है, निसंदेह यह लोक महत्व का ... (व्यवधान)...

श्री वसुदेव आचार्य : यह तत्काल है।..... (व्यवधान)...

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम इस पर किसी भी अन्य रूप में चर्चा करने के इच्छुक हैं लेकिन यह स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं है।..... (व्यवधान).....

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह स्वीकार करने योग्य क्यों नहीं है?

श्री वसुदेव आचार्य : हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं।... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको इस पर तत्काल सहमत हो जाना चाहिए। हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। उन्हें चर्चा करने की बात स्वीकार करनी चाहिए।.... (व्यवधान)....

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह स्थगन प्रस्ताव के योग्य नहीं है।.... (व्यवधान)....

श्री निर्मल कांति चटर्जी : चर्चा का तरीका क्या है?... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, अगर जम्मू कश्मीर पर इफैक्ट नहीं कर रहा है तो यह प्राईस राईज पर इफैक्ट कर रहा है.

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें उन सब लोगों से सहानुभूति है जो मुद्रास्फीति के कारण परेशान हैं।

...(व्यवधान)...

श्री निर्मल कांति चटर्जी : वे परेशान हैं। .... (व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए। मैं आपके दृष्टिकोण को अच्छी तरह से समझ सकता हूं और मैं आप में से ही एक हूं। हमें यह निर्णय करना चाहिए कि इस पर चर्चा कैसे की जाए। यदि आप इस पर एक या दो दिन के भीतर चर्चा करना चाहते हैं तो यह संभव होगा।

...(व्यवधान)....

श्री वसुदेव आचार्य : आज हम इस सरकार की निन्दा करना चाहते हैं क्योंकि सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं। यह तात्कालिक है।

अध्यक्ष महोदय : जो आप चाहते थे वह आपको मिल गया है। कृपया अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)...

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आप स्थगन प्रस्ताव क्यों स्वीकृत नहीं करते हैं?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, जब संसदीय कार्य मंत्री ने स्वीकार कर लिया है कि यह महत्वपूर्ण विषय है तब इसके बाद भी एडजर्नमेंट मोशन न लेने का क्या औचित्य है?

अध्यक्ष महोदय : एडजर्नमेंट उचित है या नहीं, मैंने सब पढ़कर सुनाया है।

[अनुवाद]

मैं इसे कितनी बार दोहराऊं?

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : सरकार ने कीमतें नीचे लाने का वायदा किया था, पिछले पांच वर्षों में कीमतों में वृद्धि एक अंक में नहीं अपितु तीन अंकों में हुई है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। देश इतनी मंहगाई और बर्दास्त नहीं कर सकता है। महोदय, अतः हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं और मांग करते हैं कि इस चर्चा को अन्य कार्यों से प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कृपया अपना विनिर्णय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। मैंने आपका दिया हुआ स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। मैं इस मुद्दे पर जब आप चाहें तब चर्चा करवाने की अनुमति देने के लिए तैयार हूं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : नियम 184 के अंतर्गत। (व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : कीमतें बढ़ रही हैं ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह का निर्णय नहीं ले सकता हूं। मैं चर्चा की व्यवस्था करूंगा। मैं सभी नेताओं के साथ चर्चा करूंगा कि चर्चा कैसे की जाए।

[हिन्दी]

श्री शरद दिघे (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि इस विषय

पर आप हम लोगों को सुन लीजिये। आप एडजर्नमेंट मोशन आज एडमिट नहीं कर रहें है, लेकिन हमें सुनने के बाद कोई फैसला कीजिए। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : तो आप कल के लिए हमारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे वादा नहीं कर सकता। आप मुझसे वादा नहीं ले सकते।

श्री पी. जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, मैं श्रीलंका की सशस्त्र सेनाओं द्वारा शुरू किए गए एक महीने के हमले के बाद श्रीलंका के जाफना क्षेत्र में चल रही विस्फोटक स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। लगभग 10 लाख असैनिक नागरिकों को उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया है और उनमें से अधिकांश ने जंगलों में शरण ले रखी है और वे बिना भोजन और सहारे के रह रहे हैं। अनेक नागरिक मारे गये हैं यह हाल के वर्षों में देखी गई सबसे दुखद घटना है। श्रीलंका सरकार ने आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर ये सभी समस्यायें खड़ी करने के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रास को नागरिकों को सहायता प्रदान करने की अनुमति नहीं दी। श्रीलंका के दृष्टिकोण के समान कुछ और अमानवीय और बर्बरता नहीं हो सकती। श्रीलंका सरकार ने रेड क्रास को बताया है कि सहायता सामग्री उनके जरिए पहुंचाई जाये अन्यथा उसे न भेजे। इस महान दुखद मानवीय दुर्घटना जो हमारी सीमा से केवल 20 मील की दूरी पर घटित हो रही है, के प्रति भारत सरकार का दृष्टिकोण चकित करने वाला है।

मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री और श्रीलंका की प्रधान मंत्री श्रीमती चंद्रिका कुमारतुंगा की एक घंटे बातचीत हुई थी जब हाल ही में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भाग लिया था। हर कोई जानता है कि जाफना में वर्तमान हमला उनकी उच्च स्तरीय बैठक के बाद शुरू किया गया था। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने हाल ही में सिंगापुर में और कई बार कोलम्बो में कहा है कि भारत जाफना में सैनिक कार्यवाही का पूरा समर्थन कर रहा है। भारत ने जिस गति से कोलम्बो में तेल कुएं की आग बुझाने के लिए अपने कर्मचारियों को वहां भेजा, यह स्पष्ट करता है भारत हमले का समर्थन कर रहा है। सरकार ने इन गतिविधियों में से किसी पर भी अब तक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है और चुपचाप जाफना में हमले का समर्थन कर रहा है। तमिलनाडु के अधिकांश लोग यही महसूस करते हैं।

मैं तमिलों के मुद्दे पर श्रीलंका को भारत सरकार के समर्थन करने के दृष्टिकोण की तीव्र आलोचना करता हूं। तमिलनाडु के लोग इस खुले समर्थन से पहले ही उद्वेलित हैं। तमिलनाडु के लोगों ने श्रीलंका की सरकार की आलोचना के लिए 30 नवम्बर को तमिलनाडु में बंद का आयोजन किया था। भारत सरकार को अपनी नीति तुरंत वापस लेनी चाहिए और श्रीलंका सरकार को युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए और द्वीप के अल्पसंख्यक समुदाय को क्रियात्मक स्वायतता देनी चाहिए। यदि भारत सरकार श्रीलंका की सरकार को आर्शीवाद देने की अपनी वर्तमान नीति का ही अनुसरण करती रहती है तो तमिलनाडु में इसके भंयकर परिणाम सामने आयेंगे।

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : अध्यक्ष महोदय, हमने अभी सभा में अन्ना डी. एम. के पार्टी के नेता से जो बहुत गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य सुना, उसका बहुत खेद है। हर कोई यह जानता है कि श्रीलंका की सेना द्वारा जाफना क्षेत्र में वर्तमान हमले से संबंधित मुद्दों का लक्ष्य असैनिक जनसंख्या को हो रही कठिनाइयां नहीं है या यह उनकी समस्याओं तक सीमित नहीं है। हम श्रीलंका में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां हिंसक ठगों का एक समूह अन्य बातों के अलावा राजीव गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार है.... (व्यवधान)

श्री पी. जी. नारायणन : हम लिट्टे या प्रभाकरण का समर्थन नहीं कर रहे हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर : मैं इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि इसमें कई उलझनें हैं। अन्ना डी. एम. के पार्टी के नेता के लिए यहां यह बहाना बनाना संभव नहीं होगा कि केवल प्रांसगिक पहलू यही है कि जाफना में असैनिक जनसंख्या को कठिनाइयां हो रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि लिट्टे जो श्री राजीव गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार था और जो पिछले पांच वर्षों से सुश्री जयललिता की हत्या करने का प्रयास कर रहा है, एक ऐसी ताकत है जिससे श्रीलंका की सेना के खिलाफ न केवल सशस्त्र कार्यवाही का सहारा लिया है अपितु घृणित से घृणित प्रकार की आतंकवाद की गतिविधियों का भी सहारा लिया है। ऐसी परिस्थिति में हमें सामने आये मुद्दों की समग्रता पर चर्चा करनी चाहिए जिसमें जाफना की असैनिक जनसंख्या के साथ जो कुछ हो रहा है, उस का प्रश्न भी सम्मिलित है। लेकिन इसे इस तरह से उठाना कि भारत सरकार की आलोचना हो, श्रीलंका के अधिकारियों द्वारा जिस तरह की कार्यवाही की जा रही है, उसके बारे में राजनीतिक पैकेज के अन्य तत्वों जो कि मुद्दे से सम्बद्ध है का जिक्र किए बिना गैर जिम्मेदारी का वक्तव्य देना, लिट्टे या प्रभाकरण या भारतीय नागरिकों और भारतीय नेताओं की हत्या की आलोचना में कोई शब्द कहे बिना वक्तव्य देना, इस प्रकार की गैर जिम्मेदारी की बात है जिससे हमें पूर्णरूप से अस्वीकार करते हैं। यदि अन्ना डी. एम. के की पार्टी का प्रतिनिधि इस सभा में श्रीलंका की सेना के प्रश्न पर बहस कराना चाहता है तो मुझे विश्वास है कि सभा में पीछे बैठने वाले सदस्य और आगे की पंक्ति में बैठने वाले सदस्य भी निश्चित रूप से सभी को ऐसे सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करने का मौका मिलेगा, लेकिन एक सिमित पक्षपात पूर्ण राजनीतिक मुद्दे के लिए इसे इस ढंग से उठाना जबकि वास्तव में कठिनाइयां बरकरार है, और जब कि और अधिक बड़े मुद्दे दांव पर लगे हैं, उत्तरदायित्वहीनता की पराकाष्ठा है।

महोदय, विदेशी मामले केन्द्र का विषय है और चूंकि यह केन्द्र का विषय है, इसलिए यह अनिवार्य है कि तमिलनाडु सरकार ऐसे मुद्दे पर जिसका संबंध न केवल तमिलनाडु अपितु समग्र रूप से पूरे देश से है, भारत सरकार को विश्वास में ले। ऐसा करने के बजाए केवल पक्षपातपूर्ण राजनीतिक कारणों से वह सरकार जिसमें तमिलनाडु में पंचायत के चुनाव कराने के लिए लोगों के पास जाने के लिए भी आंतरिक साहस नहीं है, ने ऐसा वक्तव्य देने के लिए अपना प्रतिनिधि यहां भेजा है। मैं इसकी कटु आलोचना करता हूं।

श्री पी. जी. नारायणन : हमने पहले ही पंचायत चुनावों की घोषणा की थी लेकिन आप लोगों ने न्यायालय में जा कर उन्हें रूकवा दिया।

श्री मणिशंकर अय्यर : मैं कहता हूं कि यह इस तरह की राष्ट्र विरोधी उत्तरदायित्वहीनता है जिसकी समग्र रूप से सभा द्वारा आलोचना की जानी चाहिए।

श्री पी. जी. नारायणन : महोदय, हम केवल असैनिक जनसंख्या के बारे में चिंतित है। हम लिट्टे का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम प्रभाकरण का समर्थन भी नहीं कर रहे हैं, आम जनता भोजन, आश्रय और दवाई के अभाव के कारण मुसीबतें झेल रहे हैं। हमारी चिंता केवल असैनिक जनसंख्या के लिए है।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार में मुंगेर और खगेड़िया के बीच गंगा नदी बहती है उस पर पुल निर्माण के संबंध में केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब पंडित नेहरू 1952 में मुंगेर गए थे उस समय उन्होंने कहा था कि मुंगेर में गंगा पुल बनेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में जब चुनाव में वहां गई थीं तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि मुंगेर में गंगा का पुल बनेगा। राजीव गांधी जब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, उस समय बिहार में मुख्य मंत्री बाबू चन्द्रशेखर सिंह जी थे, वे भी गए थे उन्होंने भी कहा था कि गंगा पर पुल बनेगा। लेकिन अभी तक केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई भी प्रयास नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय, आपको भी मालूम होगा, कि इसी सवाल पर 1994 में मैं 25 अक्तूबर से 6 नवम्बर तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर था।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष और उस समय वाणिज्य मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी थे, उनसे एग्रीमेंट हुआ था कि योजना आयोग 1995-96 के बजट में मुंगेर में गंगा पुल निर्माण के लिए प्रावधान करेगा। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया था कि इस संबंध में रेलवे के साथ एग्रीमेंट हुआ है और जल, भूतल परिवहन मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय दोनों धन आवंटित करेंगे, लेकिन अभी तक इस पुल के निर्माण के संबंध में जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से वह अभी तक नहीं की गई हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस सवाल पर बयान दे कि योजना आयोग ने जो आश्वासन दिया है, जो एग्रीमेंट किया है, उसको वह कब तक पूरा करेगी। .....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जैसे आप मुद्दा उठाते हैं, उसी तरह दूसरे सदस्यों को भी कुछ कहने की अनुमति देनी दीजिए।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तूफान, बाढ़ और वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित है, इसलिए मैं इसे आपके ध्यान मे लाना चाहता हूं।.....(व्यवधान).....

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, कई बार मैंने यह कहा है कि सारे देश में रेलवे की सुविधाएं बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं, तो कम भी नहीं हुई हैं, लेकिन हमारे देश में उत्तर बिहार का एक ही मिथिलांचल इलाका ऐसा है जहां रेल की सुविधाएं घटी हैं। हमने देखा है कि पहले लोग दरभंगा, निर्मली से फोरबिसगंज जाते थे, लेकिन हमने बचपन से देखा है कि अब वह रेल मार्ग कट गया है। इसी प्रकार से छतीनी बगहा से होकर लोग मथुरा वृन्दावन तक आते थे, वह रेल मार्ग भी कटा हुआ है और समस्तीपुर से आगे बड़ी लाइन के बाद एक भी आदमी का सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी जिलों से रेल से पटना आना और मुजफ्फरपुर आना भी बंद हो गया है।

ऐसी स्थिति में बड़ी मेहनत के बाद तीन वर्षों से निर्माण हो रहा है। लगभग 100 फीसदी निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। 26 पुल पूरे हो गए हैं। जो मेरे पास पत्र रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री का है, उसके अनुसार 30 जून तक इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। बाद में क्या हुआ, मुझे पता नहीं, लेकिन बाद में उसे बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दिया गया। वह तिथि भी मेरे पास है, फिर बाद में उसे बढ़ाकर 30 नवम्बर रखा गया वह तिथि भी मेरे पास है। 15 नवम्बर से तो यह कह दिया गय कि छोटे आमान की रेल बंद की जा रही हैं इसलिए यात्री टिकिट न कटाएं, लेकिन इस सारे कार्य को एकाएक बंद कर दिया गया।

अब मेरा विश्वास है कि राजनैतिक कारणों से सत्ताधारी दल के कुछ लोग, केन्द्र में आकर के करोड़ों लोगों को परेशान कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड को उन्होंने गफलत में कर दिया है और मुझे समूची आशंका है कि अपने क्षुद्र राजनीति स्वार्थ के लिए रेलवे का, जनता का और रेलवे बोर्ड का सर्वनाश कर रहे हैं और यह चाह रहे हैं कि किसी तरह अगले लोक सभा चुनाव तक यह पथ पूरा होकर चालू नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय, 1934 का भूकंप मैंने देखा है, वह भी शायद इतना भयंकर नहीं था, सारा काम आठ रेलवे स्टेशनों का पूरा हो गया है और वहां पर सामान पड़ा है। पटरी चोरी का खतरा है। हमारे मित्र देवेन्द्र प्रसाद यादव जी यहां मौजूद हैं, ये मेरी इस बात का समर्थन करेंगे वहां पर कल तीन चोरों को गिरफ्तार किया गया था। हम लोगों ने इसका जिम्मा लिया है कि वहां से कोई सामान चोरी न हो। इसलिए हमें मजबूरन प्रधानमंत्री को यह लिखना पड़ा कि अगर आप निश्चित नहीं करेंगे कि किस तारीख से आमान परिवर्तन होगा, दूसरे एप्रोन कंट्रोल स्टाप कब करेंगे और इसको पूरा करने का जो दिन और लक्ष्य निर्धारित था और जो टलता गया है, वह दिन तय नहीं करेंगे, तो मैं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने के लिए परसों यानी 30 नवंबर से मजूबर हो जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, मैं कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी, इस समय रेल मंत्री भी हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि वे कहे कि वे कब ये काम करेंगे, नहीं तो जो स्थिति इलाके में हो गई है और कहीं इलाके में आग न लगे, इसलिए मुझे मजबूरन अपनी जान पर खेलना पड़ेगा।.......(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष जी, यह मेरी

कांस्टीट्यूएंसी का मामला है। इसलिए मुझे बोलने का समय दिया जाए। (व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें भी बोलने का समय दिया जाए। . ... (व्यवधान)

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : मैं आपके जरिए यह विचार रखना चाहता हूं कि बिहार में रेल लाइन का जो विकास चाहिए, उसमें केन्द्र शासन के द्वारा बिहार की निरंतर उपेक्षा की जा रही है। 5 हजार किलोमीटर गेज कन्वर्शन का काम पूरे देश में चल रहा है, लेकिन आबादी के ख्याल से दूसरे नम्बर पर रहने वाले बिहार राज्य में, जो पिछड़े राज्य में आता है, केवल 37 किलोमीटर में अभी गेज कन्वर्शन का काम चल रहा है। उसे भी 30 जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर बढ़ाकर 30 नवम्बर तक रखा गया है और उसी बीच जब हम प्रयास करते रहे तो तत्कालीन रेल मंत्री ने हमको आश्वास्त किया था कि 30 नवम्बर तक... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इनको मैसेज छोड़िये, दूसरे लोग भी बोलना चाहते हैं। आप कह दें कि यह होना चाहिए।

श्री नवल किशोर राय : 30 नवम्बर तक समस्तीपुर से दरभंगा बड़ी रेल लाइन का उद्घाटन करना और 30 नवम्बर तक ही दरभंगा से रक्सौल वाया सीतामढ़ी का शिलान्याय करने का आश्वासन दिया था लेकिन अब गो–स्लो चला दिया है। इससे जनता आंदोलित है। हमने गिरफ्तारी भी दी थी। पूरा मिथिलांचल बंद रहा है। हम आपके जरिए अनुरोध करते हैं कि जो धनराशि बाकी है उसे तुरंत यहां से भेजा जाए और उस काम को समय सीमा में पूरा कराने की कृपा की जाए।

अध्यक्ष महोदय : बस हो गया। क्या है ये सब?

.....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : मेरे बाद देवेन्द्र जी को मौका दिया जाए। यह हमारे इलाके का मामला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे इस तरह निदेश नहीं दे सकते। मैंने आपको अनुमति दी और आप कहते हैं कि आप उन्हें बोलने की अनुमति दें।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : यह मेरी कांस्टीट्यूएंसी का मामला है। आज हिन्दुस्तान में यदि किसी एक इलाके को गरीब पायेंगे तो हमारे इलाके को नंबर वन पर पायेंगे। जिले का हैडक्वार्टर होने के बावजूद, कमिशनरी का हैडक्वार्टर होने के बावजूद उस इलाके पर कभी भी निगाह नहीं डाली गई। पहली बार उस इलाके में मात्र 35 किलोमीटर बड़ी लाइन के कन्वर्शन का काम किया गया। एक नहीं कम से कम चार मर्तबा तारीख दी गई, लेकिन अभी तक इस काम को मुकम्मल नहीं किया गया। इस सिलसिले में हम प्रधानमंत्री से भी मिले थे। हमारे साथ देवेन्द्र जी और दूसरे राज्य सभा के मेम्बर थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि तीन दिन के अंदर हम आपको जवाब दे देंगे और काम नहीं रुकेगा। पासवान जी और हम रेल मंत्री जी से मिले। उन्होंने भी कहा कि 15 जनवरी तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा और 15 तारीख को इसका उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन अभी तक इसकी सरकारी पुष्टि नहीं हो सकी है। पूरे इलाके में आग लगी हुई है। हजारों लोगों ने गिरफ्तारी दी। पूरे इलाके का काम लगातार 10 दिन से ठप्प है। यह इस तरह का मामला है जिसमें सरकार का ध्यान आना जरूरी है, अन्यथा वहां पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, वह जारी रहेगा और इससे प्रदेश और देश का नुकसान ही होगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : नेपाल–भारत सीमावर्ती इलाके में जो मिथिलांचल और सीमांचल इलाका है, वहां मात्र 35 किलोमीटर बड़ी रेल लाइन बननी हैं उसमें छोटी रेल लाइन समस्तीपुर से दरभंगा को बड़ी रेल लाइन में बदलने का 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो गया है। लेकिन क्या कारण है। इसके बारे में प्रधान मंत्री जी को भी हमने ज्ञापन दिया है। इसमें एक बड़े कैबिनेट मिनिस्टर का हाथ है। मैं आपकी अनुमति से स्पष्ट चार्ज लगाता हूं। केन्द्र सरकार के एक मंत्री के इशारे पर कार्य को ठप्प कर दिया गया है और गो–स्लों की पद्धति अपनाई गई है। पूरे सीमांचल में राजनैतिक लाभ उठाने के लिए इतने बड़े निर्माण कार्य को रोका जा रहा है, बाधित किया जा रहा है। बिहार की उपेक्षा तो हो ही रही है, साथ–साथ उत्तर बिहार में सामरिक दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी छोटी लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करना जरूरी है। इसके लिए तिथि निर्धारित है कि 30 दिसम्बर को काम पूरा करना है।

अध्यक्ष महोदय : अब हो गया

....(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इसमें सरकार सकारात्मक पहल करे। इस पर सरकार की प्रतिक्रिया आनी चाहिए।... (व्यवधान) यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है पूरे उत्तर बिहार की घोर उपेक्षा हो रही है। अभी तीन जल विद्युत परियोजनाएं बिहार की हैं, जिनको भारत सरकार की असिसटेंस नहीं मिल रही है और इस रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन से बदलने का काम वर्षो से ..... (व्यवधान) सारे निर्माण के कार्य पूरे हो गये हैं, तो क्यों अधूरा छोड़ा गया है.... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगे सभा के सम्मुख रखी जाने वाली हैं। उन्हें उचित समय पर लाया जायेगा जब इस मामले पर चर्चा की जा सकती है.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से माननीय सदस्यों ने तर्कसंगत बात कही है। कृपया सूचना प्राप्त कीजिए यदि यह पूरी कर ली जाती है या अन्यथा सदस्यों को इसके बारे में बताएं।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ में आपके और पूरी सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं कि प्रश्न काल के दौरान, तारांकित प्रश्न संख्या 23 का उत्तर देते वक्त... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री पात्र का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : मेरे राज्य की उपेक्षा की गई है। यद्यपि मेरे राज्य को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। फसलों और मकानों को क्षति पहुंची है, पान की बेलें ढह गई, लोग एक तरह से चूर–चूर हो गये हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, ऐसी स्थिति को सरकार के ध्यान में नहीं लाया जा सका। महोदय, आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि इस महीने उदावरूंगो नदी में भारी बाढ़ के कारण जबकि फसलें लगभग कटने वाली थीं और फार्म हाउस में ले जानी थी, फसलों और भूमि के विशाल भू–भाग में गाद पड़ गई और अनेक मकान क्षतिग्रस्त हो गये। गंजाम से बालासौर तक 1400 कि.मी. लम्बा तटवर्ती क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए डेढ़ घंटे का समय दिया गया है। इससे अधिक क्या किया जा सकता है। अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

[अनुवाद]

01.37 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा इत्यादि।

गृहमंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

1. (एक) उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी 18 अक्तूबर, 1995 की उद्घोषणा, जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत 18 अक्तूबर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 685 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

   (दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा 18 अक्तूबर, 1995 को दिये गये आदेश, जो 18 अक्तूबर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 686(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

   [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 8154/95]

2. राष्ट्रपति को प्रेषित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को 17 अक्तूबर, 1995 की रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

   [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 8155/95]

उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियम, 1955

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, मैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 31 की उपधारा (1) के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियम, 1995 जो 30 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 605(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल. टी. 8156/95]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जी. वेंकटस्वामी मद संख्या 4 सभा पटल पर रखें।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप कौन सा प्रश्न उठाना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, इसमें यह जो स्टेटमेंट यहां करना चाहते हैं, उसका मैं रूलनंबर 71(2) के आधार पर विरोध करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, यह जो दो आर्डिनेसेंज हैं....

[अनुवाद]

मैं नियम 71 का दूसरा भाग पढ़ रहा हूं।

"जब कभी कोई ऐसा अध्यादेश जिसमें सभा के सामने लंबित किसी विधेयक के उपबंध का पूर्णतः या अशंतः या रूपभेद समाविष्ट हों....

ये दो विधेयक संसद में लंबित हैं।

"पुरस्थापित किया जाए तो उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण, जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरंत विधान बनाना आवश्यक हो गया था, अध्यादेश को प्रख्यापित करने के बाद के सत्र के प्रारंभ में पटल पर रख दिया जायेगा।"

इसके पश्चात् महोदय, मैं आपका ध्यान श्री कौल और शकधर की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 552 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह अध्यादेश के स्थान पर विधेयक लाने के संबंध में है। इसमें कहा गया है:

"राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों में रखना आवश्यक होता है। आम तौर पर, अध्यादेश, प्रख्यापन के पश्चात् सभा की पहली बैठक में जिस दिन औपचारिक कार्य निपटाया जाता है, रखे जाते हैं....

महोदय, इसके बाद का वाक्य महत्वपूर्ण है।

".... संशोधनों सहित या संशोधनों के बगैर सभा में लंबित किसी विधेयक के उपबंधों वाले अध्यादेश के मामले में, अध्यादेश के साथ उसके प्रख्यापन के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण भी सभा पटल पर रखा जाता है और उसकी प्रतियां सदस्यों को परिचालित की जाती है।"

अतः महोदय, इस विवरण को अध्यादेश के साथ सभा पटल पर नहीं रखा जा रहा है। मैं जानता हूं कि पांच अध्यादेश बाद के मंत्रियों के नाम पर रखे गये हैं।

[हिन्दी]

मुझे यह कहना है कि यहां हमेशा से इस प्रकार की पद्धति चल रही है कि

[अनुवाद]

इसे अध्यादेश के साथ नहीं रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

जब यहां मंत्री हैं और वह स्टेटमेंट रख रहे हैं, उनका मंत्रिमंडल है तो उसी मिनिस्टर को सामने रखना चाहिए, उसके बदले संसदीय कार्य मंत्री रख रहे हैं। इसलिए हमेशा के लिए रूलिंग आनी चाहिए।

[अनुवाद]

इसका क्या तात्पर्य है? 'इसके साथ' से तात्पर्य है इसके साथ। यह इसके साथ नहीं रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

क्योंकि बीच में कई आइटम्स अलग–अलग हुई हैं। उसके बाद आर्डिनेंस आ रहे हैं। दूसरा गंभीर पहलू यह है कि यह पेंशन योजना वाला आर्डिनेंस इश्यू कर दिया, उसका नोटिफिकेशन यूनियन वालों को दे दिया, लेकिन संसद के सदस्यों को नहीं दिया है।

[अनुवाद]

अध्यादेश के साथ–साथ जो भी अधिसूचना जारी की गई है, वह हमें भी मिलनी चाहिए।

[हिन्दी]

सारी दुनिया जानती है, लेकिन ....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : 'अधिसूचना' का तात्पर्य है पूरे देश को नोटिस देना।

श्री राम नाईक : नियम कहते हैं कि जब भी इस प्रकार का कोई विधेयक या अध्यादेश जारी किया जाता है, तब सदस्यों को अधिसूचना भी जारी की जानी चाहिए।

श्री राम कापसे (ठाणे) : इसे आज भी परिचालित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : यह सर्कुलेट उन्होंने नहीं किया है इन तीन बातों को देखते हुए

[अनुवाद]

वे संसद का अपमान कर रहे हैं। वे नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और इसके मद्देनजर मैं इन दो विवरणों को रखने का विरोध करता हूं। उन्हें अध्यादेश के साथ रखा जाना चाहिये और वह अध्यादेश संसदीय कार्य मंत्री द्वारा नहीं बल्कि संबंधित मंत्री द्वारा रखा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : सरकार को इस पर क्या कहना है?

श्री राम कापसे : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न पर नोटिस दिया है और मुझे अलग बात कहनी है। प्रश्न यह है कि इस विधेयक को 29 मार्च, 1993 को राज्य सभा में पेश किया गया था। उसके पश्चात् इसे इस वर्ष फरवरी में स्थायी समिति में भेजा गया था। स्थायी समिति ने आज तक भी अपनी रिपोर्ट संसद में पेश नहीं की है। इसी बीच, 17 अक्तूबर, 1995 को उन्होंने एक अध्यादेश जारी कर दिया। उन्होंने इंतजार नहीं किया। 16 नवम्बर, 1995 को उन्होंने उस योजना को कार्यान्वयन आरंभ कर दिया और इस मामले का संबंध एक करोड़ और अस्सी लाख मजदूरों से है और उनमें से अधिकांश इस अध्यादेश और योजना का विरोध कर रहे हैं। उन्हें यह विकल्प नहीं दिया गया है कि वे पेंशन चाहते हैं या भविष्य निधि। सारे देश में इसका विरोध हो रहा है। यहां तक कि उसके पश्चात् भी योजना को लागू करना शुरू कर दिया है। अब मंत्री महोदय, श्री वेंकट स्वामी एक जन सभा में कहते है, " मैं इस अध्यादेश को वापिस लूंगा।" ऐसी स्थिति में, वह आज यहां अध्यादेश रख रहे हैं। अतः, मुझे दोनों मद संख्याओं 4 तथा 10 पर आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : सरकार का क्या कहना है?

हमें बात स्पष्ट करनी चाहिए। मैं इसे सरल रूप में बताऊंगा। सभा में विधेयक लंबित थे। जब सभा में विधेयक लंबित थे, उस समय आपने अध्यादेश जारी कर दिये। श्री नाईक के अनुसार अध्यादेश की प्रति के साथ जिन परिस्थितियों के अंतर्गत इसे लाया गया इसका स्पष्टीकरण भी सभा पटल पर रखा जाना चाहिए ऐसा नहीं किया गया है।

इन पर आपको क्या कहना है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : हम अध्यादेशों के साथ–साथ कारण बताने वाला विवरण उसी दिन रख रहे हैं।

जहां तक विधेयक के लंबित होने का प्रश्न है, सरकार का यह विचार था कि विभिन्न केन्द्रीय व्यापार यूनियन संगठनों के साथ चर्चा करने के पश्चात्.....

श्री राम कापसे : यहां, यह स्थायी समिति का महत्व कम करने का प्रयास कर रहे हैं। समस्या यही है।

अध्यक्ष महोदय : वह एक अलग मुद्दा है और एक अलग प्रश्न है।

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, आमतौर पर मजदूर संघों ने सरकार के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने सरकार के प्रस्तावों का समर्थन किया था। बाद में यह भी महसूस किया गया था कि विधेयक को पारित करने के लिए दिया गया समय उचित है और लंबित विधेयक वहां काफी लंबे समय से हैं और इसी दौरान अनेक कर्मचारी सेवानिवृत हो गये हैं... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वे आपके द्वारा अध्यादेश जारी करने का विरोध नहीं कर रहे हैं। वे इस बात का स्पष्टीकरण सभा में न करने के लिए आपत्ति कर रहे हैं कि ऐसा करना आवश्यक क्यों था।

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, इन्हीं कारणों की वजह से हम इसे सभा में आज रखना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मैं जानता हूं कि अध्यादेश सत्र के पहले दिन सभा में रखे जाने चाहिये। कल हम काम नहीं कर सके थे। आज, अध्यादेश तो रखे गये हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अतः,

आप कृपया कल स्पष्टीकरण के साथ सभा में आइये।

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, इसीलिए हम आपकी अनुमति मांग रहे हैं (व्यवधान)

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): महोदय, नियम 66 के अंतर्गत अध्यादेश के साथ इस वक्तव्य को रखा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप कहते हैं कि आपने वक्तव्य रख दिया है, तो मैं आपको अनुमति दे दूंगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : वक्तव्य रखा जा रहा है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : आप यह स्पष्ट कीजिये कि यह विवरण अध्यादेशों के लिए है अथवा विधेयकों के लिए।

अध्यक्ष महोदय : अगर आवश्यक कार्य पहले ही किया जा चुका है, तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, यह विवरण है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने विवरण पढ़ा नहीं हैं वह कह रहे थे कि संसद में विधेयक लंबित है और अब आपने अध्यादेश जारी कर दिया है। अध्यादेश तभी जारी किया जाना चाहिये जब विधेयक लंबित नहीं हो। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया है, तो फिर ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी। ऐसा क्यों किया गया था? इसका स्पष्टीकरण विवरण में किया जाना चाहिए। अगर इसका स्पष्टीकरण आपने विवरण में कर दिया है, तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मुकुल वासनिक : हमने ऐसा कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि यह क्या है। मान लीजिये के जिस चीज की मांग वह कर रहे हैं, वह वहां मौजूद है और अगर आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो फिर मैं आपको इसे सभा में रखने की अनुमति दूंगा।

श्री मुकुल वासनिक : वह वहां उपलब्ध है।

श्री राम नाईक : मेरा मुद्दा यह है कि क्या इन्हें अन्य अध्यादेशों के साथ रखा जाएगा। इसका अर्थ है कि पहले अध्यादेश रखे जाने चाहिए उसके बाद वक्तव्य होना चाहिए। यह बिलकुल उल्टा है। पहले अंडा है या मुर्गी?

पहले अध्यादेश रखे जाने चाहिए तब उसके कारणों की व्यवस्था करते हुए वक्तव्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कम से कम यह एक के बाद एक प्रस्तुत किए जाने चाहिए। एक के बाद एक प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैं सहमत नहीं हूं विधेयक के लंबित रहने और अध्यादेश जारी करने के बाद यदि व्याख्या नहीं की गई है तो आप यह मुद्दा उठा सकते है। मुझे नहीं मालूम कि इस कड़ी को बदल क्यों दिया है।

श्री राम कापसे : माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे पास एक और मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उस पर अपना दिमाग लगाना है। मैं तत्काल उस मुद्दे पर व्यक्तिगत रूप से अपना निर्णय नहीं दूंगा अर्थात् जब स्थायी समिति के समक्ष मामला लंबित है तो क्या यह अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं अथवा नहीं। अन्यथा, आप जानते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर सकेगी।

श्री राम कापसे : मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप स्वयं समझिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा करूंगा।

[अनुवाद]

01.48 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण इत्यादि।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री जी. वेंकटस्वामी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश 1995 द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8157/95]

(2) भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 1995 द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8158/95]

[हिन्दी]

काउंसिल फॉर अडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलोजी, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा और इन पत्रों को रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : अध्यक्ष महोदय, में डा. जगन्नाथ मिश्र की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) काउंसिल फार अडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फार अडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलाज़ी, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8159/95]

[अनुवाद]

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री के. पी. सिंह देव की ओर से निम्नलिखित पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8160/95]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन स्कन्ध) संयुक्त निदेशक (इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग सेंटर) भर्ती नियम, 1995

रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री एम. राजशेखर मूर्ति की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन जल–भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन स्कन्ध) संयुक्त निदेशक (इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग सेंटर) भर्ती नियम, 1995, जो 24 जून, 1995 के भारत के राजस्व में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 302 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8161/95]

(2) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1995, जो 25 सितम्बर, 1995 के भारत के राजस्व में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 664 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल. टी. 8162/95]

राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड तथा भारतीय पेट्रो रसायन निगम लिमिटेड इत्यादि तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं, श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8163/95]

(2) भारतीय पेट्रो–रसायन निगम लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रो–रसायन विभाग के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8164/95]

(3) मद्रास उर्वरक लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8165/95]

(4) पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8166/95]

(5) राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8167/95]

(6) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एवं फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रो–रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8168/95]

(7) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रो–रसायन विभाग के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8169/95]

[हिन्दी]

बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत जारी अधिसूचना और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला पत्र

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 466 (अ), जो 31 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि 105 (अ) में

कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8170/95]

(3) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) बाट और माप मानक (पैक की हुई वस्तुएं) (तीसरा संशोधन) नियम, 1995, जो 27 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 521 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बाट और माप मानक (पैक की हुई वस्तुएं) (चौथा संशोधन) नियम, 1995, जो 13 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 547 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8171/95]

निक्षेपागार अध्यादेश, 1995 इत्यादि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रपति द्वारा 20 सितंबर, 1995 को प्रख्यापित निक्षेपागार अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 11)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8172/95]

(2) राष्ट्रपति द्वारा 11 अक्तूबर, 1995 को प्रख्यापित औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 12)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8173/95]

(3) राष्ट्रपति द्वारा 17 अक्तूबर, 1995 को प्रख्यापित कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 13)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8174/95]

(4) राष्ट्रपति द्वारा 3 नवंबर, 1995 को प्रख्यापित भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 14)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8175/95]

(5) राष्ट्रपति द्वारा 3 नवंबर, 1995 को प्रख्यापित भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 15)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8176/95]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि 827 (अ) जो 4 अक्तूबर, 1995 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 1 अक्तूबर, 1995 से 31 मार्च, 1996 (1995-96 का रबी मौसम) की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों वाणिज्य बोर्ड को उर्वरकों के स्वदेशी निर्माताओं द्वारा की जाने वाली उर्वरक की आपूर्ति दर्शायी गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8177/95]

(2) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 66 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (प्रेजीडेंट और वाइस प्रेजीडेंट का निर्वाचन) विनियम, 1995 जो 29 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12-2194 वीसीआई/17092 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8178/95]

पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : मैं पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8179/95]

ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा, भारतीय संग्रहालय कलकत्ता के वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं, कुमारी शैलजा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल. टी. 8180/95]

(3) (एक) भारतीय संग्रहालय कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय संग्रहालय कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8181/95]

(5) (एक) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट आफ हिस्ट्री आफ आर्ट, कन्जरवेशन एंड म्युजिओला जी, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट आफ हिस्ट्री आफ आर्ट, कन्जरवेशन एंड म्युजिओला जी, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल. टी. 8182/95]

(7) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल. टी. 8183/95]

(9) (एक) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल. टी. 8184/95]

[अनुवाद]

1.50 म.प.

विधेयकों पर अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं 26 अगस्त, 1995 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :

1. बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1995
2. जम्मू–कश्मीर विनियोग (संख्याक 2) विधेयक, 1995
3. विनियोग (संख्याक 3) विधेयक, 1995
4. विनियोग (संख्याक 4) विधेयक, 1995
5. संविधान (अठहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1995
6. संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 1995
7. वक्फ विधेयक, 1995

मैं, दसवीं लोक सभा के चौदहवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित, प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :

1. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक, 1995
2. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (संशोधन) विधेयक, 1995
3. कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1995
4. रूग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1995
5. राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1995

1.52 म.प.

संसदीय समितियां

कार्य का सारांश

महासचिव : महोदय, मैं 1 जून, 1994 से 31 मई, 1995 तक की अवधि से संबंधित "संसदीय समितियां (वित्तीय तथा स्थायी समितियों को छोड़कर) कार्य का सारांश" की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1.52½ म.प.

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से सूचना

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि 2 नवम्बर, 1995 को दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से एक सूचना प्राप्त हुई है जिसमें मुझे यह कारण बताने के लिए कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत सिविल रिट याचिका संख्या 1569/95 के संबंध में अन्य बातों के साथ–साथ प्रेस परिषद् अधिनियम की धारा के अधीन समिति के गठन को अधिकारातीत घोषित करने के लिए प्रारंभिक आदेश क्यों न जारी किया जाये।

सभा की सुस्थापित प्रथा और परंपरा के अनुसार मैंने निर्णय किया है कि इस सूचना का उत्तर न दिया जाए। विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री से अनुरोध किया गया है वह भारत के उच्चतम न्यायालय को सही संवैधानिक स्थिति और सभा की सुस्थापित परंपराओं के बारे में अवगत कराने के लिए ऐसी कार्यवाही करें, जो वह आवश्यक समझें।"

1.53 म.प.

सदस्य द्वारा स्थान रिक्त किया जाना

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा सदस्य श्रीमती शीला कौल के हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो जाने के परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 158 के खंड (1) के अंतर्गत लोक सभा में उनका स्थान 17 नवंबर, 1995 अर्थात् राज्यपाल के रूप में उनके पद ग्रहण की तारीख से रिक्त हो गया है।

1.53½ म.प.

कार्य मंत्रणा समिति

पचपनवां प्रतिवेदन

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): महोदय, मैं, कार्य मंत्रणा समिति का पचपनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

गृहकार्य संबंधी समिति

तेइसवां और चौबीसवां प्रतिवेदन

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : महोदय, मैं माध्यस्थम और सुलह विधेयक, 1995 तथा निर्वाचन आयोग (भारती की संचित निधि पर व्यय भारण) विधेयक, 1994 के संबंध में गृह कार्य संबंधी समिति के क्रमशः तेइसवें और चौबीसवें प्रतिवेदनों की एक एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री एस. बी. चव्हाण जम्मू और कश्मीर के बारे में एक वक्तव्य देंगे।

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

जम्मू-कश्मीर के बारे में

गृहमंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, पिछले लगभग एक महीने के दौरान जम्मू और कश्मीर से संबंधित घटनाक्रम विशेष रूप से दिसम्बर माह में राज्य विधान सभा के चुनाव कराने संबंधी सरकार के निर्णय, प्रधान मंत्री जी के 4 नवंबर के वक्तव्य, उसके बाद चुनाव आयोग के निर्णय और इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका, देश में व्यापक चर्चा के विषय बने रहे। अतः सरकार ने यह महसूस किया कि इन मामलों पर यथाशीघ्र उपलब्ध अवसर पर संसद में एक वक्तव्य देना समयोचित और उपयुक्त होगा।

माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि सीमा पार से इस राज्य में बड़े पैमाने पर चलाई जा रही हिंसक गतिविधियों और आतंकवाद, जिससे वहां सामान्य संवैधानिक और प्रशासनिक तंत्र बिगड़ गया, के परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर राज्य में पांच साल पहले 18 जुलाई 1990 को राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा था।

राज्य में चुनाव और अन्य संबंधित घटनाक्रम के बारे में पिछले कुछेक महीनों में हुई चर्चा तथा वर्तमान विचार–विमर्श से यह पता चलता है कि हमने तब से एक लम्बा सफर तय किया है और वहां समग्र माहौल में प्रत्यक्ष परिवर्तन और सुधार दिखायी पड़ता है।

सुरक्षा बलों द्वारा दृढ़ निश्चय से किए गए प्रयासों और स्थानीय कानून और व्यवस्था तंत्र की बढ़ती भागीदारी से हम तथाकथित "उग्रवाद" पर पर्याप्त रूप से नियंत्रण पाने में सफल हुए हैं, सीमा पार से समर्थित, उग्रवादी तत्वों द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसा बनाए रखने और स्थिति को अशांत बनाए रखने के हताशापूर्ण प्रयासों के बावजूद मैं यह पूरी जिम्मेबारी से कहता हूं। स्थानीय उग्रवादियों का एक बड़ा वर्ग पाकिस्तान के खेल को समझ गया है और उसके कहने पर अपने ही लोगों पर हिंसक कार्य करने की निरर्थकता को समझ गया है। केवल इस वर्ष में ही 500 उग्रवादियों ने अधिकारियों के समक्ष आत्म समर्पण किया है। स्थिति के इन पहलुओं से

यह तथ्य स्पष्ट होता है कि तथाकथित "विद्रोह" को सीधे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश में पाकिस्तान, राज्य में अपने और अन्य विदेशी नागरिकों की घुसपैठ कराने के कार्य का अधिक सहारा ले रहा है, क्योंकि स्थानीय उग्रवाद स्पष्ट रूप से कम हो गया है। आसान लक्ष्यों पर छिपकर हमले करना, व्यपहरण और अपहरण, बाजारों में लूट खसोट, निरूद्देश्य गोलीबारी करके मारो और भागों की घटनाएं, जो अभी भी हो रही हैं; आतंकवादियों जो सुरक्षा बलों के अत्यधिक दबाव में हैं और जिनकी पकड़ अब ढीली पड़ती जा रही है, के द्वारा ये कार्य हताशा में किए जा रहे हैं।

लोगों के दृष्टिकोण में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया है और उनका उग्रवादियों की गतिविधियों से मोह भंग हुआ है। उनका मनोबल ऊंचा है और वे उग्रवादियों का मुकाबला करने में अधिक निर्भीकता दिखा रहे हैं।

इसलिए, जहां हम अभी भी जारी हिंसा को कम करके नहीं आंकते हैं, वहीं पूरी परिस्थिति यह पता चलता है कि सभी शांति समर्थक ताकतों के लिए यह उचित समय है कि आतंकवादी और अराजक तत्वों को अन्तिम रूप से अलग–अलग करने के लिए इस प्रक्रिया को पूरी तरह सक्रिय बनाया जाए। व्यापक परिदृश्य में सरकार द्वारा शुरू किए गए उपाय और प्रयास पहले ही शांति समर्थकों को काफी हद तक सक्रिय बनाने में काफी सहायक हुए हैं। सरकार के मत में अब दृढ़निश्चय के साथ इस व्यवस्था में राजनीति को समाहित करने का समय आ गया है।

विशेष रूप से, पिछले एक वर्ष के दौरान, हमने राज्य में आर्थिक और विकास कार्यों को पुनः सक्रिय और तेज करने के प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित किया। न केवल गरीबी–उन्मूलन, रोजगार के अवसर पैदा करने, महिलाओं और बच्चों के विकास और गांव स्तर पर मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन को तेज किया गया अपितु इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया कि राज्य की वार्षिक विकास योजना, जो 1050 करोड़ रु० की है, को भी पूरा संरक्षण दिया जाए। सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य को कर दी गयी है और आज ऐसा कोई घाटा नहीं है जिसे पूरा न किया गया हो। हमने उन क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया है जिनसे लोग अधिक प्रभावित होते हैं जैसे आवश्यक वस्तुओं की समय पर और पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाएं। निस्संदेह अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है लेकिन इन कदमों से निश्चित तौर पर अतिरिक्त रोजगार और रोजगार के अवसरों के सृजन, लोगों की हालात में सुधार लाने और सबसे महत्वपूर्ण, उग्रवादियों और आतंकवादियों के प्रभाव से लोगों को धीरे–धीरे पर प्रत्यक्ष रूप से मुक्त करने और उन्हें सामान्य जीवन और गतिविधियों की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिली है।

पिछले एक या दो सालों के दौरान स्थानीय नागरिक प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और इसके सामान्य कार्यकरण और कार्यकलापों को बहाल करने और इसमें लोगों के विश्वास को जागृत करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। इन प्रयासों के, अपेक्षित हद तक नहीं, लेकिन निश्चित रूप से अच्छे परिणाम निकले हैं। आर्थिक और विकास कार्यों को तेज करने से प्रशासन और लोगों के बीच आतंकवादियों की गतिविधियों के परिणाम–स्वरूप कुछ समय के लिए आई रिक्तता समाप्त करने में भी मदद मिली।

हमने लोगों के विश्वास, जो आतंकवाद के कार्यों और उनकी मनोदशा को बिगाड़ने के उद्देश्य से चलाए गए अनर्गल कुप्रचार और प्रचार से भंग हो गया था, को पुनः जागृत करने के लिए भी अनेक उपाय किए हैं। उन व्यक्तियों, जो आतंकवादी हिंसा के कारण पकड़े जाते हैं, के मामलों की नियमित समीक्षा करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है। इन पुनरीक्षणों से उन लोगों की बड़ी संख्या में सतत् आधार पर रिहाई संभव हो सकी, जिनके मामले मार्जिनल हो सकते थे। सुरक्षा बलों के कार्मिकों को संभावित अत्यधिक प्रतिक्रिया या कार्रवाई जिसे ज्यादती समझा जा सकता है, के प्रति सुग्राही बनाने के गंभीर प्रयास किए गए हैं और जहां कोई लापरवाही सिद्ध हो जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाती है। बाहरी व्यक्तियों को राज्य में जाने की सुविधा देकर पारदर्शिता पर्याप्त रूप से बढ़ायी गयी है। अन्य के अलावा, युनाइटेड नेशन के मानव अधिकार आयुक्त ने राज्य का दौरा किया और इस वर्ष के शुरू में आई. सी. आर. सी. के साथ हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार उसकी टीमें नजरबंदियों से मिलने जा रही हैं।

2.00 म.प.

इन सभी उपायों से स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। यह भी उत्साहजनक बात है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान राज्य में राजनैतिक ताकतें सक्रिय हुई हैं। जिन दिनों आतंकवाद चरम सीमा पर था उन दिनों बड़ी संख्या में जो राजनीतिज्ञ घाटी छोड़ कर चले गए थे वे श्रीनगर लौट आए हैं तथा उन्होंने अपनी–अपनी पार्टियों और दलों को पुनः सक्रिय बनाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अगस्त 1995 से विभिन्न राजनैतिक दलों और नेताओं द्वारा घाटी में विभिन्न भागों में कई बैठकें भी आयोजित की गई जिनके बारे में आज से एक वर्ष पूर्व सोचा भी नहीं जा सकता था। पांच वर्षों में पहली बार अभी हाल ही के महीनों में जन–प्रतिनिधियों ने जिला विकास बोर्ड इत्यादि की बैठकों में भाग लेना भी आरम्भ किया है।

हमारी इस नीति के अनुरूप कि जम्मू और कश्मीर में समस्याओं को बातचीत और विचार–विमर्श के द्वारा ही हल किया जाना चाहिए, सरकार किसी भी व्यक्ति और ग्रुप के साथ बातचीत और विचार–विमर्श करने के लिए अपने खुलेपन और इच्छा को बार–बार दोहराती रही है ताकि शांति और सामान्य स्थिति की बहाली के लिए तरीके निकाले जा सकें और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संयुक्त रूप से कदम उठाए जा सकें। इसके एक भाग के रूप में हमने समय–समय पर राष्ट्रीय और राज्य, दोनों ही स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार–विमर्श किए हैं जिनमें समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा बताई गई समस्याओं पर भी चर्चा की गई।

राज्य सरकार और अन्य संबद्ध एजेन्सियों की सिफारिशों और विचारों को ध्यान में रखते हुए, तथा जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, स्थिति के विभिन्न पहलुओं और ध्यान पूर्वक विचार करके एवं उनका मूल्यांकन करने के बाद तथा राजनैतिक दलों के साथ अलग–अलग स्तरों पर हुए विभिन्न विचार–विमर्शों और चर्चा से निकले विचारों को ध्यान में रखने के बाद सरकार ने इस माह के आरंभ में यह निर्णय लिया था कि राज्य में दिसम्बर माह में चुनाव कराना समयानुकूल होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चुनाव प्रक्रिया को भंग करने के लिए पाकिस्तान द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा और पाकिस्तान भय अथवा लालच द्वारा यह सुनिश्चित करने के प्रयास करेगा कि लोगों के कम से कम कुछ वर्ग न केवल स्वयं चुनावों में बाधा उत्पन्न करेंगे बल्कि यह भी प्रयास करेंगे कि लोग अपने

मताधिकार का प्रयोग न कर सकें, हमें दोनों में से एक को चुनना होगा कि या तो हम पाकिस्तान और उसके प्रतिनिधि आतंकवादी संगठनों के इन इरादों के अनुसार कार्य करते रहें अथवा साहसपूर्ण आगे बढ़ कर ऐसे कदम उठाएं जिससे राज्य में शांति की बहाली हो सके। इस बात को भली भांति जानते हुए कि जिन स्थानों में अभी भी भय व्याप्त है वहां घाटी के कुछ भागों में बहुत कम मतदान होगा तथा हमारे दुश्मन द्वारा इसका दुष्प्रचार संपूर्ण प्रक्रिया की सार्थकता को अर्थहीन बनाने के लिए किया जाएगा, हमने बाद के विकल्प को चुना।

प्रधान मंत्री ने 4 नवम्बर को एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने जम्मू व कश्मीर के लोगों के प्रति संपूर्ण राष्ट्र की चिंता व्यक्त की थी और उस राज्य में शांति और सामान्य स्थिति की बहाली, जिसे पिछले छह वर्षों के दौरान सीमा के पार से चलाए जा रहे आतंकवाद ने तहस–नहस कर दिया है के लिए हमारे उद्देश्य और संकल्प को व्यक्त किया। प्रधान मंत्री ने राज्य के सभी लोगों से भी यह अपील की थी कि वे आतंकवादियों का डटकर मुकाबला करें तथा राज्य में शांति और अपनी लोकतांत्रिक सरकार की बहाली करने में मदद करें। घोषणा में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

1. जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है।
2. धारा 370 को समाप्त नहीं किया जाएगा।
3. लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य के सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए संविधान के दायरे में राज्य की स्वायतता मजबूत की जाएगी।
4. हम राष्ट्रपति शासन समाप्त करना चाहते हैं तथा पूर्णतः स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से राज्य में यथाशीघ्र एक लोकप्रिय सरकार स्थापित करना चाहते हैं।
5. हमारे संविधान के उन प्रावधानों को, जिन्हें संशोधित रूप में अथवा अपना कर राज्य में लागू किया गया था, में राष्ट्रपति द्वारा धारा 370 के अधीन जनहित में परिवर्तन किया जा सकता है अथवा रद्द किया जा सकता है।
6. राज्य को इस बात का पुनः आश्वासन दिया गया कि यदि राज्य सरकार समवर्ती सूची में निहित मामलों पर 1953 के बाद बनाए गए किसी भी केन्द्रीय कानून में परिवर्तन करने संबंधी कोई प्रस्ताव पेश करती है तो उस विधेयक को मंजूरी देने के बारे में उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
7. मुख्यमंत्री के पदनाम में परिवर्तन करने के संबंध में यदि राज्य विधान सभा "वजीर–ए–आजम" की पदवी का प्रावधान करने के लिए राज्य के संविधान में संशोधन करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसी प्रकार "सदर–ए–रियासत" के संबंध में राज्य विधान सभा राज्य के संविधान में संशोधन करने संबंधी कार्रवाई शुरू कर सकती है।
8. वित्तीय पैकेज के प्रश्न पर, यह कहा गया था कि राज्य के संपूर्ण खर्चे, विकासीय और गैर–विकासीय दोनों, की 70 प्रतिशत निधि पहले ही केन्द्र सरकार से आती है, संपूर्ण राष्ट्र कश्मीर की अर्थव्यवथा के पुर्ननिर्माण में तथा कश्मीरी युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद करेगा, राज्य की अर्थव्यवस्था को समयबद्ध रूप से पुर्न जीवित करना एक तत्कालिक अनिवार्यता है; तथा सरकार, राज्य के लिए समय पर उचित और अधिक वित्तीय और विकासात्मक लाभांष का पैकेज तैयार करेगी।

स्वाभाविक रूप में, इनमें से कुछ क्षेत्रों के संबंध में ब्यौरे और तौर तरीके तैयार करने के लिए आगे और विचार विमर्श करने की आवश्यकता होगी। प्रत्यक्षरूप में ऐसा तब ही बेहतर हो सकेगा जबकि राज्य में विधिवत रूप से चुनी हुई एक सरकार हो। प्रधान मंत्री के वक्तव्य में दिए गए प्रस्तावों की प्रकृति और संगत संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार यह आवश्यक है कि लिए गए निर्णयों के संपूर्ण कार्यान्वियन के लिए राज्य में एक चुनी हुई विधान सभा और सरकार हो। यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि मुख्य मंत्री और राज्य पाल के पदनामों, जो राज्य के लोगों के लिए पर्याप्त भावनात्मक प्रतीत होता है, के बारे में प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण वक्तव्य के अतिरिक्त उन्होंने संविधान के भीतर, राज्य की स्वायतता को और मजबूत करने के लिए सरकार की वचनवद्धता के बारे में भी कहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य में एक बार चुनी हुई सरकार हो जाती है तो इस मुद्दे पर आगे विचार विमर्श की गुजाइंश होगी।

जैसाकि पहले ही कह चुका हूं कि पहले बतायी गयी समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार को पूर्ण विश्वास था कि राज्य में चुनाव कराए जा सकते हैं। तथापि, चुनाव आयोग का यह मत बना कि स्थिति अभी, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के अनुकूल नहीं हैं। चुनाव आयोग के इस फैसले के विरोध में एक जनहित याचिका दायर की गई है जोकि न्यायाधीन है। अतः इस निर्णय पर अपनी निराशा व्यक्त करने के अलावा मैं इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। तथापि, मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि राज्य में यथाशीघ्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बहाल करने के लक्ष्य को प्राप्त करने संबंधी सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है तथा हम स्थिति को और मजबूत करने तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जहां तक संभव हो वास्तविक रूप से इसकी व्यवहारिकता और संभाव्यता के बारे में संदेहों को कम करने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। मैं आज इस अवसर पर उनसे अभी तक मिले आम समर्थन के प्रति आभार प्रकट करते हुए सदन के सभी वर्गों से यह हार्दिक अपील करना चाहूंगा कि वे उन सभी पहलुओं पर राष्ट्रीय सहमति बनाने की भावना से विचार करें। समग्र देश की जनता और नेतृत्व की ओर से जम्मू और कश्मीर की जनता के लिए यह एक सशक्त और सही संदेश होगा।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मैं आज सुबह हुई चर्चा को नहीं दोहरा रहा हूं परंतु आप इस वक्तव्य पर चर्चा की अनुमति कब और कैसे देंगे क्योंकि दूसरे सदन में इस विषय पर चर्चा की जा रही है?

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा कर सकते हैं और हम सब जितनी शीघ्र संभव हो, उतनी जल्दी इस पर निर्णय ले सकते हैं। परंतु मैं आप सबके साथ अपने कक्ष में चर्चा करूंगा।

2.05½ म.प.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं, डा. देवी प्रसाद पाल की ओर से वर्ष 1995-96 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगे दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8186/95]

2.06 म.प.

निक्षेपागार विधेयक*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं, डा. देवी प्रसाद पाल की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि प्रतिभूतियों में निक्षेपागारों को विनियमन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जायें

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रतिभूतियों में निक्षेपागारों का विनियमन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

2.07 म.प.

निक्षेपागार अध्यादेश

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं डा. देवी प्रसाद पाल की ओर से निक्षेपागार अध्यादेश, 1995 द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 8187/95]

2.08 म.प.

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा एवं राज्यपाल के प्रतिवेदन की प्रतियां

अध्यक्ष महोदय : आज सभा में उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प पर चर्चा के संबंध में, उद्घोषणा की प्रतियां, उद्घोषणा के अनुसरण में जारी किये गये आदेश तथा राज्यपाल का प्रतिवेदन प्रकाशन काउंटर पर उपलब्ध हैं।

कृपया सदस्यगण तत्संबंधी प्रतियां प्रकाशन काउंटर से ले लें/ एकत्र कर लें।

अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.15 म.प. तक के लिए स्थगित होती है।

2.10 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.15 म.प. तक के लिए स्थगित हुई

3.22 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.22 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब 377 के अधीन मामलों को लिया जायेगा।

(एक) कन्नानौर केरल में एक उच्च शक्ति का टी.वी. ट्रांसमीटर शीघ्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : महोदय, हांलाकि कन्नानौर (केरल) में उच्च शक्ति का एक टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने का आश्वासन सरकार बहुत पहले दे चुकी है परंतु इस पर कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। इस प्रतिष्ठित परियोजना के कार्य को आरंभ करने में हो रहे असाधारण विलम्ब के कारण लोग अत्यधिक निराश और खिन्न हैं। इस ट्रांसमीटर का लाभ लाखों व्यक्तियों, यहां तक कि पड़ोसी जिलों के लोगों को भी मिलेगा।

इसलिए, मैं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस ओर तुरंत ध्यान दिया जाये और कन्नानोर में टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने के वायदे को तुरंत क्रियान्वित किया जाये।

(दो) महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में वैस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित हुए लोगों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री शांताराम पोतदुखे (चन्द्रपुर) : महोदय, वैस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, ने अपनी विभिन्न परियोजनाओं के लिये महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में पादमपुर, घटाली, मिगांव, सस्ती, गोवारी, मदनपुर, पौनी, कवाड़ी और घुघुस गांव के किसानों की भूमि अधिग्रहीत की है। वैस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2 खंड 2 दिनांक 28.11.95 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

द्वारा इन गांवों की भूमि अधिग्रहीत किये जाने के कारण लगभग 4,782 परिवार प्रभावित हुए हैं। परियोजना के कारण इन गांवों के प्रभावित लोग अधिग्रहीत भूमि के उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं तथा पुनर्वास और प्रभावित लोगों को रोजगार के अवसर देने की मांग कर रहे हैं। हांलाकि, महाराष्ट्र सरकार और कोल इंडिया प्राधिकरण के बीच कई बैठकें हुई हैं परंतु उसका कोई ठोस हल नहीं निकला है। महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार के कोयला मंत्रालय को विस्थापितों के पुनर्वास की समस्याओं को लेकर उत्पन्न गतिरोध को खत्म करने के बारे में सुझाव दिये हैं परंतु यह मामला केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि विस्थापित लोगों की समस्याओं का अविलम्ब हल निकालने के लिये शीघ्र निर्णय लिया जाए।

(तीन) केरल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पूर्णतः सुसज्जित सर्किल कार्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : महोदय, केरल में पुराने मंदिर, गिरजाघर, मस्जिदें, किले वगैरह कई सांस्कृतिक और एतिहासिक स्मारक हैं। परंतु वे बिना किसी उचित संरक्षण के गिरते जा रहे हैं तथा नष्ट हो रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पिछले 125 वर्षों से कार्य कर रहा है परंतु जहां तक ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई और खोज करने के कार्य का संबंध है। अब तक इसका पूरे देश में विस्तार नहीं हो पाया है। राज्य में भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण विभाग का कोई सर्कल आफिस भी नहीं है। भारत के प्रत्येक राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का सर्कल आफिस है। जो सर्कल आफिस केरल के अतिरिक्त जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ और गुवाहाटी में खोलने की घोषणा की गई थी, वे सब खोले जा चुके हैं और कार्य कर रहे हैं।

अतः, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस वर्ष प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करे ताकि केरल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का एक सर्किल आफिस स्थापित किया जा सके।

(चार) रांची से बिहार क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय को स्थानांतरित किये जाने के प्रस्ताव को वापस लिये जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देना चाहता हूं कि बिहार के आदिवासी क्षेत्र छोटा नागपुर तथा संथाल परगना में स्थित केन्द्र सरकार के कई कार्यालय यहां से अन्य स्थानों पर ले जाये जा रहे हैं जिससे इस क्षेत्र के विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सरकार कई स्तर पर जांच करके इन क्षेत्रों में कार्यालय स्थापित करती है, कुछ समय तक वे कार्यालय काम करते हैं तथा कुछ दिनों बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। रांची से विज्ञान एवं तकनीकी का अंचल कार्यालय, पत्र सूचना कार्यालय, फिल्म तथा स्टूडियों, नेशनल फिल्म डैवलपमेंट कार्पोरेशन, रेलवे वैगन फैक्ट्री, केन्द्रीय विद्यालय परीक्षा समिति की दो इकाई, आकाशवाणी की सिविल इकाई का स्थानान्तरण इसी तरह किया जा चुका है। अब क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय का स्थानांतरण किया जा रहा है।

इस संबंध में केन्द्रीय कर्मचारी महासंघ का आंदोलन चल रहा है। झारखंड समस्या इसी कारण से खड़ी होती है। अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय का स्थानांतरण न किया जाए।

(पांच) चीनी मिलों की पेराई क्षमता को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गन्ने की बहुत अधिक पैदावार होती है। 1991-92 में 20 अगस्त तक मिल चलने के उपरांत भी पूरा गन्ना पेराई नहीं हो सका था और 1995-96 में जो गन्ने की पैदावार है, वह पिछले वर्ष से 35 प्रतिशत तथा 1991-92 से 50 प्रतिशत अधिक है। यदि गन्ने की पैदावार के अनुसार चीनी मिलों को गन्ना पेराई करने की अनुमति नहीं दी गयी तो अगस्त तक मिलों के चलने के बावजूद भी कृषकों का गन्ना पेराई नहीं हो सकेगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र की मवाना चीनी मिल में गन्ने की पैदावार अधिक होने के कारण किसानों को 74 रुपये प्रति क्विंटल कीमत मिलने की बजाए खड़े कोल्हू तथा क्रेशरों पर गन्ने की कीमत 45 रुपये प्रति क्विंटल मिल रही है जिसस मेरे क्षेत्र के कृषकों को अत्यधिक नुकसान हो रहा है। मेरे क्षेत्र मवाना में मिल की क्षमता भी बढ़ गयी है।

अतः मेरा उद्योग मंत्री जी से अनुरोध है कि नई क्षमता—वृद्धि पर मिलों को चलाने की अनुमति अविलम्ब प्रदान करें।

(छह) पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों विशेषकर कलकत्ता में डाक सेवा सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, पश्चिम बंगाल में डाक सेवा की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, यहां तक जी. पी. ओ. कलकत्ता से भेजे गए पोस्ट कार्ड और अन्य पत्र एक महीने से अधिक समय में नई दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली से कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली भेजे गए मनी आर्डर एक महीने से भी अधिक समय में नहीं पहुंच पाते हैं। डाक सेवा की खराब हो रही स्थिति से जो कि पिछले दो महीनों में और भी खराब हो गई है अधिकांश लोग, विशेषकर गरीब तबके के लोग बुरी तरह से प्रभावित होते है, जो कि प्राइवेट कोरियर सेवा का भार वहन नहीं कर सकते हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल राज्य के अन्य भागों में खराब हो रही डाक सेवा की स्थिति को सुधारने के लिये तत्काल उपचारात्मक कदम उठाए जाएं ताकि गरीब लोग और अधिक पीड़ित न हों।

[हिन्दी]

(सात) बिहार के लिए केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य देश का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। पूरे देश की बाढ़ से प्रभावित आबादी का लगभग 40 प्रतिशत इस राज्य में हैं। संभवतः देश में इतनी बड़ी बाढ़ समस्या से प्रभावित राज्य और दूसरा कोई नहीं है। उत्तर बिहार के मैदानी भागों में प्रायः सभी नदियों नेपाल के हिमालय की तराई से आती है, जिसमें कोशी, गंडक, बागमती, कमला बलान, महानंदा तथा अधबारा समूह की नदियां आदि प्रमुख है। उत्तर बिहार का क्षेत्र उपरोक्त नदियों के जलग्रहण क्षेत्र की विभीषिका से पूरी तरह प्रभावित होता है। ये नदियां अपने साथ बहुत अधिक सिल्ट लाती हैं। इन नदियों के अधिकतम एवं न्यूनतम जलस्राव में भी विशेष अंतर है। उपरोक्त विशेष प्रकृति के कारण ये नदियों अपने

किनारों को अप्रत्याशित रूप से कटाव करती हैं और प्रायः अपनी धारा बदलती रहती हैं। फलतः इस प्रदेश के सारे विकास कार्य ध्वस्त हो जाते हैं। नदियों के धारा परिवर्तन पर नियंत्रण हेतु प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर कटाव निरोधक कार्य आवश्यक हो जाते हैं जो काफी कठिन होने के साथ खर्चीला भी है। बाढ़ समस्या के समाधान हेतु दीर्घकालीन उपाय सभी नदियों पर जलाशयों की श्रृंखला का निर्माण एवं बड़े पैमाने पर भू–संरक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन नितांत आवश्यक है। अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बिहार राज्य की बाढ़ पीड़ित जनता की सुरक्षा के लिए असम राज्य की भांति राज्य का बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में ग्रहण कर बिहारवासियों को अनुग्रहीत करें।

3.32 म.प.

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में सांविधिक संकल्प को लेंगे।

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 18 अक्तूबर, 1995 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा के लिए नवंबर, 1993 में चुनाव कराये गये थे, इन चुनावों के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस–आई के बाहर से दिए गए समर्थन से राज्य में सरकार बनाई थी। श्री मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे। बहुजन समाज पार्टी सरकार द्वारा मिलीजुली सरकार से समर्थन वापस लेने और राज्य में कई राजनीतिक गतिविधियों के बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 3 जून, 1995 को श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार को बर्खास्त किया गया। भारतीय जनता दल द्वारा समर्थन दिए जाने के मद्देनजर राज्यपाल ने उपरोक्त तारीख को बहुजन समाज पार्टी की कुमारी मायावती को मुख्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। मुख्य मंत्री ने राज्यपाल द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध किया।

राष्ट्रपति को 17 अक्तूबर, 1995 की एक रिपोर्ट में, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने सूचित किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने कुमारी मायावती की सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, जिसके फलस्वरूप मुख्यमंत्री ने अपना त्यागत्र राज्यपाल को सौंप दिया था। यह भी उल्लेख किया गया था कि त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है और मुख्य मंत्री से वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अपने पद पर बने रहने के लिए कहा था। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया था कि जहां तक वैकल्पिक सरकार बनाने का संबंध है, विधान सभा में भारतीय जनता दल की 176 सीटें हैं और समाजवादी दल की 126 सीटें हैं, इन दोनों दलों ने राज्य में सरकार बनाने का कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया था, इस आधार पर राज्यपाल ने सूचित किया था कि कोई भी दल उत्तर प्रदेश में स्थायी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। राज्यपाल ने रिपोर्ट के अंत में कहा कि राज्य का शासन संविधन के उपबंधों के अनुसार चलाया नहीं जा सकता था और उन्होंने राज्य में विधान सभा को स्थगित रखते हुए अनुच्छेद 356(1) का सहारा लेने की सिफारिश की थी।

केन्द्र सरकार ने राज्यपाल की रिपोर्ट और उत्तर प्रदेश की स्थिति पर विचार किया और विधान सभा को स्थगित रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उद्घोषणा जारी करने की सिफारिश की राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 18 अक्तूबर, 1995 उद्घोषणा जारी की थी।

केन्द्र सरकार को राज्यपाल द्वारा राज्य में घटित राजनैतिक गतिविधियों के बारे में सूचित करना जारी रखा जिसमें विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा राज्य में सरकार बनाने का दावा भी सम्मिलित है।

तथापि, कुल मिलाकर राज्यपाल का मूल्यांकन यही था कि राज्य में कोई भी दल स्थायी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था और ऐसी परिस्थितियों में यही उचित था विधान सभा को भंग कर दिया था जैसा कि राज्यपाल के शब्दों में सदस्यों की "खरीद–फरोख्त" रोकने के लिए ऐसा करना उचित था।

केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की रिपोर्टों पर विचार किया और निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा को भंग करने हेतु आदेश देने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश की जाये। राष्ट्रपति ने 28 अक्तूबर, 1995 से उत्तर प्रदेश विधान सभा को भंग कर दिया।

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक मशीनरी हाल में हर तरह से काफी दबाव के अंतर्गत थी और इसकी प्रभावोत्पाकता में निरंतर गिरावट आ रही थी, जिसके फलस्वरूप विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राज्य प्रशासन धीरे–धीरे सामान्य स्थिति की ओर आ रहा है और केन्द्र सरकार का प्रयास यह देखना होगा कि विकास कार्यक्रम, कानून और व्यवस्था बनाये रखना, शिकायतों के निवारण को आवश्यक प्राथमिकता मिले। इन सब प्रयासों में सरकार को सभी संबंधितों के सहयोग की आवश्यकता होगी।

इन शब्दों के साथ, महोदय मैं सिफारिश करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 18 अक्तूबर, 1995 को जारी उद्घोषणा का इस महान सभा द्वारा अनुमोदन किया जाये। संविधान के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट उद्घोषणा की एक प्रति अनुवर्ती आदेश के साथ सभा पटल पर रखी गई है। परंपरा को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल के रिपोर्ट की एक प्रति जिसमें उद्घोषणा जारी करने की सिफारिश की गई है, भी सभा पटल पर रखी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

> "कि यह सभा उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 18 अक्तूबर, 1995 को जारी की कई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

इस विषय के लिए चार घंटे का समय आवंटित किया गया था। कांग्रेस

दल को 108 मिनट, भारतीय जनता दल को 49 मिनट, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मा०) को 15 मिनट, जनता दल को 10 मिनट और इसी तरह अन्य पार्टियों को समय का आवंटन किया गया था। अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी बहस आरंभ करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : लेकिन लोकतंत्र नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लोकतंत्र, मैंने नहीं कहा। सबसे बड़ा प्रदेश है, आकार में, आबादी में, लेकिन उस प्रदेश में लोक तंत्र पटरी से उतर गया है। राष्ट्रपति शासन की स्थापना कोई बड़ा स्वागत योग्य कदम नहीं है।

1993 में विधान सभा के चुनाव हुए थे। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, लेकिन हमें बहुमत नहीं मिला था। इसलिए हमने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया था। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी। उस सरकार के क्रियाकलापों में इस समय मैं जाना नहीं चाहता हूं। उसे कानून के राज्य के बजाय "जंगल का कानून" इस तरह से वर्णित किया गया है। स्थिति यहां तक बिगड़ी कि बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी दल से नाता तोड़ना पड़ा। समाजवादी दल के साथ सहयोग करने के बजाय उन्हें हजम करने की क्रिया में संलग्न हो गया था। बहुजन समाज पार्टी को अपने अस्तित्व के बारे में खतरा लगा। एक अपराधी, भ्रष्ट सरकार को अपदस्थ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने की स्थिति में समर्थन का वचन दिया। हम चाहते थे कि भले ही वे संख्या में कम हैं, किन्तु उत्तर प्रदेश में ठीक तरह से शासन चलाएं, सामाजिक सौमनस्य पैदा हो, कानून–व्यवस्था की स्थिति सुधरे। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। इसलिए हमने समर्थन के लिए कोई शर्तें नहीं लगाई। देश के सबसे बड़े प्रदेश में एक दलित महिला का मुख्यमंत्री बनना अपने में एक उपलब्धि थी। लेकिन वह प्रयोग भी सफल नहीं हुआ।

जब बी. एस. पी. के नेताओं ने भगवान राम और गांधी जी की हल्की आलोचना शुरू कर दी, सेवाओं के मनोबल को तोड़ने की कोशिश होने लगी और जब फिर से माफिया राज आने की संभावना हमें दिखाई देने लगी, हमने विवश होकर अपना समर्थन वापिस ले लिया। कुमारी मायावती ने एक काम अच्छा किया कि जब उन्हें पता लगा कि भाजपा ने समर्थन वापिस ले लिया है तो उन्होंने तत्काल इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पुराने मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह जी की तरह से बरखास्तगी को आमंत्रण नहीं दिया।

अब उत्तर प्रदेश में एक नई परिस्थिति पैदा हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने इस्तीफा दे दिया, अन्य किसी दल ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। राज्यपाल के सामने इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था कि वे राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करते। लेकिन उन्होंने विधान सभा को भंग करने की जरूरत नहीं समझी। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रपति जी को जो पत्र लिखा, उसका एकांश में उद्धृत करना चाहता हूं। वह सदन के पटल पर रख दिया गया है, वितरित कर दिया गया है। मगर मैं नहीं जानता कितने सदस्यों का ध्यान उसकी ओर गया है क्योंकि वह अभी–अभी थोड़ी देर पहले ही सदस्यों में वितरित किया गया है।

[अनुवाद]

मैं उद्धृत कर रहा हूं।

"वर्तमान विधान सभा का गठन दिसम्बर, 1993 में हुआ था और अभी इसके तीन वर्ष शेष हैं। अतः विधान सभा को भंग करने से पहले एक वैकल्पिक स्थायी सरकार बनाने के लिए सततः प्रयत्नशील रहना उचित होगा। तदनुसार मेरी राय है कि किसी राज्य की विधान सभा को भंग करने की अपेक्षा निलम्बन की स्थिति में रखा जाना उचित होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा एस. आर. बोम्माई बनाम भारत सरकार ए.आई.आर. 1994 एस. सी., 1918 के मामले में दिए गये विनिर्णय के परिप्रेक्ष्य में यह न्याय संगत होगा। उपरोक्त परिस्थितियों में ....

[हिन्दी]

यह महत्वपूर्ण है, यह आखिरी पैरा है।

[अनुवाद]

"उपरोक्त परिस्थितियों में, जब तक किसी भी दल द्वारा एक स्थायी सरकार स्थापित करना संभव नहीं होगा, मेरी सिफारिश है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी उद्‌घोषणा जारी की जाए।"

[हिन्दी]

यह पत्र 17 अक्टूबर को लिखा गया। बाद में 28 अक्टूबर को राज्यपाल ने विधान सभा भंग कर दी। यह काम इतनी जल्दी में क्यों किया गया? क्या वैकल्पिक सरकार बनाने के प्रयत्नों को पर्याप्त अवसर दिया गया? मेरा कहना है, नहीं। एक स्थिति उत्तर प्रदेश में ऐसी पैदा हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत बनाने की स्थिति में आ गई थी। समाजवादी दल ने भी यह दावा किया था। यह ठीक है कि ये दोनों दल अपने बल पर सरकार नहीं बना सकते थे, उनको समर्थन की आवश्यकता थी। लेकिन विधायक जो दो साल पहले चुने हुए थे, नया चुनाव नहीं चाहते थे। बार–बार चुनाव कराना आवश्यक भी नहीं हैं, उपयुक्त भी नहीं है। यह व्यय–साध्य हैं, खर्चीला काम है, राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। इसलिए जब राज्यपाल ने यह निर्णय किया कि विधान सभा भंग नहीं की जाएगी, उसे निलंबित रखा जाएगा तो उसका स्वागत हुआ था। राज्यपाल ने 17 अक्तूबर की अपनी चिट्ठी में वादा भी किया था कि वह एक वैकल्पिक सरकार बनाने के प्रस्तावों पर गम्भीरता से विचार करेंगे। लेकिन जब दिखाई दिया कि सरकार बन रही है और बन सकती है, उसी समय विधान सभा को भंग कर दिया गया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि उत्तर प्रदेश में और किसी दल की सरकार बने।

राज्यपाल महोदय ने इस सम्बन्ध में केन्द्र को अगर कोई रिपोर्ट भेजी तो उसे सभा पटल पर नहीं रखा गया है। उसके बारे में हमें विश्वास में नहीं लिया गया है। 17 अक्तूबर का पत्र है जिसमें कहा गया है कि

विधान सभा भंग नहीं की जा रही है हम वैकल्पिक सरकार के लिए रूकेंगे। उसके 10 दिन बाद 11वें दिन विधान सभा भंग कर दी जाती है। क्या बोम्मई के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस समय आड़े नहीं आया? या सरकार की राय बदल गई? हो सकता है सरकार ने सोचा हो कि बोम्मई के मामले में जो भी फैसला हुआ हो, वह हुआ होगा, मगर उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने देना ठीक नहीं है। इसलिए विधान सभा ही भंग कर दी, न रहेगा बांस—न बजेगी बांसुरी। लोग अपनी—अपनी ढफली बजाते रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। मेरा केन्द्र सरकार पर आरोप है, राज्यपाल महोदय ने पहले ठीक कदम उठाया था, बाद में दबाव में आकर उन्होंने विधान सभा को भंग करने का फैसला कर लिया। यह ठीक है कि संविधान राज्यपाल को अधिकार देता है कि वह विधान सभा भंग कर सकते हैं, लेकिन किस आधार पर? किस कारण से? 10 दिन में परिस्थिति कैसे बदल गई? 10 दिन पहले राज्यपाल कहते हैं कि वैकल्पिक सरकार बनाने के बारे में देखेंगे, देखना जरूरी है, सदस्य चुनाव नहीं चाहते, दो साल पहले ही चुनाव हुए हैं और तीन साल अभी बाकी हैं। लेकिन 10 दिन बाद राय बदल देते हैं, विधान सभा भंग करने का कदम उठा लेते हैं। केन्द्र सरकार उनकी हां में हां मिलाने को राजी हो जाती है। हो सकता है शबाशी भी दी हो कि बहुत अच्छा काम किया है मोती लालजी वोरा। वैसे मैं मोती लाल वोराजी का प्रशंसक हूं। वे सुलझे हुए आदमी हैं। वे उत्तर प्रदेश में काफी जन—सम्पर्क करते हैं। राजनैतिक मर्यादाओं का भी पालन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब केन्द्र का दबाव पड़ा तो फिर मोती लाल बेचारा क्या करे। मोती लालजी बेचारे क्या करें, मैं संशोधन कर रहा हूं, उनके लिए मेरे हृदय में आदर है।

यह बात समझ में नहीं आई और मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि आप इसका स्पष्टीकरण करें कि 10 दिन में क्या हुआ? गृह मंत्री रटा—रटाया, घिसा—पिटा जवाब देने वाले हैं कि सदस्य इधर से उधर और उधर से इधर जा रहे थे, सरकार बन जाती तो चलती नहीं, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इधर से उधर तो जाते ही रहे हैं, यहां भी गये थे और सरकार भी चल रही है। सरकार बनने के बाद ही चलती या पहले से चलना शुरू कर देती। आपने तो वहां बनने का मौका ही नहीं दिया। अगर सरकार बन जाती और न चलती, तो आप मजबूत धरातल पर होते कि हमने लोकतंत्र को सफल होने का मौका दिया, मगर विरोधी दल इतने निकम्मे हैं कि वे सरकार चला नहीं सकते, दूसरी बार भी लुढ़क गये, तो फिर आपके कदम का औचित्य होता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। सरकार बनने का मौका ही नहीं दिया। राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। मैं चाहूंगा कि इस तरह की गलती भविष्य में दोहराई नहीं जानी चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 356 के दुरूप्रयोग के बारे में एक लम्बी कहानी है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। केन्द्र से जो भी सत्ता में होता है वह अगर संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरूप्रयोग करता है तो लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता।

अब मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश में जल्दी से जल्दी चुनाव होना चाहिए। कम से कम लोक सभा के चुनावों के साथ उत्तर प्रदेश में विधान सभा के चुनाव भी हो जाने चाहिए। उन्हें अब लटकाये रखने का कोई औचित्य नहीं है। उन्हें टालने का कोई तर्क नहीं होगा।

दूसरी बात मैं इसी के साथ जोड़कर कह दूं कि यह जो लोकसभा के चुनाव के बारे में अस्थिरता है, अनिश्चितता है, असमंजस है, परस्पर विरोधी खबरें आ रही हैं, अलग—अलग तारीखें बतायी जा रही हैं। यह अनिश्चितता खत्म होनी चाहिए। यह ठीक है कि यह उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित मामला नहीं है। यह सारे देश से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लेकिन अगला चुनाव कब होगा? कभी मार्च में कहा जाता है, कभी फरवरी में कहा जाता है। कभी अप्रैल में कहा जाता है। कभी कहा जाता है कि हमारे कांग्रेसी मित्र तो मई तक नहीं छोड़ेंगे। आखिरी दिन तक देश की सेवा करने का श्रेय लेने का प्रयास करेंगे। तो कोई तिथि निश्चित हो। मगर पक्की तिथि होनी चाहिये उत्तर प्रदेश के बारे में गृहमंत्री वादा करें कि दोनों चुनाव साथ—साथ हों। खर्चा कम होगा। कानून और व्यवस्था की दृष्टि से भी इसमें लाभ मिलेगा। पहले जब संविधान के आरंभ होने पर चुनाव होते थे तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ—साथ हुआ करते थे। अब प्रयास होना चाहिए कि यह काम हो सके।

दूसरी बात, यह जो राष्ट्रपति शासनकाल में वक्त मिला है, उसका उपयोग हो और गृह मंत्री ने कहा है कि विकास के कामों में तेजी लाने के लिए ही उसका उपयोग होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में विकास एक तरह से ठप्प हो गया है। तबादलों की राजनीति चलती थी। जातिवाद को जागृत किया जा रहा था। प्रशासन का मनोबल टूट गया था। अधिकारी अपने को बड़ी कठिनाई में अनुभव करते थे। विकास के नाम पर तो कोई काम होता नहीं था। मैं खुद उत्तर प्रदेश से लोकसभा का सदस्य हूं। लखनऊ से चुना गया हूं। राजधानी में पीने का पानी नहीं है। प्रदेश की सरकार को चिन्ता नहीं है। हम जब मायावती सरकार को समर्थन कर रहे थे तब भी ये प्रश्न थे और हमने जब समर्थन वापस लिया तो इसका एक कारण यह भी था। मैं यह नहीं कहता हूं कि राष्ट्रपति शासन के दौरान ये सारी कमियां दूर हो जायेंगी। वह चाहते हुए भी नहीं कर सकते। लेकिन जो भी समय बचा हुआ है और कुछ निर्णय बाकी हैं, इसमें विकास के कामों में तेजी लायी जा सकती है। सेवाओं का मनोबल फिर से ऊंचा किया जा सकता है। उत्तरांचल के साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। वर्तमान शासनकाल में उत्तरांचल के साथ अन्याय हो रहा है। इस समय उत्तरांचल में असंतोष की आग धधक रही है। ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं जिससे उत्तरांचल के लोगों को समझा—बुझाकर अपने पक्ष में किया जा सकता है। इस तरह का प्रयास सफल नहीं होगा। मैं जानता हूं कि मेरे मित्र खण्डूरी जी उत्तरांचल से चुनकर आये हैं। वह इस विषय में विस्तार से बोलना चाहेंगे मगर मैं भी अपनी आवाज मिलाकर उनके स्वर को मजबूत करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि गर्वनर महोदय के एडवाईजर्स इस बार क्यों नहीं नियुक्त किये गये? जहां राष्ट्रपति शासन होता है, वहां जो प्रदेश का प्रशासन है, उसके साथ परामर्श देने के लिए, सहायता देने के लिए और एडवाइजर्स नियुक्त किये जाते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में देखा कि इस तरह की कोई नियुक्तियां नहीं हुई हैं। अगर राष्ट्रपति आवश्यक नहीं समझते तो भी उनके ऊपर जो बोझा आ गया है, सारे प्रदेश के शासन का जो बोझा आ गया है, उसको ठीक तरह से बांटने के लिए यह जरूरी है कि इस तरह के परामर्शदाता हों। अधिक से अधिक व्यक्तियों से सलाह—मशविरा किया जा सके और उनके परामर्श से लाभ उठाया जा सके। जहां राष्ट्रपति शासन

होता है, वहां के संसद सदस्यों की एक एडवाईजरी कमेटी बुलाई जाती है। कुछ ही महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं। मगर अभी कई महीने बाकी हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के संसद सदस्यों की एक एडवाईजरी कमेटी का निर्माण तत्काल होना चाहिए और संसद सदस्यों से परामर्श करके राज्यपाल महोदय को आगे बढ़ना चाहिए।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : राज्यपाल का भी अभिनन्दन होना चाहिए। उन्होंने कारपोरेशन के इलेक्शन में अच्छी तरह से ......**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उत्तर प्रदेश में हवा का रूख क्या है? यह अभी जो वहां चुनाव हुआ था, जिनमें बडे–बडे शहरों के चुनाव अभी शामिल हैं उससे साफ है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस प्रस्ताव के समर्थन हेतु बोलने का अवसर दिया। मैं यह मानता हूं, माननीय अटल जी के बाद बोलना ही एक बहुत बडा अवसर हैं, क्योंकि वह उत्तर प्रदेश का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि जो उत्तर प्रदेश के दिल की धड़कन है लखनऊ का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुर्भाग्य उनका और हमारा, दोनों का, यह है कि पिछले छः सालों में तीन दफा चुनाव हुए और अब चौथी दफा चुनाव कराने के लिए मांग की जा रही है। दो दफा राष्ट्रपति शासन लगा और राष्ट्रपति शासन लगाने पर क्या परिस्थिति पैदा हुई और किस परिस्थिति में वह लगाया गया, इस पर उन्होंने कुछ प्रकाश डाला।

मैं यह मानता हूं, मान्यवर, कि अटल बिहारी जी ने कुछ ऐसे प्रश्न उठाए हैं, जिनका उत्तर माननीय गृह मंत्री जी ही दे सकते हैं और वे ही देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में जरूर मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक ऐसा अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें मैं इस सदन में सभी माननीय सदस्यों का ध्यान, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हो गई है और कैसे हो गई है, दिलाना चाहूंगा।

3.56 म.प.

(श्री पीटर जी. मरबनिआंग पीठासीन हुए)

आज उत्तर प्रदेश में पीने का पानी अगर कम है, तो किसी एक दल के नागरिक के लिए नहीं, बल्कि पूरे ही उत्तर प्रदेश के जितने नागरिक हैं, चाहे वे शहर में रहते हों या गांव के ग्रामीण अंचलों में रहते हो, सभी को पानी का अभाव है। वहां पानी का स्तर गिरता जा रहा है। पुराने कुएं सब सूख गए हैं। इस समय एक–एक संसदीय क्षेत्र में कुछ नहीं तो, 8-8, 10-10 हजार इंडिया–मार्क–II हैंडपम्प उपलब्ध कराए जायें, तभी हम अपने साथियों को पीने का पानी पहुंचा पायेंगे।

उत्तर प्रदेश में हमारी महिलाओं की स्थिति क्या है। इस बात को कहते हुए शर्म आती है कि रात को यदि हम अपनी गाड़ी या जीप से उत्तर प्रदेश के गली–कूचों से निकलें या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों से निकलें, तो यह पता लगता है कि हमारे गांवो में महिलाओं के लिए मामूली फैसिलीटीज तक नहीं हैं कि वे अपनी गरिमा को देखते हुए और अपनी प्राइवेसी को देखते हुए, वे अपने कार्य को कर सके, जिसको जीवन में हर इंसान को करना होता है।

इससे आगे देखें, उत्तर प्रदेश में बिजली का अभाव है। बिजली नहीं हैं, तो कारखाने बन्द पड़े हैं। अगर राजनीतिक लोग कोई बात कहते हैं, किसी दल की आलोचना नहीं और न किसी दल पर उंगली उठा कर कहा जा रहा है, लेकिन राजनीतिक लोग कोई बात कहते हैं, तो एक ही राजनीति की बात कहते हैं, जिसको पुलिस की राजनीति माना जाता है। एक दफा नहीं, हजारों दफा इस बात को सुन चुके हैं कि अगर राजनीति करनी है, तो पुलिस को अपने कब्जे में रखें। इसलिए पुलिस और अधिकारियों के स्थानान्तरण की बात सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब भी रद्दोबदल होता है, एक दल की सरकार हटती है और दूसरे दल की सरकार आती है, तो सबसे पहले जो शिकार किया जाता है, वह इसी बात का किया जाता है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम पिछले छः सालों से वहां सरकार में नहीं हैं। इसलिए कम से कम इन पिछले छः सालों की जो शिकायतें हैं, वे हमारे माथे या हमारे सिर या हमारे कन्धों पर नहीं आती है। इस का बोझ हमारे ऊपर नहीं आता है। यह उन्हीं लोगों के कन्धों पर आएगा, जिसने वहां सरकार चलाने का प्रयास किया है। लेकिन मैं आज अपने सभी साथियों को ......

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : मुलायम सिंह की सरकार को 18 महीने आपने ही समर्थन दिया है...**(व्यवधान)**

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : मुश्किल उत्तर प्रदेश की यही है कि कुछ लोगों को सिर्फ मुलायम सिंह दिखते हैं, अयोध्या नहीं दिखते हैं और कुछ लोगों को .....**(व्यवधान)**

अभी कहा गया है कि हवा किधर बह रही है। हवा आज उत्तर प्रदेश मे किस तरफ चल रही है। उत्तर प्रदेश की हवा को समझने वाले, मैं समझता हूं कि अभी कम से कम उधर तो पैदा नहीं हुए हैं।

4.00 म. प.

यह कहा था कि आज जन समर्थन की आवाज है, यह कहा था कि उत्तर प्रदेश का जन समूह हमारे साथ है और यह कह कर संविधान को भी चूर–चूर कर डाला था। लेकिन उसके बाद आने वाले चुनाव में पता लग गया था कि उत्तर प्रदेश की हवा किधर चली।......**(व्यवधान)**

मान्यवर, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि क्या चुनाव हर हफ्ते लोकतंत्र मे कराए जाते हैं, हर महीने कराए जाते है, जो यह समझते हैं कि हर हफ्ते चुनाव कराए जाएं वे फिर पोल्स्टर्स बन जाएं। वे ओपिनियन् पोल में जरूर नौकरी कर लें लेकिन वे किसी भी देश की संजीदा तरीके से राजनीति नहीं कर सकते हैं और न किसी देश की परम्परा को निभा सकते हैं। चुनाव का समय आएगा, उसमें लोग इधर बैठे चाहे आज कम हों लेकिन आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि हम उत्तर प्रदेश से 5 या 15 ही क्यों न हो लेकिन हम लोहे की चोट लेने के लिए तैयार हैं। चुनाव का समय आएगा तो हम लोहे की चोट लेकर आपको दिखाएंगे।...... **(व्यवधान)** वाह–वाह कहने से पहले सिर्फ उत्तर प्रदेश की तरफ मत देखिए, जरा महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ भी नजर डाल कर देख लीजिए कि वहां किधर की तरफ हवा बह रही है। उत्तर प्रदेश से हमने इस देश की अगवाही की है, वहां से हमने इस देश को नेतृत्व दिया है और हमारा दुर्भाग्य यह है कि आज हम उत्तर प्रदेश से नेतृत्व दे नहीं पा रहे और इसलिए नहीं दे पा रहे.......**(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अगर आज यह प्रधान मंत्री हैं तो इनका

दुर्भाग्य है, यह कह रहे हैं।

श्री सलमान खुर्शीद : अगर आपकी शब्दावली में नेतृत्व सिर्फ प्रधानमंत्री तक ही केन्द्रित है तो मैं नहीं समझता कि आपकी राजनीति कहीं जा सकती है। हमारे यहां नेतृत्व सब लोग बैठ कर देते हैं, पूरे भारत का नेतृत्व करने वाले लोग इस तरफ बैठे हैं। एक प्रधान मंत्री या एक मंत्री भारत का नेतृत्व नहीं करता है। आपके यहां यह जरूर होगा।..... ..**(व्यवधान)** जो लोग आर.एस.एस. से आदेश लेकर राजनीति करते हैं उनको लोकतांत्रिक प्रणाली समझ में नहीं आएगी कि कैसे लोकतांत्रिक प्रणाली होती है।......**(व्यवधान)** आज मैं आपसे एक सवाल करता हू, इससे पहले कि आप कहें कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना चाहिए था तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके होते हुए उत्तर प्रदेश की यह स्थिति नहीं हो गई कि उत्तर प्रदेश में जहां नौजवानों की रैलियां हुआ करती थी, महिलाओं की, क्रांतिकारियों की रैलियां हुआ करती थी, जहां देशभक्तों की रैलिया हुआ करती थीं आज वहां पर अलग-अलग जात के लोगों की अलग-अलग रैलियां की जा रही हैं। भारत का विभाजन क्यों करना चाहते हैं। भारत के दिल और दिमाग का विभाजन क्यों करना चाहते हो। आप लोगों ने पहले चाहा कि हिन्दू और मुसलमान का विभाजन हो जाए, आपने पहले कहा कि हमारी मानसिकता का विभाजन हो जाए और उसके बाद भी जब कुर्सी प्राप्त नहीं हुई तो आपने चाहा उत्तर प्रदेश में पूरे समाज का विभाजन हो जाए, टुकड़े-टुकड़े हो जाएं। अब मैं सिर्फ आपसे एक बात फिर कहूंगा कि --

"तुम नाहक टुकड़े चुन-चुन कर दामन में छिपाए बैठे हो,

शीशों का मसीहा कोई नहीं क्यों आस लगाए बैठो हो।"

आप इस बात को जरा सोचिए। लेकिन आज यहां पर फैसला और निर्णय इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में अगले 5 साल तक शासन कौन चलाएगा या यहां अगले 5 साल तक शासन कौन चलाएगा। वह समय आएगा तो यह निर्णय भी हो जाएगा और उस निर्णय को आप और हम सभी मानने वाले हैं लेकिन आज यह बात हो रही है कि आप अपने दिल को टटोल कर देखिए।......**(व्यवधान)** आपको बोलने के लिए समय मिलेगा और मैं यहां बैठ कर आपकी बात को सुनूंगा और इसलिए सुनूंगा कि जो बात आप कहेंगे उससे मुझे पता लगेगा कि किस तरह से मुझे आपको उत्तर प्रदेश में खदेड़ना है। लेकिन पहले आप मेरी बात सुनिए और इसलिए सुन लीजिए क्योंकि आज भारत के सामने जो प्रश्न आ खड़े हुए हैं, आज आपने 2-3 घंटे तक जम्मू-कश्मीर की समस्या को लेकर बहस की है आप सभी ने इस सदन में माना है कि आज हमारे सामने बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा है। सिर्फ इसलिए नहीं उठा कि हमसे कोई गलती हुई कि हम चुनाव नहीं करा पाए, इसलिए सवाल उठा है कि आखिर हमको कश्मीर को और कश्मीर के साथ-साथ इस देश को, इस देश की मानसिकता को और इस देश की जो गरिमा पूरी दुनिया में बनी है उसको किस दिशा में ले जाना है।

मैं यह मानता हूं कि आप हम जो उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं, अगर इन्साफ की प्रणाली, इन्साफ की धारा बहाने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में साफ और स्वच्छ शासन की बात करने जा रहे हैं, राजनीति को धर्म से अलग करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग राजनीति में धर्म का उपयोग कुर्सी प्राप्त करने के लिए करने लग गए हैं, इसलिए हम राजनीति से धर्म और जाति को अलग करने जा रहे हैं और इन सब चीजों पर हमारा क्या कार्यवाही रहेगी, इसको आज सारा भारत देख रहा है और पूरा भारत इसको देख कर या तो हमसे प्रेरित होगा, या कह देगा कि अगर उत्तर प्रदेश भी यह करने को तैयार नहीं है तो भारत के छोटे-छोटे प्रदेश क्या कर पाएंगे।

उत्तर प्रदेश भारत का दिल है, आप सब उत्तर प्रदेश के बारे में यदि चिंतित हैं तो आइए, बैठिए और गौर करिए कि हम सब से कहां-कहां पर गलती हुई है। शायद हमसे भी कोई गलती हुई हो और शायद कहीं आपसे भी गलती हुई हो। हमने नहीं किया, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया और जिस उत्तर प्रदेश की आज बहने वाली हवा की बात आप लोग कर रहे हैं, तो परिणाम आ रहें हैं वे इसलिए आ रहे हैं कि 2 साल पहले का उत्तर का बुखार, उत्तर प्रदेश की उत्तेजना, डर, खौफ, जिसको हमने समाप्त किया है, उसके परिणाम आ रहे हैं। हमने ज़ब्त किया है, हमने उत्तर प्रदेश में फैलाए गए उस जहर को भगवान शंकर के समान पिया है, जहर को अपने ऊपर ले लिया है कि हम नीले हो जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश को मरने नही देंगे। इस संकल्प के साथ हमने उत्तर प्रदेश में घोले गए उस जहर को पिया है ताकि उत्तर प्रदेश एक दफा फिर से कह दे कि हम एक हैं, एकता में विश्वास करते हैं, देश की एकता मे विश्वास करते हैं, हिन्दू और मुसलमान को हम कभी अलग नहीं होने देंगे, इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश के उस ज़हर को अपने ऊपर ले लिया है। हमको जब तक इस जहर को पीनी पड़ेगा हम इस जहर को पीते रहेंगे, इसलिए यह मत कहिएगा कि आप किस हवा की वजह से जीते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में हम इतने नासमझ हो गए कि सेकुलर फोर्सेस को हमने आपस में बांट दिया है, बंटी हुई सेकुलर फोर्सेस के सामने आप यह निर्णय ले पाए हैं, आप जीत पाए हैं, फिर भी चन्द ही वोटों से आप जीते हैं। जिस दिन उत्तर प्रदेश की सेकुलर फोर्सेस एक हो जाएंगी, अपने राजनीतिक लाभ भूल जाएंगी, जब उनका लक्ष्य एक हो जाएगा, जब उनकी समझ में आ जाएगा कि उनकी लड़ाई आपसे है, आपस में लड़ाई नहीं है, उस दिन आप देखिएगा कि हवा का रूख क्या है, हवा किधर बहती है।

उत्तर प्रदेश को भूलिए नहीं, उत्तर प्रदेश वह प्रदेश है जहां गंगा-यमुना मिला करती हैं, जहां पर संगम हुआ है, प्रेरणा लीजिए उस संगम से, प्रेरित होइए उस संगम से जहां गंगा-यमुना चिल्ला--चिल्लाकर कर कह रही हैं कि आप उत्तर प्रदेश के लोगों को बांट नहीं सकते। आप कभी एक तरह की राजनीति करते हैं, कभी दूसरी तरह की राजनीति करते हैं। आपने आश्वासन दिया था कि कुमारी मायावती को समर्थन अपराधवाद से लड़ने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन वह समर्थन अफसरवाद को गले से लगाने के लिए तो नही दिया था, क्योंकि उसके बाद जितने स्थानांतरण हुए हैं, जो कार्यवाहियां हुई, जो काम हुए, जो घोषणाएं हुई हैं, वे सब उनके मेनीफेस्टो से थे या आपके मेनीफेस्टो से थे, यह अपने दिल मे झांककर देख लीजिए। अपने आप से यह सवाल पूछ लीजिए, फिर हमको बताइएगा कि हमने किसका साथ दिया और किसका साथ नहीं दिया। हमने जिसका साथ दिया वह इसलिए दिया था कि उस वक्त आप एक प्रश्न-चिन्ह बनकर भारत में खडे हो गए थे और आज भी आप यहां जो भी कह लें, आप

लोग आपस में जब बैठते हैं तो यह कहते हैं कि हमसे बहुत गलत काम उत्तर प्रदेश में हुए हैं। हमने गलत काम उत्तर प्रदेश में इसलिए किए कि हम समझे थे कि दिल्ली की कुर्सी पर जम जाएंगे, लेकिन दिल्ली की कुर्सी न तब मिली थी, न आज मिली है और न कल मिलेगी। कह दो अपने साथियों से --गुनूज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली आपको मिलने वाला नहीं है। यह समझ लीजिए कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में लोगों की आंखे खुल रही हैं। आज आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण और बुनियादी सवाल हैं और बुनियादी सवाल आपके सामने यह है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल आगे बढ़ते जा रहे हैं, जहां हरियाणा आगे बढ़ता जा रहा है, क्या आप इसी बात से खुश हैं कि हमारे यहां खुशहाली नहीं, लोग शिक्षित नहीं, रोजगार नहीं, कारखाने काम नहीं कर रहे--15-20 साल से बंद हैं।

आइये, अपराधीकरण की ही जरा बात हो जाए। उत्तर प्रदेश में पिछले छः सालों से हर साल 10 हजार लोगों का कत्ल हुआ है। आप काश्मीर और पंजाब के आतंकवाद की बात करते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में दिन--दहाड़े 10 हजार लोग हर साल मार दिए जाएं और उनके मारे जाने के बाद कार्यवाही के नाम पर सिर्फ एक प्रतिशत लोगों को ही सजा होती है। इस एक प्रतिशत में वे लोग भी हैं जो चोरी करते हैं, वे भी है जो जेब काटते हैं और वे लोग भी हैं जो किसी झगड़े या मारपीट में बंद कर दिए जाते हैं। दस हजार लोग हर वर्ष उत्तर प्रदेश में कत्ल हो रहें हैं और आप यह समझ रहे हैं कि यह राजनीतिक विवाद है और इसे आपको जीतना है। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश हममें से किसी के काम का नहीं रहेगा अगर हमने उसको उस रास्ते से वापस नहीं लौटाया जिस रास्ते पर आपने उसको छः साल पहले चला दिया था। आप इस उम्मीद में उस रास्ते पर चले कि आज हम एक जगह को तोड़ेंगे, कल दूसरी जगह को तोड़ेंगे और फिर तीसरी जगह को तोड़ेंगे। आप यकीन मानिये और मैं इसे एक मुसलमान की हैसियत से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक मुसलमान और हिंदू भगवान राम की गरिमा को मानता है। वह मानता है कि भगवान राम कण--कण में हैं। जिस भगवान को हिंदू--मुसलमान, हरेक मानने के लिए तैयार है उस भगवान को आप सीमित क्यों कर देना चाहते हैं। आप क्यों भगवान राम को एक ही झंडे के नीचे, एक छोटी सी कोठरी में कैद करना चाहते है और यह कहना चाहते हैं कि भगवान राम हमारे ही रहेंगे, हमारे ही नीचे रहेंगे। भगवान केवल आपके ही नहीं हैं। भगवान पूरे हिंदुस्तान के हैं। आप उत्तर प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक सरमाए को पहचानने की कोशिश करिए। जिसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं।

यहां बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर वहां के संस्थानों को बनाया है। लेकिन क्या आज कोई किसी थाने में जाकर यह उम्मीद कर सकता है कि उसे उचित ढंग से इंसाफ मिलेगा। पहले वह पूछते हैं कि इस एस. एस. पी. की जात क्या है और अगर जात मेल नहीं खाती तो दूसरे एस. एस. पी. के पास चले जाते हैं। क्या ऐसा नहीं हुआ है? क्या उत्तर प्रदेश में कोई अधिकारी खुश है। उत्तर प्रदेश में कोई भी संस्थान ठीक ढंग से नहीं चल रही है। हमारी शिक्षा के जितने संस्थान हैं क्या वे दुकानें नहीं बन गई हैं जहां छाप--छापकर डिग्रियां दी जा रही हैं। क्या वहां इस बात पर लड़ाई नहीं होती है कि किसके हस्ताक्षरों को वहां का एजूकेशन--आफिसर मान जाएगा और किसको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्र ने लाखों--करोड़ों रुपया नहीं दिया है? कभी हमने यह नहीं सोचा कि हमारी सरकार वहां नहीं है। जब मनमोहन सिंह के सामने सांसद--कोष का प्रस्ताव रखा गया था तब हमारे केवल 5 सांसद ही उत्तर प्रदेश में थे और आपके 55-60 सांसद के करीब थे। हमें पता था कि आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा लेकिन हमने इसलिए समर्थन किया कि यह पैसा उत्तर प्रदेश को जा रहा है, यह पैसा किसी पार्टी विशेष को नहीं जा रहा है। इसका फायदा आपके साथी और आपके मतदाता सभी उठा रहे हैं।

श्री राजवीर सिंह : आप उत्तर प्रदेश के बारे में बोल रहे हैं। सांसद--कोष खाली उत्तर प्रदेश के लिए नहीं था वह तो सारे हिंदुस्तान के लिए था। जहां आप बहुमत में थे वहां के लिए भी था और जहां हम अल्पमत में थे वहां के लिए भी था। आप बहुत समझदार मंत्री हैं, बड़े सुंदर आदमी हैं इसलिए सुंदर ढंग से बोलें। यह इतना उबला--उबला क्यों बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या मैं कहूं कि हर एक सदस्य को इस संकल्प पर बोलने का अवसर मिलेगा? अब मंत्री जी बोल रहे हैं इसलिए कृपया व्यवधान उपस्थित मत कीजिए। कृपया बैठ जाईए।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : मैंने तो उनको यह याद दिलाया कि यह जो सांसद कोष था वह सारे हिंदुस्तान के लिए था केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं था। उसमें आपके लोग ही ज्यादा थे। कम थे तो आपने उधर से खरीदकर बढ़ा लिए थे।

श्री सलमान खुर्शीद : यह बात आपने अच्छी मुझे याद दिलायी लेकिन आपको मालूम होगा कि हमारी बहुमत की सरकार नहीं थी। इसलिये जो लोग हमारे साथ नहीं थे, वे ज्यादा थे और हम लोग कम थे तब भी सब को यह कोष दिलाया खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोग यह कह सकते थे कि हम को नुकसान होगा अगर हम अपने लाभ की बात करते।

श्री राजबीर सिंह : संसद ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया था। पूरी संसद यह चाहती थी, कांग्रेस के लोग यह चाहते थे और सभी लोग यह चाहते थे। आप बार--बार उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं।

श्री सलमान खुर्शीद : इनको देखते हुए मुझे लग नहीं रहा है कि यह मानते हैं कि हवा इनकी तरफ चल रही है। हवा जिस की तरफ चलती हैं, वह हवा का आनन्द लेता है और आराम से बैठता है। यह बार--बार खड़े हो रहे हैं, बार--बार चिल्ला रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि हवा खिसक कर कहीं और जा रही है। यह क्यों नहीं इत्तमिनान से बैठते, क्यों नहीं आंकड़े सुनते, क्यों नहीं बातें सुनते। इनको इतना ही भरोसा है तो क्यों नहीं उस दिन की इंतजार करते जिस दिन सब साफ हो जायेगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।

एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपना प्लेटफार्म बनाया--अयोध्या, काशी और मथुरा का। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो तो जरूर अयोध्या, काशी, मथुरा पर हमला करते हैं। इनके समर्थन की सरकार होती है तो यह हमला नहीं करते हैं।

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : ढांचा किस की सरकार के समय में गिरा? वह आपकी सरकार के होते हुए गिरा।

श्री सलमान खुर्शीद : मैं यही सुनना चाहता था कि इन की सरकार ने ढांचा गिराया। कभी कहते हैं कि हमने नहीं गिराया और अब कह रहे हैं कि हमने गिराया है।

श्री विनय कटियार : मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि सरकार किस की थी?

श्री सलमान खुर्शीद : मान्यवर, मुझे अफसोस सिर्फ एक बात का है......(व्यवधान)

श्री विनय कटियार : आपको अफसोस है, मुझे गर्व है।

श्री एस.बी. चव्हाण : किस बात का गर्व है मैं यह सुनना चाहता हूं।

श्री विनय कटियार : उस समय हमारी सरकार थी।

श्री एस. बी. चव्हाण : आपने ढांचा गिराया, इस बात का आपको गर्व है।

श्री विनय कटियार : मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं।

श्री सलमान खुर्शीद : मान्यवर मेरे विद्वान साथी ने बड़ी अच्छी बात कही और जब माननीय गृहमंत्री जी ने एक और सवाल किया तो पीछे हट गये। इनका कहना या तो यह है कि मैंने यह ढांचा गिराया या इनका कहना यह है कि मेरी सरकार के होते हुए ढांचा गिर गया था सरकार नकारा थी या इनका दोष है कि इन्होंने इसे गिराया। इसके अलावा इनका कोई जवाब नहीं है।

श्री विनय कटियार : इसके अलाव मैं एक बात और कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया मत लिखिए.......

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी मत लिखिए.......

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाईए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आपने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है?

श्री सलमान खुर्शीद : मैं उनके दबाव में आ गया था।

सभापति महोदय : किसी के भी दबाव में मत आयें।

[हिन्दी]

श्री सलमान खुर्शीद : मान्यवर माननीय सांसद महोदय ने दो और अच्छी बातें कहीं। एक तरफ यह कहा कि मुझे गर्व है। शायद इस बात का गर्व है कि हमने यहां से सुरक्षा दल को भेजा या इस बात का गर्व है कि सुरक्षा दल ने वहां कुछ नहीं किया या इस बात का गर्व है कि यह हमारी गलती थी। इनका गर्व हम से कैसे जुड़ गया यह समझ में नहीं आ रहा है। इनको किस बात का गर्व था? इन्होंने गर्व कह दिया, इन्होंने कह दिया कि इनकी सरकार ने ढांचा तोड़ा और इन्होंने ढांचा तोड़ा। मैं यही कह रहा हूं कि हम उत्तर प्रदेश के ढांचे को बनाना चाहते हैं और यह उत्तर प्रदेश के ढांचे को तोडना चाहते हैं। यह विध्वंस चाहते हैं और हम निर्माण चाहते है। हम विकास चाहते है और यह चाहते हैं कि हम फिर से किसी तरह से 19वीं सदी के पीछे चले जायें। हम उत्तर प्रदेश को 21वीं सदी की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसलिये मैं हाथ जोड़ कर सब से निवेदन करता हूं कि हम सब के विवाद रहेंगे, हम सब आपस में लड़ेंगे, हम आपस में चुनाव में उतरेंगे, हम अपनी–अपनी बात को कहेंगे लेकिन अपनी बात को उस हद तक कहें, जहां हम अपनी बात को, उत्तर प्रदेश को पूरे भारत के साथ जोड़ने में कामयाब हों, सफल हों। हम अपनी बात को ऐसे न कहें कि पहले उत्तर प्रदेश के टुकड़े कर डालें और उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ–साथ अपने मुल्क के और अपनी उस कल्पना के टुकड़े कर डालें जिस कल्पना की बात आज सुबह हो रही थी जब जम्मू–कश्मीर की यहां चर्चा हो रही थी।

मान्यवर, आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री खंडूरी जी यहां मौजूद हैं। मैं उनके साथ पूरी सहानुभूति रखता हूं इसलिये कि उनके उत्तराखंड क्षेत्र के लोग परेशान हैं। इसका कारण यह है कि पूरे उत्तराखंड के लोग उत्तर प्रदेश से अलग होना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि इस समस्या पर गंभीरतापूर्व विचार करना चाहिये। क्या इसमें भी मिलीभगत है? कहा जाता है कि हम लोग मुखालफत कर रहे हैं। जो भाजपा चाहती है, वही मुलायम सिंह चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उत्तराखंड हमसे अलग हो जाये लेकिन हम चाहते हैं कि उत्तराखंड हमसे अलग नहीं हो सकता है। यदि वहां के लोगों को कोई तकलीफ या परेशानी है तो हम सब मिल बैठकर उसे दूर करने के लिये तैयार हैं। यदि वहां के लोगों को दो समय की रोटी नहीं मिलती है तो हम अपना पेट काटकर उनके लिये रोटी देने के लिये तैयार हैं। यदि कोई तकलीफ है तो उसे मिल बैठकर तय करेंगे। यह इसलिये नहीं कि सूची में हमारी सीटें कम हैं या और सीटें आ सकती हैं। या कितनी सीटें और घट जायेंगी परन्तु यह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। खंडूरी साहब फौज में रह चुके हैं। और इस देश की सेवा वर्दी पहनकर कर चुके हैं। उन जैसे लाखों लोग फौज में सेवा कर रहे हैं। अगर उनके दिल में कोई बात है तो हम बैठकर बातचीत के जरिये क्यों न तय करें? जब फिलीस्तीनी–इज़रायल का समझौता हो सकता है, बोसनिया का समझौता हो सकता है तो क्या उत्तर प्रदेश के दो खंडों की इस समस्या का हल नहीं निकल सकता है? निकल सकता है और निकलेगा। हम उत्तराखंड को अपना मुकुट मानते हैं और जो भी आर्शीवाद, शुभाशीष मिला हुआ है, वह उत्तराखंड से ही मिला हुआ है। यदि उत्तर प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र हमसे अलग होगा तो उत्तर प्रदेश नहीं रहेगा और उसकी इम्पलीकेशन्स और कुछ न कुछ हमारे देश के दूसरे क्षेत्रों में भी होगी। जो इनकी जायज शिकायतें हैं, उनको हल करने के लिये मिलकर बैठने को तैयार हैं। आप पहाड़ी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम मैदानी क्षेत्रों का करते हैं। हमारा एक परिवार है, एक गुट है फिर सिर्फ झंडे की वजह से अपने को क्यों अलग–अलग कर लें और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर लें कि फिर कभी एक साथ न बैठ सकें। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के सांसद एक साथ मिलकर बैठकर इस बात पर गौर करें।

अंत मे एक निवेदन यह है कि चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे अपराधीकरण से लड़ने की बात हो, चाहे विकास या उत्तराखंड की ही बात क्यों न हो, उत्तर प्रदेश के लोगों पर एक बहुत बडी जिम्मेदारी है। पूरा भारत हमको देख रहा है। यह भारत का दिल है। यदि दिल कमजोर पड जायेगा तो हमारे हाथ की हरकत कमजोर पड़ जायेगी। इसलिये इस बात को कहने से पहले हम दो मिनट के लिये सोचें कि कहीं इससे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है? जो कल्पना महात्मा गांधी ने इस देश के लिये की थी उसे नुकसान तो नहीं हो रहा है?

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। मैं इस प्रस्ताव को पूरी तरह से समर्थन प्रदान करता हूं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : माननीय सभापति महोदय, आज इस सवाल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपको मालूम है कि इस संसद का दुर्भाग्य है कि राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन बार–बार हम लोगों को यहां करना पड़ता है। शायद संविधान निर्माताओं ने इस बात को सोचा था कि कभी कभी यह स्थिति आ सकती है कि मजबूरन धारा 356 का इस्तेमाल करना पडेगा। मगर तब यह नहीं सोचा था कि संविधान क्रिमिनल्स के हाथ पड जायेगा, धंधेबाज लोगों के हाथ में पड जायेगा। देश को तोड़ने वाले लोगों के हाथ में संविधान पड़ गया, हमारे कानूनों को संकीर्ण दृष्टिकोण से प्रयोग करने वाले लोगों के हाथ में संविधान पड़ गया, उन लोगों के द्वारा हमारे संविधान पर इस तरह हमला किया जायेगा, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था। यह हमारे देश की आगे आने वाली पीढी का दुर्भाय है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, उनकी भावनाओं के साथ विश्वासघात करते हुये, संविधान पर उनके द्वारा बार–बार हमला किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, हम उसका समर्थन करते हैं क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा कोई चारा नहीं था, वह घटना घट चुकी है और हमें उस पर अब मात्र स्टाम्प लगानी है।

मैं कहना चाहता हू कि संविधान में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में जो प्रावधान है, उसका जिस तरह प्रयोग किया जा रहा है, जैसा अभी होम मिनिस्टर साहब ने कहा, राज्यपाल ने भी बताया कि वहां हौर्स ट्रेडिंग हो रही थी, यद्यपि रिपोर्ट में ऐसा नहीं लिखा है परन्तु उन्होंने अपने भाषण में ऐसा कहा, जिस पर वाजपेयी जी ने गुस्सा प्रकट किया कि दस दिन बाद असैम्बली को क्यों भंग कर दिया गया, हमें मालूम था कि बी. जे.पी. एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है मगर इनके डिसिप्लिन को जब गुजरात में चोट पहुंची और उसकी हवा उत्तर प्रदेश में भी पहुंच गयी तो ये लोग थोड़ा डर गये। पहले वहां बी. जे. पी. सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी, मगर जब इन्होंने देखा कि मौका है, सरकार बनाने की संभावना है तो इनका डिसिप्लिन चला गया (व्यवधान)

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : सभापति जी, माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, उसका सांविधिक संकल्प से क्या संबंध है। वहां क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उससे इस संकल्प का क्या संबंध है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम यहां पर सांविधिक संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। कृपया किसी भी दल की आलोचना मत करिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह : इन्होंने वहां सरकार बनाने की कोशिश की थी।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : शायद ये इनके साथ दोस्ती का हाथ बढा रहे हैं, तभी समर्थन कर रहे हैं....(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अन्यथा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जिस सांविधिक संकल्प पर चर्चा हो रही है, उस के संबंध में बोलिए।

.......(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह : इसलिये हमारा कहना है कि उत्तर प्रदेश में जब मायावती सरकार थी, जिसे बी. जे. पी. की सपोर्ट से बनाया गया था, वैसे तो बी. जे. पी. डिसिप्लिन की बातें करती हैं, मगर उसके पीछे इनका दृष्टिकोण क्या था, यह अब सबको पता लग गया है। इनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में एक दलित महिला को मुख्यमंत्री बनाकर इन्होंने देश के सामने एक मिसाल पेश कर दी, मगर वास्तव में ऐसा नहीं था, उसके पीछे मतलब दूसरा था, इन्होंने राजनैतिक दृष्टिकोण से, संकीर्ण दृष्टिकोण से समर्थन दिया था। इसलिये जो आज मुद्दे की बात करते हैं, प्रिंसिपल की बात करते हैं, यह सब फिजूल है, यह उत्तर प्रदेश की जनता के सामने साबित हो गया है......(व्यवधान) इसके साथ ही मैं यहां केन्द्रीय सरकार की भी आलोचना करना चाहता हू क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू करने के मामले में जो नीति अपनाई गयी, पहले जब वहां मुलायम सिंह की सरकार माईनौरिटी में आ गयी और उन्होंने कहा कि मुझे एक मौका दे दो, मैं विधान सभा में अपनी मैजोरिटी प्रूव कर दूंगा, मगर उन्हें मौका नहीं दिया गया लेकिन मणिपुर में जब ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई और वहां देखा गया कि कांग्रेस सरकार बना सकती हैं तो वहां मौका दे दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की यह मौकापरस्त नीति देश को बर्बाद कर रही है। एक राज्य में एक नीति अपनाना और दूसरे राज्य में दूसरी नीति अपनाना, यह दोहरी नीति देश को बर्बाद कर रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हू कि पिछले 50 सालों में बहुत हो चुका है, अब आप इस नीति को छोड़िये, यदि आप देश को बचाना चाहते हैं, सलमान साहब आप भी थोड़ा सोचिये और आने वाले समय में दोहरेपन की नीति न अपनाए। यदि देश को आप बचाना चाहते हैं तो इस दोगलेपन की नीति का परित्याग कीजिये।

प्रो. रासा सिंह रावत : जब आप दोगलेपन की बात कर रहे हैं तो चीन के संबंध में आपकी क्या नीति थी, बताईये......(व्यवधान) लालसेना और मुक्तिसेना क्या थी?

श्री हन्नान मोल्लाह : चीन के बारे में हमारी क्या नीति थी, उस पर मैं नहीं जाता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के निर्देश पर जिस तरह वहां राज्यपाल ने बिहेवियर किया, वह सही नहीं था। आपने जिस तरह 10 दिन तक असैम्बली को जिन्दा रखा, वह गलत था। आपने सुप्रीम

कोर्ट के किसी केस का हवाला दिया, मगर असल में उसके पीछे आपकी मंशा खराब थी, देश में हौर्स ट्रेडिंग का जो कल्चर कांग्रस के द्वारा बनाया गया है, हम उसके खिलाफ हैं। मगर अभी तो राष्ट्रपति शासन चल रहा है। चुनाव होने तक का जो समय है इसको सही ढंग से इस्तेमाल करना आपका फर्ज है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन केन्द्र का शासन है। इसमें जो पहला लक्ष्य है वह उत्तर प्रदेश में बिगड़ी हुई परिस्थिति को सही करना है। उत्तर प्रदेश पूरे हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रान्त है। पिछले 5-6 साल में इस स्टेट में साम्प्रदायिकता व भेदभाव का वातावरण पैदा हो गया था उसको मिटाना है। उत्तर प्रदेश को एक करना देश को एक करने जैसा कदम होगा। जनता पहले टूटती है उसके बाद देश टूटता है। पहले हिन्दू–मुस्लिम टूटे तो हिन्दुस्तान–पाकिस्तान बने। आज देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर जनता की एकता को तोड़ा जाता है। इसलिए इस राष्ट्रपति शासन के मौके को इस्तेमाल करते हुए उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक वातावरण को सुधारना जरूरी हैं, लोगों में एकता की भावना पैदा करनी है, सरकारी कार्यक्रमों को इम्पलीमेंट करना है।

मथुरा व काशी का सवाल आया। अयोध्या के बाद कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना न घटे, कोई ऐसी स्थिति पैदा न हो इसको देखना केन्द्र सरकार और राष्ट्रपति शासन का पहला कर्तव्य होगा। यहां पर आपने कहा था कि ढांचा नहीं गिरेगा, प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कहा था कि नहीं गिरेगा, लेकिन गिर गया। इसलिए जो वादा करेंगे उसको पूरा करने का काम करें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

आपने मुजफ्फरनगर घटना पर अपराधियों को सजा देने की बात कही है। यह ठीक कदम है, इसका हम स्वागत करते हैं। इस तरह के जो अपराधी लोग दण्डित, पिछड़े व माइनोरिटी के लोगों पर हमले करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में कोई इस तरह का काम न कर सकें।

राष्ट्रपति शासन में जो उत्तरांचल खंड की समस्या है इसको भी देखना चाहिए। हमारी पार्टी ने भी बार–बार मांग की कि उत्तर प्रदेश को बांटना या तोड़ना ठीक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र को आटोनोमी देनी चाहिए। पहाड़ी लोगों में भरोसा पैदा किया जाए कि वे भी देश की आबादी में हैं, देश के शासन में उनकी भी हिस्सेदारी हैं, उनकी बात भी शासन में चलती है। ऐसी परिस्थिति बननी चाहिए। उनके लिए कोई ऑटोनोमस कौसिंल भी हो सकती है। देश के बहुत से हिस्सों में ऐसा हुआ है। उसके नेगेटिव–पोजिटिव परिणाम देखकर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में ऑटोनोमी देने का काम जल्दी से जल्दी एक कार्यक्रम तैयार करके किया जाना चाहिए। इससे पहाड़ी लोगों में भरोसा पैदा होगा और उत्तर प्रदेश व देश की एकता भी मजबूत होगी।

तीसरी समस्या है कि गरीबों पर अत्याचार अभी भी चल रहे हैं। जिस वक्त दलित मुख्य मंत्री थीं उनके समय में भी महिलाओं पर हमले हुए, गरीबों पर हमले हुए और बी.जे.पी. ने उसका समर्थन किया था। बी.जे. पी. ने जब समर्थन वापस लिया तो इस आरोप पर वापस लिया.....

[अनुवाद]

"बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी घोषणा का खुद पालन नहीं कर रही हैं और तो और भ्रष्टाचार, घपले और अपराध को बढ़ा रही है दलितों और महिलाओं को शोषण बढ़ा रही है और सरकारी तंत्र का दुरूप्रयोग अवमूल्यन कर रही हैं और राम और गांधी जी का निरादर कर रही है।"

[हिन्दी]

वह सब कुछ मतलब से किया था, यह बात साफ हो गई। वह ऐसा करेगी, ऐसा ही किया। यह मौकापरस्ती है। ऐसी बात नहीं है कि यह बात उसे पहले पता नहीं थी और तीन बाद अक्ल आ गई, उसे पहले भी पता था और उसके यह समर्थन मतलब से किया था।

दलित के मुख्य मंत्री बनने से दलित की मुक्ति नहीं हो जाती है, यह बात आपके सामने साफ हो गई। होना तो यह चाहिए था कि जब किसी दलित पर हमला हो, तो उसे स्पीडी न्याय मिलना चाहिए। यदि किसी पर हमला हो, तो विशेष सैल के अंदर उसके अपराधी के ऊपर मुकदमा चलाया जाए और उसे सजा मिले जिससे उसे गरीब, आदिम जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के आदमी को भी लगे कि वह भी इस देश का एक नागरिक है।

जो अनुसूचित जाति के लोग थे, उनको जमीन देने की बात थी, लेकिन सिर्फ बात ही होकर रह गई। उनको जमीनों के पट्टे नहीं मिले। हम भूमिहीनों की बात करते हैं। भूमिसुधार की बात करते हैं, लेकिन सुधार नहीं हुआ और भूमिहीनों को अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं। सिर्फ आवाज उठाने से सामाजिक न्याय नहीं मिलता। जब तक गांवो में लोगों को जमीनों पर हक नहीं मिलेगा, तब तक सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है। सिर्फ आवाज उठाने से सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है।

सभापति महोदय, इस बारे में मेरा एक अनुभव है कि बनारस के एक महाराज हैं उन्होंने वहां के एक सबसे गरीब और दलित समाज मुसाहर कम्युनिटी की डेढ हजार एकड़ भूमि पर जबर्दस्ती कब्जा कर लिया और जब मुसाहर लोग उस जमीन पर खेती करने गए, तो उनके ऊपर हमले हुए और प्रदेश की सरकार ने महाराज का साथ दिया जबकि राजा के पास कोई डाक्युमेंट नहीं हैं, कोई कागजात नहीं हैं, लेकिन महाराज ने जबर्दस्ती कब्जा कर रखा है और जो चकिया के भूमिहीन मुसाहिर हैं, उन्हें कोई न्याय नहीं मिला है और न गरीबों को भूमि के पट्टे मिले हैं। इस प्रकार की घटना उत्तर प्रदेश के चकिया स्थान की है। किसानों के नाम पर जमींदारो की दलाली करते हैं। इसलिए मजदूर किसानों की जमीन छीनी जाती है। इस प्रकार की हरकतें वहां हो रही हैं। इसको भी रोकने का काम वहां की सरकार को करना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके साथ पूरे उत्तर प्रदेश में पानी की एक्यूट शार्टेज चल रही है। आजकल बोने का सीजन चल रहा है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। किसान भटक रहा है। पीने का पानी नहीं है। हर जगह से कम्पलेंट आ रही है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। ब्यूरोक्रेसी ऐसी ही होती है। जब तक चुने हुए राजनीतिक लोग प्रदेश में नहीं होंगे, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। पानी की समस्या को वहां कोई देखने वाला नहीं है। चूंकि अब राष्ट्रपति के रूप में आपका शासन वहां चल रहा है, इसलिए इस समस्या का हल भी आपको ही करना होगा और देखना होगा कि इस बोने के सीजन में किसान को पानी मिले और उसका किसी प्रकार से कोई नुकसान न हो जाए।

सभापति महोदय, आखिर में, मैं बताना चाहता हूं कि अभी आपने म्यूनिसिपैलिटी और कारपोरेशनों के चुनाव कराए, लेकिन जो यह मेयर का पद है, यह चपरासी के पद जैसा हो गया है। मेरा कहना यह है कि यह चपरासीवाद नहीं चलेगा। डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर्स आप करना चाहते हैं, लेकिन आपने जिन लोगों के हाथों में पावर दी है, उनकी चपरासी जैसी स्थिति हो गई है। इस तरह नहीं चल सकता। इस तरह डिवोल्यूशन ऑफ पॉवर नहीं हो सकता। इसलिए आपके गवर्नर के राज्य में यह हो रहा है। जो कानून है, उसमें सही ढंग से परिवर्तन करना चाहिए। जो लोकल सरकार है, उसको सही पॉवर देनी चाहिए तभी हम डेमोक्रेसी को बनाये रख सकते है। पंचायत के चुनाव कराकर पूरे देश में इस तरह जनता के हाथ में सत्ता सौंपने की जो बात है, वह काम भी सही ढंग से करना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपके सामने रखता हूं। मैं इस रिजोल्यूशन का मजबूरन समर्थन करता हूं। मगर साथ-साथ जो समस्या आपके सामने रखी है, इस समस्या पर आप ध्यान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. एस. पी. यादव (सम्भल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन और राज्यपाल का जो रूल आजकल चल रहा है, उसमें सरकारी पक्ष ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उस प्रस्ताव का समर्थन करना हम लोगों की मजबूरी है। चूंकि प्रस्ताव तो बाद में आया है और नियम 356 के तहत विधानसभा पहले ही भंग की जा चुकी है।

सभापति जी, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि 1986 से लेकर 1995 तक 6 साल के अन्दर तीन बार उत्तर प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं। 1989 में उत्तर प्रदश में और पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे। केन्द्र में जनता दल की सरकार दो समर्थनों के बाद बनी थी और उत्तर प्रदेश में जनता दल की पूरी सरकार बनी थी। अभी हमारे कांग्रेस के मंत्री श्री सलमान साहब बोल रहे थे कि हमें उत्तर प्रदेश को बनाना है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि उस समय आप लोगों ने ही माफियाओं के सहारे केन्द्र में वी.पी.सिंह जी की सरकार को गिराने का काम किया था और समाजवादी पार्टी की 62 लोगों की सरकार आपने बनवाई थी। उस समय आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी जनता दल को विघटित किया था। जनता दल के जो लोग समाजवादी पार्टी में गये थे, उस ग्रुप को भी कांग्रेस ने समर्थन देकर उत्तर प्रदेश में चार महीने के लिए सरकार बनाई थीं। आपको याद होगा कि मरहूम राजीव गांधी जी ने यह स्वीकार किया कि हमने जिन्दगी में पहली गलती की कि समाजवादी पार्टी की सरकार केन्द्र में बनवाई। पहले गलतियां की जाती हैं, बाद में प्रायश्चित और पश्चाताप किया जाता है। यह सोचना होगा कि हम लोग इस सदन के अन्दर ऐसा कोई डिसीजन न ले लें। जो देश के लिए घातक सिद्ध हैं। यहां हम देख रहे थे कि कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जैसे पार्लियामेंट में कोई बहस न हो रही हो बल्कि आपस में बहुत ज्यादा बतियाव हो रहा हो। जैसे यह लोकसभा नहीं हो बल्कि गांव की कोई चौपाल हो। इस तरह की बात हो रही थी। हमारा निवेदन है कि सभी लोग अपनी-अपनी आत्म-समीक्षा करें। अपनी-अपनी अन्तर्रात्मा में झांककर देखें कि कौन सी गलतियां किस स्टेज कर की गई हैं। गलतियां बहुत हैं। बड़े-बड़े नेताओं की हत्यायें भी इस देश में हो चुकी हैं और आज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आतंकवाद छा गया है। कहीं न कहीं गलतियां जरूर हैं जिससे प्रेरित होकर आतंकवाद या अन्य लोग बड़े-बड़े नेताओं की हत्या करने का प्रयास करते हैं। यह बड़े अफसोस की बात है, मैं सदन में कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कोई सरकार राज्य नहीं करती। इस देश पर माफिया राज्य करता है। 1989-1990 में जब हमारी सरकार को गिराया गया था, बड़ी-बड़ी अटैचियां लेकर लोग नार्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू में घूम रहे थे। सांसदों को तोड़ने का काम कर रहे थे। जनता दल की सरकार को गिरा दिया गया। दुबारा से चुनाव हुए। 1991 में लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव हुए। हमारे दायीं तरफ जो भाजपा के लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को पूरा-पूरा मौका मिला। ये उत्तर प्रदेश में 225 विधायक जीतकर आये थे, इनको जनता ने पूरा मौका दिया। इनकी सरकार चुनी गई थी, आप समाज के काम कीजिए, देश का काम कीजिये, प्रदेश की प्रगति के काम कीजिए। लेकिन ये बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के झगड़े में फंस गये। ये नहीं चल पाये। उस समय भाजपा के मुख्यमंत्री ने यह नहीं देखा कि अतरौली से अलीगढ़ तक जाने वाली सड़क का क्या हाल है? उसको उन्होंने नहीं देखा, वे केवल राम जन्मभूमि अयोध्या में ही लगे रहे और उसका नतीजा क्या हुआ, वह उनके सामने आ गया। वे समझते थे कि इससे हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा। उस ढांचे को गिराने के बाद हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको भी यह सोचना पड़ेगा कि हम लोग कहीं गलती पर थे। पूरे प्रदेश के अन्दर दंगे हुए और लोग मारे गए।

सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि दंगे की कीमत वह जानता है, जिसका भाई या बेटा या पिता दंगे में शहीद होता है या मारा जाता है। वह इस को जानता है। वह नहीं जानता है, जो दंगा भड़काता है और जिसका परिवार का व्यक्ति नहीं मरता है। वह दंगे की कीमत नहीं जानता है। मेरे लोक सभा चुनाव क्षेत्र में 22 लोग मारे गये। मैंने इस सदन के अंदर गृह मंत्री जी से और गृह राज्य मंत्री, श्री सईद, से अनुरोध किया था कि हमारे क्षेत्र के आठ लोग ऐसे हैं, जिनको न जिन्दा और न मुर्दा करार दिया गया है। हमें बार-बार चिट्ठियां लिख कर दे दी गई कि आपका यह जवाब मिल गया है। उधर प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था कि हम दो लाख रुपये मृतकों के परिवार को देंगे। एक गरीब भिखारी मारा गया, लेकिन आज तक उसको पैसा नहीं दिया गया औ न यह बताया गया कि उसकी डैड-बाडी कहां है, उसका शरीर कहां है। केन्द्रीय सरकार ने जो कुछ स्थिति हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा की है, मैं केन्द्र सरकार को इसलिए दोषी मानता हूं, क्योंकि जिस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है थी और बाबरी मस्जिद को ढाया जा रहा था, पूरे दिन सुबह नौ बजे से लेकर शाम पांच बजे तक एक अजीब किस्म का तांडव अयोध्या में चलता रहा और यहां हमारे प्रधान मंत्री जी को पता ही नहीं चला कि अयोध्या में क्या हो रहा है। शाम को जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, तो उस समय प्रधानमंत्री ने विधान सभा को भंग करने का काम किया। गिरे हुए को एक बार और गिरने का काम किया। केन्द्रीय सरकार कितनी जागरूक है और वे समझते है कि वे जो कुछ कर रहे हैं, वह सुपर है। इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, केन्द्रीय सरकार की नीति के चलते 1991 में जो चुनाव हुए और केन्द्रीय सरकार की नीति के 1993 में जो चुनाव हुए, उससे भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी को 177 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को 107, बहुजन समाज पार्टी को 69, कांग्रेस को 28 और जनता दल को 27 सीटें

मिली तथा थोड़ी-थोड़ी सीटें अन्य सभी लोगों को मिलीं।

अभी सलमान खुर्शीद साहब अपराधीकरण की बात कह रहे थे। मैं साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि राजनीति के अपराधीकरण के लिए इस सदन के बैठे हुए अग्रिम पंक्ति के लोग ही दोषी हैं। सभी दलों के लोग, कोई दल बचा हुआ नहीं है। मैंने एक बार और कहा था, हमारे उत्तर प्रदेश में जो 1993 में चुनाव हुए, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 177 सीटों पर जीत कर आई, जिनमें से 45 अपराधी थे। समाजवादी पार्टी को 107 सीटें मिलीं, जिनमें से 44 अपराधी थे। बहुजन समाज पार्टी को 69 सीटें मिली, जिनमें से 18 अपराधी थे। कांग्रेस को 28 सीटें मिली, जिनमें से 8 अपराधी थे। मेरी पार्टी जनता दल को 27 सीटें मिलीं, जिनमें से 11 अपराधी थे और सीपीआई को तीन सीटें मिली, जिनमें एक अपराधी था। मैं कहता हूं, अपने-अपने अंदर झांक कर देखिए - "दोष पराए देखकर चला हंस हसंत, और अपने चित्त न देखही जिनमें दोष अनन्त"। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 1993 के चुनाव में 143 अपराधी विधान सभा में जीत कर आए। 19 दिसम्बर, 1993 को विधान सभा में जो मार-पीट हुई, दोनों तरफ से जो मारपीट हुई, कोई कम दोषी नहीं था, जो तगड़ा पड़ गया उसने मार लिया और जो कमजोर पड़ गया, वह पिट गया। इसमें यहां तक हुआ कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व विधान सभा के अध्यक्ष, श्री केसरी नाथ त्रिपाठी, को भी नहीं बख्शा। उनका सिर भी फट गया और काफी लहु-लुहान हुए। उनको स्ट्रैचर पर डाल कर ले जाया गया। आप लोग यहां बैठ कर समझते हैं कि हम अपराधीकरण को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं और दूसरे समझते हैं कि हम अपराधीकरण को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं नाम भी बता दूंगा। भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति ऐसा है, जिस पर 18 केस हैं, समाजवादी पार्टी में एक ही अपराधी ऐसा है, जिस पर 36 केस हैं और कांग्रेस में एक ही अपराधी ऐसा है, जिस पर 44 केस हैं। कोई छोटे-मोटे केस नहीं हैं, अपहरण के केस है, डकैती के केस हैं, रोड-होल्ड अप के केसेज हैं, कत्ल के केसेज हैं और बलात्कार के केसेज हैं।

ऐसे संगीन केसों में फंसे हुए लोग विधानसभाओं और लोकसभाओं में जाएंगे तो इस देश का क्या आलम होगा। इस पर कभी विचार किया है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में बैठी हुई है और आपको करीब-करीब साढ़े चार साल हो चुके हैं, दोबारा से चुनाव की तैयारी है। हमारा निवेदन है कि अब भी इन अपराधियों को शह मत दीजिए क्योंकि आपसे प्रेरणा लेकर और दल भी इस तरह करने लगते हैं। जो दल जितने ज्यादा दिन तक सत्ता में रहा है उसकी गलतियां उतनी ज्यादा हो सकती है। उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते है कि आप लोग इस पर विचार कीजिए। मंत्रियों की केबिनेट में विचार कीजिए। प्रधानमंत्री जी काफी योग्य, समझदार और बुजुर्ग हैं वह भी सोचें कि इस दिशा को बदलना चाहिए, वरना एक दिन ऐसा होगा कि संसद में भी वही हाल हो जाएगा जो उत्तर प्रदेश की विधान सभा में हुआ है। वैसे तो मुझे इस पर कोई विशेष बात नहीं कहनी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दो बार सरकार बदली। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस व जनता दल सभी के द्वारा समर्थित सरकार थी, उस सरकार ने कैसा काम किया, ये सारी बातें सब लोगों को विदित है। उसके गिराने में संविधान का उल्लघंन हुआ है। एक बार समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी, जो मुख्य मंत्री थे उनको सदन में बहुमत साबित करने का एक मौका देना चाहिए था। 1990 में जब हमारी सरकार थी, उस समय वी. पी. सिंह जी प्रधान मंत्री थे। हम जानते थे कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन.... **(व्यवधान)**

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : मैं प्रो. साहब को उनकी बात पर सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जब मुलायम सिंह की सरकार गिर रही थी तो ये सारे लोग .... **(व्यवधान)**

डा. एस. पी. यादव : आपने जो प्रश्न किया है उसका साफ-साफ जवाब है कि बोम्मई साहब का केस था अटल जी भी उल्लेख कर रहे थे। उसी केस का मैं भी उद्धरण दे दूं। हम बार-बार अखबारों में पढ़ते हैं कि हमारे बोम्मई साहब अध्यक्ष हैं वह तो इस मामले में एक उदाहरण बन गए हैं और सभी लोग उनको वोट करने लग गए हैं। उनके केस में माननीय उच्च न्यायालय ने भी यह कहा था कि एक बार सदन में बहुमत साबित करने का मौका मिलना चाहिए तो मेरा मतलब यह नहीं था कि उनको बहुमत साबित करा दिया गया जाता। मेरा मतलब यह था कि उनको बहुमत सिद्ध करने का मौका दिया जाता। लेकिन नहीं दिया गया वह बात दूर चली गई, वह असंवैधानिक बात रही। मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि मुलायम सिंह और मायावती जी या कांशीराम जी के बीच में जो भी अच्छे या बुरे संबंध रहे हों या जिस तरह से बिगड़े हों लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसमें शामिल करना चाहता हूं कि इन लोगों ने बड़ी होशियारी से 2-3 महीने तक षडयंत्र कर उस सरकार को गिराने का काम किया। इनका दलित प्रेम जागृत हो गया और यह यहां तक जागृत हुआ कि अगस्त, 95 में रक्षा बंधन के दिन राखी भी बांधी गई और बंधवा कर प्रसाद भी खाया गया, घेवर भी खिलाए गए। लेकिन वह दलित प्रेम ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। वह राखी का प्रेम ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। वह भाई-बहन का प्रेम ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। केवल अगस्त, सितंबर, का महीना बीता।.... **(व्यवधान)** जो प्रेम अगस्त में उमड़ा था सितम्बर का महीना पार हुआ और 18 अक्तूबर को समाप्त हो गया। भाई-बहन की आपस में विदाई हो गई। अभी हमारे मोहल्लाह साहब कुछ मुद्दे बता रहे थे कि इनको लेकर समर्थन वापस किया गया। मैं साफ कहना चाहता हूं कि कोई मुद्दा नहीं था जिसके कारण समर्थन वापस लिया गया, केवल इसलिए वापस लिया गया कि 19 अक्तूबर के लिए मायावती जी और उनके 5-6 और साथी एमएल सी बन जाते क्योंकि एम एल सी का चुनाव 19 तारीख के लिए ड्यू था और नाम जा चुके थे। इसलिए अगर वह एम एल सी बन जाती और उसके बाद विधानसभा भंग होती तो वह केयर टेकर सरकार की मुख्यमंत्री रह जाती। इसलिए 18 तारीख डेड लाइन थी और 18 तारीख के लिए शाम को समर्थन वापस हो गया और जब समर्थन वापस हुआ तो दलित प्रेम समाप्त हो गया।

मायावती की सरकार को गिरा दिया गया। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री तो हमने सन् 1989 से लेकर 1995 तक तीन देखें, लेकिन मायावती ने कुछ करने का प्रयास किया। साढ़े 4 महीने का जो समय मिला, उसके अंदर में अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी जो सिर उठा रही थी, जो ब्यूरोक्रेसी समाजवादी या भाजपा सरकार में दबाव में नहीं आई थी, काम नहीं कर रही थी, विकास नहीं हो रहा था, लेकिन मायावती ने 4 महीने के समय में कम से कम प्रशासन पर दबाव बनाया और विकास के कार्य करने का प्रयास किया और जितना

काम साढ़े 4 महीने में हो सकता था, उतना करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार गिरा दी गई, मायावती एमएलसी नहीं बन सकी। धारा 356 का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। जिस धारा 356 का हम सब लोग इस सदन में विरोध करते रहे हैं, विभिन्न प्रदेशों के बारे में केन्द्र सरकार की आलोचना करते रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने धारा 356 के उपयोग के लिए स्वयं ही रास्ता खोल दिया। यहां सभी पार्टियों के सदस्यों से, चाहे वे भाजपा, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, जनता दल के हों, निवेदन है कि उत्तर प्रदेश को बनाने का काम करो, ईमानदारी के साथ चुनाव हो। मैं प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपका जो पैकेज कशमीर का था, जो योजना कशमीर में चुनाव करवाने की थी, वह चुनाव आयोग ने ध्वस्त कर दी, आपके ऊपर तो अब दूसरे लोग राज कर रहे हैं। एक बार आप चुनाव आयोग का हमारे खिलाफ उपयोग करके बिहार में चुनाव न करवाने की कोशिश कर रहे थे, अब आपके ही ऐलान किए हुए कशमीर के चुनाव उन्होंने रुकवा दिए। कश्मीर में किसी न किसी तरीके से चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन आपकी बात का उल्लघंन हो गया। सरकार फेल हो गई, आपकी बात गिर गई। सदन में न सही, जनता के बीच में आपकी बात को गिराने का काम चुनाव आयोग ने कर दिया है, आप चुनाव नहीं करा पाए।

अब हमारा आपसे अनुरोध है कि समय रहते हुए, 18 अक्तूबर, 1995 को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, 18 अप्रैल, 1996 को पूरा होगा, हमारा आपसे निवेदन है कि समय रहते हुए उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव करवा दिए जाएं और लोक सभा चुनावों के साथ करवा दिए जाएं। हांलाकि अखबार में पढ़ने को मिला है जिसमें सरकार ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लोक सभा चुनावों के बाद कराने की संभावना व्यक्त की है। हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हम आपको मैदान में देखना चाहते हैं। जनता जिसको चाहेगी, जो जनता की सेवा करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जनता उसको जिताएगी, यहां लड़ने–झगड़ने से कोई फायदा नहीं है। जो जनता की सेवा करेगा, जनता उसको चुन कर भेजेगी, चाहे वह किसी भी दल का हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि समय रहते उत्तर प्रदेश में विधान सभा के चुनाव करवाने चाहिए।

उत्तराखंड की बात कही गई। हमें बड़ा अफसोस है कि उत्तराखंड के हमारे साथियों पर बड़ा अत्याचार हुआ। मैं उस दिन उत्तराखंड में ही था। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप उत्तराखंड बनाते हैं तो मैं अपनी और अपने दल की तरफ से मांग करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश को तीन भागों में बांटिए। उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग–अलग हो जाएं और जो भाग जिसके हिस्से का है, उसको मिल जाए। उत्तर प्रदेश में 67 जिले हो चुके हैं और देश में हरियाणा 14. 15 जिलों वाला राज्य जब हो सकता है तो उत्तर प्रदेश के 3 राज्य क्यों नहीं बन सकते। तीन जगह डिवीजन कर दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन अगर सिर काटने की कोशिश करेंगे तो हम चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा काम मत करो, सिर, धड़ और पैर एक साथ रहें तो अच्छा है। मैं हालांकि उत्तराखंड का विरोध नहीं करूंगा क्योंकि दो सरकारें उसको पास कर चुकी है, भाजपा और समाजवादी सरकारें उत्तराखंड बनाने का ऐलान कर चुकी है, उन्होंने भी कुछ दिमाग लगाया होगा, लेकिन उत्तराखंड के लोग इन दोनों में से किसी को रिकगनाइज भी नहीं कर रहे हैं कि ये हमारे लिए कुछ कर भी रहे हैं, ऐसा भी वहां का माहौल मैंने वहां पर देखा है।

मैं अपने साथियों से एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी इसको अन्यथा न लें।.... **(व्यवधान)**

5.00 म.प.

आपका बम्बई के अंदर राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ। उसमें आपने एक साम्प्रदायिक बात जोड़ने की कोशिश की है। आपने अश्वमेघ यज्ञ करके पूरे हिन्दुस्तान में घूमने के लिए घोड़ा छोड़ा है कि हम दिल्ली में सत्ता में आ रहे हैं। आप घोड़े को धार्मिक भावना से मत छोड़िये। अगर छोड़ेंगे तो उसे पकड़ने के लिए रामो और वामो तैयार हैं और आपसे मैदान में हिसाब कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल शासन में प्रशासन ढीला हो गया है और विकास का कार्य भी ढीला हो गया है। जो अम्बेडकर योजनाएं या जिला योजनाएं या जो एम पी लोकल डवलपमेंट एरिया डवलपमेंट के अंतर्गत विकास के कार्य चल रहे थे अधिकारियों ने वे कार्य छोड़ दिए हैं। उन्होंने साइट पर जाना छोड़ दिया है। पी. डब्ल्यू. डी. या कमिश्नर या डी. एम. जिन कार्यो को वे देख रहे थे वे कार्य ठप्प हो गये हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो एक सुझाव रखा था कि एम पीज की एक कमेटी बनाई जाए। ठीक है वहां राष्ट्रपति शासन है गवर्नर रूल है लेकिन विधान परिषद् भी तो है। विधान परिषद के जो सदस्य हैं वे टी ए, डी ए या और तमाम सुविधायें वे उनकी कमेटी बनाई जाए। जितने भी हमारे सांसद हैं मंत्रियों को छोड़कर उनसे विकास कार्यो में सहयोग लिया जाए। हम लोग अपने क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को जानते हैं। कहां भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है और कहां विकास कार्य होना है उसमें हम सहयोग दे सकते हैं। सन् 1992 में जब राज्यपाल शासन था तो राज्य पाल था तो राज्यपाल महोदय बदायूं में आए थे। पुल के लिए आश्वासन दे गये थे लेकिन वह पुल आज तक नहीं बना। मध्य प्रदेश से वे आए हैं और उन्हें विकास के बारे में केवल उतना ही पता है जितना उनका सचिव बता दें। लेकिन जो विधान परिषद् के विधायक हैं, जो सांसद हैं वे अच्छे सुझाव दे सकते हैं। माननीय अटल जी के सुझाव का, उसमें एम एल सीज को जोड़ते हुए मैं समर्थन करता हूं कि उनकी एक कमेटी बनाई जाए। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, यदि वे आश्वासन देते हैं कि इस तरह की कमेटी बना दी जाएगी तो हम समझेंगे कि सरकार की नीयत साफ है लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम यह समझेंगे कि आप नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश का विकास हो और न ही उत्तर प्रदेश की जनता आपके साथ सहयोग करेगी। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदय मैं उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 18 अक्तूबर, 1995 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूं।

मेरे विचार से इस सांविधिक संकल्प पर चर्चा की परिधि बहुत सीमित है। कई मित्रों ने उत्तर प्रदेश की संपूर्ण राजनैतिक स्थिति और राज्य की समस्याओं को ध्यान से अवलोकन किया है। परंतु आज इस सदन के समक्ष मुख्य बात यह है कि जब यह उद्घोषणा की गई थी तब क्या ऐसी

परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि उन परिस्थितियों में संविधान के प्रावधानों के अनुरूप उस राज्य की सरकार चल नहीं सकती थी। सच बात तो यह है कि जहां तक उत्तर प्रदेश के बारे में उद्घोषणा जारी करने का संबंध है, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है।

विपक्ष के नेता श्री वाजपेयी जी जिन्होंने इसपर चर्चा शुरू की, उन्होंने भी वास्तव में इस उद्घोषणा का विरोध नहीं किया। उन्होंने कतिपय संरचनात्मक ठोस सुझाव दिये कि राज्य के विकास पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि संसद सदस्य भी राज्यपाल की सलाहकार समिति में शामिल किये जायें। उन्होंने विधान सभा के भंग कर देने का वास्तव में विरोध किया था जब कि बोम्मई के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को देखते हुए आरंभ में विधान सभा को निलम्बन की स्थिति में रखा गया था। अतः वास्तव में उन्होंने राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के बाद घटी घटनाओं का विवरण मांगा जिस स्थिति में उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय के आधार पर विधान सभा को भंग नहीं किया गया था। यह पूरी तरह से भिन्न मामला है। मैं समझता हूं कि विधान सभा भंग करना और राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी करना दो भिन्न मुद्दे हैं। ये दोनों अलग अलग शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के पास हैं और जहां तक इन दोनों मुद्दों का संबंध है, इनके लिए अलग–अलग वैधानिक प्रावधान बने हुए हैं। संसद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति के शासन को स्वीकार या अस्वीकार करे लेकिन मैं समझता हूं कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत हम विधान सभा भंग करने के आदेश को अस्वीकृत कर सकें। बोम्मई के मामले जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि अधिघोषणा जारी करने के पश्चात् जब तक इस संसद द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाये तब तक विधान सभा को भंग नहीं किया जाना चाहिए में यह भी निर्णय दिया गया था कि संसद को विधान सभा के भंग किए जाने को अस्वीकृत करने का कोई अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की ए आई आर 1994 में, जिसमें पृष्ठ 1918 पर यह बोम्मई मामला दिया गया है, उसी निर्णय में, पृष्ठ 1884 पैरा 73 में यह बताया गया है, मैं उद्धृत करता हूं :

"जहां तक मामलों की तीसरी श्रेणी का संबंध है, जहां अधिघोषणा वैध ठहरायी जाती है, लेकिन संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती, उसका परिणाम वही होगा जैसा कि उस मामले में होता है जहां अधिघोषणा को तदन्तर वापस ले लिया जाता है अथवा उसे दो माह बीतने से पूर्व संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष नहीं रखा जाता अथवा जहां संसद द्वारा स्वीकृति के पश्चात् इसे वापस ले लिया जाता है अथवा जारी किए जाने की तारीख से छः माह की अवधि समाप्त होने पर अथवा अनुच्छेद 356 के खंड (4) के अंतर्गत और आगे अनुमय अवधि के समाप्त होने पर लागू नहीं रहती, तथापि अनुच्छेद 356 के उपबंधों से अथवा संविधान के किसी अन्य उपबंध से यह प्रतीत नहीं होता कि एक वैध अधिघोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन न किए जाने से अथवा इसको वापस लेने अथवा लागू न रहने का प्रभाव मंत्रिपरिषद् अथवा विधान सभा की पुनः बहाली होगा। ऐसी स्थिति में अपरिहार्य परिणाम नये चुनाव तथा नई विधान सभा तथा राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन है।"

वास्तव में, यह सभा विधान सभा के भंग किए जाने का अनावश्यक रूप से उल्लेख कर रहे हैं। यदि किसी को आपत्ति है तो इसका निर्णय अन्ततः न्यायालय क़रेगा कि क्या यह कानूनी था या गैरकानूनी था। यह है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिससे उस राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती थी। इस संबंध में राज्यपाल की रिपोर्ट बहुत स्पष्ट है कि इस सरकार का समर्थन भा.ज.पा. द्वारा वापस ले लिया गया था और फिर यह अत्यधिक अल्पमत में आ गई थी और इसलिए, स्वयं उस दल द्वारा कोई सरकार नहीं चलाई जा सकती थी और यह स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकार किया गया है।

अतः उन्होंने स्वयं यह कहते हुए त्यागपत्र दिया था कि वह सरकार आगे नहीं चला सकेगी क्योंकि समर्थन वापस ले लिया गया है। अब राज्यपाल की रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उस समय कोई भी पार्टी सरकार बनाने का अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं थी। यहां तक कि भाजपा अथवा श्री मुलायम सिंह यादव की पार्टी भी प्रत्येक ने सरकार बनाने का दावा करने से इंकार कर दिया था। अतः स्थिति ऐसी थी कि कोई भी निर्वाचित दल सरकार बनाने का अपना दावा नहीं कर रहा था और राज्यपाल के सामने राष्ट्रपति को यह बताने के अथवा कोई विकल्प नहीं था कि सरकार नहीं चलायी जा सकती और इसलिए यह बिलकुल उचित तथा वैधानिक था कि राष्ट्रपति ने उस समय राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। जैसा कि मैंने कहा, विधान सभा को भंग किया जाना बिलकुल एक अलग मुद्दा है और उसका इस सांविधिक संकल्प से कोई संबंध नहीं है।

अब, उत्तर प्रदेश में स्थिति के बारे में कई सुझाव दिए गये हैं। एक सुझाव यह है कि चुनाव तुरंत होने चाहिए अथवा वे लोक सभा चुनावों के साथ होने चाहिए। राजनैतिक स्थिति तथा अन्य कारणों पर विचार करने के पश्चात् उसका निर्णय सरकार करेगी। उत्तराखंड मुद्दे तथा उत्तर प्रदेश के विकास की अन्य सभी समस्याओं का उल्लेख किया गया है। वह भी एक अलग मामला है और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह राज्य का शासन चलाते समय इन सभी सुझावों पर विचार करें।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : सभापति, महोदय, मैं माननीय गृहमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, इसके पहले कि मैं इस विषय पर आऊं, मैं चंद बातें श्री सलमान खुर्शीद द्वारा मेरे बारे में कही गयी बातों को कहना चाहूंगा। उन्होंने उत्तरांचल के बारे में कहा था। अच्छा होता यदि वे इस समय हाउस में होते फिर भी उनके द्वारा कही बातों के बारे में 2-3 बातें कहूंगा।

सभापति महोदय, श्री खुर्शीद साहब को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वे अच्छे आदमी हैं, उनके विचार अच्छे हैं लेकिन जिस मम्बलिंग से अपने विचार रख रहे थे, उससे ऐसा लगता था कि कोई बच्चा जंगल में खो गया हो और उसे पता न हो कि किधर जाना है? इनकी भावनायें अच्छी थी लेकिन रास्ता मालूम नहीं है, बात क्या करनी है, उसका पता नहीं है। इसलिए जो उन्होंने अपनी बाते कन्फयूज्ड तरीके से रखी थी उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में बडी पीड़ा है, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, जातिपात, धर्म का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उसके बारे में पीडा

थी लेकिन जब उसको हकीकत में स्वीकार करने की बात आयी तो घुमा–फिराकर बात दूसरे के मत्थे मढ देना और हर बार बयान करना कि पिछले 6 साल में क्या हुआ? मुझे आश्चर्य है कि उन्हें यह नहीं मालूम कि पिछले 6 साल में वहां पर किसका राज था? आजादी के 48 सालों में से 40 साल तक कांग्रेस का राज रहा लेकिन अब आप उससे अपना पल्ला झाडना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति आज है, उसके लिये कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। 1990 से लेकर आज तक के समय में से 18 महीने की भाजपा सरकार रही, 4 माह तक मायावती सरकार रही, बाकी समय मुलायम सिंह की सरकार या आप द्वारा समर्थित सरकार चलती रही। इसमें एक साल तक राष्ट्रपति शासन भी आपने ही चलाया था। तो आप दोषारोपण किस लिये कर रहे हैं? क्यों नहीं आप अपने अंदर झांकते और कहते कि यह गलती आपसे हुई है तब कुछ सार्थक सोच होगी। सिर्फ दोषारोपण से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए, माननीय सलमान खुर्शीद जी, आप जरा सोचिये कि आप क्या बात कर रहे हैं, किससे कह रहे हैं और किसको दोष दे रहे हैं? जब तक आप अपने अंदर नहीं झांकेगे, सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास, धर्म जाति–पांत के बारे में भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा।

सभापति महोदय, दूसरी बात उन्होंने उत्तरांचल के बारे में कही थी जिसके बारे में विस्तार से थोड़ा देर से कहूंगा। उन्होंने कहा था कि आईये, बैठकर बात करें। शायद खुर्शीद जी जानते हैं कि किस ने बात की, कितनी बात की और कौन बात करना चाह रहा है। हम तो थक गये हैं बात करने के लिये लेकिन बात किससे करें? आप लोग तो बात ही नहीं करना चाहते हैं। आप लोग इसके अंदर इतनी घटिया किस्म की और निम्न कोटि की राजनीति ला रहे हैं जिसका न तो कोई औचित्य है और न उसका कोई मौरल वैल्यू ही है।

लेकिन आपने एक लाईन पकडी और उसके तहत चलते जा रहे हैं। माननीय सलमान खुर्शीद साहब और मैं 1991 में एक साथ हैलिकोप्टर में उत्तर काशी गये थे जब वहां भूकंप आया था लेकिन उस मामले में भी आप लोगों ने राजनीति की। आज सुबह कैलेमिटी रिलीफ फंड की बात हो रही थी लेकिन हमारे यहां आए भूकंप के मामले में भी आपने राजनीति की और आज आप कहते हैं कि आईये, मिल जुलकर बैठें, बात करें। आपके द्वारा हर मामले में राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाने से उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। मैं इस बारे में कुछ देर बाद बात करूंगा।

यहां हमारे सामने 18 तारीख और 28 अक्तूबर के दो सवाल आते हैं, 18 तारीख को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और 28 अक्तूबर को उसके संबंध में रिजोल्यूशन आया। उस विषय में अटल जी और दूसरे साथियों ने काफी कह दिया है, शरद दिघे जी ने भी उसके बारे में लीगल और इल्लीगल की बात कही, शरद दिघे जी, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं,

[अनुवाद]

आपके साथ इस मुद्दे में शामिल नहीं होना चाहता।

[हिन्दी]

लेकिन इसमें लीगल या इल्लीगल का सवाल नहीं है, यहां सवाल मौरेलिटी और इम्मौरेलिटी का है। आप 18 तारीख को बोम्मई के किसी केस को कोर्ट करते हैं और 10 दिन बाद उसे भूल जाते हैं, आपकी याददाश्त खराब हो जाती है। पहले आपने कहा था कि आप डिसोल्व कर सकते, क्योंकि बोम्मई केस में कोर्ट के आदेश हैं, हालांकि वहां कोई पार्टी सरकार बनाना नहीं चाहती थी मैं समझता हू कि भारत के इतिहास में शायद वह पहला अवसर था क्योंकि जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो हर पार्टी वहां सरकार बनाने की कोशिश करती है, कोई न कोई तिकड़म करके अपनी सरकार बनाने की कोशिश करती है, आपके पास स्पष्ट निर्देश था, आपने देखा कि वहां कोई पार्टी सरकार बनाना नहीं चाहती लेकिन आप खरीद फरोख्त करवाना चाहते थे, तोड़फोड कराना चाहते थे ताकि वहां आपकी पसंद की सरकार बनाई जा सके। इसके लिये 18 तारीख को आप बोम्मई केस को कोट करते हैं लेकिन 28 तारीख को आपकी नजर उससे हट जाती है। जिस दिन प्रधान मंत्री जी विदेश से आते हैं, उसी दिन वहां की विधान सभा भंग कर दी जाती है जबकि भारतीय जनता पार्टी उस दिन सरकार बनाने की स्थिति में थी, आपका यह तरीका ठीक नहीं है। आपको चाहिये था कि 18 तारीख को ही विधान सभा भंग कर देते लेकिम 10 दिन तक आपने वहां जिस तरह वातावरण को खराब करने की कोशिश की, उससे बहुत नुकसान हुआ है, किसी को फायदा नहीं हुआ है।

अंततोगत्वा सारी बात आपकी सिन्सियैरिटी पर आकर रूकती है कि आपमें कितनी सिन्सियेरिटी है, कितनी सच्चाई है, आप कैसे समस्याओं को हल करना चाहते हैं। आप हर चीज में कोशिश करते हैं कि कैसे उसमें राजनीति का प्रवेश कराया जाये। जहां आप देखते हैं कि आपकी पार्टी को फायदा होने वाला है, उस समस्या को समाधान करने की तो आप कोशिश करते हैं और जहां आप देखते हैं कि किसी समस्या को हल करने से आपकी पार्टी को फायदा होने वाला नहीं है तो उसे आप लटका देते हैं और सोचते है कि कैसे इसे चलने दिया जाये, चाहे कश्मीर की समस्या हो या उत्तराखंड की हो। आप समस्या को बढ़ने देते हैं और जब देखते है कि स्थिति काबू से बाहर हो गयी है तब हाथ झाड़कर एक तरफ खड़े हो जाते हैं।

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

5.18 म.प.

मैं यहां विशेष रूप से उत्तरांचल की चर्चा करना चाहता हू। गृह मंत्री जी आप इस विषय से अच्छी तरह परिचित हैं और आपके साथ कई बार हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं लेकिन मैं सिफ राष्ट्रपति शासन के दौरान, पिछले 18 अक्तूबर से वहां जिस प्रकार आपकी सरकार और आपकी पार्टी ने उत्तरांचल के साथ अन्याय किया, मैं उसके उदाहरण देना चाहता हू जिसे अभी मुश्किल से दो महीने हुए हैं। आप हमारे ऊपर मुलायम सिंह जी के द्वारा अत्याचार कराते रहे हैं, आपने अत्याचार, कराये, जब वहां मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो उसे समर्थन देकर, पहले खटीमा और मसूरी में हमारे ऊपर अत्याचार कराये और मुजफ्फरनगर में तो न केवल उत्तरांचल की महिलाओं बल्कि भारत की महिलाओं का जिस तरह अपमान हुआ, उसके बावजूद भी आप वहां की सरकार को समर्थन देते रहे, उस सरकार को भंग करना तो दूर, उससे आपने समर्थन भी वापस नहीं लिया, इस तरह आपने हमारे ऊपर मुलायम सिंह जी के ज़रिये

अत्याचार कराया। उस वक्त आपके पास बहाना था क्योंकि मुलायम सिंह जी की सरकार वहां थी लेकिन आज क्या हो रहा है, आपकी सरकार किस प्रकार उत्तरांचल के लोगों की भावनाओं को समझ रही है, आप कश्मीर में भले ही चुनाव कराने की बात पर जोर दे रहे हैं, आतंकवाद के बावजूद भी आप कोशिश कर रहे हैं कि वहां चुनाव हों लेकिन उत्तराखंड में आप चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते। जिस दिन से वहा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, विधान सभा डिज्जौल्व हुई है, उत्तराखंड की नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के चुनाव कैंसिल कर दिये गये। मंत्री जी, आप मुझे जवाब दीजिए कि किस वजह से वहां चुनावों को कैंसिल किया गया। वैसे तो आप इतनी बड़ी डैमोक्रेसी की बातें करते हैं, कश्मीर में चुनाव कराने के लिये तैयार हैं क्योंकि वहां आपका राजनैतिक स्वार्थ निहित है लेकिन उत्तरांचल में चूंकि कांग्रेस पार्टी नेस्तनाबूद हो गयी है, इसलिये राष्ट्रपति जी के द्वारा वहां आप चुनाव कैंसिल करवाना चाहते हैं। मायावती सरकार के समय वहां चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गयी थी और चुनाव के आदेश दे दिये गये थे लेकिन बाद में राज्यपाल महोदय ने विदड्रावल के पहले दिन ही चुनाव कैंसिल कर दिये। किसलिये कैंसिल किये? किसलिए कैंसिल किया है? क्या वहां जम्मू कश्मीर से ज्यादा आतंकवाद है? क्या वहां आपकी लॉ एण्ड आर्डर मशीनरी इतनी कमजोर है कि आप नहीं कर सकते? मैंने माननीय राज्यपाल जी से तुरंत अगले दिन बात की थी, भेंट की थी और निवेदन किया था कि क्यों ऐसा हुआ है। उन्होंने मुझे जबाव दिया कि नामांकन नहीं हुआ है जनरल साहब, और इसीलिए हमने नहीं किया। राज्यपाल महोदय मुझे ऐसी बात कह रहे है जो सच नहीं है। नामांकन अभी भी चैक कर लीजिए, एक-एक जगह 8-8, 10-10 नामांकन हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के स्वार्थ के लिए आप डेमोक्रेसी का गला घोंट रहे है। आप मुझे बताइये, समझाइये। गृहमंत्रीजी, मैं जानना चाहूंगा कि क्यों वहां चुनाव कैंसिल हुए? आप क्या संदेश भेज रहे हैं? अगर वहां पर दो-चार आदमी हल्ला-गुल्ला करे तो क्या आप पूरी चुनाव प्रक्रिया बद कर देंगे? यह आपके राष्ट्रपति शासन की पहली देन हमको है और आप कहते हैं बातचीत करिए।

उत्तराखंड पर सी. बी. आई. की रिपोर्ट पर मैंने पुरानी सरकारों से भी, मायावती जी की सरकार से भी और जैसे ही राष्ट्रपति शासन हुआ तो माननीय राज्यपाल जी से भी निवेदन किया था कि सी बी आई, ने बड़े बड़े अधिकारियों को इंगित कर दिया है, आइडेंटिफाई कर दिया है कि इन्होंने कसूर किया है। उसके बाद उनको तुरंत सस्पैंड होना चाहिए था, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए थी या कोर्ट के आदेश होने चाहिए थे। मायावती जी ने टालमटोल की और इस एक वजह से भी भारतीय जनता पार्टी ने उनसे समर्थन विदड्रा किया है। जो चार वजह थी उसमें से एक वजह यह भी है। उन्होंने भारत की महिलाओं का ही असम्मान नहीं किया है बल्कि उन्होंने जो सही चीज थी, न्याय की चीज थी उसका भी साथ छोड़ा। लेकिन आशा थी कि राज्यपाल महोदय के समय में कम से कम 24 घंटे के अंदर आदेश दिए जाते। उन्होंने एक महीना लिया। राजनीति की जोड़-तोड़ करके देखा कि किस तरह से फायदा है, क्या नुकसान है और उसके बाद एक महीने के बाद किया। लेकिन एक महीने के बाद भी क्या किया है। नाममात्र के लिए सी.बी.आई. की इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया। उसके आगे फॉलो-अप एक्शन क्या है? क्यों नहीं इन अधिकारियो को सस्पैंड किया गया? दूसरी जगह पर छोटी-छोटी बात पर अधिकारी सस्पैंड हो रहे है और यहां पर उत्तराखड के लोगों का कोई मान-सम्मान या इज्जत नहीं है, हमारी कोई भावना नहीं है, हमारी महिलाओं की कोई कद्र नहीं है। आज एक साल दो महीने के बाद भी आप उन अधिकारियों को दण्ड देने के लिए तैयार नहीं है जिन्होंने खुले आम बलात्कार करवाया है, बसों के अंदर बलात्कार करवाया है और आप चुपचाप बैठे हैं तथा आप कहते हैं कि बात करिए। किससे बात करिए? क्यों बात करिए? मैं जानना चाहूंगा कि इन अधिकारियों को क्यों सस्पैंड नहीं किया गया है? माननीय गृह मंत्रीजी यहीं कहानी खत्म नहीं है। किस प्रकार आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है।

10 नवम्बर की घटना शायद आपको मालूम होगी। मेरे क्षेत्र में श्रीनगर एक जगह है। वहां आंदोलनकारी एक टापू पर अनशन पर बैठे हुए थे। अलकनंदा नदी के बीच में टापू पर बैठे थे। 10 नवम्बर को राष्ट्रपति शासन के दिन उजाले में वहां पर, मैं फौज का आदमी हू, जिस प्रकार से फौज के लोग दुश्मन पर अटैक करते हैं उस प्रकार की रणनीति बनाकर उन लोगों पर अटैक किया गया। महिलाओं को बुरी तरह से मारा गया। मैं उन महिलाओं से मिला हूं जिनके पेट पर पुलिस के बट के निशान है। बच्चो को, बूढ़ों को वहां से खदेड़ा गया और इसके बाद युवको को मारकर बटों से, राइफलों से मारकर उनको पानी में फैंक दिया। जब मैंने पुलिस वालों से, डी.सम. और एस.पी. वगैरह से पूछा कि यह क्यों हुआ तो वे बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि ऐसी कोई हरकत नहीं हुई है। हमने तो यह बंदोबस्त किया था, वो बंदोबस्त किया था, ये सब बहानेबाजी है, एग्जाजरेट किया जा रहा है।

माननीय गृह मंत्रीजी, 10 तारीख को मारे हुए उन दो जवान लडकों की लाशें 22 तारीख को नदी में मिली हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक 24-25 साल के लड़के को पुलिस ने बट से मार-मारकर पानी में फैंका है और उसकी मृत्यु पानी में जाने से पहले हुई है। पुलिस काम करती है तो चोट लगती है, गोलियां भी लगती हैं लेकिन उसके बाद घायल आदमी को अस्पताल ले जाया जाता है। इन्होंने घायल आदमियों को मार-मारकर, एक को तो जान से मारकर पानी में फैंका और दूसरे लडके को अधमरा करके पानी में फैंक दिया और वह डूबकर मरा। इनमें एक रावत है और एक बैंजोल है। आप राष्ट्रपति शासन में यही न्याय हमें दे रहे हैं? आप कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। आज तो आपकी सरकार चल रही है। वहां पर आपके मुख्यमंत्री गवर्नर है सियासत से बैठें है और आप यह अन्याय हमारे साथ कर रहे हैं।

जब 22 तारीख को लाश मिली और उसके बाद जब मैंने यहा पर बात की, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के दफ्तर में रिंग किया। मैं उनका आभारी हूं, उनके पास समय तो नहीं था, उन्होने मुझे माननीय भुवनेश चतुर्वेदी जी के पास भेजा। मैं उनके पास गया, उनसे मिला। उन्होंने मेरी बात सुनी और मैंने यह सब बयान किया। मैं यह भी आभार मानता हूं कि उस समय तुरंत गवर्नर जी से बात हुई और कुछ एक्शन लिया गया। लेकिन एक्शन क्या लिया गया? मैं माननीय गृह मंत्रीजी आपसे निवेदन करता हू, मै माननीय मोतीलाल जी बोरा का बहुत आदर करता हू, जैसा माननीय अटलजी ने कहा, मैं भी उनका आदर करता हू।

वे अच्छे व्यक्ति हैं, वे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी किस की है? जैसा अटल जी ने कहा, मैं भी उनका आदर करता हू, लेकिन

इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर के लिए, इस मैन स्लाटर के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर वे अपना नैतिक दायित्व समझते, तो उनको वहां से इस्तीफा देकर जाना चाहिए था कि मेरे राज्य के अंदर, मेरे होते हुए, इस प्रकार का कत्लेआम हो रहा है।

हमने कहा था कि इन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। क्या हुआ? ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर तो आजकल आप वैसे ही कर देते हैं। आज किसी मुख्य मंत्री की चपाती ठीक से नहीं बनती है, तो डी. एम. का ट्रांसफर कर दिया जाता है और हमको आप यह दिखा रहे हैं।

न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। ठीक है। अच्छी बात है। हमने भी इसकी मांग की थी, लेकिन इसके ऊपर तुरन्त कार्रवाई की जाए। माननीय गृह मंत्री जी आप हमारे साथ इस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं चार साढ़े चार साल से जिससे ये समस्याएं सुलझने वाली नहीं हैं, बल्कि आप हमारे घावों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? मैंने यहां पर खड़े होकर अनेकों बार गिड़गिड़ाया है, अनेक बार कहा है, लेकिन कोई बात नहीं होती है।

अभी माननीय सलमान खुर्शीद जी कह रहे थे कि बात करिए। क्या कभी आपने बातचीत की पहल की है? आपको मालूम है आपके तत्कालीन गृह मंत्री राजेश पायलट जी ने किनको बुलाया? यहां पर अपने दोस्तों को बुलाया और टीवी में फोटो खिंचवा दिए की उत्तराखंड के लोगों से बातचीत चल रही है। यहां पर चारों के चार सांसद बैठे हैं, आप मुझे बताइए कभी आपने इन जनप्रतिनिधियों से बात की है चार साढ़े चार साल के अंदर आप बता दें। लगता है कि आपको भा.ज.पा. से ऐलर्जी है, आप भा. ज.पा. से डरते हैं। मैंने प्रधान मंत्री जी को लिखा था कि उत्तर प्रदेश में हम 10 विधायक भा.ज.पा. से हैं कुल मिलाकर 19 विधायक हैं, आप हमसे नहीं तो कम से कम उनसे ही बात कर लीजिए, उनको ही पूछ लीजिए। यहां आकर हमको भाषण देते हैं कि बात कीजिए। किससे बात कीजिए? क्या दीवालों से बात कीजिए? पत्थरों से बात कीजिए? किससे बात कीजिए?

मैं बहुत दुख और चिन्ता के साथ यह बात कह रहा हूं कि इस प्रकार से माहौल खराब हो रहा है। मैंने यहां पर उठकर बार–बार कहा है कि मैं और मेरी पार्टी वहां पर शान्ति बनाए रखने का काम कर रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा, आपके पास तंत्र है कि हम किस प्रकार से वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से वहां पर शांति रखी जाए, लेकिन माननीय मंत्री जी आप और आपकी सरकार वहां के लोगों को उकसा रही है कि आप अशान्त होइए हम चुनाव पोस्टपोंड कर देते हैं, आप अशान्त होइए, हम दो–चार लोगों से बात कर लेते हैं, आप अशान्त होइए, हम आपको यह कर देते हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते कि शान्तिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक तरीके से कोई काम कैसे किया जाए। यह बडे दुख और चिन्ता की बात है।

माननीय गवर्नर साहब ने हमको गुमराह करने के लिए 27 परसेंट के आरक्षण की घोषणा कर दी। मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से इतना जिम्मेदार आदमी ऐसी बात कर रहा है और हमारे घावों पर नमक छिड़क रहा है। एक तरफ तो वहां 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा कर दी और दूसरी तरफ यहां दिल्ली में आकर कुछ और ही कहते हैं। वह 27 प्रतिशत क्या है, यह भी मैं बताना चाहता हूं। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में, पन्त नगर यूनिवर्सिटी में वन टाइम एक्सैप्शन दिया है। यहां दिल्ली में आकर कहते हैं कि इस 27 प्रतिशत आरक्षण के लीगल और अदर इम्लीकेशंस क्या है, यह हमने देखे नहीं हैं। अगर आपने देखे नहीं हैं, तो आपने घोषणा कैसे कर दी? इस प्रकार 27 परसेंट की बात कर के आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। यह तो आप हमको गुमराह कर रहे हैं। जब तक वहां पर जिस प्रकार की सत्ता चाहिए, पृथक प्रदेश की बात नहीं करेंगे, उससे सम्बन्धित बात पर विचार नहीं करेंगे तब तक समस्या सुलझने वाली नहीं है। बहकाने वाली चुनावी राजनीति और रणनीति तथा चुनावी घोषनाओं से काम नहीं चलेगा और मैं आपसे बार–बार नम्र निवेदन कर रहा हूं कि यदि आपकी यही नीति रही, तो आप इस सीमावर्ती प्रदेश को अशान्त क्षेत्र घोषित होने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

आपने वहां की जनता को गुमराह करने के लिए दो सचिवालय की बात कह दी। आप एक नहीं, दस सचिवालय खोल दें, लेकिन इससे समस्या हल नहीं होगी। हमने भारतीय जनता पार्टी के समय में वहां पर हिल कैडर लागू किया था। वह करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। जिस चीज से वहां के लोगों को वास्तव में फायदा होने वाला है वह चीज आप करने वाले नहीं है। यह हिल कैडर का प्रस्ताव 1992 से पड़ा हुआ है। वहां पर एक साल राष्ट्रपति का शासन रहा। दूसरी बार फिर लागू हुआ, लेकिन आपने वह लागू नहीं किया। वह चीज आप नहीं करेंगे जिससे हमको फायदा हो, आप वह करेंगे जिससे आपको फायदा हो। आप लोगों को गुमराह करने के लिए काम करेंगे। क्यों नहीं आप हिल कैडर को लागू करते? मुझे कोई बताए, कोई समझाए? आप कह रहे हैं कि दो सचिवालय खोल दिए, उससे क्या होगा? हमने वहां पर लखनऊ और इलाहाबाद से जो दफ्तर शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की थी, उसको ठप्प कर दिया। क्यों नहीं आप उसको एक्टीवेट करते? जिससे वहां के लोगों को फायदा होगा। आप वह नहीं करेंगे। जिससे आपको फायदा होगा, वोट आपको ज्यादा मिलेंगे आप वह करेंगे। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी, उससे आपको और आपकी सरकार को कोई फायदा होने वाला नहीं हैं। वहां पर लोग बहुत आक्रोषित है।

सभापति महोदय, अन्त में एक–दो बातें और कहना चाहता हूं। मुझे इस बात का भी बड़ा दुख होता है कि किस प्रकार से आप हमारी समस्या को लेते हैं, हम सही हैं, आप सही हैं, यह अलग बात है। हमारा अलग–अलग विचार हो सकता है। माननीय सलमान खुर्शीद जी ने कहा था कि अलग रास्ता निकाला जा सकता है, पृथक प्रदेश मत बनाइए। मुकुट को अलग मत कीजिए। सिर को सिर की जगह पर रहने दीजिए। अरे जिसको आप बार–बार सिर कह रहे हैं, उसको तो आपने टांगों से भी ज्यादा खराब कर दिया है। सिर की चिन्ता आप नहीं करते हैं। सिर को तो आप ताज बनाकर दुनियां को दिखाना चाहते हैं और हमको गुमराह करना चाहते हैं कि आप तो हमारे सिर हैं। लेकिन आपकी देखभाल कोई नहीं करेगा। यहां पर 5-7 घण्टे की बहस उत्तरांचल के ऊपर पृथक प्रदेश के बारे में हमारे एक प्रस्ताव के ऊपर हुई थी, उस समय यहां पर माननीय पी.एम. सईद साहब मंत्री थे, उन्होंने जवाब में कहा था, यह 1993 की राष्ट्रपति शासन के समय की बात है, कि चुनी हुई सरकार आ जायेगी तो हम इसके ऊपर तुरन्त विचार करेंगे। मैंने उनसे उस समय भी कहा था कि आपको 1991-92 में जो प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, क्या

वह चुनी हुई सरकार नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आपको रैड–रैग दिखाई देती है, जैसे बुल को दिखाई देती है। फिर 1994 में चुनी हुई सरकार आ गई, उस सरकार ने भी प्रस्ताव भेज दिया, फिर भी आप नहीं कर रहे।

जब दोबारा राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं, मुझे पता नहीं कि यह बयान अखबारों में सही छपा है, गलत छपा है, बड़ा आश्चर्यजनक है और मैं अभी भी आशा करता हूं कि शायद आपने ऐसा नहीं कहा होगा, आपने कहा कि जब जनप्रिय सरकार आयेगी, तब हम इसके ऊपर विचार करेंगे। आपको क्या दर्जनों के हिसाब से जनप्रिय सरकार चाहिए, आपको थोक के हिसाब से सरकार चाहिए? जब तक दर्जन जनप्रिय सरकार आयेंगी और तब तक दर्जन प्रस्ताव आपके पास आयेंगे तब आप क्या विचार करेंगे? आपके एक मंत्री ऋषिकेश जाकर कहते हैं, पता नहीं, उनको मालूम है कि नहीं कि उत्तरांचल होता क्या है। वह वहां पर जाते हैं, कहते हैं कि जब कोई जनता द्वारा चुनी हुई सरकार कोई प्रस्ताव भेजेगी तो हम बात करेंगे। उनको नहीं मालूम कि दो प्रस्ताव यहां पड़े हुए हैं। इस प्रकार की बातों से केन्द्रीय मंत्री जी आप हमको दुखी तो कर ही रहे हैं, हम पीड़ित तो हैं ही, लेकिन देश के हित में भी यह नहीं है, कृपया यह समझने की कोशिश कीजिए। आप हम लोगों से जिस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं, मैं राजनीति से अलग, पार्टी से ऊपर उठ कर यह बात कह रहा हूं, कि वह राष्ट्र के अहित में है। कृपया समझिये कि वह सीमावर्ती क्षेत्र है, सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। हमारे घरों के अन्दर एक नहीं, दो नहीं, 3-3, 4-4 सैनिक और अर्धसैनिक लोग हैं, वह कब तक इस प्रकार का अन्याय सहेंगे? आप बातचीत करने तक को तैयार नहीं हैं। मैं यहां पर बार–बार गिड़गिड़ाया हूं, मैंने चिट्ठियां लिखी हैं कि कम से कम सक्रिय ढंग से कुछ करिये, लेकिन आपने नहीं किया। मुझे इस बात का बड़ा दुख है और मुझे इस बात का बहुत ही अधिक दुख है कि राष्ट्रपति शासन के अन्दर इस प्रकार की बातें हो रही हैं, यह होनी नहीं चाहिए, कृपया इसको बन्द कीजिए।

आप हमारे विकास के अन्दर जो कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। घोषनाएं बहुत कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रोफेसर यादव ने कहा था कि माननीय राज्यपाल जी ने पिछले एक साल में बहुत सारी घोषनाएं की थीं, मेरे क्षेत्र में भी उनकी उस समय की घोषनाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। वह कहीं पर डिग्री कालेल खोले गये थे, कहीं पर यह कर गये थे, वह कर गये थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप घोषनाएं करते रहिये, जनता समझती है कि क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन यह जो बेसिक मुद्दे हैं, जिनके ऊपर लोग आन्दोलित हैं, यहां पर उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के लोग पूरे विंटर सैशन के अन्दर धरने पर बैठे हैं, 27 नवम्बर से 22 दिसम्बर तक इसी मुद्दे को लेकर धरने के ऊपर हम लोग बैठे हैं, यही करके कि आप लोगों को यह बात बार–बार समझायी जाये, आप लोगों को समझाया जाये कि स्थिति काबू से बाहर हो रही है, कृपया कुछ कीजिए। राष्ट्रहित में कीजिए, उत्तरांचल को अगर आप महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं चाहिए तो कम से कम राष्ट्रहित में तो कुछ कीजिए, यह मेरा आपसे निवेदन है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता हूं।

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : सभापति जी, गृह मंत्री द्वारा जो संकल्प पेश किया गया है, जिन स्थितियों में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, उनमें राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं, क्योंकि 1991 से लेकर यह दूसरा राष्ट्रपति शासन हैं और दुर्भाग्य से दोनों बार जो राष्ट्रपति शासन हमारे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, उसके लिए हमारे दाहिनी तरफ बैठे हुए हमारे मित्र मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि 1991 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सत्ता उनके हाथ में आई और उनका बहुमत था, लेकिन जिस तरीके से हमारे प्रदेश के अन्दर इन्होंने कार्यवाईयां शुरू की, उसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश को राष्ट्रपति शासन झेलना पड़ा।

इसके बाद पुनः बसपा और सपा की सरकार आती है। इस सरकार के आने के बाद जिस ढंग से उत्तर प्रदेश के अन्दर राजनीति चलाई गई, उसका परिणाम यह हुआ कि हम सिद्धान्तों की दुहाई देते हैं, सिद्धान्तों की बात करते–करते एक ऐसी सरकार सामने ला दी गई, जिस सरकार के सिद्धान्त और नीतियों का आपस में 36 का सम्बन्ध था। इसके बाद सरकार से पुनः समर्थन वापस लिया गया, जैसा कि हमारे साथी प्रो. एस. पी. सिंह ने कहा क्योंकि सरकार जिस मकसद से बनाई गई थी, वह बहुत साफ था। बिना शर्त के समर्थन था लेकिन जिस ढंग से उस सरकार को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्थन दिया गया, वह कुछ हद तक प्राप्त भी किया गया। लेकिन एक सीमा तक लक्ष्यों की प्राप्ति होती गई। रोज ऐसा चले, वह स्थिति नहीं आई। एकाएक जन सवालों पर उस सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया गया। समर्थन वापस लेने के बाद हमारी आपसे एक शिकायत यह है कि जिस समय आपने वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया, उस समय कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था, न ही भारतीय जनता पार्टी थी, न सपा थी, दोनों में से किसी ने दावा भी नहीं किया। हमारी समझ में नहीं आता है, आपने उस समय असेम्बली को भंग न करके यह माहौल पैदा करने की कोशिश की कि यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग की जाये। आप राजनीति को पूरी तौर पर उस ढंग से ले जाना चाहते थे। लेकिन फिर पुनः आपको सद्बुद्धि आई और उसके बाद आपने असेम्बली को भंग कर दिया। यह तो होना ही था। लेकिन दस दिन बाद करने की बात हमारी समझ में नहीं आई। अब जो स्थिति है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 1991 से लेकर आज तक विकास कार्य रुका हुआ है। कोई विकास कार्य नहीं हुआ, सरकारें आईं और गईं लेकिन उनके मुद्दे दूसरे ही रहे। विकास कार्य के मुद्दे नहीं रहे। उस मुद्दे को लेकर वे आन्दोलित रहे। उनको इस बात का समय कभी नहीं मिला कि हम प्रदेश के विकास के लिए योजनाओं को बना सकें और उन्हें लागू कर सकें। उत्तर प्रदेश में इस समय राष्ट्रपति शासन के लागू होने से विकास कार्य पूरी तौर पर ठप्प है। अभी वहां पर गांधी ग्रामों की घोषणा की गई, अम्बेडकर ग्रामों की घोषणा की गई, सारे विकास के पैसे, चाहे वे पूर्वांचल निधि के हों, चाहे वे जे. आर. वाई. के हों, उन जगहों पर भेज दिये गये। उत्तर प्रदेश में केवल गांधी ग्राम और अम्बेडकर ग्राम के अलावा दूसरा कोई सही विकास का कार्य नहीं लिया गया। लेकिन वहां पर भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। वह ठप्प है, उनको देखने वाला इस समय कोई नहीं है। जैसा हमारे नेता विरोधी पक्ष ने सुझाव दिया कि प्रदेश के लैबल पर आप न केवल सांसदों की सलाहकार समिति बनायें बल्कि हमारी अलग से भी यह मांग है कि प्रदेश में जो भी मान्यता प्राप्त दल हैं, उनके संबंध में राज्य से लेकर ब्लॉक स्तर तक समितियां बनायें, विकास कार्यों

को देखें और उन्हें गति दें।

दूसरा मुझे यह कहना है कि अभी उत्तराखंड के विषय में खंडूरी साहब अपनी जो व्यथा सुना रहे थे, वह केवल उनकी ही व्यथा नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी लोगों की व्यथा है। उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक दल उत्तराखंड के निर्माण का विरोध नहीं करता। दो–दो बार सर्वसम्मत प्रस्ताव आये हैं, आप उनकी उपेक्षा करके पूरे उत्तर प्रदेश की उपेक्षा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जन भावना की उपेक्षा कर रहे हैं। वहां जो कुछ भी स्थिति बन रही है, वह आपकी उपेक्षा के कारण बन रही है। इसलिए मैं भी आपसे कहता हूं कि मेरा दल बहुत पहले से उत्तराखंड का समर्थन करता है। हमने अपनी पार्टी के संगठन में भी उत्तराखंड की अलग से कमेटी बनाई हुई है। हमारी आपसे पुरजोर मांग है कि उत्तराखंड की समस्याओं को देखें और उसको पृथक राज्य की मान्यता आप दें।

इसी तरीके से हमारी एक और मांग है। उत्तर प्रदेश में लोक सभा के चुनाव के साथ विधान सभा के चुनाव कराइए, क्योंकि बहुत दिनों तक राष्ट्रपति शासन नहीं रखा जा सकता है। लोकसभा के चुनाव के साथ इस बात की आप स्पष्ट घोषणा करें कि ये चुनाव आप कब कराना चाहते हैं। आप ये चुनाव फरवरी में कराना चाहते हैं या अप्रैल में कराना चाहते हैं या मई में कराना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, आप जब भी ये चुनाव करायें, लोक सभा के साथ ही उत्तर प्रदेश के चुनावों को करायें।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री रामसागर (बाराबंकी) : अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन की चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश में कई समस्यायें हैं और उन समस्याओं में एक समस्या उत्तराखंड की भी है। अभी खंडूरी जी ने उत्तराखंड की व्यथा है, उसको सदन के सदन के सामने रखा है। मैं समझता हूं कि केन्द्र से न्याय और अन्याय पर कोई अमल नहीं होता है, बल्कि जो अन्याय होता है, वह केन्द्र से ही होता है। मैं समझता हूं कि दो बार उत्तर प्रदेश से सर्वसम्मति से उत्तराखंड बनाए जाने का प्रस्ताव आया है और उसका केन्द्रीय सरकार को अंतिम रूप से विचार करना है, लेकिन केन्द्रीय सरकार उस पर विचार नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी का भी यह निर्णय है और उसका भी यह फैसला है और उसने भी यह प्रस्ताव भेजा है कि उत्तराखंड के लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अपने प्रस्तावों में एक तरीके से उनकी सभी मांगों का समर्थन किया है।

अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश में जनता के द्वारा चुनी हुई समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाजवादी पार्टी की गठबंधन की सरकार थी और वह ठीक तरीके से काम कर रही थी। मैं समझता हूं कि यहां पर केन्द्र में दो प्रकार का नजरिया होता है। जब गुजरात में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, असम में विवाद पैदा हुआ, तो केन्द्र ने लगातार महीने तक आपस की बातों को सुलझाने का मौका दिया और उत्तर प्रदेश में जब गठबंधन की कुछ बातें होती हैं, उत्तर प्रदेश से जनमानस की बात होती है, तो मुलायम सिंह यादव को बहुमत सिद्ध करने के लिए 24 घंटे का मौका दिया गया। एक तरफ गुजरात में महीनों का मौका दिया जाता है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को 24 घंटे का भी मौका नहीं दिया जाता है। वहां पर किस प्रकार से सरकार गिराई जाती है। मैं भारतीय जनता पार्टी पर यह भी आरोप लगाना चाहता हूं, यह सही बात है कि वह एक मौके की तलाश में थी, मुलायम सिंह यादव जी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद केवल डेढ़ साल में अपनी छवि को बना कर के उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए और जिस प्रकार से वे विकास के कार्य कर रहे थे, जिससे यह लग रहा था कि वहां पूरे विकास के कार्य चल रहे हैं।

यह रंजिश की वजह से वहां पर एक गुट को मिला करके और एक मौके की तलाश करके, आपस में फसाद करा कर, वहां पर दूसरी सरकार बनाई गई, वहां जो दूसरी सरकार बनी, वह पहली बार दलित बहन का भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, दिल्ली से लोग राखी बांधने चले गए और आर्शीवाद देकर आए कि पांच साल तक सरकार चलेगी। लेकिन बीच में सरकार गिरा दी गई और वहां पर यह कहा गया कि जो प्रजातंत्र के द्वारा चुने हुए विधानसभा के सदस्य हैं, उनको बहुमत के मौके की तलाश करने का पूरा मौका होना चाहिए। यह 10 दिन तक बराबर कहा गया लेकिन जब फिर दोबारा, जैसाकि मुलायम सिंह जी ने पहले भी कहा था कि हमारा बहुमत है और फिर जब दोबारा कहा कि हमारा बहुमत है और बहुमत बन भी गया, उनको तमाम बहुमत मिल भी गया और विधानसभा के फर्श पर बहुमत सिद्ध करने का मौका आया, तो जैसे ही यह बात केन्द्र सरकार को मालूम हुई वैसे ही वहां पर विधानसभा बर्खास्त कर दी गई ताकि मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने का मौका न मिले।

अधिष्ठाता महोदय, इसमें केवल कांग्रेस की ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की मिली–जुली साजिश थी। आज मैंने माननीय नेता विरोधी दल को सुना और वह अब यह चाहते हैं कि यह कैसी विडम्बना है, क्या लोकसभा के मेम्बर किसी प्रदेश की सरकार को चलाएंगे। यह कुर्सी की भूख कहां तक जाएगी। लोकसभा के सदस्यों की एक कमेटी बनी ली जाए, जो प्रदेश की सरकार का काम–काज देखे।.... **(व्यवधान)** मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव होना चाहिए।....**(व्यवधान)** वहां एक एडवायजरी कमेटी बना करके उत्तर प्रदेश के चुनाव को लम्बे अर्से तक लटकाने की एक साजिश, एक शुरूआत की जा रही है। कुछ परंपराएं होती हैं कि किस प्रकार से प्रदेश की सरकार चलनी चाहिए। इस प्रकार से कोई अंडरटेकिंग व्यवस्था नहीं हो सकती है। इसलिए हमारी यह मांग है कि आज उत्तर प्रदेश के साथ क्या हो रहा है, कांग्रेस के कुछ लोग कहते हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी की भी साजिश है कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हों।... **(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द खंडुरी : हमारा स्पष्ट कहना है कि साथ–साथ होने चाहिए।

श्री रामसागर (बाराबंकी) : ठीक है, आपने मान लिया है। लेकिन कभी कभी आपकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अच्छा हुआ कि आपने यहां कह दिया। हम चाहते है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन ज्यादा दिनों तक नहीं लटकाना चाहिए, वहां पर लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव कराना चाहिए। यह बात मैं इसलिए कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में जो बड़े से लेकर छोटे अधिकारी हैं, वे चाहे प्रधान हों या चुनी हुई नगरपालिका के सभासद हों

या जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं या एम. पी. हैं, आज जब उनके पास जाते हैं, तो ये कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन है। इसका यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति शासन है तो आप मनमानी करेंगे तथा जनप्रतिनिधियों की अवहेलना होगी।

जैसा कि कहा जा रहा है कि निरंकुशता बढ़ रही है, यदि समय पर चुनाव नहीं कराए जाएंगे तो मनमानी और बढ़ती जाएगी, निरंकुशता बढ़ती जाएगी और विकास कार्य नहीं हो पाएंगे। पहली बार एक अवसर आया था जब समाजवादी सरकार ने 70 फीसदी पैसा ग्रामीण विकास के लिए दिया था और हर स्तर पर विकास कार्य शुरू किए थे, लेकिन आज वे सारे विकास कार्य ठप्प हो गए हैं। जब तक प्रदेश में चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती, तब तक जन–भावनाओं के अनुरूप अधूरे पड़े हुए विकास कार्य पूरे नहीं हो सकते।

अधिष्ठाता महोदय, निरंकुशता न बढ़े, विकास कार्यों में अवरोध न आए, इसलिए अधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन वहां पर नहीं रहना चाहिए तथा 6 महीने के अंदर वहां पर चुनाव होने चाहिए। हम लोग लोक सभा चुनावों के साथ–साथ उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव कराने के पक्ष में है। उत्तर प्रदेश में चुनावों को अधिक नहीं लटकाया जाना चाहिए। वहां पर शीघ्र प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुए सरकार कायम हो, यही मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आन्तरिक मणीपुर) : माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति जी द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के संबंध में माननीय गृह मंत्रीजी द्वारा रखे गए सांविधिक संकल्प का मैं समर्थन करता हूं।

मैं राज्य में स्थिति से निपटने के लिए राज्यपाल द्वारा निभाई गयी भूमिका की प्रशंसा करता हूं। हम जानते हैं कि राज्यपाल को लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्य भूमिका निभानी पड़ती है जो कि देश में हमें बहुत प्रिय है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने यह भूमिका बहुत ही प्रभावपूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण तरीके से निभायी है। राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश में सरकार गठित करने के लिए किसी दल का पता लगाने की कोशिशों के बाद विधानसभा भंग करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की।

उत्तर प्रदेश हमारे देश का एक आदर्श राज्य है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा राज्य है। यह ऐसा राज्य है जिसने हमें अनेक प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रीय नेता दिए हैं। यही एक ऐसा राज्य है जहां से लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि होते हैं और इसलिए यह एक आदर्श राज्य है। मैं राज्यपाल द्वारा निभायी गई भूमिका की प्रशंसा करता हू तथापि यहां पर कुछ माननीय सदस्य उनकी भूमिका के विरुद्ध हैं। इसकी तुलना में मणिपुर सहित कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री को अपना बहुमत साबित करने के लिए लगभग एक महीने अथवा 30 दिन से अधिक का समय दिया गया था।

उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने केवल दस दिन का समय दिया। यह आदर्श समय है। मणिपुर में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को 30 दिन से अधिक अर्थात् एक महीने का समय दिया था। बहुमत साबित करने के लिए इसलिए आप कृपया तुलनात्मक रूप से अंतर की जांच कीजिए। राज्यपाल केन्द्र सरकार– गृह मंत्रालय के एजेंट के रूप में कार्य करता है। वह गृह मंत्रालय के परामर्श से कार्य करता है। लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वे किसी दल का पक्ष ले रहे हैं। यह आपत्तिजनक है। इससे देश में लोकतंत्र के विकास तथा उन्नति में बाधा उत्पन्न होगी। यही हमारा अनुभव है।

मणिपुर के मामले में, जब हमने जांच की तो राज्यपाल का जवाब था कि यह सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप था। यह उनके ध्यान में लाया गया था कि सरकारिया आयोग ने मंत्रालय के लिए केवल 10 प्रतिशत की सिफारिश की है। मणिपुर में 60 विधायकों की सभा में 28 मंत्री, एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष, राज्य मंत्री की रैंक के दो संसदीय सचिव और केबिनेट रैंक का एक उपसभापति है। तो सभी पद धारकों ने स्वतः ही बहुमत कायम कर लिया है। इस बात की अनुमति आयोग की रिपोर्ट के विरुद्ध दी गई है। मैं गृहमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इन मामलों पर गौर करें। क्या केवल 60 विधायकों की सभा में 28 से अधिक मंत्रियों का होना ठीक है? इनमें से आधे पदधारक हैं – मंत्री, संसदीय सचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं? इस तरह से, मेरा विचार है कि राज्यपाल को किसी एक दल का पक्ष लेकर पक्षपात जाहिर नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मामले में, राज्यपाल ने निष्पक्ष रूप से कार्य किया है। इसलिए मैं राज्यपाल की भूमिका की प्रशंसा करता हूं।

जहां तक कि चुनाव करवाए जाने का संबंध है, मैं माननीय सदस्यों के इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहूंगा कि वहां लोकसभा के चुनावों के साथ विधानसभा के चुनाव होने चाहिए। हमें जितना जल्दी संभव हो सके उतना ही लोकतंत्र की बहाली की कोशिश करनी चाहिए। हमें राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान हुए अनुचित कार्यों का काफी अनुभव है। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत लोग यह महसूस कर रहे हैं जैसे कि वे किसी अन्य देश के हों। उन पर नौकर शाहों द्वारा शासन किया जा रहा है। इसलिए, उत्तर प्रदेश में ऐसा न होने दें।

राष्ट्रीय दलों द्वारा उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति क्या गलतियां की गई हैं? यह ऐसा राज्य था जहां कांग्रेस दल भाजपा अथवा जनता दल का राज था। लेकिन अब यह राज क्षेत्रीय दलों के पास चला गया है। परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए।

श्री याइमा सिंह युमनाम : मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। हमें बहुत दुख महसूस हुआ जब की तत्कालीन मुख्यमंत्री कुमारी मायावती ने महात्मा गांधीजी के विरुद्ध टिप्पणी की। इससे हमें बहुत दुख पहुंचा.... (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया एक अथवा दो मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

6.00 म.प.

श्री याइमा सिंह युमनाम : मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

मेरा आखिरी मुद्दा यह है। मैं उत्तराखंड राज्य बनाने के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहूंगा। मैं इसका पूर्णतः समर्थन करता हूं। मेरा दल यद्यपि

वह क्षेत्रीय दल है यह मांग का पूर्ण समर्थन करता है क्योंकि हम छोटे–छोटे राज्यों के पक्ष में हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा 29 नवम्बर, 1995 को 11 बजे म.पू. पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.01 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा बुधवार 29 नवम्बर, 1995/8 अग्रहायण 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।